भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 1987 को समाप्त हुये वर्ष के लिए

प्रतिवेदन

(वाणिज्यिक)

1989 की संख्या 2

उत्तर प्रदेश सरकार

भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 1987 को समाप्त हुये वर्ष के लिए

प्रतिवेदन

(वाणिज्यिक)

1989 की संख्या 2

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय – सूची

	-:सन्दर्भ:-	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना		(iii)-(IV)
विहंगावलोकन		(V) -(xx)
अध्याय–1		
सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन	1	1
भूमिका	1.1	1
सरकारी कम्पनियाँ——		
सामान्य अवलोकन	1.2	1 – 30
सांविधिक निगम–सामान्य पहलू	1.3	31– 33
उत्तरप्रदेश राज्य विद्युत परिषद्	1.4	34– 44
उत्तरप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1.5	45– 49
उत्तरप्रदेश वित्तीय निगम	1.6	49– 54
उत्तरप्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	1.7	55
अध्याय–2		
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षायें	2	56
किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2 क	56– 95
गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2 ख	95– 128
अध्याय–3		
उत्तरप्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की पारीक्षा तापीय विद्युत परियोजना के सिविल कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित समीक्षा	3	129–178

	प्रस्तर	पृष्ठ
अध्याय–4		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित विविध रोचक विषय	4	179
सरकारी कम्पनियां	4क	179–199
सांविधिक निगम	4ख	199–227
परिशिष्ट		
1. उन कम्पनियों की सूची जिनमें सरकार नें 10 लाख रूपयों से अधिक धनराशि निवेशित की है किन्तु जो भारत के नियन्त्रक–महालेखा–परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन नहीं हैं	3	231–232
2. सरकारी कम्पनियों की अद्यतन प्रदत्त पूंजी, अनिस्तारित ऋण, सरकार द्वारा दी गई प्रति–भूतियों की धनराशि, उनके समक्ष अनिस्तारित धनराशि और अद्यतन कार्यचालन परिणामों को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	1.2.2	233–246
3. समस्त सरकारी कम्पनियों के उस वर्ष हेतु जिसके लेखे को अन्तिम रूप दे दिया गया था, सन्क्षिप्त वित्तीय परिणाम	1.2.3	247–262
4. सांविधिक निगमों के, उस अन्ततम वर्ष हेतु जिसके वार्षिक लेखे को अन्तिम रूप दे दिया गया है, सन्क्षिप्त वित्तीय परिणाम	1.3.2	263

प्रस्तावना

सरकारी वाणिज्यिक संस्थायें, जिनके लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नांकित श्रेणियों में आती है:

—सरकारी कम्पनियाँ

—सांविधिक निगम एवम्

— विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

2. प्रस्तुत प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सहित सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा के परिणामों की चर्चा है तथा यह मार्च 1984 में यथा संशोधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है । विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा के परिणाम भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल)-उत्तर प्रदेश सरकार, में सम्मिलित हैं।

3. किन्तु कुछ कम्पनियां ऐसी हैं जो, सरकारी निवेश के बावजूद, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं, क्योंकि सरकारी अथवा सरकार के स्वामित्व वाली/द्वारा नियन्त्रित कम्पनियां / निगम 51 प्रतिशत से कम शेयर धारण करते हैं। ऐसे उपक्रमों की सूची जिनमें 31 मार्च 1987 को सरकार का निवेश 10 लाख रूपयों से अधिक था, परिशिष्ट-1 में दी गई है ।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, जो सांविधिक निगम हैं, के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक एक मात्र लेखा परीक्षक हैं । उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के सम्बन्ध में उन्हें सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों §चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स§ द्वारा की गयी लेखा परीक्षा से स्वतन्त्र रूप से उनके लेखे की लेखा परीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है । इन सभी निगमों के वार्षिक लेखे पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार को पृथक रूप से भेजे जाते हैं ।

5. प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं, जो वर्ष 1986-87 की अवधि में लेखा परीक्षा के दौरान देखने में आये, इनके अतिरिक्त वे मामले भी हैं, जो इससे पूर्व वर्षों में देखने में आये थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में चर्चित नहीं किये जा सके । जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया , 1986-87 से परवर्ती अवधि से सम्बन्धित मामले भी सम्मिलित कर लिये गये हैं ।

विहंगावलोकन

1. 31 मार्च 1987 को राज्य में 97 सरकारी कम्पनियां §42 सहायक कम्पनियों सहित§ तथा 4 सांविधिक निगम थे।

चार कम्पनियां परिसमापनाधीन थीं। 93 सरकारी कम्पनियों की कुल प्रदत्त पूँजी 606.94 करोड़ रूपये थी, जिसमें राज्य सरकार का निवेश 469.38 करोड़ रूपये था । 65 कम्पनियों में 31 मार्च 1987 को राज्य सरकार का अनिस्तारित ऋण 542.33 करोड़ रूपये था ।

§प्रस्तर 1.2.1 एवं 1.2.2§

31 मार्च 1987 को तीन सांविधिक निगमों की पूंजी में सरकार का भाग 159.67 करोड़ रूपये था जबकि 31 मार्च 1987 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में ऋण पूंजी के रूप में इसका निवेश 4,759.95 करोड़ रूपये था ।

§प्रस्तर 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1 एवं 1.7.1§

सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, दो निगमों और 19 कम्पनियों द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान की गारेण्टी दी थी और उनके समक्ष अनिस्तारित ऋण कुल मिलाकर 996.80 करोड़ रूपये थे ।

§प्रस्तर 1.2.2(ग), 1.4.1, 1.5.1 एवं 1.6.2§

64 कम्पनियों एवं 2 सांविधिक निगमों के लेखे 1 से लेकर 13 वर्षों तक के बीच बकाया में थे । 19 कम्पनियों में से जिन्होंनें 1986-87 के अपने लेखे को अन्तिम रूप दे दिया था, 10 कम्पनियों ने कुल मिलाकर 4.42 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया, 9 कम्पनियों ने कुल मिलाकर 48.58 करोड़ रूपये की हानियां उठायीं । अन्ततम उपलब्ध लेखे के अनुसार 14 कम्पनियों द्वारा उठायी गयीं 269.09 करोड़ रूपयों की संचित हानियां 166.92 करोड़ रूपयों की उनकी प्रदत्त पूंजी से अधिक थीं । अन्ततम अन्तिम रूप दिये गये लेखे के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च 1987 को संचित हानियां 774.96 करोड़ रूपये थीं ।

§प्रस्तर 1.2.3, 1.2.4.1, 1.2.4.3 एवं 1.4.2§

2. प्रतिवेदन की अवधि के दौरान लेखा परीक्षा में किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड के कार्यचालन तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के पारीछा तापीय विद्युत परियोजना में सिविल निर्माण-कार्यों के निष्पादन की समीक्षा की गयी ।

3. 1972 में निगमित किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड प्रारम्भ से 1984-85 तक हानियां उठाती रहीं एवं 30 सितम्बर 1986 को 14.62 करोड़ रूपयों §कुछ परिसम्पत्तियों पर प्रावधान न किये गये 1.25 करोड़ रूपये के मूल्य ह्रास को छोड़कर§ की संचित हानियां उस तिथि को प्रदत्त पूंजी का लगभग 208 प्रतिशत निरूपित करती थीं । सतत् हानियां उच्चतर गन्ना-मूल्य, कम बिक्री की वसूली एवं भारी ब्याज-भार के कारण हुयी बतायी गयीं ।

यद्यपि संयंत्र §1.58 करोड़ रूपये की लागत से मार्च 1974 में अधिष्ठापित§ के आपूर्तिकर्त्ता अनुरक्षण अवधि में संयंत्र के कार्य-सम्पादन की जांच करने तथा दोषों, यदि कोई थे, को दूर करने में विफल रहे, फिर भी कम्पनी उनसे अर्थदण्ड वसूल नहीं कर सकी। कम्पनी ने संयंत्र की कार्य-क्षमता का भी परीक्षण नहीं किया परन्तु निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के प्रयास में 1973-74 से 1980-81 तक की अवधि में परिवर्धन एवं परिशोधन पर 1.44 करोड़ रूपये का पूंजीगत व्यय किया, जिसके बावजूद अवधि के दौरान निर्धारित क्षमता का 40 से 87 प्रतिशत प्राप्त कर सकी।

यद्यपि गन्ना-पेराई-क्षमता के विस्तार के लिये अधिष्ठापित मशीनरी को चालू करने में छः सप्ताह का विलम्ब हुआ तथापि विस्तार के लिये अधिष्ठापित मशीनरी को चालू करने में विलम्ब के प्रति अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत प्राप्य 1.54 लाख रूपयों की निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली आपूर्तिकर्त्ताओं से नहीं की गयी। दो कृमिक पेराई-मौसमों में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दिये जाने वाले कार्य-सम्पादन परीक्षण के दो चरणों में से, प्रथम छोड़ दिया गया एवं दूसरा कार्य-सम्पादन नहीं किया गया। तथापि संविदा की शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने के बजाय कार्य-सम्पादन-परीक्षण तीसरे वर्ष में किया गया जिससे आपूर्तिकर्त्ताओं को 6.92 लाख रूपयों की और अनुचित वित्तीय सहायता दी गयी।

कम्पनी ने कार्बोनेशन के स्थान पर 75.05 लाख रूपयों की लागत से दोहरी सल्फीटेशन प्रक्रिया अधिष्ठापित की §जनवरी 1986§, परन्तु 200 श्रमिकों की मुक्ति पर 7.70 लाख रूपये की प्रत्याशित

बचत को मूर्त्त रूप नहीं दिया जा सका ।

एक ओर संयंत्र की गन्ना-पेराई-क्षमता बढ़ाकर 2000 से 3000 टी०सी०डी० कर दी गयी परन्तु दूसरी ओर 1974-75 में 1.70 लाख हेक्टेयर गन्ना उत्पादक क्षेत्र को घटाकर 1986-87 में 1.03 लाख हेक्टेयर कर दिया गया ।

1983-84 में गन्ना - पेराई - क्षमता में 36 लाख से 54 लाख कुन्तल तक की वृद्धि होने के बावजूद कम्पनी 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि में मूल्यांकित क्षमता का 80 प्रतिशत भी प्राप्त करने में विफल रही, यद्यपि 1981-82 में इसकी उपलब्धि कर ली गयी थी, इसके फलस्वरूप 14.08 करोड़ रूपये के मूल्य की चीनी के उत्पादन की हानि हुयी ।

चीनी - उद्योग - जांच - आयोग द्वारा निर्धारित खोई, फिल्टर केक में चीनी की हानियों तथा अनियत हानि के प्रतिमानों की अनुपलब्धि के कारण 1981-82 से 1985-86 तक की अवधि में प्रतिमानों से अधिक खो दी गयी चीनी का मूल्य 1.20 करोड़ रूपये था

चीनी उत्पन्न करने की लागत उच्चतर गन्ना मूल्यों, उच्चतर गन्ना-ढुलाई प्रभारों, संयंत्र की मरम्मत और अनुरक्षण पर भारी व्यय के कारण विक्रय मूल्यों से सदा अधिक थी । अपने निगमन से 16 वर्षों के पश्चात भी, कम्पनी ने अपना स्वयं का विपणन-संगठन स्थापित नहीं किया । बिक्रियां एवं विक्रय - मूल्य अब भी नियंत्रक-कम्पनी द्वारा नियन्त्रित किये जाते हैं, कम्पनी नियंत्रक-कम्पनी द्वारा निर्गत विक्रय आदेशों का मात्र निष्पादन करती रही है ।

कम्पनी को सामग्री-सूची के ए.बी.सी. विश्लेषण करने तथा सामग्री-तालिका के स्तर को लगभग 25.00 लाख रूपये तक घटाने के

लिये परिषद् के निदेशों §1981-82§ पर अभी भी कार्यवाही करनी है कम्पनी द्वारा धारित सामग्री-सूची का मूल्य 1982-83 के अन्त में 51.50 लाख रूपये से बढ़कर 1985-86 में 78.87 लाख रूपये हो गया ।

सेण्ट्रीफ्यूगल मशीनों के आपूर्तिकर्त्ता पर 1.08 लाख रूपये के अर्थदण्ड का अनारोपण तथा 1986-87 की अवधि में 5.85 लाख रूपये की धनराशि के चूना-पत्थर एवं कोक की अधिक खपत लेखा परीक्षा द्वारा देखे गये अन्य बिन्दु थे ।

§प्रस्तर-2क§

4. गढ़वाल क्षेत्र के पांच पर्वतीय जिलों के विकास हेतु मार्च 1976 में स्थापित गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड ने अपने क्रिया कलाप, लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा पर्यटन और सामूहिक पर्यटनों के विकास तक सीमित रखे ।

टरपेण्टाइन एवं रोज़िन फैक्टरी में 1985-86 तक के पांच वर्षों की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग 50 एवं 63 प्रतिशत के मध्य रहा । यद्यपि कम्पनी ने क्षमताओं के कम उपयोग के लिये कच्चे - माल की कमी को मुख्य कारण के रूप में माना फिर भी इसने कच्चे-माल की पर्याप्त एवं निर्बाध आपूर्ति के लिये वन-विभाग के साथ दीर्घावधिक संविदा करने के लिये कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की । परियोजना प्रतिवेदन में संकल्पित 8 प्रतिशत प्रक्रिया हानि के समक्ष संशाधित लीसा §रेज़िन§ के प्रति प्रक्रियागत हानि की प्रतिशतता 1985-86 तक के पांच वर्षों की अवधि में 8 से 14 के मध्य थी, इसके फलस्वरूप 9.13 लाख रूपये के मूल्य के लीसा की अधिक हानि हुई ।

इसी प्रकार एकीकृत काष्ठ निर्माण इकाई भी प्रारम्भ से ही

हानियां उठाती रही एवं हानियों का मुख्य कारण कच्चे माल की कमी बताया गया । तो भी, कम्पनी ने काष्ठ की लगातार आपूर्ति हेतु वन-विभाग से कोई संविदा नहीं की ।

जनवरी 1981 में स्थापित इलेक्ट्रानिक्स - ट्रेनिंग - कम - प्रोडक्शन सेन्टर कुल 1.91 लाख रूपये का व्यय करने के पश्चात प्रशिक्षित एवं कुशल प्रविधिज्ञों §टेक्नीशियन्स§ के अभाव तथा 30 से 35 प्रतिशत तक उत्पादनों की अस्वीकृति के आधार पर मार्च 1985 में बन्द कर दिया गया ।

रामबाड़ा पर्यटक - विश्राम - गृह के निर्माण के लिये मार्च 1982 में 1.62 लाख रूपये की लागत पर निर्मित स्टील ढाँचों की प्राप्ति की गयी थी परन्तु वन-विभाग ने प्रदूषण निवारक उपाय के आधार पर भूमि पर कब्जा देना अस्वीकार कर दिया §सितम्बर 1982§ । स्टील ढाँचा अप्रयुक्त पड़ा हुआ था § मार्च 1988 § ।

फ्लश डोर फैक्टरी के लिये 6.30 टन क्षमता के हाइड्रौलिक प्लाईवुड प्रेस की खरीद के लिये कम्पनी ने यमुना नगर की एक फर्म को बैंक प्रत्याभूति के समक्ष 3.60 लाख रूपये के अग्रिम का भुगतान किया §अप्रैल 1982§ । प्रेस की सुपुर्दगी लम्बित ही थी कि कम्पनी ने उसी कारखाने के लिये बंगलौर की एक फर्म से 6.70 लाख रूपये की लागत पर 4.50 टन क्षमता का एक ऐसा ही दूसरा प्रेस इस आधार पर क्रय कर लिया §जुलाई 1982§ कि कारखाने के लिये उच्चतर क्षमता का प्रेस उपयोगी नहीं होगा । तीन महीने की अल्प अवधि में प्रेस की क्षमता के पुनरिक्षण का आधार अथवा औचित्य अभिलेख में नहीं था । रोचक बात तो यह है कि परिषद् ने मार्च

1987 में निर्णय लिया कि फर्म द्वारा 3.60 लाख रूपये के अग्रिम की जब्ती को बचाने के लिये प्रेस क्रय कर लिया जाना चाहिये एवं फलश डोर फैक्टरी के परिसर में 23 लाख रूपये की लागत पर एक नयी औद्योगिक इकाई "गढ़वाल डोर्स" की स्थापना की जाय । कम्पनी ने न तो प्रेस की सुपुर्दगी ही प्राप्त की और न ही परिषद् के निर्णय पर ही कोई कार्यवाही की §मार्च 1988§ ।

शीतकालीन खेलों में पर्यटकों के प्रोत्साहनार्थ 2.21 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाली तथा दिसम्बर 1984 तक पूर्ण हो जाने के लिये निर्धारित जोशीमठ को गोरसन से जोड़ने वाला रज्जुमार्ग लगाने की अति वृहद् परियोजना 31 मार्च 1988 तक 3.97 करोड़ रूपये व्यय करने के पश्चात् भी अभी तक पूर्ण नहीं हुयी §मार्च 1988§ ।

§प्रस्तर - 2 ख§

5. 83.72 करोड़ रूपये §सिविल निर्माण कार्यों की लागत सहित: 14.38 करोड़ रूपये§ हेतु पारीछा में मूलत: 220 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाले बिजली घर की स्थापना के लिये अक्टूबर 1977 में अनुमोदित परियोजना लगभग 4 वर्षों के विलम्ब के पश्चात् 189.50 करोड़ रूपये §सिविल निर्माण कार्यों सहित: 49.24 करोड़ रूपये§ की लागत पर पूर्ण की गयी । सिविल निर्माण कार्यों की लागत में वृद्धि 25.12 करोड़ रूपये § 174.7 प्रतिशत § की लागत वाले रूपांकन/कार्यक्षेत्र में बारम्बार परिवर्तनों के कारण एवं 13.22 करोड़ रूपये §91.9 प्रतिशत§ की मूल्य-वृद्धि के कारण थी ।

परामर्शदाता जिनसे निविदा विशिष्टियों की तैयारी से लेकर परियोजना के पूर्ण रूप से चालू होने तक परियोजना के समस्त क्रिया कलापों को आयोजित एवं समन्वित करना अपेक्षित था, जैसा कि बाद में परिषद् द्वारा स्वीकार किया गया था, हाइड्रॉलिक ढांचों में अपने सीमित अनुभव के कारण अदक्ष एवं अयोग्य पाये गये। फलतः परिषद् को मात्राओं, रूपांकनों {डिज़ाइनों} एवं रेखांकनों {ड्राइंग्स} में बारम्बार पुनरीक्षण करने पड़े, यह {परिषद्} उच्चतर मात्राओं के लिये प्रतियोगी दरें नहीं प्राप्त कर सकी, निष्पादन काल में अनुभव की गयी कार्य-स्थल की स्थितियों के आधार पर निष्पादन के लिये पायी गयी कार्य की अतिरिक्त मदों की दरों के लिये समझौता करना पड़ा। किसी भी प्रकार ठेकेदारों पर अर्थदण्ड लगाने में समर्थ न होने के कारण परिषद् को अतिरिक्त लागतों को सम्मिलित करना पड़ा। यद्यपि अतिरिक्त लागतों के लिये परामर्शदाता उत्तरदायी थे, तो भी परिषद् ने परामर्शदाताओं पर उनकी सम्भव चूकों के लिये अर्थदण्ड आरोपित करने पर विचार नहीं किया। इसके अतिरिक्त, परिषद की रूपांकन प्रशाखा {डिज़ाइन विंग} भी अपने कार्य में बुरी तरह विफल रही, क्योंकि परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किये गये रूपांकनों एवं रेखांकनों में कमियों एवं त्रुटियों की जांच नहीं की गयी एवं उन्हे इंगित नहीं किया गया।

सिविल निर्माण कार्यों के निष्पादन में 151.49 लाख रूपयों की निहित धनराशि वाली प्रशासनिक शिथिलतायें एवं वित्तीय अनियमिततायें दृष्टिगत हुयीं, जिनमें से महत्वपूर्ण निम्नवत् थीं :

—उच्चतर दरों पर निर्माण कार्य के अतिरिक्त मदों के निष्पादन पर अतिरिक्त व्यय (51.25 लाख रूपये),

—परिषद् द्वारा आपूर्तित स्टील एवं सीमेण्ट के सम्बन्ध में मूल्य-वृद्धि के प्रति अतिरिक्त संविदात्मक भुगतान (10.76 लाख रूपये), जल शीतलीकरण प्रणाली (वाटर कूलिंग सिस्टम) के निर्माण में निकास ढाँचे (आउट फाल स्ट्रक्चर) के दोषपूर्ण रूपांकनों के कारण परिहार्य व्यय (5.86 लाख रूपये)

—अनुबन्ध की विभिन्न उपवाक्यों की भाषा में अस्पष्टता, फलत: अन्तर्ग्राही जलसरणि (इन्टेक चैनेल) के निर्माण में लगे ठेकेदार द्वारा 74.33 लाख रूपये का दावा करना, जिसे विवाचन (आर्बिट्रेशन) में ले जाना है,

—अपेक्षित आकार के पत्थरों की अनुपलब्धता के कारण 300मि0मी0 मोटाई के स्थान पर 350 मि0मी0 मोटाई की चहार-दीवारी के निर्माण के कारण अतिरिक्त व्यय (3.43 लाख रूपये),

—संरचनात्मक कार्यों के लिये परिषद् द्वारा आपूर्तित स्टील की क्षति (वेस्टेज) के प्रति अनुबन्ध में निर्धारित 5 प्रतिशत के स्थान पर 9.4 प्रतिशत अनुमत करना पड़ा, इस प्रकार बोल्टों की आपूर्ति एवं उनको लगाने के लिये 5.93 लाख रूपये के अस्वीकार्य भुगतान के अतिरिक्त, 20.68 लाख रूपये की वसूली छोड़ देना,

—कार्य स्थल के चुनाव में विलम्ब तथा पूर्णता की नियत तिथि के पश्चात् रेखांकनों के दिये जाने के आधार पर मूल ठेकेदार द्वारा

अधूरी छोड़ दी गयीं कुछ सम्बद्ध (आक्जीलियरी) इमारतों को एक दूसरे ठेकेदार द्वारा पूर्ण कराने के कारण 8.89 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय,

—परिष्करण (फिनिशिंग) कार्य की पूर्णता में विलम्ब के तहत, जिसके कारण ठेकेदार पर आरोप्य नहीं थे 27.25 लाख रूपये की मूल्य वृद्धि का भुगतान एवं

—बाढ़ में 5.23 लाख रूपये मूल्य की 680 टन सीमेण्ट की क्षति।

6. उल्लिखित समीक्षाओं के अतिरिक्त, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अभिलेखों के सामान्य जाँच-परीक्षण से निम्नांकित कुछ रोचक बिन्दु प्रकाश में आये:

1. **उत्तर प्रदेश हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड**

1982-83 से 1985-86 की अवधि में क्रय किये गये 68.73 लाख रूपये मूल्य के हैण्डलूम वस्त्र का भण्डार अक्टूबर/दिसम्बर 1986 में भौतिक सत्यापन के दौरान वस्त्रों के घटिया एवं दीर्घकालिक भण्डारण के कारण क्षतिग्रस्त पाया गया एवं निस्तारण-समिति के अनुसार यदि नीलाम किया जाय तो 52.31 लाख रूपये मूल्य के नियन्त्रित कपड़े का निस्तारण मात्र 25 प्रतिशत मूल्य अर्जित करेगा। यद्यपि परिषद् ने निस्तारण की विधियों पर मार्च 1988 में निर्णय लिया था, तथापि वस्त्र जुलाई 1988 तक अन्तिम रूप से निस्तारित नहीं किये गये थे।

—टेरीकाट शर्टिंग एवं सूटिंग के उपचार (प्रोसेसिंग) में 4.25 प्रतिशत तक की सिकुड़न के निर्धारित प्रतिमान के समक्ष जैसा कि फरीदाबाद की एक उपचारी फर्म ने सूचित किया था, वास्तविक सिकुड़न (1982-83 से 1985-86) 1.02 से 3.75 प्रतिशत तक

अपेक्षाकृत अधिक थी, फलस्वरूप कम्पनी को 1.98 लाख रूपये की हानि हुयी । अधिक सिकुड़न की लागत की वसूली की दृष्टि से प्रबन्धकों ने फर्म का 1.20 लाख रूपये का भुगतान रोक लिया । बदले में फर्म ने 7.95 लाख रूपये मूल्य के उपचारीकृत (प्रोसेस्ड) धागे रोक लिये (अप्रैल 1987) जो जून 1988 तक वापस प्राप्त नहीं किये जा सके ।

—अकबरपुर उत्पादन केन्द्र पर बिलों के गलत सत्यापन एवं केन्द्र प्रभारी द्वारा भण्डार की जाँच न किये जाने तथा उत्पादन अधीक्षक द्वारा उत्पादन की जांच न किये जाने के कारण कपड़ों (मूल्य 5.42 लाख रूपये) का गबन सुगम बन गया ।

(प्रस्तर 4.क.1)

(11) एक लघु श्रेणी वाली इकाई की ओर से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा आयातित 27.10 लाख रूपये मूल्य के घड़ी के अवयवों में से एक सहायता प्राप्त इकाई द्वारा न उठाया गया 26.32 लाख रूपये मूल्य का माल फर्म की मौन सहमति (कोनाइवेंस) से, डिपो के दोषी कर्मचारियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया और हटा दिया गया जिसके कारण कम्पनी को 40.24 लाख रूपये (26.32 लाख रूपयों मूल्य के अवयव तथा गोदाम का भाड़ा : 13.92 लाख रूपये) की हानि हुयी । जिसने (कम्पनी) सेवा प्रभार भी व्यय किये (0.54 लाख रूपये) । न उठाये गये माल के निस्तारण के लिये निर्णय लेने में विलम्ब तथा भण्डारण की अवधि में भौतिक सत्यापन न किये जाने के कारण गबन सम्भव हो गया था ।

भाड़ा क्रय निरीक्षक (मार्च 1986 में सेवा निवृत्त) के विरूद्ध, जिसके सत्यापन प्रतिवेदनों के आधार पर दो इकाइयों को, जिनमें

से एक अस्तित्व में नहीं थी एवं दूसरी में मशीनरी का अधिष्ठापन अनुबन्ध में उल्लिखित स्थान के बजाय अन्यत्र किया था, 0.64 लाख रूपये तक ऋण दिये गये थे, किसी भी प्रकार की कार्यवाही पर विचार नहीं किया गया ।

§प्रस्तर 4 क.2§

§iii§ उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम की चुर्क इकाई द्वारा चुनार इकाई को रेल द्वारा प्रेषित 80,917 टन खंगर §क्लिंकर§ में 12,948 टन खंगर की मार्गगत् हानि हुई । 8 से 9 प्रतिशत तक के अनुमन्य प्रतिमानों के ऊपर खंगर की अधिक हानि 28.08 लाख रूपये मूल्य के 5632 टन हुयी । कम्पनी ने चौकी तुला §बेव्रिज§ के क्रय की मितव्ययिता पर विचार नहीं किया और मार्गगत अत्यधिक हानियों के कारणों की छानबीन नहीं की ।

§प्रस्तर 4 क.3§

§iv§ - केन्द्र सरकार द्वारा पोषित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद मंडल विकास निगम लिमिटेड ने फरवरी 1979 से जून 1985 के दौरान 74 नलकूपों का निर्माण किया, जिसके लिये 33.45 लाख रूपये के उपदान का दावा प्रस्तुत करने के बजाय कम्पनी ने मात्र 28.23 लाख रूपये का दावा प्रस्तुत किया । इसी बीच, शासन द्वारा योजना समाप्त कर दी गयी एवं 5.22 लाख रूपये का शेष उपदान दावा किये बिना रह गया।

§प्रस्तर 4 क.4§

§v§ नन्दगंज-सिहोरी चीनी कम्पनी लिमिटेड ने सहकारी गन्ना समिति की ओर से गन्ना उत्पादकों को देयों के भुगतान के लिए कम्पनी द्वारा व्यय किये गये 2.72 लाख रूपये के स्थापना-प्रभारों की कटौती किये बिना ही समिति को कमीशन प्रभारों का पूरा भुगतान कर दिया ।

§प्रस्तर 4क.5§

§vi§ मत्स्य विकास निगम द्वारा जून 1987 तक की अवधि हेतु जुलाई 1986 में किया गया नानक सागर, नैनीताल के मछली मारने के अधिकारों के नीलाम में 11.01 लाख रूपये उच्चतम् निवेदन राज्य सरकार द्वारा बिना कोई कारण बताये नवम्बर 1986 में अस्वीकृत कर दिया गया । उसी के लिए जनवरी 1987 में पुनः आमंत्रित निविदाओं पर 9.01 लाख रूपयों का उच्चतम् निवेदन जनवरी 1987 में इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया कि 1986-87 की मछली मारने की अवधि 4 महीने से घट गई थी । यदि शासन ने अपना अनुमोदन अथवा अन्यथा तुरन्त सूचित कर दिया होता तो 2 लाख रूपये की हानि पर्याप्त मात्रा तक कम की जा सकती थी ।

§प्रस्तर 4क.6§

§vii§ इण्डियन टर्पेण्टाईन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड को विद्युत शुल्क (टैरिफ) के अनुसार 0.85 पर विद्युत् कारक (पावर - फैक्टर) के अनुरक्षण के लिये शण्ट कैपासिटर्स की स्थापना में असफलता के फलस्वरूप 1.50 लाख रूपये के अधिभार का भुगतान करना पड़ा ।

§प्रस्तर 4 क.7§

§viii§ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अभिलेखों के जांच -परीक्षण से प्रकट हुआ:

(क) अतिरिक्त अधिभार (13.30 लाख रूपये), विलम्बित भुगतान अधिभार (1.06 लाख रूपये), शण्ट कैपासिटरों के अधिष्ठापन न करने हेतु अधिभार (5.52 लाख रूपये), निम्न विद्युत कारक (लो पावर फैक्टर) अधिभार (5.11 लाख रूपये) एवं ईंधन अधिभार (3.17 लाख रूपये) का न लगाया जाना ।

(ख) बीमा कम्पनी द्वारा आनपारा तापीय विद्युत परियोजना के लिये अतिरिक्त पुर्जों का परिदान लेने में विलम्ब के कारण बीमा कम्पनी द्वारा 19.31 लाख रूपये की धनराशि के दावों (जुलाई 1984 में प्रस्तुत) का अनिस्तारण,

(ग) चोरी के 24 मामले में राजस्व का अवनिर्धारण,

(घ) 1.41 लाख रूपये के मूल्यांकित तारों (कण्डक्टरों) के गबन के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने में विफलता,

(ङ.) एक बिजली घर के बन्द हो जाने के चार वर्षों के पश्चात भी वहाँ पड़े हुये ऐसे भण्डारों (मूल्य: 33.50 लाख रूपये) की देख-भाल के लिये पहरा निगरानी (वाच एण्ड वार्ड) पर 1.64 लाख रूपयों का परिहार्य: व्यय जिनका सत्यापन नहीं किया गया था तथा जिनमें से 10 लाख रूपये मूल्य के स्नेहन (लुब्रीकेण्ट) आदि

उपयोग के अनुपयुक्त हो गये थे,

(च) अगस्त 1983 में प्राप्त कार्ड पंचिंग सिस्टम की अधिष्ठापना न करने के कारण 1.29 लाख रूपये की निधि का अवरोधन एवं

(छ) एक 33 के.बी.सब-स्टेशन के आवासीय क्वार्टरों एवं अन्य विकास कार्यों के आंशिक निर्माण पर जिसे बाद में त्याग देना पड़ा, 1.49 लाख रूपये का निष्फल व्यय ।

§प्रस्तर 4 ख.1.7§

§ix§ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के आजमगढ़ परिक्षेत्र में दैनिक वाहन परिलेख (डी.वी.ए.) में असंगत प्रविष्टि एवं यात्री-सूचियों (वे बिलों) के आधार पर दैनिक वाहन परिलेख में अंकित बाह्य-स्टेशनों के काउण्टर बुकिंग की आय का दैनिक विक्रय लेखा में उल्लिखित वास्तविक बुकिंग से समाधान न किये जाने के कारण एक परिचालक द्वारा 1.22 लाख रूपये की धनराशि का गबन हो गया ।

§प्रस्तर 4 ख.2§

§x§ उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ने अपने उन अधिकारियों में से किसी पर भी जिन्होंनें कानपुर की एक इकाई को इकाई द्वारा प्रस्तुत बैंक प्रत्याभूति (गारण्टी) की प्रमाणिकता का सत्यापन किये बिना 3.23 लाख रूपये का ऋण अवमुक्त कर दिया था, कोई उंत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया । बैंक ने अपना दायित्व अनंगीकार

कर दिया क्योंकि इसके द्वारा ऐसी कोई भी प्रत्याभूति नहीं दी गयी थी और यह भी कि एक शाखा-प्रबन्धक को ऐसी बैंक प्रत्याभूति निर्गत करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी । धनराशि वसूली के अयोग्य हो गयी क्योंकि फर्म के भागीदार दिये गये पतों पर नहीं पाये गये ।

§प्रस्तर 4 ख. 3§

अध्याय - 1

1. सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

1.1 भूमिका

इस अध्याय में सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में निवेश तथा उनके लेखा आदि की स्थिति के विषय में विवरण दिये गये हैं।

प्रस्तर 1.2 सरकारी कम्पनियों का सामान्य अवलोकन प्रस्तुत करता है, प्रस्तर 1.3 सांविधिक निगमों से सम्बन्धित सामान्य पहलुओं पर विचार करता है और प्रस्तर 1.4 से 1.7 उसके वित्तीय एवं कार्यचालन सम्बन्धी सम्पादन सहित प्रत्येक सांविधिक निगम के विषय में अपेक्षाकृत अधिक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

1.2 सरकारी कम्पनियाँ-सामान्य अवलोकन

1.2.1 31 मार्च 1986 को 94 सरकारी कम्पनियों (40 सहायक कम्पनियों सहित) के समक्ष 31 मार्च 1987 को 97 सरकारी कम्पनियाँ (42[x] सहायक कम्पनियों सहित) थीं।

---

x इनमें 3 सहायक कम्पनियाँ अर्थात् अपट्रान कम्युनिकेशन एण्ड इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, अपट्रान डिजिटल सिस्टम्स लिमिटेड और अपट्रान कैपासिटर्स लिमिटेड 31 मार्च 1987 के बाद अपट्रान इण्डिया लिमिटेड में विलय कर दी गयी, शामिल हैं।

वर्ष 1986-87 के दौरान लेखा परीक्षा द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार तीन नयी सरकारी कम्पनियां (2 सहायक कम्पनियाँ सहित) निगमित की गयीं एवं चार कम्पनियां समापन की प्रक्रिया में थीं । वर्ष के दौरान गठित तथा समापन की प्रक्रियागत कम्पनियों के विवरण निम्नांकित हैं :

(क) गठित सरकारी कम्पनियाँ

कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	प्राधिकृत पूँजी (करोड़ रूपयों में)
(1) कुमायूं टेलीवीजंस प्राइवेट लिमिटेड (टेलीट्रानिक्स लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	29 अगस्त 1984	0.50
(2) घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	30 मई 1986	6.20
(3) उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	27 मार्च 1987	10.00

(ख) समापन की प्रक्रिया में सरकारी कम्पनियां

कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	परि समापन में जाने की तिथि
(1) दि इण्डियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड	22 फरवरी 1924	10 सितम्बर 1973

कम्पनी का नाम	निगमन-तिथि	परिसमापन में जाने की तिथि
(2) टर्पेण्टाइन सबसिडियरी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)	11 जुलाई 1939.	1 अप्रैल 1978
(3) उत्तर प्रदेश पाटरीज (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)	28 जून 1972	27 अप्रैल 1985
(4) गण्डक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	15 मार्च 1975	7 जून 1977

1.2.2 परिशिष्ट 2 समस्त सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में अद्यतन प्रदत्त पूँजी, अनिस्तारित ऋण, उनके समक्ष अनिस्तारित धनराशियों, कार्यचालन परिणामों आदि के विवरण प्रस्तुत करता है। संक्षिप्त स्थिति निम्नांकित है:

(क) 31 मार्च 1986 को 90 कम्पनियों (38 सहायक कम्पनियों सहित परन्तु समापनाधीन 4 कम्पनियों को छोड़कर) में 496.34 करोड़ रूपये की कुल प्रदत्त पूँजी के समक्ष 31 मार्च 1987 को (चार कम्पनियों को छोड़कर) निम्न विवरणों के अनुसार 93 कम्पनियों (40 सहायक कम्पनियों सहित समापनाधीन 4 कम्पनियों को छोड़कर) में कुल प्रदत्त पूँजी 606.94 करोड़ रूपये थी:

विवरण	कम्पनियों की संख्या	के द्वारा निवेश			
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग
		(करोड़ रूपयो में)			
1. राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनियाँ	35	434.54	—	—	434.54
2. केन्द्र सरकार / अन्यों के साथ संयुक्त स्वा मित्व वाली कम्पनियाँ	18	33.89	9.41	1.22	44.52
3. सहायक कम्पनियां	40	0.95	—	126.93	127.88xx
योग	93	469.38x	9.41	128.15	606.94

(ख) 31 मार्च 1986 को 68 कम्पनियों (28 सहायक कम्पनियों सहित) के सम्बन्ध में 778.76 करोड़ रूपये (राज्य सरकार:

---

xवित्त लेखे के अनुसार आंकड़े 453.19 करोड़ रूपये हैं, अन्तर समाधान के अधीन था (जून 1988)।

xx विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि आंकड़े उपलब्ध नहीं थे ।

423.31 करोड़ रूपये, अन्य : 355.39 करोड़ रूपये एवं आस्थगित भुगतान साख (क्रेडिट) 0.06 करोड़ रूपये) के समक्ष 31 मार्च 1987 को 65 कम्पनियों (28 सहायक कम्पनियों सहित) के सम्बन्ध में अनिस्तारित दीर्घकालिक ऋणों का शेष 905.66 करोड़ रूपये (राज्य सरकार: 542.33 करोड़ रूपये, अन्य : 344.35 करोड़ रूपये एवं आस्थगित भुगतान साख: 18.98 करोड़ रूपये) था ।

(ग) राज्य सरकार ने 19 कम्पनियों द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान तथा उन पर ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति दी थी । प्रत्याभूत और 31 मार्च 1987 को उनके समक्ष अनिस्तारित धनराशियाँ क्रमशः 140.79× करोड़ रूपये तथा 123.50× करोड़ रूपये थी ।

प्रत्याभूतियां प्राप्त करने के लिये कम्पनियों द्वारा राज्य सरकार को प्रत्याभूति कमीशन भुगतान किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

1.2.3 अन्ततम् उपलब्ध लेखे पर आधारित समस्त 97 कम्पनियों के वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाली एक संक्षिप्त विवरणी परिशिष्ट-3 में दी गयी है ।

83 कम्पनियों में से, जिनके 1986-87 तक के लेखे को अन्तिम रूप देना अपेक्षित था, परिशिष्ट 3 के क्रमशः क्रमाँक

× वित्त-लेखे के अनुसार आंकड़े क्रमशः 603.99 करोड़ रूपये एवं 227.23 करोड़ रूपये हैं, अन्तर समाधान के अधीन था (जून 1988) ।

83 कम्पनियों में से, जिनके 1986-87 तक के लेखे को अन्तिम रूप देना अपेक्षित था, परिशिष्ट 3 के क्रमशः क्रमांक 1, 3, 7, 13, 15, 19, 27, 34, 35, 38, 65, तथा 66 और 23, 48, 49, 50, 73, 89, 93 के अनुसार केवल 19 कम्पनियों (8 सहायक कम्पनियों सहित) ने 31 मार्च 1987 को अन्त होने वाले वर्ष के लिये (इनमे वे कम्पनियाँ शामिल हैं जिन्होंने जून 1987 को अन्त होने वाले लेखे को अन्तिम रूप दिया था) अपने लेखे को अन्तिम रूप दिया था। इसके अतिरिक्त 38 कम्पनियों ने पिछले प्रतिवेदन से कुछ पूर्व वर्षों के अपने लेखे को अन्तिम रूप दिया था (परिशिष्ट - 3 के क्रमांक 5, 8, 10, 12, 18, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 54, 57, 58, 62, 63, 69, 70, 71,76, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 87 एवं 88) ।

परिशिष्ट 2 एवं 3 से दृष्टव्य है कि 64 कम्पनियाँ (25 सहायक कम्पनियाँ सहित) के लेखे बकाया में थे । स्थिति का सारांश निम्नवत् है:

क्रमांक	बकायों की अवधि-सीमा	अन्तर्निहित वर्षों की संख्या	अन्तर्निहित कम्पनियों की संख्या: कम्पनियाँ	सहायक कम्पनियाँ	निवेश: सरकार अंश-पूँजी	ऋण	नियंत्रक कम्पनियाँ अंश-पूँजी	ऋण	परिशिष्ट 2 की क्रम संख्या का सन्दर्भ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					(लाख रुपयों में)				
1.	1974-75 से 1986-87	13	—	1	—	—	0.10	—	14×
2.	1975-76 से 1986-87	12	—	3	—	—	12.86	4.23	16×, 22× एवं 25×
3.	1976-77 से 1986-87	11	—	1	—	—	5.06	0.05	67×
4.	1977-78 से 1986-87	10	1	2	3.06	—	4.73	6.90	4×, 17 एवं 29
5.	1978-79 से 1986-87	9	2	-	577.15	60.33	—	—	9 एवं 33
6.	1979-80 से 1986-87	8	1	2	1043.49	674.36	7.30	—	20, 68× एवं 79×
7.	1980-81 से 1986-87	7	2	4	140.00	74.34	33.95	0.07	30×, 53×, 64×, 69, 72 एवं 74×
8.	1981-82 से 1986-87	6	7	2	1512.76	351.40	84.00	30.00	6, 10, 39, 45×, 47, 55, 58, 59 एवं 62×
9.	1982-83 से 1986-87	5	3	2	464.76	181.98	28.06	1.06	26×, 36, 46×, 56 एवं 71
10	1983-84 से 1986-87	4	4	1	285.00	64.60	63.24	22.05	18, 24×, 51, 61 एवं 77
11	1984-85 से 1986-87	3	7	-	2514.93	689.17	—	—	2, 11, 21, 28, 40, 60, एवं 78
12	1985-86 से 1986-87	2	7	2	4451.39	39144.79	35.20	21.16	5, 31, 52, 57, 63, 75×, 83×, 85, एवं 90@
13	1986-87 से 1986-87	1	5	5	304.99	—	3184.83	814.33	37, 41×, 44, 54×, 70, 80×, 82×, 86×, 87× एवं 88
	योग ×		39	25	11297.53	41240.97	3459.33	899.85	

@ क्रमांक 90 पर अंकित कम्पनी से सम्बन्धित आँकड़े उपलब्ध नहीं थे ।

× सहायक कम्पनियाँ

लेखे को अन्तिम रूप न दिये जाने के अभाव में, राज्य सरकार द्वारा इन कम्पनियों में 56,897.68 लाख रूपये (पूंजी: 14,756.86 लाख रूपये एवं ऋण:42,140.82 लाख रूपये) के निवेश की उत्पादकता निश्चित रूप से प्रमाणित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार की बहुत सी कम्पनियों के सम्बन्ध में कई वर्षों (॰ से लेकर 13 वर्षों तक) के वार्षिक लेखे को अन्तिम रूप दिये जाने के अभाव में इन कम्पनियों के कार्य सम्पादन एवं कार्य स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। इन सरकारी कम्पनियों के लेखे के भारी बकायों के संचयन ने राज्य विधान मण्डल एवं अंशधारकों को अवधि के अन्त में वित्तीय स्थिति एवं कार्य सम्पादन तथा इन कम्पनियों में निवेश पर हुये लाभ अथवा हानि के विषय में यथा समय सूचना प्राप्त करने के उनके अधिकार से भी वंचित कर दिया । उनके कार्य सम्पादन के विविध पहलुओं पर महत्वपूर्ण सूचना के अभाव में, इन कम्पनियों के परिचालन पर आवश्यक निदेशन एवं नियन्त्रण रखने पर विचार नहीं किया जा सका ।

लेखे को अन्तिम रूप दिये जाने में बकायों की स्थिति को मुख्य सचिव के स्तर पर सरकार की जानकारी में अन्ततः अप्रैल 1988 में लाया गया था ।

1.2.4 कम्पनियों के कार्य चालन परिणामों के सम्बन्ध में निम्नांकित और समीक्षायें दी जाती हैं:

1.2.4.1 इन 19 कम्पनियों के सम्बन्ध में जिन्होंने 1986-87 के लेखे को अन्तिम रूप में दिया था, स्थिति निम्नवत् थी:

(क) 10 कम्पनियों (3 सहायक कम्पनियों सहित) ने 1986-87 में कुल 4.42 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया । गत वर्ष की तुलनात्मक स्थिति देते हुये उनके सम्बन्ध में विवरण नीचे दिये जाते हैं:

क्रमांक	कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूँजी		लाभ(+)/हानि(-)		प्रदत्त पूँजी से लाभ की प्रतिशतता	
		1985-86	1986-87	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6	7	8
		(लाख रूपयों में)					
1.	इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	22.02	22.02	(+)45.84	(+)22.19	208.17	100.77
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	2,092.29	2142.29	(+)95.97	(+)121.31	4.59	5.66

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	5,549.75	6149.75	(+)39.04	(+)176.61	0.70	2.87
4.	टेलीट्रानिक्स लिमिटेड (कुमायूँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	95.71	121.21	(+)47.30	(+)3.89	49.42	3.21
5.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना-बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	24.69	24.83	(+)9.09	(+)7.74	36.82	31.77
6.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना - बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	19.14	19.46	(+)11.82	(+)2.75	61.76	14.13

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	17.28	17.38	(+) 0.26	(+)0.21	1.50	1.21
8.	हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	15.00	15.00	(+)81.25	(+)78.34	541.66	522.27
9.	अपट्रान पावर ट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	22.00[x]	22.00[xx]	(-)38.97	(+)2.69	—	12.23
10.	कुमायूँ टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड (टेलीट्रानिक्स लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	—	5.03	—	(+)25.88	—	514.51

x 31 दिसम्बर 1985 को अन्त हुये वर्ष के आंकड़े ।

xx 30 जून 1987 को अन्त हुये वर्ष के आंकड़े ।

(ख) 9 कम्पनियों (5 सहायक कम्पनियों सहित) ने 1986-87 में कुल 48.58 करोड़ रूपये की हानि उठायी। गत वर्ष की तुलनात्मक स्थिति देते हुये उनके सम्बन्ध में विवरण नीचे दिये जाते हैं:

क्रमांक	कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूँजी		लाभ(+) / हानि(-)	
		1985-86	1986-87	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6
		(लाख रूपयों में)			
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	8,093.07	8,883.94	(-)603.67	(-) 971.23
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	5,249.00	6,153.16	(-)557.39	(-)1684.20
3.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	750.00	750.00	(-)637.17	(-) 714.20
4.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	246.60	334.81	(-) 37.22	(-) 53.04

1	2	3	4	5	6
5.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 I) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	2,638.00	3,205.84	(-)875.88	(-)941.30
6.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 II) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1,987.86	2,263.85	(-)279.79	(-)393.24
7.	उत्तर प्रदेश इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	202.22	202.22	(+) 20.22	(-) 50.51

1	2	3	4	5	6
8.	भदोही ऊलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	291.56	291.56	(-)26.55	(-) 45.20
9.	उत्तर प्रदेश हिल एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	0.001	68.76	निर्माणाधीन	(-) 4.62

1.2.4.2 वर्ष 1986-87 में 3 कम्पनियों ने निम्न विवरणों के अनुसार लाभान्श घोषित किया:

क्रमांक	कम्पनी का नाम	वितरणीय अधिशेष	व्यवसाय में प्रति- धृत धन राशि	घोषित लाभांश	कम्पनी की प्रदत्त पूँजी से लाभांश की प्रति- शतता
1	2	3	4	5	6
		(लाख	रूपयों	में)	
1.	इण्डियन टर्पन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	7.80	5.40	3.08	14.0
2.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	170.12	161.62	8.50	8.5
3.	उत्तर प्रदेश (रूहेल-खण्ड तराई) गन्ना-बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	9.70	9.71	1.48	6.0

1.2.4.3 जैसा कि परिशिष्ट 2 में दिखाया गया है, निम्नांकित 14 कम्पनियों के सम्बन्ध में प्रत्येक के समक्ष अंकित अवधि तक प्राप्त लेखे में दर्शित संचित हानियाँ उस वर्ष की समाप्ति पर उनकी प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गयी थीं:

क्रमांक	कम्पनी का नाम	वर्ष जब तक के लेखे तैयार थे	वर्षान्त की प्रदत्त पूँजी	वर्ष तक की संचित हानि	परिशिष्ट नं० 2 का क्रमांक
1	2	3	4	5	6
			(लाख रूपयों में)		
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	1980-81	723.83	744.77	6
2.	उत्तर प्रदेश शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	1985-86	8,866.64	12,442.85	8
3.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1985-86	703.77	1,461.98	12

1	2	3	4	5	6
4.	ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	1986-87	750.00	3,066.54	19
5.	ट्रांस कैबुल्स लिमिटेड (कुमायूँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1982-83	8.09	31.50	24
6.	फैज़ाबाद रूफिंग्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1976-77	1.63	3.87	29
7.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं० 1) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की साहयक कम्पनी	1986-87	3,205.84	4,910.59	34

1	2	3	4		6
8.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1986-87	202.22	462.70	38
9.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	1980-81	65.05	65.12	39
10.	नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1985-86	1,630.73	2,834.35	41
11.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1985-86	395.71	403.37	43

1	2	3	4	5	6
12.	उत्तर प्रदेश टायर्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर-प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1985-86	106.68	351.34	54
13.	उत्तर प्रदेश हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1978-79	2.00		66
14.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टिकल्च-रल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	1981-82	30.00	127.45	71

1.2.5 इसके अतिरिक्त, निम्न विवरण के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(बी) के अन्तर्गत आने वाली 16 कम्पनियाँ थीं जिनमें से केवल 4 कम्पनियों ने अपने लेखे को अन्तिम रूप दिया (क्रमांक 1,2,3 एवं 4):

क्रमांक	कम्पनी का नाम	को अन्त होने वाले लेखे का वर्ष	के द्वारा अंशदान की गयी प्रदत्त पूँजी				योग	वर्ष में लाभ(+)/ हानि(-)
			राज्य सरकार	सरकारी कम्पनियां	निगम	अन्य		
1	2	3	4अ	4आ	4इ	4ई	4उ	5
			(लाख रूपयों में)					
1.	अलमोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	31 अक्टूबर 1987	—	40.00	82.00	78.00	200.00	(+)16.42
2.	सिन्थेटिक फोम्स लिमिटेड	30 जून 1986	---	29.72	12.68	17.50	59.90	(-)13.00
3.	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	31 दिसम्बर 1986	--	--	21.325	2.925	24.25	(-)2.49

1	2	3	4अ	4आ	4इ	4ई	4उ	5
4.	उत्तर प्रदेश सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	30 जून 1986	50.00	38.75	21.25 x	35.53	145.53	(+) 5.61
5.	स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड	31 दिसम्बर 1979	—	36.97	17.95	34.92	89.84	(−)44.96
6.	एलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	31 दिसम्बर 1975	— प्रारम्भ से ही लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया ।					

x गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा धारित 21.25 लाख रूपये के शेयर निरूपित करती है ।

सिन्थेटिक फोम्स लिमिटेड तथा कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की क्रमश: 194·03 लाख रूपये एवं 47·71 लाख रूपये की संचित हानियां उनकी प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गयीं थीं ।

स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड के सम्बन्ध में 1980 से 1986 तक एवं एलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड के सम्बन्ध में 1975 से 1986 तक लेखे अवशेष में थे ।

1·2·6 वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित सरकारी कम्पनियों के लेखे के सम्बन्ध में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा तथा भारत के नियन्त्रक-महा लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के फलस्वरूप इंगित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नांकित हैं:

(1) सांविधिक लेखा परीक्षकों ने सम्बन्धित कम्पनियों के अंश-धारकों को अपने प्रतिवेदनों में बताया कि उनके द्वारा उल्लिखित विभिन्न कारणों/टीका-टिप्पणियों/विशेषताओं/सीमाओं की दृष्टि से निम्नांकित तीन कम्पनियों के लेखे सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत नहीं करते । इन कम्पनियों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षकों द्वारा इंगित कुछ प्रमुख विशेषतायें निम्न थीं:

(क) 24 नवम्बर 1972 से 31 मार्च 1975 की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश रूफिंग्स लिमिटेड कानपुर के लेखे के विषय में (लेखा परीक्षकों का अप्रैल 1977 का प्रतिवेदन, जिसकी एक प्रतिलिपि सितम्बर 1984 में उपलब्ध करायी गयी),

—फैजाबाद कारखाने में रोकड़ बही एवं लेजरों का रख-रखाव नही किया जा रहा था एवं किये गये निर्माण कार्यों के

सम्बन्ध में प्राप्त उपभुक्त एवं शेष सामग्रियों के लिये समुचित भण्डार-अभिलेख अथवा माप-पुस्तिकायें अथवा अन्य अभिलेख नहीं दिखाये गये,

—लेखा परीक्षकों को सौंपे गये लेखे निदेशक मण्डल द्वारा अंगीकार नहीं किये गये क्योंकि निदेशक मण्डल की कोई बैठक ही नहीं हुई एवं

—लेखा परीक्षकों को वे सूचनायें तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये गये जो लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु अपेक्षित थे तथा विधि द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा-पुस्तकें भी, जैसा कि उन पुस्तकों के परीक्षण से विदित हुआ, कम्पनी द्वारा अब तक नहीं रखी गयीं।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड, लखनऊ के 31 मार्च 1982 को समाप्त हुये लेखे के मामले में (लेखा परीक्षकों का अप्रैल 1987 का प्रतिवेदन),

— 1 अप्रैल 1981 को अवशेष भण्डार के भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध में पत्रक/अभिलेख सत्यापनार्थ प्रस्तुत नहीं किये गये, इसलिये अन्तिम लेखे में लिये गये अवशेष भण्डार के आंकड़ों में किये गये परिवर्तन सत्यापित नहीं किये जा सके,

—उनके द्वारा लेखा परीक्षित होने के बाद लेखे में बारम्बार परिवर्तन किये गये परन्तु ऐसे परिवर्तनों के सत्यापनार्थ कोई स्पष्टीकरण एवं समर्थक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये,

—व्यापार की अवधि में लेखा-पुस्तकों का रख-रखाव नहीं किया गया क्योंकि रोकड़-बही एवं अन्य अभिलेखों में काट-कूट, उपरि-लेखन, शेषों में परिवर्तन एवं यहां तक कि लिखित पृष्ठों का निरस्तीकरण किया गया था,

—अन्तर्कार्यालयीय शेषों एवं मुख्य कार्यालय लेखे में उनके विलयन का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि समाधान विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी एवं

—जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227(4ए) के अधीन "कम्पनी विधि परिषद" द्वारा निर्गत "निर्माता एवं अन्य कम्पनी (लेखा परीक्षक-प्रतिवेदन) आदेश 1975" द्वारा अपेक्षित था, कम्पनी ने अपनी स्थाई परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक विवरणों और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले समुचित अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया एवं माल तथा भण्डारों के भौतिक स्टाकों एवं पुस्तक अभिलेखों के मध्य देखी गयी असंगतियां भी लेखा-पुस्तकों में समुचित रूप से व्यवहृत नहीं की गयीं ।

(ग) 31 मार्च 1984 को समाप्त हुये वर्ष हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के विषय में (लेखा परीक्षकों का अप्रैल 1987 का प्रतिवेदन) —

जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4ए) के अधीन कम्पनी विधि परिषद् द्वारा निर्गत निर्माता एवं अन्य कम्पनी (लेखा परीक्षक-प्रतिवेदन) आदेश, 1975 द्वारा अपेक्षित था, कम्पनी ने उन इकाइयों को छोड़कर जहां पूर्ण विवरण, जैसा कि

अपेक्षित था, नहीं दिये गये थे, समुचित अभिलेखों का रख-रखाव किया था । आन्तरिक लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार इकाइयों में चुराई गयी/बेंची गयी/भौतिक सत्यापन में न पायी गयी परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में लेखे में कोई भी समायोजन नहीं किये गये । इसके अतिरिक्त, कुछ इकाइयों के सामान्य खातों में दर्शाये गये शेष स्थाई परिसम्पत्ति पंजियों में दिखाये गये आंकड़ों के अनुरूप नहीं थे,

—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर द्वारा 1983 में कम्पनी पर 1 जनवरी 1979 से लागू किया गया । किन्तु उक्त अधिनियम प्रावधानों को कम्पनी द्वारा 1 अगस्त 1982 से प्रवर्तित किया । उक्त अवधि हेतु कर्मचारी एवं नियोक्ता के 4.36 लाख रूपये के अंशदान के भुगतान हेतु प्रावधान नहीं किया गया । 31 मार्च 1984 को 11.35 लाख रूपये की धनराशि देय थी,

—उन्होंने उन समस्त सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त नहीं किया जो लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये अपेक्षित थीं एवम्

—अधिकांश इकाइयों में तलपट (ट्रायल बैलेन्स) अन्तर दर्शित करते थे जिनको प्रकीर्ण अग्रिमों एवं प्रकीर्ण देयताओं में निहित कर लिया गया ।

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी कम्पनियों के लेखा परीक्षकों को उनके कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में निदेश निर्गत करने का

अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार निर्गत निदेशों के अनुसरण में 7 कम्पनियों (परिशिष्ट 2 की क्रम संख्या 8,18,34,42,44,57 एवं 63) के लेखे पर कम्पनी लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन प्राप्त हुये (अप्रैल 1986 से मार्च 1987) । इन प्रतिवेदनों में देखे गये महत्वपूर्ण बिन्दु संक्षेप में नीचे दिये गये हैं:

क्रमांक	त्रुटियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनमें त्रुटियाँ पाई गईं	परिशिष्ट-2 के क्रमांक का संदर्भ
1	2	3	4
1.	लेखा मैनुअल का अभाव	2	8 एवं 42
2.	आन्तरिक लेखापरीक्षा मैनुअल का अभाव	2	8 एवं 42
3.	नियन्त्रक लेखे का सामान्य खातों/ सहायक खातों से समाधान न किया जाना/समाधान में विलम्ब	2	8 एवं 44
4.	मानक लागत (कास्टिंग) प्रणाली का अभाव	2	8 एवं 42
5.	बट्टे खाते डालने, छूटों, वापसियों आदि के लिये प्रक्रिया/प्रणाली का अभाव	1	42
6.	भण्डारण/अतिरिक्त पुर्जों की अधिकतम/ न्यूनतम सीमाओं का नियत न किया जाना	3	8,42,एवं 44
7.	सम्पत्ति/संयंत्र पंजियों का वित्तीय पुस्तकों से समाधान न किया जाना	2	42 एवं44

8. लेखाकरण मैनुअल/अनुदेशों का अननुपालन	I	44
9. निर्गत भण्डारों के मूल्यांकन हेतु प्रणाली का अभाव	I	44
10. अधिशेष/अनुपयोगी भण्डारों का निर्धारण न किया जाना	II	44

(III) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को कम्पनी-लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों पर टीका-टिप्पणी करने / उन्हें अनुपूरित करने का अधिकार है । अप्रैल 1986 से मार्च 1987 के दौरान 57 लेखों में से सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा पहले ही लेखा परीक्षित एक कम्पनी के लेखे को पुनरीक्षित किया गया तथा इंगित की गयी त्रुटियों को पुनरीक्षित लेखे में अनुपालन किया गया पुनरीक्षण के फलस्वरूप कम्पनी का लाभ 3.10 लाख रूपये कम हो गया ।

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा इंगित न की गयीं अनुपूरक लेखा परीक्षा में देखी गयी कुछ प्रमुख गलतियां और भूलें निम्नांकित हैं:

(I) उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड (वर्ष 1981-82 के लेखे)

61.28 लाख रूपये का शुद्ध लाभ (I) 0.52 लाख रूपये से ब्याज के कम प्रावधान एवं (II) कम्पनी द्वारा संदिग्ध माने गये देनदारों पर 8.55 लाख रूपये से प्रावधानों के कम लेखाकरण के कारण 9.07 लाख रूपयों से अतिकथित था।

(ii) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (वर्ष 1984-85 के लेखे)

(क) वर्ष हेतु किये गये कार्यों का मूल्य, 31 मार्च तक निष्पादित कार्यों के समान निर्धारित किया गया, जिनके लिये ग्राहकों से उसी कैलेण्डर वर्ष के 30 अप्रैल तक भुगतान प्राप्त हुये थे। तथापि 1984-85 हेतु संविदा-लेखा में दर्शाये गये निष्पादित कार्यों के मूल्य (54.56 लाख रुपये) में एक कार्य के सम्बन्ध में जिसके लिये ग्राहक ने 30 अप्रैल 1985 तक भुगतान नहीं किया था, 8.34 लाख रुपये मूल्य के किये गये कार्य सम्मिलित थे । इस प्रकार, निष्पादित कार्य के मूल्य एवं वर्ष हेतु लाभ का क्रमशः 8.34 लाख रुपये एवं 9.59 लाख रुपये (प्रतिशत प्रभारों सहित) से अतिकथन हुआ ।

(ख) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 193 के प्रावधानों के उल्लंघन में, कार्यवृत्त पुस्तिका (मिनट्स बुक) में 27 अप्रैल 1983 को हुई निदेशक मण्डल की 43वीं बैठक तक की ही कार्यवाहियों की प्रविष्टियां अंकित थीं । इसके अतिरिक्त, जैसा कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 285 में प्रावधानित है कम्पनी ने 1984, 1985 और 1986 में निदेशक मण्डल की बैठकें अपेक्षित संख्या में नहीं कीं ।

(iii) किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (30 सितम्बर 1986 को हुये वर्ष के लेखे)

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अध्याप्त (12 सितम्बर 1970) एवं बाद में 131.59 लाख रुपये के प्रतिफल पर

कम्पनी के हस्तान्तरित (5 मार्च 1973) परिसम्पत्तियां, सम्बद्ध विवरणों को प्रस्तुत करने की सरकार की असमर्थता के बावजूद (6 मई 1981) न तो श्रेणीबद्ध की गयीं और न ही मूल्य का ह्रास ही किया गया। चूँकि उनकी अध्याप्ति से 16 वर्षों से अधिक की अवधि बीत गयी थी, लगभग सभी परिसम्पत्तियाँ पहले से ही पूर्णतया मूल्य ह्रासित हो चुकी थीं । इस प्रकार, परिसम्पत्तियाँ 131.59 लाख रूपयों से अतिकथित (ओवरस्टेटेड) और संचित हानियों का अवकथित (अण्डरस्टेटेड) थीं । और भी इन परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित 15.80 लाख रूपये के संचालन पूर्व के व्ययों को बट्टे खाते नहीं डाला गया । इस प्रकार, संचालन-पूर्व व्यय 15.80 लाख रूपयों से अतिकथित और संचित हानियाँ अवकथित हुयीं ।

(IV) अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब्स लिमिटेड (30 जून 1986 को समाप्त हुयी अवधि के लेखे)

बैलेन्सशीट कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं की गयी ।

(V) उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड (वर्ष 1983-84 के लेखे)

शासन से प्राप्त 66.50 लाख रूपये के पूँजीगत अनुदान, आरक्षित निधि (कैपिटल रिजर्व) के रूप में दर्शाने के बजाय वर्तमान देयताओं में सम्मिलित कर लिये गये । इसके फलस्वरूप 66.50 लाख रूपयों से वर्तमान देयताओं का अतिकथन और आरक्षित निधि तथा अधिशेष का अवकथन हुआ ।

(VI) उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (वर्ष 1985-86 के लेखे)

(क) विकास योजनाओं पर किये गये 27.35 लाख रूपयों के व्ययों को जो शासन से प्राप्त (17.48 लाख रूपये) अनुदानों तथा कम्पनी के निजी निधि से (9.97 लाख रूपये) पूरे किये गये थे, देयताओं के अन्तर्गत 17.48 लाख रूपये दर्शाते हुये परिसम्पत्ति की ओर दर्शाये गये । इसके फलस्वरूप देयताओं को 17.48 लाख रूपयों से तथा विविध व्यय (अनुदान व्यय) का 27.35 लाख रूपये से अतिकथन और संचित हानियों का 9.87 लाख रूपयों से अवकथन भी हुआ ।

(ख) चल परिसम्पत्तियों, ऋणों और अग्रिमों में डायरेक्ट वल्कनाइज़िंग प्रोसेस प्लाण्ट जो वाणिज्यिक उत्पादन करने लगा है, संचालन-पूर्व व्ययों को निरूपित करने वाले 11.20 लाख रूपयों के व्यय समाविष्ट थे । इसे अचल परिसम्पत्ति के अन्तर्गत दिखाया जाना चाहिये था । इसके फलस्वरूप अचल परिसम्पत्तियों का 11.20 लाख रूपयों से और वर्ष हेतु मूल्यह्रास एवं हानि का भी 1.68 लाख रूपयों से अवकथन हुआ ।

(II) उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड (वर्ष 1984-85 के लेखे)

शासकीय अनुदानों में से अचल परिसम्पत्तियों के सृजन पर व्यय किये गये 38.91 लाख रूपये अनुदान से कटौती के रूप में दर्शाये गये थे । अनुदान को पूँजी आरक्षित निधि के रूप में दर्शाते हुये इसे अचल परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत दर्शाया जाना चाहिये था ।

1.3. **सांविधिक निगम-सामान्य पहलू**

1.3.1 31 मार्च 1987 को राज्य में चार सांविधिक निगम थे—

—उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद,
—उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
—उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम एवं
—उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

1.3.2 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत 1 अप्रैल 1959 को हुआ एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 के अन्तर्गत 1 जून 1972 को किया गया।

सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत, इन संगठनों की लेखा परीक्षा एक मात्र भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक में निहित है। मुख्य रूप से प्रत्येक वर्ष के वार्षिक लेखे पर टीका - टिप्पणियाँ समाविष्ट करते हुये पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संगठनों एवं शासन को अलग-अलग निर्गत किये जाते हैं।

परिषद के वर्ष 1985-86 तक के लेखे को अन्तिम रूप दिया जा चुका है एवं उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन परिषद एवं शासन को 5 फरवरी 1988 को निर्गत किये गये। अब तक

(जुलाई 1988) केवल 1981-82 तक के लेखे, उन पर पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों सहित, विधान-मण्डल को प्रस्तुत किये गये हैं।

1.3.3 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे 1980-81 से 1984-85 तक तैयार कर लिये गये हैं एवं लेखापरीक्षा को एक साथ एक ही समय पर प्रस्तुत किये गये (जून 1987) परन्तु वर्ष 1979-80 के लेखे पर की गयी कुछ संवीक्षाओं के कारण, वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक के लेखे पुनरीक्षित कर दिये गये एवं 17 नवम्बर 1987 को पुनः प्रस्तुत किये गये। वर्ष 1979-80 के लेखे पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन शासन को 16 अगस्त 1988 को निर्गत किया गया। वर्ष 1978-79 के लेखे विधान-मण्डल के समक्ष 25 फरवरी 1986 को प्रस्तुत किये गये।

1.3.4 उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का गठन राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 3(1) के अन्तर्गत 1 नवम्बर 1954 को किया गया।

अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत निगम के लेखे भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षित किये जाते हैं एवं नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक निगम के लेखे की परीक्षा भी हाथ में ले सकता है। निगम के लेखे शासपत्रित लेखाकारों द्वारा 1986-87 तक प्रमाणित किये गये थे। निगम के 1983-84 तक के वार्षिक लेखे पर भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के पृथक्

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन शासन को निर्गत किये जा चुके थे 1985) एवं 1984-85 से 1986-87 तक के वार्षिक लेखे पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिये जाने के अन्तर्ग वर्ष 1983-84 के लेखे उन पर पृथक् लेखा परीक्षा प्रति सहित, विधान-मण्डल के समक्ष 25 फरवरी 1986 को प्रस्तुत गये ।

1.3.5 उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम का भण्डारागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 28(1) अन्तर्गत 19 मार्च 1958 को किया गया । अधिनियम की 31 के अन्तर्गत, निगम के लेखे भारत के नियन्त्रक-महालेखापर के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शासपत्रित लेखा द्वारा लेखा परीक्षित किये जाते हैं एवं नियन्त्रक - महालेखापर निगम के लेखे की लेखा परीक्षा भी अपने हाथ में ले सकता है।

निगम के वर्ष 1984-85 के लेखे को अन्तिम दिया जा चुका है एवं उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 23 सित 1988 को निर्गत कर दिया गया । निगम के वर्ष 1985-86 1986-87 के लेखे बकाया में थे । वर्ष 1980-81 के विधान-मण्डल के समक्ष 12 सितम्बर 1983 को प्रस्तुत किये थे।

1.3.6 इन चारों सांविधिक निगमों के कार्यच परिणाम, उस अन्ततम् वर्ष हेतु जिसके लेखे तैयार कर लिये हैं, संक्षेप में परिशिष्ट-4 में दिये गये हैं। इन निगमों सम्बन्धित कुछ विवरण प्रस्तर 1.4 से 1.7 में दिये गये हैं।

3

1.4 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

1.4.1 परिषद् की पूँजीगत आवश्यकताओं की व्यवस्था शासन, जनता, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋणों के रूप में की जाती है । 1985-86 के लेखे एवं 1986-87 के अनन्तिम लेखे के अनुसार, परिषद् द्वारा प्राप्त कुल मिलाकर दीर्घावधिक ऋण (सरकार से प्राप्त ऋणों सहित) 1986-87 के अन्त में 4,757.95 करोड़ रूपये थे एवं पिछले वर्ष के अन्त में 4,394.76 करोड़ रूपये के दीर्घावधिक ऋणों पर 363.19 करोड़ रूपये की वृद्धि (8.30 प्रतिशत) निरूपित करते थे । राज्य सरकार एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त एवं मार्च 1986 तथा मार्च 1987 की समाप्ति पर अनिस्तारित ऋणों के विवरण निम्नवत् हैं:

स्रोत	31 मार्च को अनिस्तारित धनराशि		वृद्धि की प्रतिशतता
	1986	1987 (अनन्तिम)	
1	2	3	4
	(करोड़ रूपयों में)		
1. राज्य सरकार	3,472.37	3,703.97 ×	6.67
2. अन्य स्रोत	922.39	1,053.98	14.27
योग	**4,394.76**	**4,757.95**	**8.26**

×वित्तीय लेखे के अनुसार आंकड़े 3,736.49 करोड़ रूपये हैं, अन्तर समाधान के अधीन है (जून 1988) ।

शासन ने परिषद् द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान एवं उन पर ब्याज के भुगतान की 1,213.80 करोड़ रूपये की सीमा तक प्रत्याभूति दी थी । प्रत्याभूत एवं 31 मार्च 1987 को अनिस्तारित मूलधन की धनराशि 712.06 करोड़ रूपये थी ।

1.4.2 31 मार्च 1987 तक तीन वर्षों की समाप्ति पर परिषद् की वित्तीय स्थिति नीचे दी गयी है:

विवरण	1984-85	1985-86	1986-87
क-देयतायें	(करोड़ रूपयों में)		(अनन्तिम)
1. से प्राप्त दीर्घावधिक ऋण			
(क) शासन	3,265.83	3,472.37	3,703.97
(ख) अन्य स्रोत	795.13	922.39	1,053.98
2. शासन से आर्थिक सहायता (सबवेंशन) एवं अनुदान	——	——	——
3. अत्याहरण (ओवरड्राफ्ट)/ राज्य सरकार से अर्थोपाय अग्रिम	——	——	——
4. आरक्षित निधि एवं अधिशेष	162.60	247.00	320.55
5. वर्तमान देयतायें एवं प्रावधान	1758.72	1845.71	2138.47
योग क —	5,982.28	6,487.47	7,216.97

विवरण	1984-85	1985-86	1986-87
		(करोड़ रूपयों में)	अनन्तिम
ख – परिसम्पत्तियां			
1. सकल अचल परिसम्पत्तियां	2,390.43	2,602.99	2,871.13
(I) घटाया: मूल्यह्रास	516.31	587.36	664.67
(II) घटाया: उपभोक्ता अभिदाय	143.58	172.02	204.29
(III) निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	1,730.54	1,843.61	2,002.17
2. प्रगतिगत पूँजीगत निर्माण कार्य	1,427.51	1,903.41	2,217.60
3. निवेशों सहित चल परिसम्पत्तियाँ	2,054.59	1,858.68	2,183.95
4. बट्टे-खाते में न डाला गया विविध व्यय	25.50	33.05	38.29
5. संचित हानियां	744.14	848.72	774.96
योग ख—	5,982.28	6,487.47	7,216.97
ग – नियोजित पूँजी x	2,026.42	1,856.58	2,046.65
घ – निवेशित पूँजी xx	4,223.56	4,641.76	5,078.50

x नियोजित पूँजी, कार्यचालन पूँजी को जोड़कर निवल अचल परि - सम्पत्तियों को जोड़कर निरूपित करती है ।

xx निवेशित पूँजी मुक्त आरक्षित निधि को जोड़कर दीर्घावधिक ऋणों का निरूपण करती है ।

1.4.3 1984-85 तक, सकल अधिशेष के विनिधान का कृम विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की उस समय विद्यमान धारा 67 के अनुसार नियत किया गया था । 1985-86 तथा आगे के लेखों को लागू वाणिज्यिक लेखाकरण प्रणाली पर कार्य सम्पादन परिणामों को दर्शाने हेतु अधिनियम के प्रावधानों को पुनरीक्षित कर दिया गया है ।

अधिनियम की धारा 59(1) के अन्तर्गत परिषद् से यह अपेक्षित है कि वह अपने कार्य सम्पादनों को जारी रखने तथा अपनी शुल्क-दरों (टैरिफ) को समायोजित करने में यह सुनिश्चित कर ले कि राजस्व को समुचित रूप से प्रभार्य समस्त व्ययों को पूरा कर लेने के पश्चात्, लेखे के किसी भी वर्ष में कुल राजस्व, ऐसा अधिशेष प्रदान करे जो वर्ष के प्रारम्भ में परिषद् की अचल परिसम्पत्तियों के मूल्य के **3 प्रतिशत** अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये गये ऐसी उच्चतर प्रतिशतता से कम न हों । सरकार द्वारा कोई उच्चतर प्रतिशत निर्दिष्ट नहीं किया गया है ।

1986-87 तक 3 वर्षों के परिषद् के कार्यचालन परिणाम संक्षेप में नीचे दिये गये है:

	1984-85	1985-86	1986-87
	(करोड़ रूपयों में)		(अनन्तिम)
1.(क) राजस्व प्राप्तियां	613.87	674.11	889.81
(ख) शासन से प्राप्त परिदान (सब्सिडी)	222.50	254.90	260.00
योग	**836.37**	**929.01**	**1149.81**

	1984-85	1985-86	1986-87
	(करोड रूपयों में)		§अनन्तिम§
2. राजस्व व्यय	547.23	629.78	748.92
3. सकल अधिशेष (1-2)	(+) 289.14	(+) 299.23	(+) 400.89
4. विनियोग			
(क) मूल्य ह्रास	66.36	71.64	77.35
(ख) निम्न पर ब्याज—			
(I) शासकीय ऋण	197.03	226.46	265.08
(II) अन्य ऋण एवं बन्धपत्र	65.78	103.58	133.55
योग (I), (II)	**262.81**	**330.04**	**398.63**
घटाया : पूँजीकृत व्याज	—	—	**150.00**
योग (ख)	**262.81**	**330.04**	**248.63**
(ग) अमूर्त परिसम्पत्तियों को बट्टे खाते डालना	1.97	2.13	1.15
योग (क+ख+ग)	**331.14**	**403.81**	**327.13**
5. निवल अधिशेष (+)/ कमी (-) §3-4§	-42.00	-104.58	+73.76
6. नियोजित/निवेशित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	+220.81	+225.46	+322.09
7. निम्न पर प्रतिलाभ की प्रतिशतता–			
(क) नियोजित पूँजी	10.90	12.14	15.74
(ख) निवेशित पूँजी	5.23	4.86	6.34

1.4.4 परिषद् के वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के वार्षिक लेखे पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में निम्नांकित प्रमुख संवीक्षायें की गयीं थी:

1. • जैसा कि वर्ष 1985-86 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 1.4.4(1) में इंगित किया गया था, निम्नांकित त्रुटियां वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 के लेखे में भी बनी रहीं:

(i) परिषद् ने 1975-76 से 1984-85 तक प्रयोगगत कुल परिसम्पत्तियों का 71.71 प्रतिशत निरूपित करने वाली 1714.29 करोड़ रूपये की परिसम्पत्तियों का विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत वर्गीकरण नहीं किया । इसके अतिरिक्त, वर्गीकृत परिसम्पत्तियों के मूल्य पर मूल्यह्रास निर्धारित विभिन्न दरों के बजाय 3.3 प्रतिशत की समान-दर पर निकाला गया है ।

(ii) सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि के शेष पर ब्याज की देयता का प्रावधान तदर्थ आधार पर किया गया क्योंकि इन निधियों के अभिलेख 1980-81 से ही अपूर्ण हैं ।

(iii) पूँजीगत व्यय के आंकड़े इकाइयों द्वारा अपने मासिक लेखे में अंकित ऐसे आंकड़ों पर आधारित हैं जो इकाइयों द्वारा [illegible]बी गयी निर्माण-कार्य पूँजी में अंकित आंकड़ों से समाधानित नहीं [illegible] गये । 1984-85 के दौरान 156.27 करोड़ रूपये एवं [illegible]5-86 के दौरान 212.56 करोड़ रूपयों का परिसम्पत्ति-[illegible] जोड़ा जाना पूर्णतया प्रविवेदनों द्वारा समर्थित नहीं था ।

[illegible]iv) कार्यों के निष्पादन के लिये वर्ष 1970-71 से [illegible]5-86 की अवधि में सिंचाई विभाग को भुगतान किये गये [illegible].43 करोड़ रूपये की धनराशि के गत 15 वर्षों से अचल

परिसम्पत्तियों को स्थानान्तरित न किये जाने के फलस्वरूप अचल परिसम्पत्तियों तथा मूल्यह्रास कम दिखाये गये । पूर्ण किये गये एवं प्रयोगगत निर्माण-कार्यों के विवरण परिषद् के पास उपलब्ध नहीं थे ।

(V) हरदुआगंज एवं पनकी शक्तिगृहों द्वारा प्रयुक्त जल के लिये सिंचाई विभाग द्वारा किये गये 0.62 करोड़ रूपये के दावों तथा उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण-निवारण एवं नियन्त्रण परिषद् द्वारा 3.41 करोड़ रूपयों के किये गये दावों हेतु लेखे में कोई प्रावधान नहीं किया गया ।

2. उल्लिखित के अतिरिक्त, पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में अन्य बातो के साथ-साथ निम्नांकित संवीक्षाएं की गयीं:

(क) परिषद् के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखे पर-

(i) अगस्त 1986 में निर्गत लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर परिषद् ने वर्ष 1984-85 के लेखे को पुनरीक्षित कर दिया, इसके फलस्वरूप 16.85 करोड़ रूपये से घाटे में कमी हुई, जो (घाटा) कुछ देयताओं के प्रावधानित न किये जाने के कारण 4.10 करोड़ रूपये से अकथित था ।

(ii) नये प्रभागों की स्थापना पर पुनर्गठन के कारण ए
प्रभाग से दूसरे प्रभाग को अन्तरित राजस्व के बकायों
जांच-परीक्षा से प्रकट हुआ कि 15 प्रभागों के 3.12 करोड़ रू
के 108 ऐडवाइस फार ट्रान्सफर डेबिट (ए.टी.डी.) प्र
प्रभागों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरणों के अभाव में प्रत्
प्रभागों द्वारा स्वीकार नहीं किये गये । 10.22 लाख रूपये

सबसे अधिक पुराने ए.टी.डी. वर्ष 1971-72 एवं 1972-73 से सम्बन्धित थे । इसके फलस्वरूप विभिन्न देनदारों का अवकथन तथा ए.टी.डी. का अतिकथन हुआ ।

(ख) 1985-86 के लेखे पर —

(i) 1983-84 की अवधि में ओबरा में भारी अग्निकांण्ड से हुई क्षति के कारण अचल परिसम्पत्तियों के मूल्य में कोई समायोजन नहीं किया गया । क्षति की धनराशि 30 करोड़ रूपये (लगभग) बतायी गयी थी ।

(ii) 1985-86 की अवधि में, आनपारा में 210 मेगावाट की एक इकाई चालू की गयी परन्तु इस इकाई पर किया गया व्यय "अचल परिसम्पत्तियां" शीर्ष के अन्तर्गत नहीं दर्शाया गया । अत:, अचल परिसम्पत्तियों के आंकड़े इस इकाई पर किये गये व्यय की सीमा तक कम दर्शाये गये थे ।

(iii) 1984-85 तक के संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिये किये गये 2.14 करोड़ रूपये के प्रावधान को वास्तविक अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के किसी सन्दर्भ के बिना ही वर्ष के दौरान बट्टे-खाते डाल दिया गया ।

(iv) 1985-86 की अवधि में 20.50 लाख रूपये के चेक बैंक द्वारा नकार दिये गये थे, परन्तु उनका समायोजन नहीं किया गया ।

1.4.5 निम्नांकित तालिका 1986-87 तक तीन वर्षों के दौरान परिषद् के कार्यचालन सम्बन्धी सम्पादन सूचित करती है:

विवरण	1984-85	1985-86	1986-87 (अनन्तिम)
1. मेगावाट में संस्थापित क्षमता			
(I) थर्मल	2698.50	2908.50	3118.50
(II) हाइडिल	1422.35	1422.35	1422.35
योग-1	**4120.85**	**4330.85**	**4540.85**
2. प्रजनित विद्युत (एम.के.डब्ल्यू.एच.)			
(I) थर्मल	6744.873	7629.40	9516.00
(II) हाइडिल	4541.002	4596.60	5213.00
योग-2	**11285.875**	**12226.00**	**14729.00**
3. अतिरिक्त (आक्जिलरी) उपभोग	910.462	1051.00	1098.00
4. निवल प्रजनित विद्युत (2-3)	10375.413	11175.00	13631.00
5. क्रय की गयी विद्युत	3718.60	3791.00	3591.00
6. विक्रय के लिये उपलब्ध कुल विद्युत (4+5)	14094.013	14966.00	17222.00
7. सामान्य अधिकतम मांग (मैं.वा.मैं)	3526.00	3622.00	अनुपलब्ध
8. बेची गयी विद्युत	11159.00	11887.00	13655.00
9. पारेषण एवं वितरण हानि	2935.013	3079.00	3567.00

विवरण	1984-85	1985-86	1986-87 (अनन्तिम)
10. भार कारक (प्रतिशत)	36.1	40.8	38.9
11. पारेषण एवं वितरण हानियों की प्रतिशतता	20.8	20.5	20.7
12. प्रति किलोवाट संस्थापित क्षमता पर प्रजनित इकाइयों की संख्या	2738.00	2823.00	3244.00
13. विद्युतीकृत ग्रामों/ नगरों की संख्या	63075	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
14. ऊर्जित पम्पसेट/कूप (संख्या)	484509	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
15. सब-स्टेशन (132 के.वी. एवं अधिक)	167	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
16. पारेषण/वितरण लाइनें कि.मी. में	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
(i) उच्च/मध्यम वोल्टेज	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
(ii) निम्न वोल्टेज	अनुपलबध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
17. सम्बद्ध भार (मे.वा.)	6711.075	6977.338	7408.729
18. उपभोक्ताओं की संख्या	2577068	2737615	2927689
19. कर्मचारियों की संख्या	110939	113000	113000
20. कर्मचारी-वर्ग पर कुल व्यय (लाख रूपयों में)	17781	20677	21901

विवरण	1984-85	1985-86	1986-87 (अनन्तिम)
21. उपभोक्ताओं की श्रेणियों के अनुसार ऊर्जा के विक्रय के व्योरे (एम.के.डब्ल्यू.एच.में)			
(क) कृषीय	3611.00	3723.00	4937.00
(ख) औद्योगिक	4167.00	4475.00	4776.00
(ग) वाणिज्यिक	613.00	672.00	760.00
(घ) घरेलू	1582.00	1848.00	1933.00
(ड.) अन्य	1186.00	1169.00	1249.00
योग-21	**11159.00**	**11887.00**	**13655.00**
22. प्रति के.डब्ल्यू.एच.			
(क) राजस्व पैसे में (उपदान को छोड़कर)	55.01	55.11	65.16
(ख) प्रति के.डब्ल्यू.एच. व्यय पैसे में	55.16	59.19	60.59
(ग) प्रति के.डब्ल्यू.एच. लाभ(+)/हानि(-) पैसे में	(-)0.15	(-)4.08	(+)4.57

1.5 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

1.5.1 निगम की पूँजी 31 मार्च 1986 को 103.71 करोड़ रूपये (राज्य सरकार द्वारा अंशदानित 74.11 करोड़ रूपये एवं केन्द्र सरकार द्वारा अंशदानित 29.06 करोड़ रूपये) के समक्ष 31 मार्च 1987 को 144.71 करोड़ रूपये (राज्य सरकार द्वारा अंशदानित 108.70 करोड़ रूपये एवं केन्द्र सरकार द्वारा अंशदानित 36.01 करोड़ रूपये) थी। मार्च 1987 की समाप्ति पर 6.25 प्रतिशत वार्षिक की दर से पूँजी (राज्य सरकार 108.70 करोड़ रूपये एवं केन्द्र सरकार 36.01 करोड़ रूपये) पर 3.70 करोड़ रूपये का ब्याज देय था।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 1987 को निगम के ऊपर राज्य सरकार का 2.00 करोड़ रूपये का ऋण था। राज्य सरकार ने निगम द्वारा अन्य स्रोतों से लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान एवं उन पर देय ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति भी दी थी एवं 31 मार्च 1987 को ऐसी प्रत्याभूतियों एवं उनके समक्ष बकाया ऋणों की धनराशियां क्रमशः 77.00 करोड़ रूपये एवं 51.56 करोड़ रूपये थीं।

1.5.2 31 मार्च 1985 तक तीन वर्षों की समाप्ति पर निगम की स्थिति नीचे दी गयी है:

	1982-83	1983-84	1984-85
क.देयतायें		(करोड़ रूपयों में)	
1. पूँजी	65.25	71.28	83.17
2. आरक्षित निधि एवं अधिशेष	90.41	99.80	108.86

	1982-83	1983-84	1984-85
		(करोड़ रूपयों में)	
3. ऋण	39.29	45.87	59.65
4. व्यापारिक-देय एवं अन्य वर्तमान देयतायें	101.58	94.89	93.86
योग-क	**296.53**	**311.84**	**345.54**
ख. परिसम्पत्तियाँ			
1. ग्रास ब्लाक	139.64	147.97	168.66
2. घटाया: मूल्यह्रास	89.02	98.22	107.07
3. निवल अचल परिसम्पत्तियां	50.62	49.73	61.59
4. पूँजीगत प्रगतिगत-कार्य	1.15	27.21	25.82
5. निवेश	0.92	0.92	0.80
6. चल परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	94.96	59.08	51.02
7. संचित हानियां	59.86	76.66	99.24
योग-ख	**296.53**	**311.84**	**345.54**
ग. निवेशित पूँजी[x]	**96.44**	**114.02**	**139.85**
घ. नियोजित पूँजी[xx]	**67.19**	**51.39**	**47.56**

x निवेशित पूँजी प्रदत्त पूँजी, दीर्घावधिक ऋणों एवं अप्रतिबन्धित आरक्षित निधियों के जोड़ को द्योतित करती है।

xx नियोजित पूँजी कार्यचालन पूंजी को जोड़कर निवल अचल परिसम्पत्तियों की द्योतक है।

1.5.3 1984-85 तक तीन वर्षों की समाप्ति पर निगम के कार्यचालन परिणाम संक्षेप में नीचे दिये गये हैं:

विवरण	1982-83	1983-84	1984-85
		(करोड़ रूपयों में)	
1. कुल राजस्व	110.52	128.73	140.93
2. कुल व्यय			
क. ब्याज के अतिरिक्त	124.18	136.67	149.37
ख. ब्याज	7.85	8.70	13.95
योग	**131.03**	**145.37**	**163.32**
3. निवल लाभ(।)/ हानि(-)	(-)21.52	(-)16.64	(-)22.39
4. (क) नियोजित पूँजी	67.19	51.39	47.56
(ख) निवेशित पूँजी	96.44	114.02	139.85
5. कुल प्रतिलाभ		प्रतिशत	
(क) नियोजित पूँजी पर	--	--	--
(ख) निवेशित पूँजी पर	--	--	--

1..5.4 निम्न तालिका निगम के 1986-87 तक तीन वर्षों के दौरान निगम के परिचालन-सम्पादन को दर्शाती है:

	1984-85	1985-86	1986-87
1. धारित वाहनों की औसत संख्या (प्रभावी बेड़ा)	6040	6167	6452
2. सड़क पर चल रहे वाहनों की औसत संख्या[x]	4362	4681	5436

[x] वाहनों में टैक्सियाँ, बसें एवं ट्रकें सम्मिलित हैं ।

	1984-85	1985-86	1986-87
3.उपयोग की प्रतिशतता	72	72	84
4.आवृत्त किलोमीटर (लाखों में)			
सकल	4359	4521	4857
क्रियाशील	4277	4435	4760
निष्क्रिय	82	86	97
5.सकल कि.मी. के प्रति निष्क्रिय कि.मी.की प्रतिशतता	1.9	2.13	2.04
6.प्रति बस प्रतिदिन आवृत्त औसत कि.मी.	204	213	190
7.प्रति कि.मी. औसत राजस्व (पैसे)	330	361	381
8.प्रति कि.मी. औसत व्यय (पैसे)	367	385	376
9.लाभ(+)/हानि(-) (पैसे प्रति कि.मी.)	(-)37	(-)24	(-)05
10.कुल मार्ग कि.मी. (लाखों में)	269626	263158	317117
11.परिचालन डिपो की संख्या	93	90	104
12.प्रति लाख कि.मी.ब्रेक-डाउन की औसत संख्या	7.10	7.30	5.00
13.प्रतिलाख कि.मी.दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.15	0.16	0.17

	1984-85	1985-86	1986-87
14. निर्धारित यात्री कि.मी. (लाखों में)	217524	229947	246824
15. परिचालित यात्री कि.मी. (लाखों में)	143566	167861	182650
16. अधिभोग अनुपात (प्रतिशत)	66	73	74

1.6 उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

1.6.1 निगम की प्रदत्त पूँजी 31 मार्च 1987 को 10.00 करोड़ रूपये (राज्य सरकार : 4.85 करोड़ रूपये, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक : 4.85 करोड़ रूपये एवं अन्य : 0.30 करोड़ रूपये) जो 31 मार्च 1986 को भी इतनी ही थी ।

1.6.2 राज्य वित्तीय नियम अधिनियम, 1951 की धारा 6(1) के अधीन शासन ने 9.65 करोड़ रूपये की अंशपूंजी (0.35 करोड़ रूपये की विशेष अंशपूंजी को छोड़कर) के पुनर्भुगतान एवं 3.5 प्रतिशत की दर से उस पर न्यूनतम लाभान्श के भुगतान की प्रत्याभूति दी थी । वर्ष 1986-87 की अवधि में निगम की कुल आय 31.93 करोड़ रूपये थी एवं राजस्व व्यय 29.14 करोड़ रूपये था । अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिये 0.70 करोड़ रूपये के प्रावधान के पश्चात कर के पूर्व 2.79 करोड़ रूपये एवं कर हेतु प्रावधान के पश्चात् 2.16 करोड़ रूपये का लाभ था । विभिन्न आरक्षित निधियों के लिये 1.93 करोड़ रूपये का प्रावधान करने के पश्चात, उपलब्ध अधिशेष 0.23 करोड़ रूपये था जिसमें से कोई भी धनराशि शासन को भुगतान की गयी परिदान के प्रति उपयोगित नहीं की जा सकी ।

शासन ने निगम द्वारा लिये गये 109.68 करोड़ रूपये के बाजार ऋणों (बाण्ड तथा डिबेन्चर द्वारा) के पुनर्भुगतान की भी प्रत्याभूति दी है। उनके समक्ष अनिस्तारित मूलधन की धनराशि 31 मार्च 1987 को 109.68 करोड़ रूपये थी ।

1.6.3 निम्नांकित तालिका 1986-87 तक के तीन वर्षों की समाप्ति पर निगम की वित्तीय स्थिति सामान्य शीर्षों के अन्तर्गत संक्षेप में प्रस्तुत करती है:

	1984-85	1985-86	1986-87
क. देयतायें		(करोड़ रूपयों में)	
1. प्रदत्त पूँजी	10.00	10.00	10.00
2. आरक्षित निधि एवं अधिशेष	8.30	9.39	11.25
3. ऋण			
(I) बाण्ड और डिबेन्चर	72.05	87.95	109.68
(II) अन्य[x]	140.00	185.24	248.13
4. अन्य देयतायें	13.83	7.82	6.65
योग-क	244.18	300.40	385.71
ख. परिसम्पत्तियाँ			
1. रोकड़ एवं बैंक शेष	15.89	9.24	10.70
2. निवेश	0.33	0.35	0.35
3. ऋण एवं अग्रिम	216.70	277.42	355.19

---

x इसमे अंश पूँजी के बदले वर्ष 1984-85 के बदले में 22.00 करोड़ रूपये, 1985-86 में 34.00 करोड़ रूपये एवं 1986-87 में 49.50 करोड़ रूपये का ऋण सम्मिलित है ।

	1984-85	1985-86	1986-87
		(करोड़ रूपयों में)	
4.निवल अचल परिसम्पत्तियां	0.67	1.07	1.19
5.लाभान्श कमी	0.08	—	—
6. अन्य परिसम्पत्तियां	10.51	12.32	18.28
योग-ख	**244.18**	**300.40**	**385.71**
ग. नियोजित पूँजी[x]	**208.10**	**261.43**	**335.79**
घ. निवेशित पूँजी[xx]	**230.35**	**292.52**	**379.06**

1.6.4 निगम ने वर्ष 1981-82 से व्यापारिक प्रणाली के स्थान पर नकद लेखा प्रणाली को अपना लिया ।

अधोलिखित तालिका 1986-87 तक तीन वर्षों हेतु निगम के कार्य चालन परिणामों के विवरण प्रस्तुत करती है:

विवरण	1984-85	1985-86	1986-87
1. आय		(लाख रूपयों में)	
क.ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज	1681.34	2430.64	3087.09
ख. अन्य आय	45.42	64.73	105.75
योग-1	**1726.76**	**2495.37**	**3192.84**

x नियोजित पूँजी प्रदत्त पूँजी, बाण्ड तथा डिबेन्चर, आरक्षित निधियों, ऋणों (पुनर्वित्त पोषण सहित) एवं जमा निधियों के अथ एवं इति शेषों के योग का मध्यमान द्योतित करती है ।

xx निवेशित पूँजी वर्ष की समाप्ति पर दीर्घावधिक ऋण और मुक्त आरक्षित निधियों को जोड़कर प्रदत्त पूँजी द्योतित करती है।

	1984-85	1985-86	1986-87
2. व्यय		(लाख रूपयों में)	
क. दीर्घावधिक ऋणों पर ब्याज	1255.91	1838.75	2437.86
ख. अन्य व्यय	293.27	517.11	474.86
योग-2	**1546.18**	**2355.86**	**2914.32**
3. कर के पूर्व लाभ(+)/ हानि(-)	(+)177.58	(+)139.51	(+)278.52
4. कर के लिये प्रावधान	61.63	19.06	51.86
5. कर के पश्चात् लाभ	116.05	120.45	226.66
6. अन्य विनियोजन	82.00	—	192.80
7. लाभान्श के लिये उपलब्ध धनराशि	33.78	—	39.49
8. देय लाभान्श	33.78	33.78	33.78
9. (क) नियोजित पूँजी	20810.00	26143.00	33579.00
(ख) निवेशित पूँजी	23035.00	29252.00	37906.00
10. कुल प्रतिलाभ:			
(क) नियोजित पूँजी पर	1433.49	1978.26	2716.38
(ख) निवेशित पूँजी पर	1433.49	1978.26	2716.38
	(प्रतिशत)		
11. प्रतिलाभ की प्रतिशतता			
(क) नियोजित पूँजी पर	6.9	7.6	8.1
(ख) निवेशित पूँजी पर	6.2	6.8	7.2

1.6.5 निम्नांकित तालिका 1986-87 तक तीन वर्षों की अवधि में आवेदन-पत्रों की प्राप्तियों एवं निस्तारण अथवा ऋणों की स्वीकृति से सम्बन्धित स्थिति दर्शाती है:

विवरण	1984-85		1985-86		1986-87		प्रारम्भ से संचित	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(करोड़ रुपयों में)		(करोड़ रुपयों में)		(करोड़ रुपयों में)		(करोड़ रुपयों में)
1. वर्ष के आरम्भ में अनिस्तारित आवेदन-पत्र	469	26.13	533	42.54	602	60.69	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2. प्राप्त हुये आवेदन-पत्र	5025	173.27	4082	275.33	2975	268.21	49455	1410.25
3. योग (1+2)	5494	199.30	4615	317.87	3577	328.90	49455	1410.25
4. स्वीकृत किये गये आवेदनपत्र	3897	94.81	2776	156.33	2440	192.96	39905	831.31
5. निरस्त/वापस/अस्वीकृत/कम किये गये आवेदन-पत्र	1064	55.07	1237	92.80	1523	119.00	13936	509.24
6. वर्ष की समाप्ति पर अनिस्तारित रहे आवेदन-पत्र	533	42.54	602	60.69	292	38.33	नहीं दिया	नहीं दिया
7. वितरित ऋण	3095	54.28	2458	78.03	1842	98.47	24296	443.46
8. वर्ष की समाप्ति पर बकाया धनराशि	—	216.70	—	277.42	—	355.19	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
9. (i) वर्ष की समाप्ति पर वसूली के लिये अतिप्राप्य (ओवरड्यू) धनराशि								
क. मूलधन	—	22.07	—	26.48	—	31.15	—	—
ख. ब्याज	—	24.66	—	30.60	—	37.16	—	—
(ii) वसूली प्रमाण-पत्र/दावा दाखिल मामलों में निहित धनराशि	—	20.04	—	28.78	—	40.22	—	—
योग		66.77		85.06		108.53		
10. कुल अनिस्तारित ऋणों से चूक की प्रतिशतता	—	30.80		30.94		30.55		
11. सहायता प्राप्त इकाइयों द्वारा सृजित रोजगार		x		x		x		

*उपलब्ध नहीं

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, 31 मार्च 1987 को 22068 ऋणियों से 355.19 करोड़ रूपये के अनिस्तारित ऋणों में से 108.53 करोड़ रूपये (37.16 करोड़ रूपयों के ब्याज सहित) की धनराशि वसूली के लिये अतिदेय थी । कुल बकाये से अतिदेय धनराशि की प्रतिशतता 1984-85 में 30.8 प्रतिशत से 1985-86 में 30.9 प्रतिशत एवं 1986-87 में 30.6 प्रतिशत परिवर्तित होती रही ।

अतिदेय ऋणों का अवधिवार विश्लेषण निम्नवत् है:

क्रमांक	अतिदेय की अवधि	इकाइयों की संख्या	धनराशि (लाख रूपयों में)
1.	1 वर्ष से कम	9317	4120.57
2.	1 से 2 वर्ष	4476	2938.71
3.	2 वर्षों से अधिक	3905	3793.98
	योग -	17698	10853.26

1.6.6 बीमार एवं बन्द हो गयी इकाइयों में निवेश के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे ।

1.6.7 निगम ने 31 मार्च 1987 तक संदिग्ध ऋणों के प्रति 2.33 करोड़ रूपये का संचयी प्रावधान कर रखा था ।

1.7 उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

1.7.1 31 मार्च 1987 को निगम की प्रदत्त पूँजी 4.96 करोड़ रूपये (राज्य सरकार : 2.48 करोड़ रूपये एवं केन्द्रीय भण्डारागार निगम : 2.48 करोड़ रूपये) थी जो 31 मार्च 1986 को भी यही थी ।

1.7.2 1986-87 तक तीन वर्षों हेतु निगम के कार्य चालन परिणामों एवं भौतिक सम्पादन के आंकड़े संक्षेप में नीचे दिये गये हैं:

क्रमांक विवरण	1984-85	1985-86	1986-87
1. आवृत्त केन्द्रों की संख्या	144	144	145
2. वर्ष की समाप्ति पर सृजित भण्डारण क्षमता (लाख टनों में)			
क. निजी	9.16	9.16	9.16
ख. किराये वाली	3.47	3.37	3.57
योग-2	12.63	12.53	12.73
3. उपयोग में लायी गयी औसत क्षमता (लाख टनों में)	11.62	12.60	12.42
		(प्रतिशत)	
4. उपयोग की प्रतिशतता	92.7	99.5	98.3
		(रूपये)	
5. (क) औसत राजस्व (प्रति टन)	57.68	64.67	69.11
(ख) औसत व्यय (प्रति टन)	46.76	43.14	47.19
(ग) औसत निवल उपार्जन (प्रति टन)	10.92	21.53	21.93

अध्याय 2

2. सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में समीक्षायें

प्रस्तुत अध्याय में अधोलिखित दो समीक्षायें दी गयी हैं:

खण्ड 2 क –किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड एवं

खण्ड 2 ख– गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड

2 क – किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड

(उद्योग विभाग)

मुख्य बातें

1. किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड अपनी नियन्त्रक कम्पनी उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 1971 में अवाप्त किच्छा स्थित चीनी फैक्टरी को चलाने के लिये 1972 में निगमित की गयी ।

कम्पनी प्रारम्भ से 1984-85 तक हानियां उठाती रही तथा 30 सितम्बर 1986 को संचित हानि (राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरित परिसम्पत्तियों पर प्रावधान न किये गये 125 लाख रूपये के मूल्यह्रास को छोड़कर) इसकी प्रदत्त पूँजी का लगभग 208 प्रतिशत निरूपित करती थी जो मुख्यतया उच्चतर गन्ना

मूल्यों, निम्नतर बिक्रियों की वसूली और भारी ब्याज के कारण हुयी बतायी गयी ।

2. 157.97 लाख रूपये की लागत पर मार्च 1974 में चालू किया गया 2000 टन क्षमता वाले शुगर संयंत्र का कार्य क्षमता गारण्टी के लिये 1974-75 में या 1975-76 में अथवा उसके बाद भी आपूर्ति कर्त्ताओं द्वारा परीक्षण नहीं किया गया और कम्पनी ने भी संयंत्र की क्षमता का निर्धारण कभी नहीं किया । कम्पनी को निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के प्रयास में 1973-74 से 1980-81 के दौरान परिवर्धन और परिशोधन पर 143.96 लाख रूपये का पूँजी व्यय करना पड़ा परन्तु अवधि के दौरान प्राप्त वास्तविक क्षमता मात्र 40 एवं 87 प्रतिशत के मध्य रही । कम्पनी ने फैक्टरी की पेराई क्षमता 2000 टन से 3000 टन वृद्धि करने के लिये 73.91 लाख रूपये की लागत पर लखनऊ की एक फर्म द्वारा दिसम्बर 1982 में अधिष्ठापित संयंत्र और उपस्कर का प्रथम चरण का परीक्षण सम्पादन छोड़ दिया । द्वितीय चरण का परीक्षण सम्पादन पूर्ण न होने के कारण 5.77 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाने के बजाय कम्पनी ने आपूर्तिकर्ताओं को तृतीय मौसम में सम्पादन परीक्षण करने की अनुमति दे दी जो संतोषजनक पाया गया। 2.69 लाख रूपये के उपाकृत (लिक्वीडिटेड) हर्जाने, आपूर्तियों में विलम्ब के लिये (1.54 लाख रूपये) और पेराई की गति में गिरावट एवं घटी हुये मिल निकासी (एक्सट्रैक्शन) (1.15 लाख रूपये) के लिये भी फर्म पर आरोपित नहीं किये गये ।

उत्पादन प्रक्रिया के कार्बोनेशन से दुगुने सल्फिटेशन में परिवर्तन पर 1985-86 में किया गया 75.05 लाख रूपयों का व्यय आंशिक रूप से निष्फल रहा क्योंकि श्रम शक्ति में कमी के रूप में प्रति मौसम 7.70 लाख रूपयों की प्रत्याशित बचत फलीभूत नहीं हुई ।

1983-84 से 1985-86 के दौरान बढ़ी हुयी निर्धारित क्षमता प्राप्त करने में अपनी असफलता के कारण कम्पनी द्वारा उठायी गयी उत्पान की हानि लगभग 14.09 करोड़ रूपये थी, क्षमता उपयोग बढ़ी हुयी निर्धारित क्षमता के 54 से 64 प्रतिशत के मध्य था, जब कि 1981-82 से 1985-86 के दौरान प्रक्रिया में मानकों से अधिक नष्ट हो गयी चीनी का मूल्य लगभग 1.20 करोड़ रूपये था ।

1981-82 से 1984-85 के दौरान चीनी के विक्रय पर लागत इन कारणों से विक्रय मूल्य से अधिक थी (I) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य की अपेक्षा गन्ने का उच्चतर मूल्य (कुल 805.80 लाख रूपये) (II) गन्ना उत्पादकों से वसूल किये गये (47.30 लाख रूपये) की अपेक्षा ढुलाई प्रभारों (197.47 लाख रूपये) का अधिक होना तथा (III) संयंत्र की मरम्मत तथा रख-रखाव पर भारी व्यय (40.10 लाख रूपये से 47.44 लाख रूपये के मध्य) ।

कम्पनी के पास कोई विपणन (मार्केटिंग) संगठन नहीं था । नियन्त्रक कम्पनी विक्रय मूल्यों का नियतन नियन्त्रित करती है

तथा चीनी की आपूर्ति के लिये विक्रय अभिकर्त्ताओं के साथ अनुबन्ध करती है, जब कि कम्पनी नियन्त्रक कम्पनी द्वारा निर्गत विक्रय आदेशों का केवल निष्पादन करती है । नियन्त्रक कम्पनी ने निम्न बातों को स्पष्ट नहीं किया है :

(क) विभिन्न विक्रय अभिकर्त्ताओं को अनुमत विभिन्न दरें,

(ख) विक्रय अभिकर्त्ताओं के पक्ष में नियत तिथियों तक चीनी उठाने में असफलता के लिये अर्थदण्ड का अनारोपण तथा बिक्री आदेशों को मुक्त करने में विलम्ब के कारण मुक्त विक्रय कोटा के व्ययगम (लैप्स) हो जाने के सम्बन्ध में।

भण्डार-सूची के स्तर को घटाकर 25 लाख रूपये तक करने के लिये बोर्ड के आदेशों (1981-82) को कार्यान्वित नहीं किया गया तथा कम्पनी द्वारा धारित भण्डार-सूची का मूल्य 1982-83 में 51.50 लाख रूपये से बढ़कर 1985-86 में 78.87 लाख रूपये हो गया ।

क्रय-आदेशों के प्रावधानों के अनुसार परिदान (डिलीवरी) तथा चालू करने में विलम्ब हेतु सेन्ट्रीफ्यूगल मशीनों के आपूर्तिकर्त्ता पर 1.08 लाख रूपयों का अर्थदण्ड आरोपित न करना और 1986-87 के दौरान 5.85 लाख रूपये मूल्य के लाइम स्टोन और कोक की अधिक खपत लेखापरीक्षा द्वारा देखे अन्य बिन्दु थे ।

2.क.1 प्रस्तावना

किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड अपनी नियन्त्रक कम्पनी- उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड- द्वारा सरकार से नवम्बर 1971 में अध्याप्त किच्छा स्थित चीनी मिल को चलाने के लिये फरवरी 1972 में निगमित की गयी ।

2.क.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

कम्पनी के कार्यचालन की गत समीक्षा भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 1975-76 के प्रतिवेदन में की गयी थी । सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति ने नवम्बर 1982 से जून 1983 के दौरान उस पर विचार किया तथा उसकी संस्तुतियां प्रतीक्षित हैं (जून 1988) । कम्पनी के कार्यचालन की प्रस्तुत समीक्षा अर्थव्यवस्था के ढाँचे , ऋण, कम्पनी की पूर्णता एवं चालू होना, इसका 2000 टी.सी.डी. से 3000 टी.सी.डी. तक विस्तार, गन्ना की प्राप्ति, फैक्टरी की क्षमता उपभोग तथा उत्पादन सम्पादन के अध्ययन तक विस्तृत की गयी हैं । इसके अतिरिक्त अगस्त एवं सितम्बर 1987 के दौरान विक्रय सम्पादन, भण्डार-सूची विश्लेषण, कच्चे माल की खपत आदि का भी अध्ययन किया गया था । वर्तमान लेखा परीक्षण में वर्ष 1981-82 और बाद के कार्य कलापों से सम्बन्धित देखे गये कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं की विवेचना उत्तरवर्ती प्रस्तरों में की जाती है ।

2.क.3 संगठनात्मक ढाँचा

कम्पनी का प्रबन्ध, एक अध्यक्ष तथा 10 निदेशकों के निदेशक मण्डल में निहित है जिनमें से कार्यकारी निदेशक सहित पांच

निदेशक नियन्त्रक कम्पनी द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, एक सरकार द्वारा, एक उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा, एक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मनोनीत किया जाता है तथा दो निदेशक गन्ना उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करते हैं । नियन्त्रक कम्पनी का अध्यक्ष ही कम्पनी का भी अध्यक्ष होता है। कम्पनी के दैनिक कार्यों की देख-रेख कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है जिसकी सहायता के लिये एक मुख्य अभियन्ता, एक मुख्य कैमिस्ट, एक मुख्य लेखाकार एवं एक मुख्य गन्ना प्रबन्धक होते हैं ।

2.क.4 **अर्थ-व्यवस्था (फण्डिंग)**

2.क.4.1 पूँजी

कम्पनी की प्राधिकृत अंशपूँजी 30 लाख रूपयों के अधिमान (प्रिफरेन्स) अंशपूँजी सहित 1400 लाख रूपये है। 30 सितम्बर 1986 को प्रदत्त पूँजी 703.37 लाख रूपये थी जो नियन्त्रक कम्पनी (605.72 लाख रूपये), राज्य सरकार (32.59 लाख रूपये), स्थानीय गन्ना उत्पादक (45.06 लाख रूपये) एवं यू.पी.एस.आई.डी.सी. (20 लाख रूपये) द्वारा धारित है ।

2.क.4.2 ऋण

कम्पनी ने समय - समय पर विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त किये । प्राप्त ऋणों, उनके उद्देश्य एवं 30 सितम्बर 1986 को अनिस्तारित धनराशियों के विवरण निम्न तालिका में दिये गये हैं:-

क्रम सं0	अभिकरण जिससे ऋण लिये गये थे	प्राप्ति की अवधि	प्राप्त धनराशि (लाख रूपयों में)	उद्देश्य	ब्याज की दर (प्रतिशत वार्षिक)	30 सितम्बर 1986 को अनि-स्तारितारित धन राशि		टिप्पणी
						मूलधन	ब्याज	
						(लाख रूपयों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	यू.पी.शुगर स्पेशल फण्ड कमेटी	मार्च 1977	15.00	गन्ना-देयों के भुगतान हेतु	12	15.00	17.24	---
2.	तदैव	अक्टूबर 1978	6.95	संयंत्र के आधु-निकी करण तथा पुनर्वास हेतु	---	5.56	1.08	ऋण ब्याज मुक्त पांच वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान करना था। भुगतान में चूक की स्थिति में, ब्याज 12.5 प्रतिशत से लगनी थी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								चूँकि अक्तूबर 1983 में प्रथम किश्त का भुगतान करने के बाद कम्पनी किश्तों का भुगतान करने विफल रही, गन्ना आयुक्त ने अक्टूबर 1985 तक 6.08 लाख रूपयों के दण्डात्मक ब्याज का दावा किया (नवम्बर 1985), जिसके समक्ष कम्पनी ने 30 सितम्बर 1986 को समाप्त वर्ष हेतु अपने लेखे में मात्र 1.08 लाख रूपयों का प्रावधान किया।
3.	नियन्त्रक कम्पनी	नवम्बर 1982 से अगस्त 1984	182.00	विस्तार हेतु	15.5 से 18	52.00	77.52	
4.	राज्य सरकार	फरवरी 1972	100.00	परिसम्पत्तियाँ	11.5	41.00	31.22	मूलधन अथवा ब्याज का भुग-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				के स्थानान्तरण के प्रति				तान नहीं किया गया
		जून 1973	50.00	गन्ना-देयों के भुगतान हेतु अन्तरिम ऋण	11	50.00	58.48	मार्च 1982 में राज्य सरकार ने मूलधन तथा ब्याज के एक भाग (273.72 लाख रूपये) को नियन्त्रक कम्पनी के सामा-न्य शेयर (इक्विटी) में बदल दिया।
		जनवरी 1979	55.00	गन्ना-देयों के भुगतान हेतु अन्तरिम ऋण	मार्च 1982 में पूँजी में परिवर्तित कर दिया गया			
		जुलाई 1983 से सितम्बर 1984	384.19	तदैव	18.5	384.19	178.40	समय पर पुनर्भुगतान हेत ब्याज का 3.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य थी। किश्तों का भुगतान न करने के कारण कम्पनी ने 30 सितम्बन 1986 तक 29.74 लाख रूपयों की छूट गवां दी ।
5.	आई.एफ.सी.आई. और आई.डी.बी.आई	जून 1985	135.00	विस्तार	14	110.00	—	स्वीकृत (मार्च 1984) ऋण 180 लाख रूपये का था। कम्पनी नें

जून 1985 में मात्र 135 लाख रूपयो का आहरण किया जिसमें से 20 लाख रूपयों का नवम्बर 1985 और मई 1986 में पुनर्भुगतान कर दिया गया। ऋण के आहरण में विलम्ब के कारण कम्पनी को अक्टूबर 1985 से सितम्बर 1986 के दौरान 1.63 लाख रूपयों के वचनबद्धता प्रभारों का भुगतान करना पड़ा ।

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्य पूँजी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने शुगर भण्डार की प्रत्याभूति पर बैंकों से कैश क्रेडिट लिया गया जिस पर 30 सितम्बर 1986 को भुगतान न किये गये धन का शेष 286.19 लाख रूपये (अधिकतम सीमा 800 लाख रूपये) था ।

2.क.5 फैक्टरी का प्रारम्भीकरण (कमिशनिंग)

भारत के नियन्त्रक - महालेखा परीक्षक के वर्ष 1974-75 (वाणिज्यिक) प्रतिवेदन के प्रस्तर 34 में एवं तत्पश्चात् वर्ष 1975-76 के प्रतिवेदन के प्रस्तर 2.25 में चीनी संयंत्र के क्रय के विषय में उल्लेख किया गया था। कलकत्ता की फर्म के साथ सम्पादित संविदा के अनुसार, संयंत्र एवं उपस्कर उपकरणों का प्रतिष्ठापन एवं परिचालन 157.97 लाख रूपये की लागत पर 15 अक्टूबर 1973 तक पूर्ण होना था जो वास्तव में 225.85 लाख रूपये की लागत पर 20 मार्च 1974 को पूर्ण किया गया ।

निम्नांकित और बिन्दु भी देखे गये:

(क) संयंत्र एवं उपस्कर के विक्रेताओं ने प्रतिदिन 2000 टन गन्ने की पेराई (टी.सी.डी.) की गारण्टी दी थी तथा कार्य सम्पादन गारण्टी को उस समय पूरी हो गयी माना जाना था जब मशीन और उपस्कर चालू होने अर्थात् 1974-75 के बाद उपलब्ध पेराई मौसम में 7 लगातार दिनों की अवधि में प्रतिदिन 2000 टन गन्ने को हैण्डिल कर लें । आपूर्ति कर्त्ताओं ने 1974-75 के दौरान कार्य सम्पादन परीक्षण हेतु संयंत्र को उपयुक्त नहीं समझा और इसलिये वे 1975-76 में कार्यसम्पादन परीक्षण देने के लिये इच्छुक थे जो कम्पनी को मान्य नहीं था । फिर भी , चूँकि आपूर्तिकर्त्ता

1975-76 में भी कार्यसम्पादन परीक्षण देने में असफल रहे, कम्पनी ने अनुबन्ध के अनुसार आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत 16.79 लाख रूपये मूल्य की तीनों गारण्टियों (चालू करने में विलम्ब के लिये: 7.89 लाख रूपये और कार्य सम्पादन गारणटी के लिये : 8.90 लाख रूपये) को भुनाने का प्रयास किया (दिसम्बर 1976) किन्तु आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा न्यायालय में वाद दायर करने के कारण गारण्टियां भुनाई नहीं जा सकीं । जैसा कि कम्पनी एवं आपूर्तिकर्त्ता के मध्य सहमति हुयी थी (फरवरी 1979) कम्पनी 17.13 लाख रूपये के दावे के साथ जुलाई 1979 में विवाचक (आर्बीट्रिटर) के समक्ष गयी जिसके विरूद्ध विवाचक द्वारा फरवरी 1985 में मात्र एक लाख रूपये हेतु दावा अनुमत किया गया । उक्त निर्णय के विरूद्ध कम्पनी ने 1985 में सहायक जिला जज, अलीपुर (कलकत्ता) के न्यायालय में आपत्ति दायर की । आगे प्रगति की प्रतीक्षा थी (सितम्बर 1987) ।

(ख) अनुबन्ध के अनुसार विक्रेता उसके किसी भी मशीनरी या उपस्कर की चालू होने के बाद दो वर्ष की रख-रखाव अवधि के दौरान निःशुल्क मरम्मत करने / प्रतिस्थापित करने के लिये दायी थे । संयंत्र के परिचालन के दौरान बहुत से दोष (जैसे संस्थापन दोष, रूपांकन दोष, परिचालन व्यवस्था में दोष, दोषपूर्ण फिल्टर प्रेस की आपूर्ति एवं न्यून क्षमता वाले मदों की आपूर्ति) देखे गये तथा कम्पनी ने इनके सुधार के लिये आपूर्तिकर्त्ताओं को सूचित किया (अप्रैल 1974) । उत्तर (मई 1974) में आपूर्तिकर्त्ताओं ने मिलिंग संयंत्र (जिसकी आपूर्ति उन्होंने नहीं की

थी) में दोष बताया तथा अनुभवहीन कर्मचारियों द्वारा संयंत्र के दोषपूर्ण संचालन को गड़बड़ी (ब्रेक डाउन) का कारण बताया ।

फिर भी कम्पनी ने संयंत्र की क्षमता का निर्धारण कभी नहीं किया तथा संयंत्र एवं उपस्कर की कमियों को एवं अक्षमताओं का दूर करने के लिये थोड़ा-थोड़ा पूँजी निवेश करती रही । 1973-74 से 1980-81 के दौरान 143.96 लाख रूपये का अतिरिक्त पूँजी ब्यय किया गया । इसके बावजूद, 2000 टी.सी.डी. की निर्धारित क्षमता प्राप्त नहीं की जा सकी ।

(ग) आपूर्तिकर्त्ताओं के विरूद्ध 12.25 लाख रूपये के दावे (न्यून क्षमता वाले मदों की आपूर्ति हेतु 3.58 लाख रूपये, रख-रखाव अवधि के दौरान मरम्मत तथा प्रतिस्थापनों हेतु 2.53 लाख रूपये, कार्य चालन सुविधायें सृजित करने हेतु 3.82 लाख रूपये, कम्पनी द्वारा आपूर्तित सामग्री हेतु 2.22 लाख रूपये तथा आपूर्ति न किये गये पुर्जों हेतु 0.10 लाख रूपये) के सम्बन्धा में विवाचन हेतु कम्पनी निदेशक, नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट के समक्ष गयी (अप्रैल 1979) । कुछ समय तक मामले की सुनवायी के बाद निदेशक ने इस आधार पर विवाचक बने रहने से इंकार कर दिया कि आपूर्तिकर्त्ता विषय को तकनीकी आधार की अपेक्षा विधिक पहलुओं के दृष्टिकोण से अधिक ले रहे थे । आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा यह सूचित किये जाने पर (जून 1986) कि अनुबन्ध के अनुसार विषय अवधि-सीमा से बाधित हो गया है, कम्पनी ने विवाचक की नियुक्ति के लिये आर्बीट्रेशन ऐक्ट की धारा 20 के अन्तर्गत सिविल जज, नैनीताल के न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया

(अक्टूबर 1986)। आगे प्रगति की प्रतीक्षा थी (मार्च 1988)।

2.क.6 विस्तार कार्यक्रम

गन्ना पेराई क्षमता के 2000 से 3000 टी.सी.डी. तक विस्तार हेतु, औद्योगिक लाइसेन्स मिलने (मई 1977) के बाद निदेशक मण्डल ने 440 लाख रूपये की लागत पर टूथ्ड रोलर प्रेशर फीडिंग (टी.आर.पी.एफ.) प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा विस्तार का अनुमोदन कर दिया (मार्च 1982) विस्तार परियोजना 356.10 लाख रूपये की लागत पर 31 दिसम्बर 1983 तक पूर्ण हुयी।

मशीनरी एवं उपस्कर की आपूर्ति एवं प्रतिष्ठापन हेतु कम्पनी ने लखनऊ की एक फर्म के साथ 73.91 लाख रूपये (निजी सामग्री 28.85 लाख रूपये एवं क्रय की गयी सामग्री 45.06 लाख रूपये) का एक अनुबन्ध किया (जुलाई 1982)। फर्म से अपेक्षित था कि वह 7 नवम्बर 1982 तक आपूर्तियां पूरी कर दे तथा विस्तारित संयंत्र को परिचालित करने के लिये 15 नवम्बर 1982 तक तैयार कर दे। 22 घन्टे के एक कार्य दिवस में 2500 टी.सी.डी. की निर्धारित पेराई देने के लिये प्रथम कार्य सम्पादन परीक्षण जनवरी 1983 के अन्त तक तथा 3000 टी.सी.डी. की निर्धारित पेराई प्राप्त करने के लिये द्वितीय परीक्षण मार्च 1983 के अन्त तक देना था।

फर्म ने 31 दिसम्बर 1982 तक उपस्करों की आपूर्ति की तथा उनको परिचालित किया। इस प्रकार 6 सप्ताह का विलम्ब हुआ जिसके लिये अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार

आपूर्तिकर्त्ता 1.54 लाख रूपयों के अपाकृत हर्जाने के भुगतान हेतु दायी थे किन्तु जिसकी वसूली नहीं की गयी ।

अनुबन्ध के अनुसार, यदि परिचालन के बाद उपलब्ध प्रथम पूर्ण पेराई मौसम में संयंत्र निरन्तर 5 दिनों की अवधि में 3000 टी.सी.डी. कार्य करता तो कार्य सम्पादन गारण्टी को पूर्ण हो गयी मान लिया जाना था ऐसा न होने पर कार्यसम्पादन परीक्षण आगामी पेराई मौसम में किये जाने थे और यदि विस्तारित संयंत्र इच्छित कार्यसम्पादन न दे सका तो क्रेता को बैंक गारण्टियों को भुना लेने का अधिकार था ।

यद्यपि संयंत्र 31 दिसम्बर 1982 को चालू हो गया था आपूर्तिकर्त्ता 1982-83 के पेराई मौसम में कार्यसम्पादन परीक्षण देने में विफल रहे । आपूर्तिकर्त्ता एवं नियन्त्रक कम्पनी के अधिकारियों के मध्य जून 1983 में हुई बैठक में, 2500 टी.सी.डी. के लिये प्रथम स्तर कार्यसम्पादन परीक्षण निरस्त कर दिया गया था। द्वितीय स्तर परीक्षण 7 फरवरी से 11 फरवरी 1984 के दौरान किया गया जिसमें 3000 टी.सी.डी. की लगातार पेराई एवं 94.5 प्रतिशत की कम की गयी मिल निकासी (रिड्यूस्ड मिल एक्सट्रेक्शन), प्राप्त नहीं की जा सकी । तृतीय मौसम में 11 जनवरी से 15 जनवरी 1985 के दौरान कार्यसम्पादन परीक्षण पुनः किया गया तथा प्रबन्धकों द्वारा गारण्टी पूर्ण हो गयी पायी गयी।

चूँकि संयंत्र के चालू होने के बाद द्वितीय पेराई मौसम में द्वितीय प्रयास में भी आपूर्तिकर्त्ता अनुबन्धित कार्यसम्पादन देने

में विफल रहे, अतः कार्यसम्पादन गारण्टी के न भुनाये जाने के कारण आपूर्तिकर्त्ता को 5.77 लाख रूपये का अनुचित आर्थिक लाभ दिया गया । आपूर्ति में विलम्ब हेतु कम्पनी ने 2.69 लाख रूपये के क्षतिपूर्ति हर्जानों (1.54 लाख रूपये) तथा घटी हुयी मिल निकासी में गिरावट हेतु (1.15 लाख रूपये) का दावा न करके भी आपूर्तिकर्त्ता को अनुचित आर्थिक लाभ दिया ।

2.क.7 स्वच्छ करने की प्रक्रिया में रूपान्तरण

लाइम स्टोन की कमी एवं उच्च दरों तथा कोक की प्राप्ति में कठिनाई को देखते हुये बोर्ड ने 62.50 लाख रूपये की अनुमानित लागत पर कार्बोनिशन से दोहरे सल्फीटेशन में प्रक्रिया के रूपान्तरण को अनुमोदित किया (फरवरी 1984) । प्रक्रिया में परिवर्तन से प्रति मौसम 17.59 लाख रूपये की बचत का अनुमान लगाया गया था । बोर्ड ने परिवर्तन को 4 माह की अवधि के अन्दर पूर्ण कर लेने की इच्छा प्रकट की थी । किन्तु यह देखा गया कि मशीनरी के लिये आदेश फरवरी 1985 में दिये गये एवं प्रक्रिया 75.05 लाख रूपये की लागत पर 14 जनवरी 1986 से परिवर्तित की गयी । यह अनुमान लगाया गया था कि प्रक्रिया में इस परिवर्तन से 200 श्रमिकों को निर्मुक्त करने से श्रममूल्य मे प्रति मौसम 7.70 लाख रूपयों की बचत होगी किन्तु यह देखा गया कि जनवरी 1986 में प्रक्रिया में परिवर्तन के बाद भी कोई श्रमिक निर्मुक्त नहीं किया गया ।

इसके अतिरिक्त, प्रक्रिया में परिवर्तन के समय जैसा कि संकल्पित किया गया था, लाइम स्टोन एवं कोक की खपत में कमी नहीं हुई तथा इन सामग्रियों का उपभोग का रूप 1986-87 में भी बना रहा ।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1987) कि निधि के अभाव के कारण प्रक्रिया में परिवर्तन में विलम्ब हुआ तथा राज्य सरकार के निर्देशों (जुलाई 1982) को दृष्टिगत रखते हुये श्रमिकों की छँटनी नहीं की गयी ।

इस प्रकार, स्वच्छ करने की प्रक्रिया में परिवर्तन पर किये गये 75.05 लाख रूपये के व्यय से वांछित परिणाम की प्राप्ति नहीं हुयी ।

2.क.8 गन्ने की उपलब्धता

आरम्भ में कम्पनी को गन्ना आयुक्त द्वारा 392 ग्रामों मे फैला हुआ 1.70 लाख हेक्टेयर का आरक्षित क्षेत्र आवंटित किया गया था (1974 -75) । जब 1983-84 मौसम से मिल की पेराई क्षमता बढ़ाकर 2000 टी.सी.डी. से 3000 टी.सी.डी. कर दी गयी तब आरक्षित क्षेत्र 1986-87 में गन्ना आयुक्त द्वारा घटाकर 292 ग्रामों में फैले हुये 1.03 लाख हेक्टेयर कर दिया गया । गन्ना आयुक्त के निर्देशों (अगस्त 1981) के अनुसार कोई चीनी मिल, क्षेत्र में सम्पूर्ण उत्पादन के 85 प्रतिशत से अधिक की प्राप्ति नहीं कर सकती थी । निम्नांकित सारणी 1981-82 से 1986-87 के दौरान गन्ना क्षेत्र, क्रय के लिये उपलब्ध गन्ना एवं वस्तुत: क्रय किये गये गन्ने के विवरण सूचित करती है:

वर्ष	गन्ना क्षेत्र (एकड़)	पैदावार	पैदावार का 85 प्रतिशत	संस्थापित क्षमता के अनुसार आवश्यकता	वस्तुत: क्रय की गयी मात्रा
1	2	3	4	5	6
		(लाख कुन्तलों में)			
1981-82	34810	76.93	65.39	36.00	36.69

1	2	3	4	5	6
		(लाख कुन्तलों में)			
1982-83	40410	77.57	65.93	36.00	29.61
1983-84	37146	74.92	63.68	54.00	29.92
1984-85	28160	59.23	50.34	54.00	29.24
1985-86	28032	61.00	51.85	54.00	34.49
1986-87	31078	69.15	58.77	54.00	53.20

उपर्युक्त से यह प्रतीत होगा कि क्षेत्र में उत्पादित गन्ना, 1984-85 और 1985-86 के दौरान मिल की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त नहीं था । अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह दर्शा सके कि 1982-83 से 1985-86 के दौरान आवश्यकता की तुलना में गन्ने की अपेक्षाकृत कम मात्रा क्यों क्रय की गयी। 1986-87 के दौरान में उच्चतर प्राप्ति मुख्यत: इन कारणों से थी (।) कम्पनी को अतिरिक्त आरक्षित क्षेत्र का आवंटन तथा फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि और (।।) गन्ना उठाने में सम्बन्धित मिलों की अक्षमता की दृष्टि से कुछ अन्य क्षेत्रों से गन्ना आयुक्त द्वारा गन्ने का व्यावर्तन (डाइवर्ज़न) ।

2.क.9 क्षमता उपभोग

2000 टी.सी.डी. की प्रतिष्ठापित क्षमता 1983-84 मौसम से 3000 टी.सी.डी. बढ़ा दी गयी । निम्नांकित सारणी,

तीन पालियों में 180 दिन के कार्यचालन के सामान्य मौसम में 1986–87 तक 6 वर्षों के दौरान वस्तुतः पेरे गये गन्ने तथा संयंत्र क्षमता के उपयोग की मात्रा सूचित करती है:

मौसम	180 दिनों के सामान्य मौसम में गन्ना पेराई की संस्थापित क्षमता	पेरा गया गन्ना	पेराई के वास्तविक दिन	क्षमता उपयोग (प्रतिशत)
	(लाख कुन्तलों में)			
1981–82	36.00	36.53	235	101.5
1982–83	36.00	28.04	165	77.9
1983–84	54.00	29.85	142	55.3
1984–85	54.00	29.16	118	54.0
1985–86	54.00	34.41	140	63.7
1986–87	54.00	53.10	206	98.3

356.10 लाख रूपयों की लागत पर 1983–84 मौसम से पेराई क्षमता 36 लाख कुन्तल से 54 लाख कुन्तल बढ़ाने के बावजूद, प्रबन्धक 1983–84 से 1985–86 के दौरान 80 प्रतिशत की भी निर्धारित क्षमता प्राप्त करने में विफल रहे । परिणामतः सम्बन्धित वसूली प्रतिशतता एवं औसत विक्रय वसूली मूल्य पर आगणित 14.08 करोड़ रूपये मूल्य की चीनी के उत्पादन की हानि हुयी । इसके अतिरिक्त, 1986–87 के दौरान 98.3 प्रतिशत का क्षमता उपयोग मुख्यतः पेराई के बढ़ाये गये 26 दिवसों के कारण था ।

2.क.10 कार्य अवधि की हानि

निम्नांकित सारणी 1986-87 तक के छः वर्षों के दौरान पेराई के लिये उपलब्ध कुल घन्टों तथा पेराई घन्टों की हानि संक्षेप में प्रस्तुत करती है:

	1981 -82	1982 -83	1983 -84	1984 -85	1985 -86	1986 -87
पेराई हेतु उपलब्ध घन्टे	5636	3977	3380	2819	3336	4923
निम्न कारणों से नष्ट हो गये घन्टे:						
गन्ना नहीं	96	98	131	118	278	137
यांत्रिक व्यवधान	155	262	385	63	51	66
सामान्य सफाई कार्य	410	294	236	136	203	324
विविध	460	336	122	156	68	117
योग-	**1121**	**990**	**874**	**473**	**600**	**644**
वास्तविक पेराई के घन्टे	4515	2987	2506	2346	2736	4279
उपलब्ध घन्टों से नष्ट हो गये घन्टों की प्रतिशतता	19.9	24.9	25.9	16.8	17.9	13.1

प्रबन्धकों ने समय की उच्चतर हानि का कारण यान्त्रिक व्यवधान के अन्तर्गत 1982-83 में नयी टी.आर.पी.एफ. प्रौद्योगिकी (टेक्नालाजी) का अधिष्ठापन बताया । 1985-86 में गन्ना न होने के कारण बन्द होना उच्चतर गन्ना मूल्य हेतु गन्ना-उत्पादकों द्वारा आन्दोलन का किया जाना बताया गया । 1984-85 की तुलना में अन्य वर्षों में सामान्य स्वच्छता हेतु तथा विविध कारण जिनके लिये अधिक घन्टे नष्ट हुये के कारण सूचित नहीं किये गये ।

2.क.11 चीनी की हानि

1986-87 तक 6 वर्षों के दौरान गन्ने में चीनी का अंश, प्राप्त की गयी चीनी की मात्रा एवं शीरा तथा खोई में नष्ट हो गयी चीनी की मात्रा के विवरण नीचे दिये जाते हैं:

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
			(लाख कुन्तलों में)			
1	2	3	4	5	6	7
पेरा गया गन्ना	36.53	28.04	29.85	29.16	34.41	53.10
उत्पादित चीनी	3.34	2.46	2.74	2.75	3.33	4.95
			(प्रतिशत)			
गन्ने में चीनी का अंश	11.70	11.75	11.67	11.76	11.94	11.73
गन्ने से चीनी की प्राप्ति	9.08	8.73	9.11	9.35	9.47	9.31

1	2	3	4	5	6	7
			(प्रतिशत)			
निम्नांकित में खो दी गई चीनी—						
शीरा	1.10	1.28	1.18	1.21	1.40	1.38
खोई	1.29	1.43	1.14	0.91	0.87	0.88
फिल्टर केक (प्रेसमड)	0.13	0.14	0.14	0.15	0.10	0.06
अनवधारित (अनडिटरमाइन्ड)	0.10	0.17	0.10	0.14	0.10	0.10
कुल खो दी गई चीनी की मात्रा	**2.62**	**3.02**	**2.56**	**2.41**	**2.47**	**2.42**

चीनी उद्योग जाँच आयोग ने अपने प्रतिवेदन (1974) में संवीक्षा की थी कि चीनी की हानि शीरा में 1.4 प्रतिशत, खोई में एक प्रतिशत तथा प्रेसमड एवं अनवधारित के वर्गों में प्रत्येक में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। उक्त अवधि के दौरान सम्बन्धित वर्षों के औसत बिक्री मूल्य पर खोई प्रेसमड तथा अन्यों में प्रतिमानों से नष्ट हो गयी अधिक चीनी का मूल्य 119.52 लाख रूपये आया ।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1987) कि गन्ने में रेशे के प्रतिशत एवं फसल-जलवायु सम्बन्धी अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुये चीनी की हानियां असामान्य रूप से अधिक नहीं थीं।

प्रबन्धकों का उत्तर तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं था; विशेषकर जब कि वर्ष 1975-76 से 1980-81 के दौरान मिल द्वारा प्राप्त चीनी की वसूली की प्रतिशतता 9.53 तथा 10.16 के मध्य रही ।

2.क.12 उत्पादन की लागत

निम्नांकित तालिका 1985-86 तक पांच वर्षों के दौरान उत्पादन की लागत, विक्रय की लागत तथा वसूल किये गये औसत विक्रय मूल्य को संक्षेप में प्रस्तुत करती है:

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
	(चीनी की प्रति कुन्तल लागत रूपयों में)				
कच्चा माल	259.27	264.48	265.11	264.60	284.18
परिवर्तन लागत	101.40	200.90	211.92	192.34	156.64
उत्पादन की लागत	360.67	465.38	477.03	456.94	440.82
पैकिंग और बिक्री व्यय	8.54	11.01	13.29	20.79	14.25
बिक्री की लागत	369.21	476.39	490.32	477.73	455.07
औसत बिक्री प्राप्ति	339.89	331.38	351.10	414.84	467.78

अधिकांश वर्षों में विक्रय की उच्चतर लागत के कारणों का विश्लेषण करते हुये लागत तत्वों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा नीचे की जाती है:

(क) उच्चतर गन्ना मूल्य

प्रत्येक फैक्टरी द्वारा गन्ना उत्पादकों को देय

न्यूनतम मूल्य गत मौसम के दौरान वसूली को ध्यान में रखते हुये गन्ना (नियन्त्रण) आदेश, 1966 के उपवाक्य 3 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा नियत किया जाता है । किन्तु फैक्टरियों द्वारा देय वास्तविक गन्ना मूल्य राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है और इस प्रकार नियत की गयीं दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य से 1981-82 से 1985-86 के दौरान 5.36 रूपये से 6.85 रूपये प्रति कुन्तल अधिक थीं । इन वर्षों के दौरान चीनी मिल द्वारा गन्ना उत्पादकों को भारत सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मूल्य से अधिक भुगतान किये गये गन्ना मूल्य की धनराशि 990.67 लाख रूपये थी, फलत: प्रति कुन्तल चीनी के उत्पादन की लागत में निम्नवत् वृद्धि हुयी:

वर्ष	भुगतान किया गया कुल अतिरिक्त मूल्य (लाख रूपयों में)	लागत में वृद्धि (रूपये/कुन्तल)
1981-82	227.84	68.63
1982-83	176.24	71.92
1983-84	201.43	74.01
1984-85	200.29	73.39
1985-86	184.87	56.68

(ख) गन्ना ढुलाई प्रभार

प्राप्ति केन्द्रों पर क्रय किये गये गन्ने हेतु देय गन्ना मूल्य, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाता है, फैक्टरी द्वार पर गन्ने हेतु देय मूल्य की अपेक्षा 50 पैसे प्रतिकुन्तल कम होता है ।

सरकार द्वारा नियत किये गये गन्ना मूल्य फैक्टरी द्वार पर परिदान हेतु हैं और यदि उत्पादकों द्वारा गन्ने का परिदान प्राप्ति केन्द्रों पर किया जाता है तो मूल्य 50 पैसा प्रतिकुन्तल कम कर दिया जायेगा । औसतन गन्ने की कुल आपूर्ति का दो-तिहाई परिदान प्राप्ति केन्द्रों पर किया जाता है जो यह इंगित करता है कि उत्पादक प्राप्ति केन्द्रों पर निम्नदर पर की गन्ने के परिदान को प्राथमिकता देते हैं । गन्ना मूल्य में मात्र 50 पैसे प्रतिकुन्तल की कमी, उत्पादकों को प्राप्ति केन्द्रों पर गन्ने का परिदान देने से रोकने के लिये पर्याप्त नहीं थी । परिणामस्वरूप, सम्पूर्ण प्राप्ति का दो-तिहाई गन्ना, जो केन्द्रों पर परिदानित किया गया था, कम्पनी को फैक्टरी तक अपनी लागत पर ले जाना पड़ा। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि 1985-86 तक के 5 वर्षों के दौरान 50 पैसा प्रतिकुन्तल की दर पर, कम्पनी द्वारा प्राप्त गन्ना मूल्य में कमी फैक्टरी को गन्ने की ढुलाई पर कम्पनी द्वारा किये गये वास्तविक व्यय की अपेक्षा, निम्न विवरण के अनुसार, अत्यधिक कम थी:

	कम्पनी द्वारा वहन किये गये परिवहन प्रभार	गन्ना मूल्य से घटायी गयी धनराशि
	(लाख रूपयों में)	
1981-82	50.32	13.22
1982-83	49.01	11.45
1983-84	46.14	11.56
1984-85	47.00	11.07
1985-86	50.59	12.21

(ग) **मरम्मत एवं रख-रखाव**

वर्ष 1981-82 के लिये परियोजित लाभकारिता (प्रोजेक्टेड प्राफिटैबिलिटी) का विचार करते समय निदेशक मण्डल ने संवीक्षा की कि मरम्मत एवं रख-रखाव पर व्यय अत्यधिक था और इसे कम करके 16 लाख रूपये वार्षिक तक लाने की इच्छा व्यक्त की 1982-83 से 1985-86 के दौरान इस मद पर का व्यय वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ रहा था जो 40.10 लाख रूपये से लेकर 47.44 लाख रूपये तक था ।

नियन्त्रक कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने निर्धारित किया (जून 1983) कि गत मरम्मतों की तिथि, मूल्य एवं प्रकार को दर्शाते हुये प्रत्येक प्रमुख उपस्कर के अभियन्त्राण अभिलेख का रख-रखाव किया जाय । कम्पनी द्वारा ऐसे अभिलेखों का रख-रखाव इस आधार पर नहीं किया गया कि सीमित तकनीकी स्टाफ था ।

2.क.13 बिक्रियों का कार्यसम्पादन

2.क.13(क) भारत सरकार द्वारा निर्धारित लेवी चीनी का कोटा, राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (कोआपरेटिव फेडरेशन) के माध्यम से मुक्त किया जाता है । मुक्त बिक्री हेतु चीनी के सम्बन्ध में निर्माण के 16 वर्षों से अधिक के बाद भी कम्पनी के पास अपना विपणन संगठन नहीं है । नियन्त्रक कम्पनी द्वारा मुक्त चीनी की बिक्री सम्पूर्ण प्रदेश एवं दिल्ली में नियुक्त बिक्रय एजेण्टों के माध्यम से की जाती है । नियन्त्रक कम्पनी विक्रय-

तिथि, उठाने की अन्तिम तिथि, गुणवत्ता, मात्रा एवं दरों को दर्शाते हुये विक्रय एजेण्टों की विक्रय सूचनायें निर्गत करती है। विक्रय एजेण्ट कम्पनी को भुगतान करने के बाद या तो स्वयं अथवा अपने घटक (कान्स्टीचुएण्ट) द्वारा चीनी का परिदान लेता है । जाँच-परीक्षण में यह देखा गया कि एक ही प्रकार की गुणवत्ता वाली चीनी विभिन्न मिल-बाह्य (एक्स-फैक्टरी) दरों पर बेची गयी जैसे 19 अगस्त 1985 को एम-30 चीनी 630 रूपये, 634 रूपये तथा 638 रूपये की दर पर बेची गयी । 20 अगस्त 1985 को सात विक्रय सूचनाओं के माध्यम से एक ही गुणवत्ता वाली चीनी 618 रूपये और 640 रूपये प्रतिकुन्तल के मध्य विभिन्न दरों पर बेची गयी, परिणामस्वरूप, इन दोनों तिथियों पर 2880 कुन्तल चीनी की बिक्री पर 0.34 लाख रूपये की बिक्री वसूली कम हुयी।

कम्पनी ने इन विभिन्नताओं का कारण निश्चित नहीं किया । यह बताया गया (सितम्बर 1987) कि यह ज्ञात नहीं है कि नियन्त्रक कम्पनी द्वारा बिक्रियां कैसे कार्यान्वित कीं गयीं । जनवरी 1988 में मांगी गयी नियन्त्रक कम्पनी की टिप्पणी अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है (मई 1988)।

2.क.13(ख) मुक्त विक्रय कोटा का व्ययगम (लैप्स)

कम्पनी के पास उपलब्ध मुक्त विक्रय हेतु चीनी में से, चीनी निदेशालय एक माह के दौरान विक्रय के लिये कोटा मुक्त करता है और मास की समाप्ति पर बची हुयी अबिक्रीत मात्रा व्ययगत हो जाती है।

निम्नलिखित सारणी 1985-86 तक तीन वर्षों के दौरान कम्पनी के पास उपलब्ध मुक्त बिक्री हेतु चीनी की मात्रा, मुक्त की गयी मात्रा एवं व्यपगत हुयी मात्रा सूचित करती है:

वर्ष	बिक्री के लिये उपलब्ध मुक्त चीनी की मात्रा	बिक्री के लिये मुक्त की गयी मात्रा	बिक्री की गई मात्रा	व्यपगत (लैप्स्ड) मात्रा
	(कुन्तलों	में)		
1983-84	160494	127748	107916	19832
1984-85	191614	181238	166828	14410
1985-86	168690	148710	117848	30862

चूँकि कार्यचालन पूँजी की आवश्यकतायें बैंकों से नकद साख में से पूरी की जाती हैं, इसलिये मुक्त कोटे के व्यपगम का प्रत्यक्ष प्रभाव ब्याज की देयता पर पड़ता है । प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1987) कि मुक्त विक्रय नियन्त्रक-कम्पनी द्वारा सम्पादित होता है और यह कि उत्तर उनके द्वारा दिया जायेगा । अनुस्मारकों के बावजूद नियन्त्रक कम्पनी की टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुयीं।

2.क.13(ग) क्षति मूल्यों (डैमेजेज़) एवं अर्थदण्ड का न लगाया जाना

नियन्त्रक कम्पनी द्वारा विक्रय एजेण्टों के साथ सम्पादित अनुबन्धों की शर्तों में अनुबन्धित दर एवं दर जिस पर चीनी का वास्तव में विक्रय किया गया, के अन्तर के आधार पर आगणित क्षति मूल्यों के अतिरिक्त 5 रूपये से 10 रूपये प्रतिकुन्तल तक एजेण्टों द्वारा चीनी न उठाने के लिये अर्थदण्ड हेतु प्रावधान है । यद्यपि

कम्पनी ने प्रतिमाह एजेण्टों द्वारा न उठायी गयीं मात्राओं का विवरण नियन्त्रक कम्पनी को प्रस्तुत कर दिया था तथापि उन मामलों पर, जिनमें अर्थदण्ड / क्षतिमूल्य आरोपित नहीं किय गये, कोई दृष्टि नहीं रखी गयी । अभिलखों के जाँच-परीक्षण से पता चला कि 1984-85 एवं 1985-86 के दौरान एजेण्टों द्वारा न उठायी गयी 60382 कुन्तल चीनी में से मात्र 14153 कुन्तल चीनी के सम्बन्ध में अर्थदण्ड लगाया गया तथा शेष 46229 कुन्तल चीनी की मात्रा पर 5 रूपये प्रतिकुन्तल की न्यूनतम दर पर 2.31 लाख रूपयों का अर्थदण्ड नहीं लगाया गया ।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1987) कि नियन्त्रक कम्पनी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है ।

2.क.13(घ) शीरा की बिक्री

शीरा की बिक्री उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण अधिनियम, 1964 द्वारा नियन्त्रित होती है जिसके अन्तर्गत अधिनियमों में निर्धारित मूल्यों पर बिक्री तथा आपूर्ति हेतु आसवनियों को आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियन्त्रक द्वारा प्राधिकार निर्गत किये जाते हैं ।

निम्न सारणी 1985-86 तक 5 वर्षों के दौरान शीरे का उत्पादन, कमी/छीजन, बिक्रियां एवं अन्तशेष के विवरण दर्शित करती है:

वर्ष	उत्पादन	छीजन/कमी(-) और अधिशेष(+)	बिक्रियां	अन्तशेष
1	2	3	4	5
		(कुन्तलो में)		
1981-82	147630	—	63662	109474

1	2	3	4	5
		(कुन्तलों में)		
1982–83	109167	(–)11075	66419	141147
1983–84	102450	(–)18555	177803	47239
1984–85	110305	(+)2068	128056	31556
1985–86	157041	——	137113	51484

निम्नांकित बिन्दु देखे गये:

(I) 1981–82 एवं 1982–83 के दौरान अधिकतम भण्डार रखा गया था जब कम्पनी की भण्डारण क्षमता 1,22,600 कुन्तल थी । फिर भी यह देखा गया कि 38,400 कुन्तल भण्डारण क्षमता वाले पक्के खुले हुये टैंक संख्या–1 एवं 2 में 31 मार्च 1983 को 49,565 कुन्तल शीरा भण्डारित किया गया दिखाया गया था जो यह सूचित करता है कि बह जाने के कारण 11075 कुन्तल शीरे (मूल्य 0.66 लाख रूपये) की हानि हुयी थी जिसके लिये कम्पनी द्वारा जाँच–पड़ताल नहीं की गयी । यह बताया गया (सितम्बर 1987) कि अन्य टैंकों में गत वर्षों का शीरा भण्डारित किया गया था तथा वर्तमान वर्ष के उत्पादन को पुराने शीरे में मिश्रित करना अनुज्ञेय नहीं था । यह भी बताया गया कि कम्पनी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर कमी हेतु आबकारी शुल्क आबकारी विभाग द्वारा दिसम्बर 1986 में छोड़ दिया गया ।

(II) 6 सितम्बर 1984 को अधीक्षक, केन्द्रीय आबकारी

द्वारा वार्षिक भौतिक सत्पयापन के दौरान, 18,555 कुन्तल शीरा (मूल्य : 1.08 लाख रूपये) कम पाया गया । न तो भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन और न ही इस विषय पर कार्यवाही की जांच की जा सकी क्योंकि सम्बन्धित पत्रावली को, अतिरिक्त कलेक्टर, केन्द्रीय आबकारी के पास लम्बित एक अपील के सम्बन्ध में अधिवक्ता के पास होना बताया गया (सितम्बर 1987) ।

(III) 30 सितम्बर 1986 के अन्तशेष में, वर्ष 1979-80 (5,988 कुन्तल) एवं 1981-82 (22,689 कुन्तल) से सम्बन्धित वर्षा जल में मिश्रित 28,677 कुन्तल शीरा सम्मिलित था । दिसम्बर 1985 मे शीरे का नीलाम किया गया किन्तु वह उठाया नहीं गया । बोर्ड ने इस शीरे का 0.86 लाख रूपये का आबकारी शुल्क, यदि आबकारी प्राधिकारियों द्वारा न छोड़ा जाय, जमा करने के बाद बहाकर निकाल देने का सुझाव दिया (जून 1986) था । यह शीरा अभी भी भण्डार में पड़ा था । यह बताया गया (सितम्बर 1987) कि आबकारी विभाग द्वारा शीरा बिक्री हेतु अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है (जनवरी 1986) और 10,000 रूपयों के अर्थदण्ड के साथ 3 रूपये प्रतिकुन्तल के शुल्क की मांग की गयी है (जुलाई 1986)। प्रत्याभूति के रूप में दिसम्बर 1986 में 0.45 लाख रूपय जमा करने के बाद कम्पनी ने अपील दायर कर दी है जो लम्बित है (सितम्बर 1987) ।

2.क.14 भण्डार-सूची नियन्त्रण

अगस्त 1981 में हुई अपनी बैठक में परिषद् ने नोट किया कि कम्पनी, भण्डार-सूची के अत्यधिक भण्डार के कारण

अनावश्यक रूप से भारी ब्याज वहन कर रही थी इसलिये इच्छा व्यक्त की कि भण्डार-सूची मन्द गति वाले और तीव्र गति वाले मदों में विश्लेषित कर दी जानी चाहिये ताकि भण्डार-सूची को कम करने के लिये उपाय किये जा सकें । परिषद् ने ए.बी.सी. भण्डार-सूची विश्लेषण को 30 सितम्बर 1982 तक पूर्ण करने के लिये तथा भण्डार-सूची को कम करके 25 लाख रूपये के स्तर तक लाने के लिये प्रयास करने के लिये कार्यकारी निदेशक को पुन: निर्देश दिये (नवम्बर 1981 तथा मार्च 1982) ।

उपर्युक्त निर्देशों के बावजूद, भण्डार - सूची का ए.बी.सी. विश्लेषण नहीं किया गया । भण्डार-सूची के न्यूनतम, अधिकतम एवं पुन: व्यवस्थित करने (रिआर्डरिंग) के स्तर भी नियत नहीं किये गये । ए.बी.सी. विश्लेषण न करने के कारण न तो अभिलेखों में थे और न ही लेखा परीक्षा को सूचित किये गये। भण्डार-सूची 1982-83 में 51.50 लाख रूपयों से 1985-86 के अन्त तक 78.87 लाख रूपये तक निरन्तर बढ़ती गयी। निम्नांकित तालिका 1982-83 से 1985-86 की समाप्ति पर भण्डार-सूची के वर्गवार ब्योरे दर्शित करती है:

वर्ग	की समाप्ति पर भण्डार-सूची का मूल्य			
	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
1	2	3	4	5
		(लाख रूपयों में)		
निर्माण भण्डार	3.92	4.92	4.68	9.28
पैकिंग सामग्री	0.64	0.25	0.40	0.22

1	2	3	4	5
सामान्य भण्डार	6.05	6.88	5.88	4.26
इंजीनियरिंग भण्डार	39.89	41.68	48.06	54.53
भवन सामग्री	1.00	1.37	0.76	0.56
अधिशेष संयंत्र तथा मशीनरी	—	12.23	13.05	10.02
योग–	**51.50**	**67.33**	**72.83**	**78.87**

30 सितम्बर 1986 को भण्डार-सूची में निम्नांकित सम्मिलित थे:

(क) सितम्बर 1976 में दिये गये आदेश के समक्ष पश्चिम जर्मनी की एक फर्म से दो सेफ्टी गवर्नर कम्पलीट खरीदे गये थे और 5.19 लाख रूपयों की लागत पर 1977 में प्राप्त हुये थे । अतिरिक्त पुर्जों की आवश्यकता को दर्शित करने वाला कोई मांगपत्र भी उपलब्ध नहीं था ।

(ख) अगस्त 1983 में प्रेषित एक आदेश के समक्ष 7.74 लाख रूपयों की लागत पर कम्पनी द्वारा 3000 पीतल के ट्यूब खरीदे गये थे (मार्च 1984) । 30 सितम्बर 1986 तक केवल 362 ट्यूबों का प्रयोग किया जा सका तथा शेष 2638 ट्यूब (मूल्य : 6.57 लाख रूपये) अभी भी (सितम्बर 1987) भण्डार में पड़े थे ।

(ग) पुराने संयंत्र और मशीनरी के 10 मद जिनका अवलिखित (रिट्न डाउन) मूल्य 10.02 लाख रूपये (मूल मूल्य : 63.30 लाख रूपये) था, और जो पहले से ही कम्पनी की

आवश्यकता की दृष्टि से अधिशेष थे, विस्तार कार्यक्रम के दौरान 1982-83 और 1983-84 में भण्डार में ले लिये गये थे। उनका निस्तारण अभी तक (अगस्त 1987) नहीं किया गया है।

(घ) 4.56 लाख रूपये मूल्य के पाइप और फिटिंग, अतिरिक्त पुर्जों और लोहा तथा स्पात की 148 मदों का गत तीन वर्षों के दौरान उपभोग नहीं किया गया।

2.क.15 आर्थिक स्थिति

कम्पनी द्वारा अंगीकृत लेखाकरण वर्ष एक अक्टूबर से 30 सितम्बर है। निम्नांकित सारणी 30 सितम्बर 1986 तक पांच वर्षों की समाप्ति पर कम्पनी के वित्तीय परिणामों को सूचित करती है:

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
1	2	3	4	5	6
	(लाख रूपयों में)				
क. देयतायें					
1. प्रदत्त पूँजी (शेयर पूँजी के समक्ष अग्रिम सहित)	627.66	680.76	684.84	703.77	703.77
2. आरक्षित निधियां तथा अधिशेष	75.89	78.39	98.89	101.63	111.49
3. ऋण	643.42	870.03	1062.19	808.12	926.38

1	2	3	4	5	6
(लाख रूपयों में)					
4. व्यापारिक देय एवं अन्य वर्तमान देयतायें	372.82	478.65	538.67	653.69	725.36
योग–	**1719.79**	**2107.83**	**2384.59**	**2267.21**	**2467.00**
ख. परिसम्पत्तियाँ					
1. ग्रॉस ब्लॉक	598.42	759.41	847.30	859.84	962.14
2. घटाया : मूल्य ह्रास	313.81	388.88	451.06	510.21	576.71
3. निवल अचल– परिसम्पत्तियाँ	284.61	370.53	396.24	349.63	385.43
4. प्रगतिगत पूँजी कार्य	106.79	104.47	15.82	54.47	19.49
5. निवेश	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
6. वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम:					
(क) भण्डार–सूची	548.16	492.34	474.44	276.76	517.83
(ख) विविध देनदार	8.45	7.11	2.27	2.30	6.39
(ग) अन्य	55.04	93.85	51.63	45.41	60.07
7. विविध व्यय	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79
8. संचित हानि	700.93	1023.72	1428.38	1522.83	1461.98
योग–	**1719.79**	**2107.83**	**2384.59**	**2267.21**	**2467.00**

निम्नांकित बिन्दु उल्लेखनीय हैं:

(i) 30 सितम्बर 1986 को 1461.98 लाख रूपयों की संचित हानि प्रदत्त पूँजी का लगभग 207.7 प्रतिशत निरूपित करती थी

(ii) इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार से अध्याप्त (फरवरी 1972) 131.59 लाख रूपये मूल्य की परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में, इस तथ्य के बावजूद कि राज्य सरकार ने परिसम्पत्तियों के विवरण प्रस्तुत करने में अपनी असमर्थता दिखाई (जनवरी 1981), राज्य सरकार से विविध परिसम्पत्तियों की लागत के विवरणों के अभाव में कम्पनी द्वारा अभी तक मूल्यह्रास के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया । परिणामत: संचित हानियाँ 125.01 लाख रूपये (5 प्रतिशत से अवशेष मूल्य के प्रति 6.58 लाख रूपये छोड़कर) अवकथित (अण्डरस्टेटेड) रहीं और परिसम्पत्तियाँ तदनुसार अतिकथित (ओवरस्टेटेड) रहीं ।

प्रबन्धकों द्वारा हानियों के कारण मुख्यतया गन्ने तथा अन्य निवेशों (इनपुट्स) के उच्चतर मूल्य, निम्नतर विक्रय वसूली तथा सरकारी ऋणों पर भारी ब्याज बताये गये (सितम्बर 1987)।

2.क.16 कार्यचालन परिणाम

1985-86 तक पांच वर्षों के दौरान कम्पनी के कार्यचालन परिणाम संक्षेप मे नीचे दिये गये है:

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
1	2	3	4	5	6
व्यय	(लाख	रूपयों	में)		
1. कच्चे माल की खपत	860.70	648.02	721.54	722.12	926.87

1	2	3	4	5	6
			(लाख रूपयों में)		
2. भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जे	86.66	90.61	110.19	140.07	93.03
3. मजदूरी एवं वेतन	115.43	112.00	123.40	134.41	158.18
4. मरम्मत एवं अनुरक्षण	32.06	46.00	40.10	42.71	47.44
5. शक्ति एवं ईंधन	7.19	16.76	15.20	12.94	18.91
6. अन्य व्यय	13.45	16.27	14.73	14.62	18.72
7. मूल्यह्रास	27.93	96.19	91.90	59.02	66.23
8. ब्याज	90.14	148.40	226.42	191.90	186.34
9. विक्रय व्यय	5.39	6.61	7.79	10.77	7.64
योग-	**1238.95**	**1180.86**	**1351.27**	**1328.56**	**1523.36**
उत्पादन का मूल्य एवं अन्य आय/बिक्री	773.45	909.79	994.42	1386.13	1341.58
जोड़/घटाना अभिवृद्धि/ह्रास: स्टाक में	350.36	-62.04	-34.03	-202.88	234.59
उत्पादन मूल्य	1123.81	847.75	960.39	1183.25	1576.17
अन्य आय	1.48	13.74	9.06	7.92	13.50
योग-	**1125.29**	**861.49**	**969.45**	**1191.17**	**1589.67**
कार्यलाभ(+)/ हानि (-)	-113.66	-319.37	-381.82	-137.39	+66.31
स्थानान्तरण: निवेश-भत्ता, प्रारम्भिक मूल्यह्रास एवं शीरा निधि	4.89	45.03	31.68	3.34	15.54
पूर्व वर्ष प्राविधान की आवश्यकता नहीं-वापस लिया	43.90	41.62	8.84	46.27	10.08
निवल लाभ(+)/ हानि (-)	-74.65	-322.78	-404.66	-94.46	+60.85

वर्ष 1985-86 के दौरान लाभ मुख्यतया लेवी चीनी के औसत विक्रय मूल्यों में प्रति कुन्तल 69.69 रूपये (1984-85 में 344.28 रूपये प्रति कुन्तल से 1985-86 में 413.97 रू0प्रतिकुन्तल) तथा मुक्त चीनी के औसत विक्रय मूल्यों में 57.66 रू0 प्रतिकुन्तल (1984-85 में 483.45 रूपये से वर्ष 1985-86 में 541.11 रूपये प्रति कुन्तल) की वृद्धि के कारण थी । मूल्यों में इस वृद्धि का प्रभाव 1985-86 में चीनी के 3.33 लाख कुन्तल उत्पादन पर 212.26 लाख रूपये की सीमा तक था ।

निदेशक मण्डल ने 1982-83 हेतु अनुमानित लाभदायकता विवरणियों की समीक्षा करते समय बढ़ती हुई हानियों पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की (अक्टूबर 1983) और यह निर्णय लिया कि नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट के निदेशक तथा इन्स्टीट्यूट आफ़ मैनेजमेन्ट डेवलपमेंट के एक सदस्य से (I) मिल के खराब कार्यचालन (II) भारी हानियों तथा कम वसूली के कारणों (III) वित्तीय दुर्व्यवस्था आदि की जाँच करने के लिये एक समिति का गठन करने के लिये निवेदन किया जाय । समिति से यह भी अपेक्षित था कि वह दोषों को इंगित करे तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करे और कम्पनी के कार्यचालन में सुधार हेतु प्रतिकारक उपायों का सुझाव भी दे । प्रतिवेदन की अभी भी प्रतीक्षा थी (दिसम्बर 1987) ।

2.क.17 अन्य रोचक विषय

2.क.17(क) सेण्ट्रीफ्यूगल मशीन का क्रय

2 सेण्ट्रीफ्यूगल मशीनों की अभिवृद्धि अनुमोदित करते समय परिषद् ने इच्छा व्यक्त की (जून 1986) कि अधिष्ठापन

कार्य 1986-87 मौसम के प्रारम्भ के पहले अर्थात् नवम्बर 1986 से पूर्व सम्पन्न कर लिया जाय। किन्तु नियंत्रक-कम्पनी द्वारा लगभग 3 माह विलम्ब के पश्चात् कहीं जाकर 7/8 अक्टूबर 1986 को निविदायें आमन्त्रित की गयीं। प्राप्त (28 अक्टूबर 1986) छः निवेदनों मे से नियन्त्रक कम्पनी की क्रय समिति ने फर्म "क" का 11.95 लाख रूपये का प्रथम न्यूनतम निवेदन इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि पार्टी ने ऐसी मशीनों की आपूर्ति पहले नहीं की थी। फर्म "ख" का 14.50 लाख रूपयों का द्वितीय न्यूनतम निवेदन जो तकनीकी रूप से उपयुक्त पाया गया था, इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि निवेदित परि दान अवधि 3 से 4 माह की थी। 15.18 लाख रूपयों का तृतीय न्यूनतम निवेदन भी बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत कर दिया गया। फर्म "ग" का 15.40 लाख रूपयों का चतुर्थ निम्नतम निवेदन इस दलील पर स्वीकार कर लिया गया कि उन्होंनें परिदान 4 सप्ताह के अन्दर तथा चालू करना अगले 2 सप्ताह के अन्दर निवेदित किया था। परिदान एवं चालू करने में विलम्ब के लिये संविदा के 5 प्रतिशत की न्यूनतम शर्त के साथ प्रति सप्ताह आदेश के मूल्य के एक प्रतिशत के अर्थदण्ड का प्रावधान था।

तदनुसार 10 प्रतिशत अग्रिम मूल्य (1.54 लाख रूपये) के साथ कम्पनी द्वारा नवम्बर 1986 में एक आदेश भेजा गया। आदेश की शर्तों के अनुसार, मशीनरी 13 दिसम्बर 1986 तक आपूर्तित तथा 28 दिसम्बर 1986 तक चालू की जानी थी। तथापि आपूर्तियां 23 दिसम्बर 1986 से 3 फरवरी 1987 के दौरान की गयीं और 14/16 फरवरी 1987 को चालू की गयीं। इस प्रकार, मशीनों को चालू करने में 48 दिनों का विलम्ब हुआ

और ठेकेदार से वसूली योग्य 1.08 लाख रूपये (15.40 लाख रूपयों का 7 प्रतिशत) अपाकृत क्षतिपूर्ति की धनराशि वसूल नहीं की गयी । जब कि निदेशक मण्डल ने जून 1986 में निर्णय लिया था, अक्टूबर 1986 में निविदायें आमन्त्रित करने में विलम्ब के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे । यदि निविदायें समय से आमन्त्रित की गयी होती तो मशीने फर्म "ख" से खरीदी जा सकती थीं और 0.90 लाख रूपयों का अतिरिक्त व्यय बचाया जा सकता था । प्रबन्धकों ने बताया कि नींव कार्य में विलम्ब होने के कारण मशीनों के चालू होने में विलम्ब हुआ जिसके लिये अभिलेख में कोई औचित्य उपलब्ध नहीं था ।

2.क.17(ख) लाइम स्टोन का अधिक उपभोग

फैक्टरियों में चूने का प्रयोग गन्ने के रस को स्वच्छ करने के लिये तथा कोक का प्रयोग लाइम स्टोन को जलाकर चूना प्राप्त करने के लिये किया जाता है । 1986-87 मौसम के दौरान कम्पनी द्वारा उपयुक्त रस को स्वच्छ करने की प्रक्रिया दोहरे सल्फीटेशन की थी और यही प्रक्रिया नियन्त्रक कम्पनी की रामकोला, सहारनपुर तथा जरवल रोड चीनी मिलों द्वारा प्रयुक्त की गयी थी । चूने की खपत के लिये प्रतिमान नियत नहीं किये गये। निम्नांकित सारणी 1986-87 मौसम के दौरान उपर्युक्त मिलों द्वारा खपत के तुलनात्मक विवरण सूचित करती है:

	गन्ना प्रतिशत चूने की खपत
रामकोला	0.16
जरवल रोड	0.18
सहारनपुर	0.19
किच्छा	0.19

अन्य मिलों द्वारा उपभोग किये गये चूने से अधिक चूने का उपभोग करने के अलावा, किच्छा चीनी मिल ने 1072 टन लाइम स्टोन (मूल्य: 4.15 लाख रूपये) एवं 139.5 टन कोक (मूल्य : 1.70 लाख रूपये) का भी उपभोग किया जब कि प्रश्नगत अवधि के दौरान अन्य मिलों में लाइम स्टोन एवं कोक का उपभोग शून्य था । कम्पनी से किच्छा चीनी मिल में लाइम स्टोन एवं कोक के उपभोग की आवश्यकता के सम्बन्ध में पूछे गये कारण प्राप्त नहीं हुये ।

समीक्षा के परिणाम प्रबन्धकों एवं सरकार को जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

2. ख गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड

मुख्य बातें

कम्पनी, जिसकी स्थापना मार्च 1976 में गढ़वाल क्षेत्र के 5 पहाड़ी जनपदों के विकास हेतु की गयी थी, की प्रदत्त पूँजी 31 मार्च 1986 को 312 लाख रूपये थी । कम्पनी ने 1981-82 और इसके बाद के लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया तथा कम्पनी द्वारा तैयार किये गये अनन्तिम लेखे के अनुसार 31 मार्च 1986 को संचयी हानि 3.76 लाख रूपये थी ।

यद्यपि एक पृथक कम्पनी के निर्माण के उद्देश्य एवं लक्ष्य के अन्तर्गत गढ़वाल सम्भाग के 5 पर्वतीय जनपदों के विभिन्न

क्षेत्रों में विकास हेतु सामाजिक-आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्य-कलाप सर्वांगीण रूप से निहित हैं तथापि कम्पनी द्वारा हाथ में लिये गये विकास कार्यकलाप मुख्यतया लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा पर्यटन एवं सामूहिक पर्यटन की प्रोन्नति तक ही सीमित थे।

रेज़िन एण्ड टर्पेन्टाइन फैक्टरी में क्षमता उपयोग कम था तथा रेज़िन की प्रक्रिया हानि भी वर्ष प्रतिवर्ष धीरे-धीरे बढ़ती रही। क्षमता के कम उपयोग का मुख्य कारण कच्चे माल की कमी होने पर भी कम्पनी ने कच्चे माल की पर्याप्त एवं लगातार आपूर्ति हेतु वन विभाग के साथ दीर्घकालिक अनुबन्ध करने पर विचार नहीं किया ।

जनवरी 1982 में स्थापित फ्लश डोर फैक्टरी में उत्पादन एवं बिक्री निर्धारित लक्ष्यों से अत्यधिक कम थी। यह इकाई अपने प्रारम्भ से ही बढ़ती हुई हानियां उठाती रही, जिसका मुख्य कारण लगभग दुगुनी दरों पर दूरवर्ती स्थानों से प्राइवेट पार्टियों से विभिन्न प्रजाति की इमारती लकड़ी की प्राप्ति तथा ऐसे दूरवर्ती स्थानों से ढुलाई पर उच्चतर लागत थी ।

अधिक परिवहन लागत व्यय किये बिना समीपवर्ती बनों से अपेक्षित कच्चा माल पाने की आशा से गवाना (देवदार एवं चीड़ के वनों से घिरा हुआ) में स्थापित इन्टीग्रेटेड वुड वर्क्स इकाई वन विभाग से इमारती लकड़ी की अपेक्षित मात्रायें प्राप्त करने में समर्थ नहीं रही, कम्पनी ने इमारती लकड़ी की अविछिन्न आपूर्ति हेतु विभाग के साथ कोई सहबद्ध (टाई-अप) व्यवस्था बनाने का

प्रयास नहीं किया । यहाँ तक कि वन विभाग द्वारा आवंटित मात्राओं को भी 150 से 200 किलोमीटर की लम्बी दूरियों से भारी परिवहन व्यय करके ढोकर लाया गया । मार्च 1987 में इस इकाई के कार्यचालन का परीक्षण करते समय परिषद् ने अनुभव किया कि पर्याप्त कच्चे माल की आपूर्ति के अभाव में इकाई लाभ पर नहीं चल सकती तथा एक वैकल्पिक उद्योग की स्थापना के लिये व्यवहार्यता का परीक्षण करने का निर्णय लिया ।

जनवरी 1981 में लैन्स डाउन में खोले गये एलेक्ट्रानिक्स ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्सन सेण्टर को प्रशिक्षित एवं निपुण प्रविधिज्ञों (टेक्नीशियन) के अभाव में मार्च 1985 में बन्द करना पड़ा ।

क्रय आदेश में संकल्पित न किया गया किन्तु बस के ढांचा निर्माताओं को भुगतान किया गया 15 लाख रूपयों का अग्रिम तथा ढाँचों के विलम्बित परिदान हेतु 0.13 लाख रूपये का अर्थदण्ड भी वसूल नहीं किया गया । एक मामले में, रामबाड़ा पर पर्यटक विश्राम गृह के निर्माण हेतु निर्माण-स्थल (साइट) प्राप्त करने के बहुत पूर्व फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर प्राप्त कर लिया गया परिणामस्वरूप निधियां अवरूद्ध हो गयीं और एक दूसरे मामले में कार्यस्थल से अन्य स्थल पर फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर स्वीकार कर लिया गया और पुनः परिवहन प्रभारों की वसूली किये बिना पूर्ण संविदा दर पर भुगतान कर दिया गया । शीतकालीन क्रीड़ा (स्काइंग) में पर्यटकों को सम्मिलित होने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु 221.05 लाख रूपये की लागत पर दिसम्बर 1984 में पूर्ण होने के लिये नियत जोशीमठ को रज्जु-पथ (रोपवे) से

7

गोरोसन से जोड़ने की एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना, 397.13 लाख रूपयों का व्यय करने के बाद भी पूर्ण नहीं हुयी (मार्च 1988)। इसके पूर्ण होने तक व्यय के और बढ़ने की सम्भावना है।

विभाग द्वारा निर्मित (लागत 1.39 लाख रूपये) दो फाइबर ग्लास के अस्थाई मकानों की नींव और कुर्सी (प्लिन्थ) कार्यों, जो दोषपूर्ण पाये गये थे तथा बाद में त्याग दिये गये, पर निष्फल व्यय किया गया ।

यमुना नगर की एक फर्म से, जिसे अप्रैल 1982 में अग्रिम का भुगतान किया गया था, एक हाइड्रालिक प्लाईवुड प्रेस का परिदान प्राप्त नहीं किया गया क्योंकि इस आदेश की प्रभावी अवधि में ही अपेक्षाकृत कम क्षमता वाले उसी प्रकार के एक प्रेस के लिये आदेश दिया गया था और प्राप्त कर लिया गया था । अग्रिम की वापसी अभी भी प्राप्त/समायोजित की जानी है (मार्च 1988)।

2.क.1 प्रस्तावना

प्रान्त के कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डलों के 8 पहाड़ी जनपदों के विकास हेतु, सरकार ने मार्च 1971 में सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की । विकास कार्य-कलापों को अग्रसर करने के लिये राज्य सरकार ने प्रत्येक मण्डल में एक विकास कम्पनी स्थापित करने का निर्णय लिया (1976) । परिणाम स्वरूप, गढ़वाल मण्डल के 5 पर्वतीय जनपदों (देहरादून, पौड़ी-गढ़वाल, टिहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी एवं चमोली) के विकास के लिये मार्च 1976 में गढ़वाल मण्डल विकास लिमिटेड नामक एक अन्य सरकारी कम्पनी

निगमित की गयी । पहले वाली कम्पनी का कुमायूँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड के रूप में पुनः नामकरण कर दिया गया तथा इसके कार्य-कलाप कुमायूँ मण्डल के 3 पर्वतीय जनपदों (नैनीताल, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़) तक सीमित कर दिये गये ।

2.ख.2 उद्देश्य एवं कार्य-कलाप

जैसा कि इसके संस्था का ज्ञापन-पत्र (मेमोरेण्डम आफ एशोसियेशन) में दिया हुआ है, कम्पनी के उद्देश्य एवं लक्ष्य सर्वांगपूर्ण हैं तथा इसके अन्तर्गत कृषि, उद्योग, उद्यान-कृषि, मछली मारना, सिंचाई, खनिकर्म, वानिकी, नदी-घाटी-परियोजनायें, विपणन, पर्यटन एवं उद्यमों तथा उद्योगों को वित्त प्रदान करना, सहयोग देना, सहायता प्रदान करना, प्रोन्नति करना, स्थापना करना, विकास करना अथवा निष्पादन करने के क्षेत्रों में पहाड़ी जनपदों के विकास हेतु सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यकलाप आते हैं।

कम्पनी ने अब तक निम्नलिखित मुख्य कार्यों को हाथ में लिया है :

(I) खुले बाजार में बिक्री हेतु उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन जैसे (क) तिलवाड़ा (चमोली) स्थित टर्पेन्टाइन एवं रोज़िन फैक्टरी , (ख) कोटद्वार (पौड़ी गढवाल) स्थित फ्लस डोर फैक्टरी , (ग) गवाना (उत्तर काशी) स्थित इन्टीग्रेटेड वुड वर्क्स इकाई, (घ) मुनि की रेती (टिहरी गढ़वाल) स्थित एक वुड ऊल फैक्टरी ।

(II) पर्यटक विश्राम गृहों का रख-रखाव तथा संचालन, सामूहिक पर्यटनों, ट्रक परिवहन सेवाओं आदि का परिचालन ।

(iii) विपणन कार्यकलाप जैसे फल एवं सब्जियों की प्राप्ति एवं बिक्री, बोल्डरों एवं बजरी का संग्रह एवं बिक्री और रज्जूपथ की स्थापना एवं परिचालन ।

(iv) इण्डियन आयल कार्पोरेशन (आई.ओ.सी.) के लिये भोजन पकाने की गैस तथा पेट्रोल के वितरण हेतु और प्राइवेट फर्मों के लिये हाट प्लेटों की बिक्री हेतु एजेन्सी कार्य ।

(v) अपने तथा सरकारी विभागों के भी सिविल निर्माण कार्य के निष्पादन के लिये सिविल कन्स्ट्रक्शन डिवीजन की स्थापना तथा सिविल निर्माण कार्य में प्रयोग के लिये सीमेण्ट कंक्रीट ब्लाकों के निर्माण हेतु एक इकाई की स्थापना।

2.ख.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

दोनों कम्पनियों के कार्यचालन की गत समीक्षा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 1978-79 (वाणिज्यिक) में की गयी थी । प्रस्तुत समीक्षा के अन्तर्गत रोज़िन एवं टर्पेन्टाइन फैक्टरी, फ्लस डोर फैक्टरी, एलेक्ट्रानिक्स ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्सन सेण्टर, कम्पनी द्वारा संचालित पर्यटक विश्राम गृह, सिविल कान्स्ट्रक्शन विंग आदि को सम्मिलित किया गया है । देखे गये मुख्य बिन्दुओं की चर्चा उत्तरवर्ती प्रस्तरों में की गयी है ।

2.ख.4 संगठनात्मक ढाँचा

कम्पनी का प्रबन्ध एक निदेशक मण्डल में निहित है जिसमें एक अंशकालिक चेयरमैन, एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक जो कम्पनी का मुख्य कार्यकारी होता है तथा 8 निदेशक जो सभी सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं ।

2.ख.5 अर्थव्यवस्था (फण्डिंग)

31 मार्च 1986 को कम्पनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूँजी क्रमशः 5 करोड़ रूपये तथा 3.12 करोड़ रूपये थी। उसी दिनांक को ऋण 2.95 करोड़ रूपये (रज्जूपथ के निर्माण के लिये राज्य सरकार से ऋण : 2.13 करोड़ रूपये, फ्लश डोर फैक्टरी के लिये एच.यू.डी.सी.ओ. से : 0.67 करोड़ रूपये, पर्यटक बसों के लिये बैंक से : 0.05 करोड़ रूपये एवं विपणन कार्य के लिये : 0.10 करोड़ रूपये) था ।

2.ख.6 लेखे की स्थिति

जैसा कि नवम्बर 1987 में कम्पनी द्वारा सरकार को प्रतिवेदित किया गया था, कम्पनी के लेखे मुख्यतया आन्तरिक लेखापरीक्षा की अपूर्णता एवं कर्मचारियों की कमी के कारण 1981–82 से बकाया में हैं । कम्पनी ने न तो कोई अपनी आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली प्रारम्भ की है और न उपयुक्त वित्तीय नियन्त्रण हेतु लेखाकरण विधियों एवं विभिन्न कार्यकर्ताओं के कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये लेखाकरण मैनुअल ही तैयार किया । फिर भी, कम्पनी ने 0.83 लाख रूपये की फीस पर बकाया लेखे संकलन एवं लेखाकरण मैनुअल तैयार करने के लिये शासपत्रित लेखाकारों की एक फर्म की नियुक्ति की (दिसम्बर–1986)। बकाया लेखे के संकलन को पूर्ण करने के लिये निर्धारित तिथियाँ नियत नहीं की गई थीं एवं नियुक्ति के डेढ़ वर्ष बाद भी, यहाँ तक कि एक वर्ष के लेखे भी संकलित नहीं किये गये (मई 1988) ।

2.ख.7 (क) तिलवाड़ा स्थित टर्पेन्टाइन एण्ड रोज़िन फैक्टरी

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1978-79 के प्रस्तर 4.09(क) (i) (क) का सन्दर्भ आमन्त्रित किया जाता है जिसमें वन-विभाग से क्रय किये गये लीसा से रोज़िन तथा टर्पेन्टाइन तेल के उत्पादन हेतु अप्रैल 1978 में तिलवाड़ा स्थित 19.28 लाख रूपये की पूँजी लागत से स्थापित फैक्टरी के कार्यचालन पर एक संक्षिप्त समीक्षा की गयी थी। विभिन्न श्रेणियों के रोज़िन एवं टर्पेन्टाइन तेल के विक्रय मूल्य, इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड, बरेली- राज्य सरकार की एक अन्य कम्पनी- द्वारा निर्धारित एवं सूचित किये जाते हैं और अपने उत्पादनों के विक्रय के लिये कम्पनी द्वारा अंगीकार किये जाते हैं।

अभिलेखों की जांच से कम्पनी के परिचालन में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये।

(i) जैसा कि परियोजना पर प्रतिवेदन में दर्शाया गया है, रेज़िन के प्रक्रियाकरण हेतु फैक्टरी की संस्थापित क्षमता 1,850 टन थी। इस क्षमता पर आधारित वास्तविक क्षमता के उपयोग में 1985-86 तक गत 5 वर्षों के दौरान 49.8 प्रतिशत से 62.5 प्रतिशत तक की भिन्नता थी जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

वर्ष	परिष्करण के लिये उपलब्ध रेज़िन	परिष्कृत रेजिन	क्षमता उपयोग की प्रतिशतता
	(टनों में)		(प्रतिशत)
1981-82	1,224	1,156.5	62.5
1982-83	1,149	994.8	53.7
1983-84	1,226	1,138.0	61.5
1984-85	1,048	923.9	49.9
1985-86	1,374	920.8	49.8

रेज़िन, जो इसके रोज़न तथा टर्पेन्टाइन में परिष्करण के लिये कच्चा माल है, का आवंटन अकेले वन विभाग द्वारा किया जाता है । फिर भी, अभिलेखों के जाँच-परीक्षण से प्रकट हुआ कि फैक्टरी की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने की दृष्टि से रेज़िन का पर्याप्त आवंटन एवं आपूर्ति हेतु, कम्पनी ने फैक्टरी की स्थापना से पूर्व या बाद में वन विभाग के साथ कोई दीर्घावधिक अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया । इस प्रकार, कच्चे माल की कमी, क्षमताओं के कम उपयोग का मुख्य कारण था, यद्यपि इसके उत्पादनों की मांग पर्याप्त थी ।

(ii) परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार रेज़िन के परिष्कार के फलस्वरूप 75 प्रतिशत रोज़िन एवं 17 प्रतिशत टरपेन्टाइन तेल की प्राप्ति होनी थी तथा शेष 8 प्रतिशत प्रक्रिया हानि होती । 1981-82 में रेज़िन की प्रक्रिया हानि 7.9 प्रतिशत थी और इसके बाद वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती गयी और निम्न विवरण के अनुसार 1985-86 में 14.4 प्रतिशत तक पहुंच गयी:

वर्ष	परिष्कृत की गई रेज़िन	प्राप्त की गई रोजिन	प्राप्त किया गया टर्पेन्टाइन तेल	प्रक्रिया हानि	परिष्कृत रेज़िन से प्रक्रिया हानि प्रतिशतता
		(टनों में)			
1981-82	1156.5	901.2	163.7	91.6	7.9
1982-83	994.8	772.2	137.4	85.2	8.6
1983-84	1138.2	840.7	155.2	142.1	12.5
1984-85	923.9	689.7	114.4	119.8	13.0
1985-86	920.8	678.0	110.6	132.2	14.4

1982-83 से 1985-86 की अवधि के दौरान 8 प्रतिशत के प्रतिमान से अधिक प्रक्रिया हानि 9.13 लाख रूपये मूल्य की 162.3 टन रेज़िन थी ।

(iii) परियोजना में रोज़िन की प्राप्ति 3 श्रेणियाँ : 51 प्रतिशत श्रेणी I (फीकी), 34 प्रतिशत श्रेणी II (औसत) एवं 15 प्रतिशत श्रेणी III (गहरी) में संकल्पित थी । श्रेणी I रोज़िन का उत्पादन कम था तथा इसमें 1985-86 तक गत 5 वर्षों के दौरान 22 प्रतिशत से 39 प्रतिशत की भिन्नता रही जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

रोजिन का उत्पादन	जैसा कि परियोजना प्रतिवेदन में अनुचिन्तित है, प्राप्ति की प्रतिशतता	प्राप्ति की वास्तविक प्रतिशतता				
		1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
श्रेणी-I	51	35	39	38	22	29
श्रेणी-II	34	37	35	42	54	42
श्रेणी-III	15	28	26	20	24	29

श्रेणी I एवं II, श्रेणी I एवं III, श्रेणी II एवं III के मध्य मूल्यों में औसत न्यूनतम अन्तर क्रमशः 100 रूपये, 600 रूपये तथा 250 रूपये प्रति टन था । मूल्य में इन अन्तरों पर आधारित 1985-86 तक सभी पांच वर्षों में श्रेणी I रोज़िन की कम प्राप्ति की मात्रा की धनराशि 3.50 लाख रूपये थी ।

अधिक प्रक्रिया हानि एवं उत्पादन में गिरावट (मात्रा एवं गुणत्व दोनों में) का कारण प्रबन्धकों ने रेज़िन की घटिया गुणवत्ता एवं वन विभाग द्वारा कम आपूर्ति पर आरोपित किया (मार्च 1988)।

2.ब.7 (ख) फ्लश डोर फैक्टरी

जनवरी 1982 में, पर्वतों में इमारती लकड़ी (टिम्बर) की विभिन्न प्रजातियों की उपलब्धता की दृष्टि से, वाणिज्यिक एवं सजावटी फ्लश डोर तथा ब्लाक बोर्डों के निर्माण हेतु कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) में फ्लश डोर फैक्टरी की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। परियोजना प्रतिवेदन में 95.61 लाख रूपयों का पूँजी व्यय अनुचिन्तित था। फैक्टरी ने अगस्त 1983 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया। 3.24 लाख रूपये के प्रगतिगत पूँजी निर्माण कार्यों को छोड़कर 1985-86 तक किया गया सम्पूर्ण पूँजी व्यय 123.75 लाख रूपये (अनन्तिम) था। पूँजी लागत में वृद्धि (28.14 लाख रूपये) भूमि की अध्याप्ति में 4.52 लाख रूपयों की बचत के साथ, संयंत्र एवं मशीनरी (11.54 लाख रूपये) तथा सिविल एवं विद्युत कार्य (21.12 लाख रूपये) की लागत में बढ़ोत्तरी के कारण थी।

फैक्टरी के कार्य चालन की समीक्षा से निम्नलिखित बिन्दु प्रकट हुये :

(1) निम्न सारणी 1985-86 तक अपने वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम 3 वर्षों हेतु प्रायोजना प्रतिवेदन में अनुचिन्तित लक्ष्यों के समक्ष वास्तविक उत्पादन एवं उत्पादनों की बिक्री संक्षेप

में प्रस्तुत करती है:

	उत्पादन			बिक्री		
वर्ष	प्रायोजना प्रतिवेदन में अनुचिन्तित लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य के समक्ष वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता	प्रायोजना प्रतिवेदन में अनुचिन्तित लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य के समक्ष वास्तविक बिक्री की प्रतिशतता
	(लाख रूपयों में)			(लाख रूपयों में)		
1983-84	115.37	13.67	11.84	96.67	4.97	5.14
1984-85	131.55	45.97	34.94	158.70	41.09	26.89
1985-86	176.43	59.52	33.73	221.16	45.52	20.58

वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ होने से 10 वर्षों हेतु परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये लाभदायकता विश्लेषण ने इंगित किया कि ऋण पर भारी ब्याज के भुगतान तथा क्षमता के कम उपयोग के कारण फैक्टरी के परिचालन के प्रथम वर्ष में 18.70 लाख रूपयों की हानि होगी परन्तु इसके बाद लाभ दूसरे वर्ष में 27.15 लाख रूपयों से बढ़कर दसवें वर्ष में 63.21 लाख रूपये हो जायेगा । तथापि, इकाई ने परिचालन के द्वितीय तथा तृतीय वर्षों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार हानियां उठायीं:

वर्ष	उत्पादन का मूल्य	उपभुक्त कच्चे माल की लागत	सामान्य व्यय (ओवरहेड चार्जेज)	निवल हानि
		(लाख रूपयों में)		
1983-84	13.67	7.69	22.60	16.62
1984-85	42.94	27.39	43.97	28.42
1985-86	58.52	26.81	62.85	31.14x

xइसमें 21.25 लाख रूपयों का पूँजी उपदान सम्मिलित है।

फैक्टरी को चलाने में कम्पनी द्वारा उठायी गयीं निरन्तर हानियों के कारण जैसा कि लेखा परीक्षा ने विश्लेषित किया है, निम्नवत् थे:

(क) उत्पादन परियोजना प्रतिवेदन में अनुचिन्तित लक्ष्य के अनुसार नहीं था तथा 1985-86 तक तीन वर्षों के दौरान लक्ष्यों के केवल 11.84 तथा 34.94 प्रतिशत के मध्य रहा ।

(ख) विभिन्न प्रजातियों की इमारती लकड़ी (टिम्बर) का क्रय दूरवर्ती स्थानों से प्राइवेट पार्टियों से इमारती लकड़ी की लगभग दुगुनी दरों और परिवहन की उच्चतर लागत का भुगतान करके किया गया था जिसके फलस्वरूप 13.42 लाख रूपयों (0.72 लाख रूपये 1984-85 में और 12.70 लाख रूपये 1985-86 में) का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(ii) लेखापरीक्षा में अवलोकित किया गया कि 1.10 लाख रूपये मूल्य के 1984-85 में निर्मित 29 सेलुलर फ्लश डोर एवं

150 ब्लाक बोर्ड तथा 1985-86 में निर्मित 317 सजावटी प्लाईवुड दरवाजे निर्माण सम्बन्धी दोषों के कारण बाजार में बेचे नहीं जा सके तथा कारखाने में पड़े हुये थे । इन उत्पादनों के निस्तारण हेतु कम्पनी ने कोई कार्यवाही नहीं की । यह निश्चित करने के लिये कि क्या दोषपूर्ण उत्पादन घटिया कारीगरी अथवा इमारती लकड़ी की घटिया गुणवत्ता के कारण था, कोई जाँच भी नहीं की गयी ।

2.ख.7.ग इन्टेग्रेटेड वुड वर्क्स – दिल्हेदार (पैनल) दरवाजे, खिड़कियाँ, चौखट, पेन्सिल स्लाट एवं पेन्सिल फर्नीचर के निर्माण हेतु गवाना (उत्तर काशी) स्थित तत्कालीन पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड द्वारा इन्टेगरेटेड वुड वर्क्स की स्थापना की गयी थी जो (गवाना) विपुल देवदार एवं चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ है जहाँ से अधिक ढुलाई व्यय किये बिना इमारती लकड़ी प्राप्त की जा सकती थी । गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड के निगमन पर परियोजना मार्च 1976 में इस कम्पनी को हस्तान्तरित कर दी गयी । मार्च 1982 तक इस इकाई पर सम्पूर्ण पूँजी निवेश 10.72 लाख रुपये था।

1985-86 तक गत पांच वर्षों के दौरान इकाई के परिचालन में कम्पनी ने 3.97 लाख रूपये (अनन्तिम) की हानि उठायी । निम्नांकित बिन्दु देखे गये:

(i) परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, तैयार उत्पादनों की प्रक्रिया के लिये इमारती लकड़ी की वार्षिक आवश्यकता 1418

घनमीटर थी। पाँच वर्षों में प्रत्येक के दौरान प्रक्रिया हेतु उपलब्ध इमारती लकड़ी 1985-86 में 324.9 घनमीटर से 1982-83 में 633.0 घनमीटर के बीच थी । निम्न उपलब्धता वन विभाग द्वारा निकट के क्षेत्रों से इमारती लकड़ी के अनावंटन के कारण, इमारती लकड़ी की कम अधिप्राप्ति के कारण थी जो 1984-85 में 250.1 घनमीटर से 1982-83 में 558.8 घनमीटर के मध्य रही। इमारती लकड़ी की लगातार आपूर्ति हेतु वन विभाग के साथ सहबद्ध (टाई-अप) व्यवस्था का प्रबन्ध नहीं किया गया ।

(ii) इकाई के आस-पास के क्षेत्रों के बजाय 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर की दूरियों पर स्थित अपने डिपो से वन विभाग द्वारा इमारती लकड़ी के आवंटन के कारण इकाई को भारी परिवहन व्यय करना पड़ा ।

(iii) परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार प्रक्रिया में इमारती लकड़ी की छीजन प्रक्रिया गत इमारती लकड़ी के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। वास्तविक छीजन 1981-82 में 77 प्रतिशत, 1983-84 में 66 प्रतिशत तथा 1985-86 में 43 प्रतिशत थी, यद्यपि यह 1982-83 (22 प्रतिशत) तथा 1984-85 (33 प्रतिशत) में प्रतिमानों की अपेक्षा कम थी । पांच वर्षों के दौरान प्रक्रिया से प्राप्त 886 घनमीटर इमारती लकड़ी के छीजन में से, मात्र 53 घनमीटर इकाई द्वारा अपनी भट्ठियों एवं ब्वायलर में ईंधन के रूप में उपयोजित किया जा सका तथा शेष 833 घनमीटर छीजन (प्रबन्धकों द्वारा मूल्य आंका नहीं गया) का निस्तारण अभी तक नहीं किया गया (अगस्त 1987) ।

(iv) सरकारी विभागों के विविध आदेशों के समक्ष 1981-82 से 1986-87 के दौरान कम्पनी द्वारा निर्मित उत्पाद (मूल्य 1.93 लाख रूपये) अस्वीकृत कर दिये गये क्योंकि वे घटिया मानक के तथा आदेशित रूपांकन एवं विशिष्टियों के अनुरूप नहीं थे । उत्पाद निस्तारण की प्रतीक्षा में इकाई में पड़े हुये थे (मार्च 1988) । प्रबन्धकों ने बताया (मार्च 1988) कि दोषों को दूर करने तथा उत्पादों को निस्तारित करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। यह निश्चित करने के लिये कि क्या घटिया मानक का उत्पादन इमारती लकड़ी की घटिया गुणवत्ता अथवा घटिया कारीगरी के कारण था, कम्पनी ने कोई जांच नहीं की ।

(v) इस इकाई के कार्यचालन का परीक्षण करते समय, जो वर्ष प्रतिवर्ष हानियां उठा रही थी, परिषद् ने एक वैकल्पिक उद्योग की स्थापना की व्यवहार्यता की जाँच एवं परीक्षण करने का निर्णय लिया (मार्च 1987) क्योंकि परिषद् ने अनुभव किया कि विद्यमान इकाई वन विभाग से पर्याप्त कच्चे माल के अभाव में लाभपूर्वक नहीं चल सकती ।

2.ख.7 (घ) एलेक्ट्रानिक्स ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्सन सेण्टर

पर्वतों में एलेक्ट्रानिक उद्योगों के विकास की प्रोन्नति करने तथा प्रशिक्षार्थियों को स्वतः व्यवसाय मार्ग (सेल्फ एम्प्लवायमेंट एवेन्यूज) प्रदान करने के लिये जनवरी 1981 में, कम्पनी ने, 0.28 लाख रूपये की प्रारम्भिक लागत पर पौड़ी गढ़वाल जनपद में लैन्स डाउन में एक एलेक्ट्रानिक ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्सन सेण्टर की स्थापना की । कम्पनी ने सरकार

को एक परियोजना प्रविदन प्रस्तुत किया (सितम्बर 1987) जिसमें दो केन्द्रों की स्थापना, रेडियो तथा टेप रेकार्डर संयोजन में 12 मास की अवधि हेतु प्रारम्भ में प्रत्येक केन्द्र में 10 से 12 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु एक की लैन्स डाउन में एवं दूसरे की गोपेश्वर (चमोली) में अनुचिन्तित थी और इन केन्द्रों पर रेडियो सेटों तथा टेप रेकार्डरों का उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ प्रारम्भ किया जाना था। परियोजना प्रतिवेदन में प्रथम वर्ष में 1.04 लाख रूपये का व्यय तथा 0.10 लाख रूपये से 0.11 लाख रूपये वार्षिक का लाभ अनुचिन्तित था ।

मार्च 1982 में, सरकार ने 47,500 रूपये प्रति केन्द्र पर दोनों केन्द्रों के लिये 0.95 लाख रूपये का अनावर्ती अनुदान इस शर्त के साथ स्वीकृत किया कि अनुदान के आहरण पर धनराशि पर्सनल लेजर एकाउन्ट में जमा कर दी जायेगी और जब वस्तुत: आपेक्षित होगा, आहरित की जायेगी ।

परियोजना की समीक्षा से निम्न बिन्दु प्रकाश में आये:

(i) अनुदान को स्वीकृत करने वाले शासनादेश की शर्त के उल्लंघन में अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि मार्च 1982 में कम्पनी द्वारा आहरित कर ली गयी तथा लेन्स डाउन स्थित एक ही केन्द्र पर व्यय कर दी गयी, दूसरा केन्द्र स्थापित ही नहीं किया गया।

(ii) प्रतिवेदन में अनुचिन्तित 10 से 12 प्रशिक्षार्थियों के समक्ष 1981-82 तथा 1982-83 प्रत्येक में 10 प्रशिक्षार्थी और

1983-84 तथा 1984-85 में क्रमशः 6 और 7 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित किये गये ।

(iii) कुल 1.91 लाख रूपयों का व्यय करने के बाद प्रशिक्षित एवं कुशल प्रविधिज्ञों के अभाव तथा उत्तर प्रदेश टेलीट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जिसके माध्यम से कम्पनी ने उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था की थी, द्वारा 30 से 35 प्रतिशत उत्पादों के अस्वीकरण के आधार पर हुये केन्द्र को 1985 में बन्द कर दिया गया । प्रशिक्षित एवं कुशल प्रविधिज्ञों की आवश्यकता एवं उपलब्धता निर्धारित किये बिना प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के कारण अभिलेख में नहीं थे ।

(iv) देनदारों से धनराशि 0.49 लाख रूपये) वसूल न करने के अतिरिक्त, स्थायी परिसम्पत्तियाँ (मूल्य 0.28 लाख रूपये) और रेडियो के पुर्जे (मूल्य 0.36 लाख रूपये) कम्पनी द्वारा अभी तक (मार्च 1988) निस्तारित नहीं किये गये ।

2.ब.7 (ड.) पर्यटन

इस कार्यक्रम में पर्यटक विश्राम गृह का संचालन एवं सामूहिक पर्यटनों का परिचालन दोनों सम्मिलित हैं । निम्न बिन्दु देखे गये :

2.ब.7.(ड.).1 पर्यटक विश्राम गृह

राज्य सरकार के निर्णय (जनवरी 1977) के अनुसार, गढ़वाल क्षेत्र में पर्यटन विभाग के तत्कालीन विद्यमान 20 पर्यटक विश्राम गृहों का तथा उनका जो निर्माणाधीन थे या जिनका भविष्य में सरकार द्वारा क्षेत्र में निर्माण किया जाना था, अनुरक्षण

एवं संचालन, कम्पनी द्वारा आवास सेवा (खान-पान सेवा छोड़कर) से अर्जित निवल लाभ के 20 प्रतिशत से सरकार को देय पट्टा किराये के आधार पर किया जाना था। यद्यपि 1985-86 के अन्त में कम्पनी द्वारा परिचालित ऐसे 38 पर्यटक विश्राम गृह थे परन्तु पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया (मार्च 1987)।

निम्न सारणी 1985-86 तक पांच वर्षों के दौरान पर्यटक विश्राम गृहों की अधिभोग (आकूपैन्सी) की स्थिति सूचित करती है:

वर्ष	वार्षिक कुल शय्या क्षमता (लाखों में)	वार्षिक कुल वास्तविक अधिभोग (लाखों में)	शय्या क्षमता से अधिभोग की प्रतिशतता
1981-82	2.69	0.66	24.6
1982-83	3.13	0.86	27.4
1983-84	3.26	1.13	34.7
1984-85	4.18	1.50	35.9
1985-86	4.31	1.38	31.7

कम्पनी द्वारा लगातार निम्न अधिभोग जो 50 प्रतिशत से भी बहुत नीचे था, के कारणों की जाँच पड़ताल नहीं की गयी।

1985-86 तक पांच वर्षों में पर्यटक विश्राम गृहों में प्रदत्त आवास एवं खान-पान सेवा से लाभकारिता की स्थिति

(पट्टा किराया को छोड़कर) निम्न सारणी में दर्शायी गयी है:

वर्ष	आय	पट्टा-किराया को छोड़कर व्यय	लाभकारिता कालम (2) और (3) में अन्तर
1	2	3	4
	(लाख रूपयों में)		
1981-82	16.33	15.63	(+)0.70
1982-83	24.33	23.52	(+)0.81
1983-84	24.83	25.06	(-)0.23
1984-85	27.52	25.92	(+)1.60
1985-86	35.74	35.53	(+)0.21

चूँकि कम्पनी के अनन्तिम लेखे में पट्टा किराये का प्रावधान नहीं किया गया था, पर्यटक विश्रामगृहों के परिचालन के कार्यचालन परिणामों की सही स्थिति सुनिश्चित करने योग्य नहीं थी ।

2.ख.7(ङ.).2 सामूहिक पर्यटन का संचालन

गढ़वाल क्षेत्र में सामूहिक पर्यटन के संचालन के लिये कम्पनी के पास 33 डीलक्स बसों का बेड़ा था । निम्न सारणी 1985-86 तक 5 वर्षों हेतु किये गये सामूहिक पर्यटनों की संख्या पर्यटकों की संख्या तथा उनके कार्यचालन परिणाम सूचित करती है:

	1981 -82	1982 -83	1983 -84	1984 -85	1985 -86
किये गये सामूहिक पर्यटनों की संख्या	130	164	193	261	250
उन पर्यटकों की संख्या जिन्होंने पर्यटन किया	2880	3153	4234	6225	6130
प्रति सामूहिक पर्यटन उपलब्ध औसत पर्यटक क्षमता	27	27	27	27	27
प्रति सामूहिक पर्यटन पर्यटकों की औसत संख्या	22	19	22	24	25
सामूहिक पर्यटनों के कार्यचालन परिणाम	(लाख रूपयों में)			(अनन्तिम)	
आय	21.78	24.69	31.21	35.55	40.48
व्यय	23.74	26.05	33.38	35.55	39.46
लाभ(+)/हानि(-)	-1.96	-1.36	-2.17	शून्य	+1.02

वर्ष 1981-82 से 1983-84 के दौरान अलाभकर पर्यटनों के कारणों का कम्पनी द्वारा विश्लेषण नहीं किया गया (मार्च 1988) ।

2.ख.(7)ड.(3) बस के ढाँचों का विलम्बित निर्माण

1,65,250 रूपये प्रति की दर से (आबकारी शुल्क तथा बिक्री-कर को छोड़कर) 9 पर्यटक बसों के ढाँचों के निर्माण हेतु कम्पनी द्वारा मेरठ की एक फर्म को आदेश दिया गया

(दिसम्बर 1986)। आदेश की शर्तों के अन्तर्गत बस के ढाँचे फर्म द्वारा चेसिस की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अन्दर निर्मित तथा परिदानित किये जाने थे और 98 प्रतिशत का भुगतान बस के ढाँचों की जाँच, स्वीकृति, एवं संग्रह के बाद किया जाना था तथा शेष 2 प्रतिशत का भुगतान एक वर्ष बाद अथवा 50,600 किलोमीटर चलने के बाद, जो भी पहले हो, किया जाना था। निर्मित बस के ढाँचों के परिदान में विलम्ब की स्थिति में फर्म, प्रथम पांच दिनों के लिये 50 रूपये प्रति बस ढाँचा प्रतिदिन की दर से तथा इसके बाद 75 रूपये प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड देने के लिये दायी थी। कम्पनी ने फर्म को मार्च 1987 में 9 चेसिसें प्रदान कीं (पहली मार्च 1987 को 4 तथा 19 मार्च 1987 को 5) जिनके समक्ष फर्म द्वारा केवल 8 बस ढाँचे 16 मई 1987 (चार) तथा 2 जुलाई 1987 (चार) को परिदानित किये गये तथा शेष एक बस ढाँचा 26 अक्टूबर 1987 को परिदानित किया गया। किन्तु बस ढाँचों के परिदान एवं उनका निरीक्षण पूर्ण होने से पहले ही एक मुश्त आधार पर फर्म को मार्च 1987 (3 लाख रूपये), मई 1987 (7 लाख रूपये), जून 1987 (4 लाख रूपये) और जुलाई 1987 (एक लाख रूपये) में 15 लाख रूपयों की धनराशि का भुगतान कर दिया गया। 2 जुलाई 1987 को प्राप्त चार बसें 6 अगस्त 1987 को (अर्थात् एक माह से अधिक विलम्ब के बाद) परिवहन प्राधिकरणों में पंजीकृत कराई गयीं जिसके फलस्वरूप राजस्व की सम्भावित हानि हुयी।

अग्रिम (15 लाख रूपये) का भुगतान, जो क्रयादेश में आयोजित नहीं था तथा बसों के विलम्ब से परिदान हेतु

(4 बस 14 दिन एवं एक बस 26 दिन विलम्ब से) क्रयादेश में प्रावधानित आर्थिक दण्ड (0.13 लाख रूपये) वसूल न करने से ठेकेदार को अनुचित आर्थिक सहायता दी गयी ।

2.ख.7(च) सिविल निर्माण कार्य सम्बन्धी क्रिया-कलाप

2.ख.7(च).1 कार्यचालन परिणाम

जनवरी 1977 में, अपने भवनों का निर्माण तथा मरम्मत कार्य करने और प्रतिशत प्रभारों को जोड़कर लागत पर सरकारी भवनों का निर्माण कार्य हाथ में लेने की दृष्टि से कम्पनी ने एक सिविल निर्माण शाखा का गठन किया जिसका प्रधान एक अधिशाषी अभियन्ता था ।

वार्षिक 125 लाख रूपये मूल्य वाले सिविल निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु गठित इस शाखा में लगाये गये कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर 2.40 लाख रूपयों का वार्षिक व्यय अनुमानित था ।

1985-86 तक गत 5 वर्षों के दौरान शाखा के कार्य-चालन परिणाम (अनन्तिम) निम्नवत् थे:

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
	(लाख रूपयों में)				
1. प्रतिशत प्रभारों तथा अन्य प्राप्तियों सहित किये गये कार्य का मूल्य	42.98	54.62	56.18	55.28	33.18
2. घटाइये: व्यय	41.73	50.99	52.60	53.32	34.27
3. लाभ(+)/हानि(-)	+1.25	+3.63	+3.58	+1.96	-1.09

1981-82 से 1985-86 के दौरान 235.06 लाख रूपये के कम्पनी द्वारा हाथ में लिये गये 12 बड़े कार्यों में से, 69.69 लाख रूपये की लागत पर अनुमानित केवल 5 कार्य (29.7 प्रतिशत का निरूपण करने वाले) पूर्ण किये गये तथा शेष 7 कार्य अभी भी (मार्च 1988) पूर्ण नहीं किये गये ।

2.ख.7(च).2 रामबाड़ा में पर्यटक विश्राम गृह का निर्माण

फरवरी 1979 मे, राज्य सरकार ने रामबाड़ा में 20 शैय्या वाले पर्यटक विश्रामगृह (लागत : 4.94 लाख रूपये) के निर्माण के लिये स्वीकृति प्रदान की जिसे मार्च 1982 पूर्ण होना था । स्टील स्ट्रक्चर के निर्माण एवं आपूर्ति (लागत : 1.48 लाख रूपये) के लिये तथा सिविल निर्माण कार्यों (लागत 3.03 लाख रूपये) के लिये देहरादून के "क" और "ख" ठेकेदारों के साथ क्रमशः अक्टूबर 1981 तथा मई 1982 में दो संविदाओं को अन्तिम रूप दिया गया । मार्च 1982 तक ठेकेदार "क" ने निर्माण के बाद सम्पूर्ण स्टील स्ट्रक्चर की आपूर्ति कर दी थी (मूल्य : 1.62 लाख रूपये) परन्तु भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण सिविल कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके । सितम्बर 1982 में वन विभाग ने भूमि का कब्जा देने से इंकार कर दिया। स्टील स्ट्रक्चर अनुपयोजित पड़ा हुआ था (मार्च 1988)।

अनुचित योजना के कारण, निर्मित स्टील स्ट्रक्चर निर्माण के लिये निर्माण स्थल अधिग्रहण करने के पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया । इसके फलस्वरूप 1.62 लाख रूपये अवरूद्ध हो गये ।

2.ब.7.(च).3 घांघरिया में पर्यटक विश्रामगृह का निर्माण

अक्टूबर 1981 में कम्पनी ने घांघरिया में पर्यटक विश्राम गृह पर ट्यूबुलर ट्रसेज़ आदि के निर्माण तथा खड़ा करने का कार्य (लागत : 1.54 लाख रूपये) देहरादून के एक ठेकेदार को दे दिया । संविदा में, स्टील स्ट्रक्चर की आपूर्ति, निर्माण एवं निरोपण (0.84 लाख रूपये), रिज़ेज के लगाने (0.06 लाख रूपये) और मिट्टी खोदाई का कार्य, सीमेण्ट कंक्रीटिंग आदि (0.64 लाख रूपये) का प्रावधान था ।

ठेकेदार ने 21 अक्टूबर 1981 को कार्य प्रारम्भ किया और संविदा के अनुसार पूर्ण करने की नियत तिथि 20 अप्रैल 1982 थी । ठेकेदार ने मिट्टी का कार्य प्रारम्भ नहीं किया किन्तु स्टील स्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया तथा उसकी आपूर्ति कर दी ।

कम्पनी ने ठेकेदार से निर्मित स्टील स्ट्रक्चर को घांघरिया के बजाय ऋषीकेश में परिदानित करने के लिये निवेदन किया क्योंकि उसने अब तक घांघरिया में कार्य प्रारम्भ नहीं किया था और इसलिये भी कि घांघरिया में देख-भाल और निगरानी की व्यवस्था नहीं थी । तदनुसार ठेकेदार ने ऋषीकेश में स्टील स्ट्रक्चर परिदानित कर दिया । ठेकेदार पर यह जोर देने के बजाय कि वह स्टील स्ट्रक्चर के निर्माण एवं परिदान देने के पूर्व सिविल निर्माण कार्य प्रारम्भ करे एवं उन्हें पूरा करे, कम्पनी ने स्टील स्ट्रक्चर की आपूर्ति निर्माण स्थल से अन्य स्थान पर स्वीकार कर ली और ऋषिकेश से घांघरिया तक उसके पुनः परिवहन पर 0.64 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया ।

ठेकेदार ने जून 1982 तक की बढ़ाई गयी अवधि के अन्दर भी सिविल कार्यों का पूरा नहीं किया । तथापि उसको 108 कुन्तल के लिये 13.50 रूपये प्रति कि.ग्रा. की पूर्ण संविदा दर पर, ऋषिकेश से घांघरिया तक स्ट्रक्चर के पुन: परिवहन, चढ़ाई, उतराई, चट्टा लगाने एवं निरोपण हेतु कोई कटौती किये बिना 1982-83 के दौरान 1.46 लाख रूपये का भुगतान कर दिया गया । मई 1982 में ठेकेदार ने काम छोड़ दिया ।

कार्य को पूर्ण न करने हेतु आरोपणीय अर्थदण्ड की वसूली, प्रत्याभूति (13,500 रूपये) तथा धरोहर जमा धनराशि (3000 रूपये) की जब्ती एवं अधिक भुगतान की गयी धनराशि (0.64 लाख रूपये) की वसूली प्रतीक्षित थी (मार्च 1988) ।

जून 1982 में सिविल एवं अन्य अधूरे कार्य का ठेका दूसरे ठेकेदार को दे दिया गया तथा विश्रामगृह का प्रयोग जुलाई 1987 से किया गया । भूतपूर्व ठेकेदार द्वारा अधूरे छोड़े गये कार्य को पूर्ण करने की प्रमात्रा एवं लागत का मूल्यांकन उससे वसूली हेतु प्रबन्धकों द्वारा नहीं किया गया (मार्च 1988)।

2.ख.7.(च).4 दोषपूर्ण सिविल निर्माण-कार्य

सितम्बर 1986 में भारत सरकार ने गढ़वाल मण्डल में 10 फाइवर ग्लास हटमेंट के निर्माण के लिये 33.74 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की । औली (चमोली) पर 4 हटमेंट की आपूर्ति एवं प्रतिस्थापन हेतु कम्पनी ने एकल पार्टी समझौता के आधार पर देहरादून की एक फर्म को 10.26 लाख रूपये हेतु आदेश (अक्टूबर 1986) दिया। हटमेंटों की नींव एवं कुर्सी का

सिविल कार्य जिसका रूपांकन आपूर्ति कर्ता/प्रतिष्ठापक द्वारा किया गया था तथा कम्पनी द्वारा नवम्बर 1986 में अनुमोदित किया गया था, विभाग द्वारा पूरा किया गया।

हटमेन्टों के प्रतिष्ठापन के दौरान, प्रतिष्ठापक ने सूचित किया (दिसम्बर 1986) कि दो हटमेन्टों की नींव एवं कुर्सी (मूल्य : 1.39 लाख रूपये) दोषपूर्ण थी तथा उन पर प्रतिष्ठापन कार्य सम्भव नहीं था । इन दो हटमेन्टों का प्रतिष्ठापन कार्य छोड़ दिया गया तथा अन्य दो हटमेन्ट जून 1987 में प्रतिष्ठापित एवं पूर्ण किये गये । छोड़ दिये गये इन दो हटमेन्टों के फाइबर तथा प्लाईवुड शीट आदि सोनप्रयाग ले जाये गये (लागत : 0.12 लाख रूपये) जहाँ नयी नींव तथा कुर्सी खोदकर प्रतिष्ठापित किये गये । इस प्रकार, छोड़ दिये गये इन दो हटमेन्टों की नींव तथा कुर्सी पर किया गया 1.39 लाख रूपये का व्यय, आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत रूपांकनों एवं रेखांकनों के अनुरूप निष्पादन न करने के कारण निष्फल हो गया ।

2.ख.8 वित्तीय स्थिति

निम्नांकित सारणी 1985-86 तक गत 5 वर्षों हेतु अनन्तिम लेखे के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति सूचित करती है:

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
	(लाख	रूपयों	में)		
क. देयतायें					
1.प्रदत्त पूँजी (शेयर पूँजी के समक्ष अग्रिम सहित)	215.00	245.00	275.00	312.00	312.00

	1981 -82	1982 -83	1983 -84	1984 -85	1985 -86
		(लाख रूपयों में)			
2. आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष					
(i) पूँजी आरक्षण	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
(ii) निवेश भत्ता आरक्षण	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78
(iii) अतिरिक्त मूल्यह्रास आरक्षण	—	—	—	—	—
3. ऋण					
(i) वित्तीय संस्थानों से	195.82	260.80	266.58	—	—
(ii) नियन्त्रक कम्पनी से	—	—	—	—	—
(iii) बैंकों से (कैश क्रेडिट) अस्थायी ऋण	6.73	1.65	37.14	302.02	336.56
4. वर्तमान देयतायें (प्रावधानों सहित)	81.45	168.91	210.66	191.35	318.96
योग-क	**509.78**	**687.14**	**800.16**	**816.15**	**978.30**
ख परिसम्पत्तियाँ					
1. निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	87.09	164.35	188.97	184.13	189.02
2. प्रगतिगत पूँजी कार्य	1.27	—	—	—	—
3. चल परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम:					
(i) भण्डार-सूचियां	36.80	39.39	44.33	62.50	95.84
(ii) विविध देनदार	59.27	65.22	42.66	53.45	91.50
(iii) रोकड़ तथा बैंक बैलेंस	155.49	179.35	209.25	290.69	278.01
(iv) ऋण तथा अग्रिम :					
क. कर्मचारियों को ऋण	9.09	11.77	7.86	8.75	5.95
ख. अन्य को ऋण	139.47	215.11	298.11	227.58	314.22
4. संचित लाभ(+)/हानि(-)	+21.30	+11.95	+8.98	-10.95	+3.76
योग-ख	**509.78**	**687.14**	**800.16**	**816.15**	**978.30**
ग. नियोजित पूँजी[x]	**257.20**	**279.40**	**274.55**	**399.42**	**335.41**
घ. निवल मूल्य[@]	**225.78**	**255.78**	**285.78**	**322.78**	**322.78**

टिप्पणियाँ (i) ×नियोजित पूँजी कार्यचालन पूँजी को छोड़कर निवल अचल सम्पत्तियाँ (प्रगतिगत पूँजी कार्य को जोड़कर) का निरूपण करती है।

(ii) @ निवल मूल्य आरक्षणों को जोड़कर तथा अमूर्त परिसम्पत्तियों को घटाकर प्रदत्त पूँजी का निरूपण करती है ।

2-ख-9 **कार्यचालन परिणाम**

1980-81 तक संचित हानियों की धनराशि 19.82 लाख रूपये हो गयी थी । कम्पनी ने बाद के वर्षों के लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया यद्यपि 1981-82 से 1983-84 वर्षों के लिये सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हो गयी थी । फिर भी, कम्पनी द्वारा तैयार किये गये अनन्तिम लेखे के अनुसार, कार्यचालन परिणामों ने क्रमशः 1981-82 एवं 1985-86 के दौरान 1.48 लाख रूपये तथा 14.71 लाख रूपये की हानि तथा 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 के दौरान 9.35 लाख रूपये, 2.97 लाख रूपये और 19.93 लाख रूपये का लाभ सूचित किया जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

	1981 -82	1982 -83	1983 -84	1984 -85	1985 -86
			(लाख रूपयों में)		
1. आय	197.44	301.05	386.50	491.73	624.21
2. (क) ब्याज, आयकर, मूल्यह्रास और निवेश भत्ता आरक्षित निधियों को छोड़कर व्यय	189.21	278.25	359.48	437.74	599.65
(ख) ब्याज	—	—	2.82	11.57	14.49
(ग) आयकर	—	—	—	—	—
(घ) मूल्यह्रास तथा निवेश भत्ता आरक्षित निधियां	9.71	13.45	21.23	22.49	24.78
योग-	198.92	291.70	383.53	471.80	638.92
3. निवल लाभ(+)/हानि(-)	-1.48	+9.35	+2.97	+19.93	-14.71

1982-83 से 1984-85में अर्जित लाभ की तुलना में 1985-86 के दौरान कम्पनी द्वारा उठायी गयी हानियों का मुख्य कारण व्यय में अनानुपातिक वृद्धि थी । जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा निरूपित किया गया, रेज़िन एण्ड टरपेन्टाइन फैक्टरी में अपेक्षाकृत कम क्षमता उपयोग, नियत प्रतिमान की तुलना में प्रक्रिया हानि की अत्यधिक प्रतिशतता, पर्यटक विश्रामगृहों एवं सामूहिक पर्यटनों का अलाभकर कार्यचालन, इन्टेगेरेटेड वुड वर्क में इमारती लकड़ी की अत्यधिक बर्बादी और फ्लश डोर फैक्टरी में उत्पादन एवं विक्रय के लक्ष्यों की अप्राप्ति, व्यय में वृद्धि के कारण थे ।

चूँकि कम्पनी ने 1981-82 से आगे अपने वार्षिक लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया, निष्क्रिय निधि की धारिता को कम करने के लिये समुचित निगरानी, उत्पादित निधियो, अर्न्तवाहों (इन्फ्लोज़), बर्हिवाहों (आउटफ्लोज़) का सर्वोत्तम प्रयोग तथा वित्तीय आवश्यकताओं आदि का आकलन समुचित रूप से नहीं किया जा सका । कम्पनी की राजस्व - प्राप्तियों के जाँच परीक्षण से प्रकट हुआ कि 5 इकाइयों में 1981-82 के दौरान 1.37 लाख रूपयों की राजस्व प्राप्तियाँ विभिन्न बैंकों / डाकघरों में इन इकाइयों में संलग्न कर्मचारियों के नामों में जमा की गयी थीं जो कम्पनी के राजस्व लेखा में कहीं जाकर फरवरी और मार्च 1985 और अप्रैल 1987 में अन्तरित की गयीं । 5,427 रूपये अभी भी सोन प्रयाग में पड़े हुये थे (मार्च 1988)।

2.ख.10 अन्य रोचक बिन्दु

2.ख.10 (क) जोशीमठ-गोरोसन रज्जूपथ परियोजना

औली में होने वाले शीतकालीन खेल-कूदों (स्काइंग)

में पर्यटकों के नियमित रूप से सम्मिलित होने को प्रोत्साहित करने के लिये कम्पनी ने त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, नैनी (इलाहाबाद) (टी.एस.एल.) - भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान - के माध्यम से चमोली जनपद में जोशीमठ एवं गोरोसन के मध्य एक रज्जूपथ (3.8 कि.मी.) बनाने पर विचार किया (नवम्बर 1976) । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हेतु टी.एस.एल.को 89 लाख रूपये का अग्रिम भुगतान किया गया (मई 1977)। 1980-81 में परियोजना प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात् 221.05 लाख रूपये की लागत पर रज्जूपथ के रूपांकन, निर्माण, आपूर्ति एवं प्रतिष्ठापन के लिये टी.एस.एल. के साथ एक अनुबन्ध निष्पादित किया गया (जुलाई 1982) । रज्जूपथ मार्ग की पूँजी लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी तथा रज्जूपथ कम्पनी द्वारा परिचालित किया जाना था। लाभ का 25 प्रतिशत सरकार को भुगतान किया जाना था ।

परियोजना लागत अप्रैल 1986 में 493.33 लाख रूपये और पुन: अक्टूबर 1986 में 700.92 लाख रूपये पुनरीक्षित कर दी गयी । यद्यपि परियोजना समझौते की तिथि से 30 माह में (दिसम्बर 1984 तक) पूर्ण की जानी थी तथापि यह मार्च 1988 तक भी पूर्ण नही हुयी । 397.13 लाख रूपये के कुल व्यय में से 270.90 लाख रूपये का भुगतान टी.एस.एल. को किया गया (मार्च 1988) ।

सरकार द्वारा निधियों को समय से अवमुक्त न करना वृक्ष, विद्युत तथा दूरभाष तारों जैसे अवरोधों से मुक्त निर्माण स्थल के सौंपने में विलम्ब, प्राइवेट व्यक्तियों से भूमि का अधिग्रहण एवं

वन विभाग द्वारा निर्वाधिता संकेत (क्लियरेन्स) देने में विलम्ब कार्य के पूर्ण न होने के कारण थे । रज्जूपथ के अभी भी पूर्ण न होने तथा विलम्ब के कारण परियोजना की लागत में अत्यधिक वृद्धि होने से यह सम्भव नही था कि रज्जूपथ का परिचालन लाभप्रद होगा ।

2.ख.10(ख) हाइड्रौलिक प्लाईवुड प्रेस का क्रय

आबकारी शुल्क और बिक्री-कर को छोड़कर 9.00 लाख रूपयों हेतु, फ्लश डोर फैक्टरी, कोटद्वार के लिये 6.30 टन क्षमता वाले हाइड्रौलिक प्लाईवुड प्रेस के क्रय के लिये अप्रैल 1982 में कम्पनी द्वारा यमुनानगर की एक फर्म को आदेश दिया गया । परिदान की अवधि, आदेश की प्राप्ति की तिथि से 10 माह थी । 16 अप्रैल 1982 से 15 अप्रैल 1983 तक एक वर्ष के लिये वैध बैंक गारण्टी के समक्ष फर्म को 3.60 लाख रूपये की धनराशि का भुगतान कर दिया गया (अप्रैल 1982) ।

जब प्रेस का परिदान लम्बित था, आबकारी शुल्क, बिक्री-कर इत्यादि को छोड़कर 6.70 लाख रूपयों हेतु उसी फैक्टरी के लिये 4.50 टन क्षमता वाले एक ऐसे ही अन्य प्रेस के क्रय के लिये कम्पनी ने बंगलौर की एक फर्म के पक्ष में जुलाई 1982 में इस आधार पर ओदश दे दिया कि इस समय उच्चतर क्षमता वाला प्रेस फैक्टरी के लिये उपयोगी नहीं होगा । बंगलौर की फर्म से प्रेस का परिदान अक्टूबर 1982 में प्राप्त किया गया । तीन माह की अल्प अविध के अन्दर, फैक्टरी की आवश्यकता को 6.3 टन क्षमता वाले प्रेस से 4.5 टन क्षमता वाले प्रेस के निर्धारण में पुनरीक्षण हेतु आधार अथवा औचित्य अभिलेख में नहीं था ।

यद्यपि यमुनानगर की फर्म को आदेशित प्रेस का प्रेषण पूर्व निरीक्षण कम्पनी एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा फरवरी 1984 में किया गया था फिर भी कम्पनी से प्रेषण अनुदेशों के अभाव के कारण फर्म द्वारा प्रेस प्रेषित नहीं किया गया । फर्म की बैंक प्रत्याभूति की वैधता भी, जो समय-समय पर बढ़ाई गयी थी, अप्रैल 1984 में समाप्त हो गयी । मई 1985 में फर्म ने प्रस्ताव रखा कि मार्च 1984 से प्रेस उठाने की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज और 3 प्रतिशत भण्डारण प्रभारों को जोड़कर प्रचलित शुल्कों तथा करों के भुगतान पर अथवा विकल्प स्वरूप 10.05 लाख रूपयों के और एक मुश्त भुगतान पर कम्पनी द्वारा प्रेस उठाया जा सकता है, किन्तु इस तथ्य के बावजूद कि यदि प्रेस का परिदान प्राप्त नहीं किया गया तो फर्म कम्पनी द्वारा भुगतान किये गये अग्रिम (3.60 लाख रूपये) को जब्त कर सकती है, प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया (मई 1985) । तत्पश्चात् मार्च 1987 तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा फर्म ने प्रेस के मूलभूत मूल्य को बढ़ाकर 11.50 लाख रूपये (आबकारी शुल्क, बिकी-कर आदि छोड़कर) कर दिया ।

मार्च 1987 में विषय पर पुन: विचार करते समय बोर्ड ने निर्णय लिया कि 3.60 लाख रूपयों का अग्रिम जब्त कराने के बजाय प्रेस खरीदा जाना चाहिये और प्रेस की लागत सहित 23 लाख रूपयों की लागत पर फ्लश डोर फैक्टरी के परिसर में एक नयी औद्योगिक इकाई "गढ़वाल डोर्स" की स्थापना की जानी चाहिये । एक औद्योगिक इकाई की स्थापना का निर्णय स्पष्टतया पहले ही आदेशित मशीन को प्रतिष्ठापित करने के लिये किया गया था न कि ऐसी इकाई की स्थापना की आवश्यकता के विचार से । और भी,

नई इकाई की स्थापना अनुमोदित करते समय, इकाई की आर्थिक जिब्यता, माँग की सम्भावना, कच्चे माल की उपलब्धता एवं निधियों के स्रोतों आदि का आकलन तथा विचार नहीं किया गया। न तो कम्पनी द्वारा प्रेस का परिदान प्राप्त किया गया (मार्च 1988) और न ही औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु बोर्ड के मार्च 1987 के निर्णय पर कोई कार्यवाही की गयी (मार्च 1988)। इस प्रकार अनुचित योजना तथा आवश्यकता के गलत आकलन के कारण आपूर्तिकर्त्ता को अग्रिम दिये गये 3.60 लाख रूपये इन सभी वर्षों के दौरान अवरूद्ध रहे।

2.ख.10(ग) निष्क्रिय प्लाण्ट एवं मशीनरी

1977-78 में, गवाना (उत्तरकाशी) में पेन्सिल एवं पेन्सिल स्लाट उद्योग की स्थापना के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग, ने कम्पनी को अन्य उपकरणों सहित डाई एवं वैक्स प्लाण्ट (मूल्य : 1.66 लाख रूपये) हस्तान्तरित किया। कम्पनी द्वारा पेन्सिल स्लॉट एवं पेन्सिल उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकीं, फिर भी अन्य उपकरणों का प्रयोग इन्टेगरेटेड वुड वर्क के सीजनिंग प्लांटों में किया गया परन्तु 0.40 लाख रूपये मूल्य के डाई एवं वैक्स प्लाण्ट खुले स्थान पर बेकार पड़े हैं। समय बीतने के साथ संयंत्र को जंग लगने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। संयंत्र को उपयोग में लाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

कम्पनी तथा सरकार को उपर्युक्त मामले जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989)।

अध्याय – 3

सांविधिक निगमों से सम्बन्धित समीक्षा

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

(विद्युत विभाग)

3. पारीछा तापीय विद्युत्-परियोजना के सिविल निर्माण-कार्यों का निष्पादन

मुख्य बातें

पारीछा में 220 मेगावाट की प्रारम्भिक संस्थापित क्षमता वाले विद्युत् केन्द्र की स्थापना के लिये 83.72 करोड़ रूपये (सिविल निर्माण कार्य : 14.38 करोड़ रूपये) का परियोजना प्राक्कलन अक्टूबर 1977 में अनुमोदित किया गया जिसे परियोजना के चालू होने के पश्चात् 1986 में 198.26 करोड़ रूपये (सिविल कार्य : 52.72 करोड़ रूपये) तक पुनरीक्षित कर दिया गया। मार्च 1987 तक बुक किया गया वास्तविक व्यय 189.50 करोड़ रूपये (सिविल कार्य : 49.24 करोड़ रूपये) था । मूल प्राक्कलन की तुलना में सिविल कार्यों की लागत में वृद्धि 25.12 करोड़ रूपये (174.7 प्रतिशत) मूल्य के रूपांकन/क्षेत्र में बारम्बार परिवर्तन तथा 13.22 करोड़ रूपये (91.9 प्रतिशत) की मूल्य वृद्धि के कारण थी ।

सिविल निर्माण कार्यों के निष्पादन के सम्बन्ध 151.49 लाख रूपयों की निहित धनराशि वाली प्रशास शिथिलतायें, वित्तीय अनियमिततायें एवं परामर्शदाताओं की अक्षम विद्युतीय एवं यन्त्रीय कार्य विलम्ब से प्रारम्भ हुये और परिणाम जून 1981 तथा दिसम्बर 1981 में चालू होने के लिये नि परियोजना की दो इकाइयाँ विलम्ब से क्रमशः अप्रैल 1985 त दिसम्बर 1985 में चालू हुयीं । परिषद् द्वारा नियु परामर्शदाता जिनसे अपेक्षित था कि वे निविदा विशिष्टियाँ बनाने लेकर परियोजना के पूर्ण रूप से चालू होने तक परियोजना के स क्रिया कलाप आयोजित तथा समन्वित करेंगे, जैसा कि परिषद् द्वा बाद में स्वीकार किया गया, हाइड्रौलिक स्ट्रक्चर में अपने सीमि अनुभव के कारण अक्षम तथा अयोग्य साबित हुये । वे अधिकां मामलों में समय पर रेखांकन देने में असफल रहे तथा जो दिये गये उनका पुनः रूपांकन करना पड़ा, फलस्वरूप समय अतिक्रमण हुआ । उनके द्वारा प्रारम्भ में आकलित मात्रा अयथार्थवत् एवं असमान्य रूप से कम थीं, परिणामतः लागत अतिक्रमण हुआ । अनुबन्ध में दण्डात्मक उपवाक्य के होने बावजूद परिषद् ने उनके पक्ष में विभिन्न विलम्बों, चूकों असफलताओं एवं कमियों के लिये अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

सिविल निर्माण कार्यों के निष्पादन के सम्बन्ध में 151.4 लाख रूपयों की निहित धनराशि वाली प्रशासनिक शिथिलतायें वित्त अनियमिततायें एवं परामर्शदाताओं की अक्षमता तथा अयोग्यतायें ले परीक्षा के दौरान देखी गयीं जिनके उदाहरण निम्नवत् थे:

—उच्चतर दर पर कार्य की अतिरिक्त मदों के निष्पादन अतिरिक्त व्यय (51.25 लाख रूपये);

—परिषद् द्वारा आपूर्तित स्टील एवं सीमेण्ट के सम्बन्धा में मूल्य वृद्धि के प्रति अतिरिक्त संविदागत भुगतान (10.76 लाख रूपये), जल शीतलीकरण प्रणाली (वाटर कूलिंग सिस्टम) के सम्बन्ध में आउटफाल स्ट्रक्चर के दोषपूर्ण रूपांकनों के कारण परिहार्य व्यय (5.86 लाख रूपये),

—विभिन्न उपवाक्यों आदि की भाषा में अस्पष्टता के फलस्वरूप इन्टेक चैनेल के निर्माण में लगाये गये ठेकेदार का 74.33 लाख रूपयों का दावा जिसे विवाचन हेतु ले जाना पड़ा,

—अपेक्षित आकार के पत्थरों की अनुपलब्धता के कारण 300 मि0मी0 मोटाई के बजाय 350 मि0मी0 मोटाई में चहार दीवारी के निर्माण के कारण अतिरिक्त व्यय (3.43 लाख रूपये),

—संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) कार्य के लिये परिषद् द्वारा आपूर्तित स्टील की छीजन के प्रति, अनुबन्ध में निर्धारित 5 प्रतिशत के बजाय 9.4 प्रतिशत की स्वीकृति देकर 20.68 लाख रूपये की वसूली त्याग देने के अलावा बोल्टों की आपूर्ति एवं उनको लगाने हेतु 5.93 लाख रूपये के अमान्य भुगतान,

—कार्य स्थल के चुनाव में विलम्ब तथा पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद रेखांकनों को अवमुक्त करने के कारण मूल ठेकेदार द्वारा बीच में ही छोड़ दिये गये कुछ उप-भवनों को दूसरे ठेकेदार से पूर्ण कराने के कारण 8.89 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय,

—परिसज्जन कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण 27.35 लाख रूपये की मूल्य वृद्धि का भुगतान ठेकेदार परआरोपणीय नहीं थे,

—सितम्बर 1983 की बाढ़ में 13,608 बोरी सीमेण्ट (मूल्य : 5.23 लाख रूपये) की क्षति और एक ठेकेदार को भुगतान की गयी (1.08 लाख रूपये) और भुगतान के लिये पारित (1.51 लाख रूपये) श्रम वृद्धि की अमान्य धनराशि के फलस्वरूप उसको अनुचित लाभ लेखा परीक्षा में देखे गये अन्य बिन्दु थे ।

3.01 **प्रस्तावना**

राज्य में विद्युत शक्ति की बढ़ती हुयी मांग को पूरा करने की दृष्टि से परिषद् ने 97 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर पारीछा में 400 मेगावाट की प्रारम्भिक संस्थापित क्षमता की एक थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना के लिये सेण्ट्रल वाटर एवं पावर कमीशन (सी.डब्ल्यू.पी.सी.) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जुलाई 1973)।

योजना-आयोग के साथ हुयी परिचर्चा के आधार पर, भविष्य में द्वितीय चरण के अन्तर्गत समान आकार की दो इकाइयाँ अथवा 220 मेगावाट की एक इकाई जोड़कर 440 मेगावाट तक संस्थापित क्षमता की अभिवृद्धि हेतु प्रावधान के साथ प्रथम चरण में 110 मेगावाट की दो इकाइयों की प्रारम्भिक स्थापना हेतु परियोजना प्राक्कलन को आशोधित करने तथा पुनः प्रस्तुत करने का निर्णय जुलाई 1976 में लिया गया । फिर भी, दोनों चरणों के लिये सामान्य सुविधायें प्रथम चरण में ली जानी थीं ।

1976 के प्रथम त्रैमास में प्रचलित मूल्यों के आधार पर प्रथम चरण में 110 मेगावाट की दो इकाइयों की प्रारम्भिक

संस्थापना हेतु 81.18 करोड़ रूपयों हेतु एक परियोजना प्राक्कलन परिषद् द्वारा अक्टूबर 1976 में सेण्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (सी.ई.ए.) को प्रस्तुत किया गया और सी.ई.ए. की संस्तुतियों पर; सिविल कार्यों की लागत (14.38 करोड़ रूपये) सहित 83.72 करोड़ रूपयों हेतु परियोजना की व्यवहार्यता योजना-आयोग द्वारा अक्टूबर 1977 में अनुमोदित की गयी ।

83.72 करोड़ रूपये के परियोजना प्राक्कलन में भूमि, जलसरणियों को चलाने वाली अन्तर्ग्राही तथा बहिर्गामी मोरियां, रेल पथिका, कोयला प्रयोग प्रणाली आदि जो 440 मेगावाट विद्युत केन्द्र की चरम क्षमता के लिये अपेक्षित थे, की लागत सम्मिलित थी। परियोजना हेतु प्रशासनिक अनुमोदन परिषद् द्वारा जनवरी 1979 में दिया गया ।

परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, प्रथम इकाई जून 1981 तक तथा द्वितीय इकाई दिसम्बर 1981 तक चालू की जानी थी । इन तिथियों के समक्ष प्रथम इकाई वस्तुतः अप्रैल 1985 में तथा द्वितीय इकाई दिसम्बर 1985 में वाणिज्य भार पर चालू की गयीं ।

3.02 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

स्टील स्ट्रक्चरल सहित सिविल कार्यों से सम्बन्धित बड़ी संविदाओं, उनकी लागत में वृद्धि तथा अधिक लिये गये समय की समीक्षा लेखा परीक्षा के दौरान की गयी तथा देखे गये मुख्य बिन्दुओं की चर्चा परवर्ती प्रस्तरों में की गयी है ।

3.03 **संगठनात्मक ढाँचा**

सिविल निर्माण कार्य संगठन पूर्णतया परिषद् के सदस्य (तापीय) के प्रभार के अन्तर्गत है, जिनकी सहायता के लिये मुख्य अभियन्ता, थर्मल डिज़ाइन एण्ड इन्जीनियरिंग (टी.डी.ई.) हैं। टी.डी.ई. की सिविल इकाइयां विभिन्न परियोजनाओं के बड़े सिविल कार्यों के रेखांकनों, रूपांकनों, निविदा विशिष्टियों, अनुबन्धों आदि को अन्तिम रूप देने के कार्य की देख-रेख करती हैं । परियोजना स्तर पर, परियोजना के निर्माण सम्बन्धी सिविल कार्य अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की श्रेणी के मुख्य परियोजना प्रबन्धक (सी.पी.एम.) के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन तीन अधिशाषी अभियन्ताओं (सिविल) तथा अन्य अधीनस्थ अभियन्ताओं / स्टाफ की सहायता से एक अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) द्वारा निष्पादित किये जाते हैं ।

3.04 **लागत का अतिक्रमण (ओवर रन)**

आउंट फाल स्ट्रक्चर, कुछ आवासीय तथा अनावासीय भवनों एवं कुछ अन्य लघु कार्यों को छोड़कर अन्य सभी कार्यों के पूर्ण हो जाने के बाद तथा दो उत्पादक इकाइयों के क्रमशः अप्रैल 1985 एवं दिसम्बर 1985 में वाणिज्य भार पर चालू हो जाने के बाद परियोजना अधिकारियों ने 83.72 करोड़ रूपये के मूल परियोजना प्राक्कलन को जून 1986 में पुनरीक्षित करके 198.26 करोड़ रूपये कर दिया।

पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन, यद्यपि परिषद् द्वारा अभी तक (अगस्त 1987) अनुमोदित नहीं किये गये, पहले ही पूर्ण हो

गये अथवा हाथ में ले लिये गये विभिन्न कार्यों एवं आपूर्ति संविदाओं में प्रावधानित मूल्य वृद्धियों सहित वास्तविक मूल्यों पर प्रारम्भ किये जाने वाले बचे हुये कार्य अप्रैल 1985 में प्रचलित मूल्यों पर आधारित थे। मार्च 1987 तक परियोजना पर किया गया कुल पूँजी व्यय, जब कुछ कार्यों का निर्माण प्रगति में था तथा पूर्ण किये गये विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में अन्तिम भुगतान किये जाने थे, निर्माण कार्यों के व्यय (49.24 करोड़ रूपये) सहित 189.50 करोड़ रूपये था।

पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार लागत में वृद्धि (114.54 करोड़ रूपये) के कारण, जैसा कि परियोजना प्राधिकारियों द्वारा बताया गया, मूल्य वृद्धि (44.05 करोड़ रूपये), कार्य के रूपांकन तथा क्षेत्र में परिवर्तन (65.43 करोड़ रूपये) तथा भाड़ा, बीमा, करों आदि में वृद्धि (5.06 करोड़ रूपये) थी।

मूल्य वृद्धि तथा सिविल कार्यों और अन्य कार्यों में रूपांकन तथा क्षेत्र में परिवर्तन के कारण हुयी लागत वृद्धि, जैसा कि पुनरीक्षित परियोजना प्राक्कलन में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा विश्लेषित किया गया है, निम्न तालिका में दिया जाता है:

विवरण	निम्न के अनुसार लागत		लागत में वृद्धि		निम्न के कारण लागत में वृद्धि की प्रतिशतता	
	मूल प्राक्कलन (सितम्बर 1976)	पुनरीक्षित प्राक्कलन (जून 1986)	मूल्य वृद्धि	रूपांकन तथा क्षेत्र में परिवर्तन	मूल्य वृद्धि	रूपांकन तथा क्षेत्र में परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7
		(करोड़ रूपयों में)				
सिविल कार्य	14.38	46.32	6.82	25.12	47.4	174.7

1	2	3	4	5	6	7
सिविल कार्यों को छोड़कर	69.34	151.94	37.23	40.31	53.7	58.1
योग–	**83.72**	**198.26**	**44.05**	**65.43**	**52.6**	**78.2**

इस सन्दर्भ में निम्नांकित संवीक्षायें की जाती हैं:

I. विभिन्न सिविल कार्यों को प्रभार्य स्टील एवं सीमेण्ट की 6.40 करोड़ रूपये की मूल्य वृद्धि पुनरीक्षित प्राक्कलन में "सस्पेन्स स्टील/सीमेण्ट" शीर्ष के अन्तर्गत अलग से दर्शायी गयी थी । लागत वृद्धि के प्रभाव का विश्लेषण करते समय स्टील एवं सीमेण्ट में मूल्य वृद्धि (6.40 करोड़ रूपये) सिविल कार्यों में लेखाकृत करने के बजाय सिविल कार्यों के बजाय अन्य कार्यों में मूल्यवृद्धि (37.23 करोड़ रूपये) में गलत लेखाकृत की गई थी । अत: सिविल निर्माण कार्यों एवं सिविल निर्माण कार्यों से इतर निर्माण कार्यों में मूल्य वृद्धि के कारण, लागत वृद्धि, पुनरीक्षित प्राक्कलन में दर्शित 6.82 करोड़ रूपये एवं 37.23 करोड़ रूपये के समक्ष क्रमश: 13.22 करोड़ रूपये एवं 30.83 करोड़ रूपये आती है। इस प्रकार, सिविल निर्माण कार्यों में मूल्य वृद्धि के कारण लागत में वृद्धि वास्तव में पुनरीक्षित प्राक्कलन में दर्शाये गये 47.4 प्रतिशत के समक्ष 91.9 प्रतिशत थी ।

ii. इसके अतिरिक्त, विभिन्न सिविल निर्माण कार्यों को आवंटित न कर सस्पेन्स के अन्तर्गत 6.40 करोड़ रूपयों का व्यय रखने तथा परियोजना के चालू होने के लगभग डेढ़ वर्ष बाद भी सस्पेन्स लेखा को असमाशोधित (नान–क्लियरेन्स) रखने के लिये मांगे गये कारण

भी परिषद द्वारा नहीं बताये गये (मई 1988)। इस व्यय के आवंटन के अभाव में, सिविल निर्माण कार्यों के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत लागत में वृद्धि का प्रभाव सुनिश्चित करने योग्य नहीं है। कार्यों के रूपांकन और क्षेत्र में परिवर्तन के कारण सिविल निर्माण कार्यों में लागत वृद्धि (25.12 करोड़ रूपये) के कारण परिषद को कोई लाभ या अतिरिक्त सामान्य सुविधा प्राप्त नहीं हुई।

(iii) रूपांकन और क्षेत्र में परिवर्तन के कारण लागत वृद्धि मुख्यतया परियोजना की कार्य स्थल स्थितियों पर विचार किये बिना मूल प्राक्कलन में सिविल निर्माण कार्यों हेतु लागत का प्राक्कलन करना था जिसकी उत्तरवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

3.05 समय का अतिक्रमण

यद्यपि परियोजना अक्टूबर 1977 में ही योजना-आयोग द्वारा निर्बाधित कर दी गयी थी किन्तु परियोजना की भूमि की जाँच-पड़ताल का काम बम्बई के एक ठेकेदार को जून 1978 में सौंपा गया था और जनवरी 1979 में पूर्ण किया गया। परियोजना के प्रमुख सिविल निर्माण कार्य हेतु ठेके नवम्बर 1978 से जुलाई 1982 के दौरान दिये गये। प्रमुख सिविल कार्यों के निष्पादन में विलम्ब 6 माह और 48 माह के बीच था जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

कार्य का नाम	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	पूर्ण होने की तिथि		पूर्ण होने में विलम्ब
		नियत	वास्तविक	(महीनों में)
1	2	3	4	5
रेल पथिका (साइडिंग)/ मार्शलिंग यार्ड	दिसम्बर 1978	अक्टूबर 1980	नवम्बर 1984	48

1	2	3	4	5
पाइलिंग कार्य	मई 1979	फरवरी 1980	जनवरी 1981	10
कोल हैंडलिंग प्लाण्ट और स्विच यार्ड का नींव कार्य	नवम्बर 1979	फरवरी 1981	नवम्बर 1982	20
ब्वायलर क्षेत्र का नींव कार्य	दिसम्बर 1979	जून 1980	जनवरी 1981	6
मुख्य विद्युत भवन का स्ट्रक्चरल कार्य	सितम्बर 1979	सितम्बर 1981	जून 1983	20
मुख्य विद्युत गृह भवन का परिष्करण (फिनिशिंग) कार्य	सितम्बर 1980	जनवरी 1982	नवम्बर 1984	33
चिमनी	फरवरी 1980	मई 1981	नवम्बर 1982	17
सर्कुलेटिंग वाटर पम्प हाउस, डिस्चार्ज चैनेल इत्यादि	सितम्बर 1980	मार्च 1982	अगस्त 1984	28
अन्तर्ग्राही सरणि (इन्टेक चैनेल)	मई 1982	नवम्बर 1982	अप्रैल 1984	16
सर्कुलेटिंग वाटर प्रेशर डक्ट	सितम्बर 1980	मार्च 1982	जुलाई 1984	15

1	2	3	4	5
सहायक भवन	सितम्बर 1980	मार्च 1982	दिसम्बर 1984	32
सड़कें तथा नालियाँ	जून 1981	दिसम्बर 1982	अप्रैल 1984	15
चहारदीवारी	नवम्बर 1981	अक्टूबर 1982	जनवरी 1985	26

प्रबन्धकों द्वारा विभिन्न सिविल कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब के निम्नांकित कारण बताये गये:

(i) निविदाओं को आमन्त्रित करने तथा उनको अन्तिम रूप देने के समय परामर्शदाताओं/टी.डी.ई. द्वारा मात्राओं के अयथार्थवत् आकलन तथा कार्य के रूपांकन एवं क्षेत्र में परिवर्तन के कारण संविदा में प्रावधानित कार्य की मात्राओं में वृद्धि,

(ii) परामर्शदाताओं द्वारा रूपांकन को अवमुक्त करने में विलम्ब,

(iii) उसी क्षेत्र में कार्यरत अन्य ठेकेवाले अभिकरणों द्वारा कार्यस्थल की अवमुक्ति में विलम्ब और

(iv) अनुपलब्धता के कारण ठेकेदारों को सीमेण्ट एवं स्टील निर्गत करने में विलम्ब ।

विभिन्न कारकों के कारण विभिन्न कार्यों के पूर्ण होने में हुये विलम्ब हेतु उत्तरदायित्व परिषद् द्वारा निर्धारित नहीं किया गया (अगस्त 1987) ।

विभिन्न सिविल निर्माण कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब के फलस्वरूप, विद्युत एवं यान्त्रिक कार्यों के आरम्भ होने में तथा प्रथम एवं द्वितीय उत्पादन इकाइयों के चालू होने में क्रमशः 45 माह एवं 47 माह का विलम्ब हो गया ।

3.06 **परामर्शदाताओं का कार्य-सम्पादन**

परिषद् ने, 0.30 लाख रूपये प्रतिमाह (सिविल कार्यों हेतु प्रतिमाह 0.15 लाख रूपये सम्मिलित करते हुये) पर उनके कार्यस्थल अभियन्ताओं की सेवाओं हेतु भुगतान के अतिरिक्त परामर्श-दाताओं की एक फर्म-निम्नतम् निविदा-41.50 लाख रूपये की फीस पर (सिविल निर्माण कार्यों हेतु 9.70 लाख रूपये सहित) की नियुक्ति की (अप्रैल 1978)। परामर्श के क्षेत्र में कार्यों के लिये निविदा प्रलेख तैयार करना एवं विशिष्टियों के प्रारूप तैयार करना तथा संयंत्रों और उपस्करों की प्राप्ति, निविदा मूल्यांकन, सिविल वैद्युत और यान्त्रिक सभी कार्यों हेतु बेसिक और विस्तृत रूपांकन तथा इंजीनियरिंग प्रस्तुत करना, ठेकेदारों को कार्यस्थल पर तकनीकी मार्गदर्शन, परियोजना के अधिष्ठापन, परीक्षण एवं चालू होने का पर्यवेक्षण निरीक्षण, कार्यों के समय पर पूर्ण होने हेतु सम्पूर्ण समन्वयन आदि सम्मिलित था । अगस्त 1987 तक परामर्शदाता को लगभग 40.25 लाख रूपयों (कुल 41.50 लाख रूपयों की फीस में से) का भुगतान किया गया । यद्यपि परामर्शदाताओं से उनके कारण हुये विलम्बों तथा चूकों के लिये संविदा मूल्य के अधिकतम् 10 प्रतिशत तक अर्थदण्ड वसूलने हेतु संविदा में एक दण्डात्मक उपवाक्य का प्रावधान था, फिर भी उनके पक्ष में किये गये विभिन्न विलम्बों तथा दोषों, विफलताओं एवं चूकों के लिये दण्डात्मक

उपवाक्य लागू करने की परिषद् द्वारा कोई कार्यवाही (अगस्त 1987) नहीं की गयी (जैसा कि उत्तरवर्ती प्रस्तरों में चर्चित है)।

3.07 सिविल निर्माण कार्यों का निष्पादन

निम्न सारणी मोटे उपशीर्षों के अन्तर्गत मार्च 1987 तक मूल एवं पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार विभिन्न सिविल कार्यों की लागत तथा वास्तविक व्यय सूचित करती है:

सिविल निर्माण कार्यों के विवरण	निम्न के अनुसार लागत		मार्च 1987 तक वास्तविक व्यय	मूल प्राक्कलन से वास्तविक व्यय में वृद्धि की प्रतिशतता
	मूल प्राक्कलन (सितम्बर-1976)	पुनरीक्षित प्राक्कलन (जून 1986)		
1	2	3	4	5
	(करोड़ रूपयों		में)	
सड़क, पुलिया तथा पुल	0.80	2.60	2.42	202.5
रेल पथिका तथा मार्शलिंग यार्ड	1.60	5.71	5.67	245.4
भवन	5.42	15.58	12.89	137.8
संयंत्रों तथा उपस्करों हेतु नींव	1.17	2.40	2.37	102.6
स्टील स्ट्रक्चर्स	2.10	4.00	4.39	109.0
चिमनी	0.20	0.39	0.39	95.0
सी.डब्ल्यू.सिस्टम के वाटर इन्टेक और डिस्चार्ज स्ट्रक्चर्स, चैनेल्स तथा डक्ट्स इत्यादि	1.17	7.60	7.20	515.4

1	2	3	4	5
	(करोड़	रूपयों में)		
कोल हैण्डलिंग सिस्टम	0.93	1.60	1.47	58.1
कूलिंग टावर्स	0.40	1.70	1.24	210.0
अन्य विविध कार्य	0.59	2.94	2.80	374.6
बाढ़ सुरक्षा कार्य	—	1.80	0.15	—
सस्पेंस स्टील/सीमेण्ट	—	6.40	8.25	—
योग सिविल निर्माणकार्य :	14.38	52.72	49.24	—

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि विविध निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में मूल प्राक्कलन से मार्च 1987 तक वास्तविक व्यय में वृद्धि की प्रतिशतता 58.1 प्रतिशत एवं 515.4 प्रतिशत के मध्य रही।

अक्टूबर 1975 मे निर्गत परिषद् के आदेशों के अनुसार, निष्पादन हेतु कोई कार्य तब तक हाथ में नहीं लिया जाना है जब तक उसके विस्तृत प्राक्कलन तैयार तथा स्वीकृत न हो जाये। फिर भी, लेखा परीक्षा (सितम्बर 1987) में यह देखा गया कि मार्च 1987 तक कुल 49.24 करोड़ रूपयों के निहित व्यय वाले सम्पूर्ण सिविल निर्माण कार्यो हेतु विस्तृत प्राक्कलन तैयार नहीं किये गये अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं कराये गये (अगस्त 1987)।

सिविल कार्यो के संविदाओं की लेखा परीक्षा (मई/सितम्बर 1987) में जाँच-परीक्षण के दौरान निम्नांकित बिन्दु देखे गये :

(क) परिवाही (सर्कुलेटिंग) जल प्रणाली

परिवाही जल प्रणाली, पम्पघर, सहायक पम्पघर और आउटफाल स्ट्रक्चर सहित निकास सरणि (डिस्चार्ज चैनेल) आदि के निर्माण कार्य, परमार्शदाताओं द्वारा निविदाओं के नोटिस के लिये स्वयं तैयार किये गये प्रारम्भिक रूपांकनों एवं रेखांकनों के आधार पर तैयार की गयी स्थूल मात्राओं हेतु, टी.डी.ई. द्वारा कानपुर की एक फर्म-निम्नतम निविदा दाता — को 109.17 लाख रूपयों में दिया गया (अगस्त 1980)। कार्य सितम्बर 1980 में प्रारम्भ होना तथा मार्च 1982 तक पूर्ण होना था। नवम्बर 1981 में, कार्य के निर्माण के दौरान, परियोजना के अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) ने मुख्य परियोजना प्रबन्धक (सी.पी.एम.) को सूचित किया कि कार्य देने के बाद और कार्य के निष्पादन के दौरान परामर्शदाताओं द्वारा चरणवार पुनर्निर्धारित मात्राओं हेतु संविदा में दी गयी दरों पर कार्य का मूल्य 109.17 लाख रूपयों के संविदा मूल्य के बजाय 316.17 लाख रूपये होगा तथा यह कि मौखिक विचार-विमर्श के दौरान फर्म ने संविदा की दरों और शर्तों के अनुसार अनुबन्धित समय में शेष कार्य को निष्पादित करने में कठिनाई व्यक्त की है। फिर भी, मौखिक विचार-विमर्श को लिखित रूप नहीं दिया गया। यह विषय सी.पी.एम. द्वारा टी.डी.ई. के सम्मुख तत्काल रखा गया जिसने जनवरी 1982 में हुई परिषद की केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति (सी.एस.पी.सी.) की बैठक में रखा। केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति ने निर्णय लिया कि लगभग 75 लाख रूपयों के कुल मूल्य तक अतिरिक्त मात्राएं फर्म को

तुरन्त आवंटित कर दी जानी चाहिये, इस प्रकार संविदा का कुल मूल्य बढ़कर 184 लाख रूपये हो जायेगा और यह कि फर्म को संविदा की उन्हीं दरों और शर्तों पर कार्य की अतिरिक्त मदों को निष्पादित करने के लिये कहा जाये । विषय पर निर्णय लेते समय, केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति ने स्थिति पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की और मुख्य अभियन्ता टी.डी.ई. को भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये निदेशित किया कि कार्यस्थल की स्थितियों का समुचित तथा पर्याप्त सर्वेक्षण करने के बाद तथा कार्य क्षेत्र का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही भविष्य में परामर्शदाताओं द्वारा विशिष्टियों को अन्तिम रूप दिया जाये । टी.डी.ई. के निवेदन (जनवरी 1982) पर फर्म प्रस्ताव से सहमत हो गयी (फरवरी 1982) ।

184 लाख रूपयों से अधिक का शेष कार्य, समझौते के आधार पर संविदा 7 पी.सी. में प्रावधानित दरों की अपेक्षा 20 प्रतिशत उच्चतर दरों पर, चालू (रनिंग) बिलों से फर्म से वसूल किये जाने वाले 7 लाख रूपयों के ब्याज मुक्त तदर्थ अग्रिम सहित 128.94 लाख रूपयों की अनुमानित लागत पर, उसी फर्म को दे दिया गया (मई 1982) (संविदा 16 पी.सी.) । ब्याज मुक्त तदर्थ अग्रिम, जिसका संविदा 7 पी.सी. में प्रावधान नहीं था, देने का औचित्य नही बताया गया । शेष कार्य मई 1982 में प्रारम्भ होना था और दिसम्बर 1982 तक पूर्ण किया जाना था । कार्य 128.94 लाख रूपये के संविदा मूल्य के समक्ष वस्तुत: 145.63 लाख रूपयों में अगस्त 1984 में पूर्ण किया गया । परिषद् /

परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत प्राक्कलन न तैयार करने तथा दोषपूर्ण रूपांकनों एवं प्रारम्भिक रेखांकनों पर आधारित मात्राओं के अपर्याप्त निर्धारण करने के कारण संविदा को उच्चतर दरों पर बढ़ाना पड़ा तथा परिषद् को निविदा आमन्त्रण के प्रारम्भिक स्तरों पर प्रतियोगितात्मक दरों का लाभ प्राप्त नहीं हो सका ।

कार्य के निष्पादन के दौरान, परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किये गये रूपांकन के आधार पर, 2.43 लाख रूपयों की लागत पर 16 पी.सी. संविदा के ठेकेदार द्वारा निर्मित आउटफाल स्ट्रक्चर (कार्य का एक भाग), जैसा कि रिपोर्ट दी गयी, दोषपूर्ण रूपांकनों के कारण विफल हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर, जल के दबाव को वहन करने के लिये सुदृढ़ नहीं पाया गया । अतः अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई मण्डल, झाँसी के साथ परामर्शदाताओं द्वारा रूपांकन मानदण्डों पर विचार-विमर्श के पश्चात् रूपांकन का पुनः रूपांकन किया गया (दिसम्बर 1983 / फरवरी 1984) । टी.डी.ई. ने परामर्शदाताओं को सूचित किया (फरवरी 1984) कि रूपांकन तथा अभियन्त्रण, परामर्शदाताओं का उत्तरदायित्व था तथा यह मात्र सहायता के रूप में था कि सिंचाई विभाग ने रूपांकन के लिये बेसिक मानदण्डों को तैयार करने में सहायता दी थी । ठेकेदार ने पुनः रूपांकन किये गये आउटफाल स्ट्रक्चर के कार्य को करने से इस आधार पर इंकार कर दिया कि उन्होंने परामर्शदाताओं द्वारा दिये गये रूपांकन के आधार पर कार्य को पहले ही निष्पादित कर दिया था। अतः पुनः रूपांकित किये गये स्ट्रक्चर के लिये टी.डी.ई. द्वारा निविदायें आमन्त्रित की गयीं (जुलाई 1984) और 18 पी.सी. संविदा के समक्ष 73.59 लाख

रूपयों हेतु कार्य उसी ठेकेदार की एक सहोदर फर्म (निम्नतम निविदादाता) को सौंप दिया गया (फरवरी 1985) जिसकी आरम्भ करने की तिथि तथा पूर्ण करने की नियत तिथि क्रमशः फरवरी 1985 तथा नवम्बर 1985 थी । फर्म ने मार्च 1987 तक कार्य के 49.90 लाख रूपये मूल्य का एक भाग निष्पादित किया । रूपांकन में पुनः परिवर्तन, जो स्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिये आवश्यक था और जिसका प्रावधान परामर्शदाताओं द्वारा, हाइड्रॉलिक स्ट्रक्चरों में अपने कथित सीमित अनुभव के कारण नहीं किया गया था, के कारण फर्म द्वारा शेष कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका । परामर्शदाताओं द्वारा पुनः अभिकल्पित स्ट्रक्चर उठने वाले जल के भार को वहन करने के लिये अधिक सक्षम नहीं था तथा फर्श के अन्त में, परामर्शदाताओं द्वारा रूपांकन में प्रावधानित, डाईफ्राम दीवार विपरीत रूप से कार्य कर रही थी तथा फर्श पर अपेक्षाकृत अधिक भार का कारण बन रही थी ।

इस तथ्य की दृष्टि से कि परामर्शदाताओं द्वारा दोनों अवसरों पर तैयार किये गये रूपांकन विफल हो गये तथा चूँकि परामर्शदाता क्षेत्र में अपने सीमित अनुभव के कारण आवश्यकता के अनुरूप रूपांकन तैयार नहीं कर सके, परिषद् ने स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया तथा सिंचाई विभाग के एक सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता के साथ परामर्श के बाद टी.डी.ई. द्वारा एक नया रूपांकन तैयार किया गया और 18 पी.सी. संविदा के शेष कार्य के साथ अतिरिक्त कार्य निष्पादित करने हेतु नया अनुबन्ध (1-एस.ई.अनुबन्ध) (मूल्य : 47.64 लाख रूपये) बम्बई की

एक फर्म को दे दिया गया (अप्रैल 1987) । कार्य अभी भी प्रगति में है (अगस्त 1987) ।

परिवाही जल प्रणाली के निर्माण हेतु उपर्युक्त 4 अनुबन्धों के सम्बन्ध में निम्नांकित सम्वीक्षायें की जाती हैं:

(i) परामर्शदाताओं/टी.डी.ई. द्वारा निर्धारित 7 पी.सी. संविदा के अन्तर्गत कार्य की मात्रायें यथार्थवत् नहीं थीं और बहुत अधिक निम्न दिशा की ओर थीं। 316.17 लाख रूपये मूल्य की मात्राओं के बाद में किये अनुमान के समक्ष केवल 109.17 लाख रूपये मूल्य की मात्रायें संविदा में प्रावधानित की गयी थीं जिसके फलस्वरूप 7 पी.सी. संविदा का 184 लाख रूपये से ऊपर का शेष कार्य 7 पी.सी. संविदा की दरों की अपेक्षा 20 प्रतिशत उच्चतर दरों पर 23.63 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत पर 16 पी.सी. संविदा के समक्ष देना पड़ा ।

(ii) केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति के निर्णय के अनुसार 184 लाख रूपयों तक का कार्य संविदा दरों पर किया जाना था तथा 184 लाख रूपयों से ऊपर के निष्पादित किये गये शेष कार्य का भुगतान 16 पी.सी. संविदा की दरों पर किया जाना था जो 7 पी.सी. संविदा की दरों की अपेक्षा 20 प्रतिशत उच्चतर थीं । लेखापरीक्षा में (जून 1987) में जाँच परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि परियोजना में ठेकेदार को केवल 180.62 लाख रूपये मूल्य तक के कार्य के लिये ही 7 पी.सी. संविदा की निम्नतर दर पर भुगतान किया तथा उस मूल्य के ऊपर 16 पी.सी. संविदा की दरों पर भुगतान किया जो 20 प्रतिशत उच्चतर थीं। ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि परियोजना में 184.00 लाख रूपये की सीमा को

आवृत्त करने के लिये कार्य की उन अतिरिक्त मदों (मूल्य : 3.38 लाख रूपये) को गलती से गणना में ले लिया था जिनकी दरें वर्तमान दर-अनुसूची पर आधारित थीं तथा जिन पर परस्पर सहमति हो गयी थी । इसके फलस्वरूप ठेकेदार को 0.68 लाख रूपये का अनुचित लाभ प्राप्त हुआ ।

(iii) दोनों संविदाओं की दरों में (7 पी.सी. एवं 16 पी.सी.) सीमेण्ट और स्टील जो वसूली के प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट निर्गम दरों पर परिषद् द्वारा आपूर्तित किये जाने थे, की लागत सम्मिलित थी । 7 पी.सी. की दरों से ऊपर 16 पी.सी. के अन्तर्गत दरों में 20 प्रतिशत की वृद्धि अनुमत करते समय विभाग द्वारा निर्गत सीमेण्ट एवं स्टील पर भी 20 प्रतिशत की वृद्धि अनुमत की गयी । जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को 10.76 लाख रूपयों का अतिरिक्त संविदागत भुगतान हो गया ।

(iv) 7 पी.सी. संविदा के समक्ष, परिषद् द्वारा फर्म को 20 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर धन संग्रह (मोबीलाइजेशन) अग्रिम अनुमत कर दिया गया, जब कि 16 पी.सी. संविदा के समक्ष फर्म को ब्याज मुक्त अग्रिम अनुमत किया गया । उसी कार्य के लिये उसी फर्म के साथ किये गये दो अनुबन्धों को भेदमूलक व्यवहार देने के कारण अभिलेख में नहीं थे । 7.00 लाख रूपये के ब्याजमुक्त अग्रिम पर फर्म द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ की धनराशि 0.45 लाख रूपये थी।

(v) 16 पी.सी. संविदा के समक्ष 2.43 लाख रूपये की लागत पर निर्मित आउटफाल स्ट्रक्चर परामर्शदाताओं द्वारा दोषपूर्ण रूपांकन के कारण असफल हो गया, फलत: एक अन्य

स्थान पर पुनरीक्षित रूपांकन के आधार पर एक दूसरा आउटफाल स्ट्रक्चर का निर्माण करना पड़ा । इस आउटफाल स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य प्रगति में है । और भी, स्ट्रक्चर को अस्थाई रूप से चालू रखने के लिये 1.38 लाख रूपयों का व्यय किया गया (जून 1983 से अगस्त 1986) । इसके अतिरिक्त, पुरानी निकास सरणि (आउट फाल चैनेल) से नयी निकास सरणि की ओर बहाव को मोड़ने के लिये तथा 0.80 लाख रूपये की लागत पर निर्मित पुरानी सरणि (175 मीटर) को बन्द करने के लिये परियोजना अधिकारियों को 1.25 लाख रूपये की अनुमानित धनराशि व्यय करनी पड़ी । इसप्रकार, परामर्शदाताओं द्वारा दिये गये निकास स्ट्रक्चर के दोषपूर्ण रूपांकन के फलस्वरूप 5.86 लाख रूपयों का अतिरिक्त व्यय हुआ । परामर्शदाताओं से कोई अर्थदण्ड वसूल नहीं किया गया ।

(vi) कार्य में निहित मात्राओं के गलत निर्धारण के अतिरिक्त, निकास स्ट्रक्चर का प्राविधिक रूप से दोषपूर्ण / गलत रूपांकन भी 7 पी.सी. संविदा में अपेक्षाकृत कम मात्राओं के प्रावधान किये जाने का कारण था, और फलतः, स्ट्रक्चर के कार्य को पुनरीक्षित एवं पुनः पुनरीक्षित रूपांकन के आधार पर, 18 पी.सी. एवं 1-एस.ई. संविदाओं के अन्तर्गत उच्चत्र दर पर देना पड़ा जिसके फलस्वरूप 27.62 लाख रूपयों का अतिरिक्त व्यय हुआ । स्ट्रक्चर के रूपांकनकरण तथा पुनः रूपांकनकरण के फलस्वरूप परिषद् द्वारा असुविधाजनक स्थिति में रहने के बावजूद परामर्शदाताओं पर अर्थदण्ड प्रवर्तित करने के लिये किसी कार्यवाही पर विचार नहीं किया ।

(vii) निकास स्ट्रक्चर के रूपांकन में विभिन्न परिवर्तनों ने कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब को बढ़ा दिया और सितम्बर 1987 तक नये निकास स्ट्रक्चर का कार्य पूरा नहीं हुआ था । जैसा कि (i) से (vii) बिन्दुओं से देखा जा सकता है, परामर्शदाताओं की अकुशलता एवं अक्षमता एवं हाइड्रॉलिक स्ट्रक्चरों में उनके सीमित अनुभव के कारण, जैसा कि परिषद् ने स्वीकार किया है, परिषद् को—

—मात्राओं, रूपांकनों एवं रेखांकनों में बारम्बार पुनरीक्षणों का सामना करना पड़ा,

—थोड़ा-थोड़ा करके (पीस मील) मात्राओं में पुनरीक्षणों के कारण अपेक्षाकृत अधिक मात्राओं हेतु जिनका वास्तव में निष्पादन किया गया था, प्रतियोगितात्मक दरें प्राप्त नहीं हो सकीं,

—निष्पादन के दौरान सामने आयी कार्य स्थल की परिस्थितियों के कारण आवश्यक पायी गयीं कार्य की अतिरिक्त मदों का आवंटन समझौते के आधार पर देने के लिये बाध्य होना पड़ा,

—उस ठेकेदार द्वारा, जिसने रूपांकनों में बारम्बार परिवर्तन के कारण कार्य को जारी रखने से इंकार कर दिया था, अधूरा छोड़े गये कार्य को दूसरे ठेकेदारों के माध्यम से उच्चतर दरों पर निष्पादित करना पड़ा, आदि ।

इन सभी मामलों में किसी भी कारण किसी भी ठेकेदार से अर्थदण्ड वसूल करने में समर्थ न होने के कारण परिषद् को अति-रिक्त / बढ़ी हुयी लागतों को अन्तर्लीन करना पड़ा । परिषद् की टी.डी.ई. शाखा में भी इस दिशा में प्रभावी ढंग से कार्य नहीं किया कि यह परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किये गये रूपांकनों एवं

रेखांकनों में कमियों को इंगित करने में असफल रही ।

(viii) 184 लाख रूपयों की लागत पर 7 पी.सी. संविदा के समक्ष कार्य को अन्तिम रूप देने के लिये टी.डी.ई. के निर्णय के बाद तथा उस सीमा के ऊपर 16 पी.सी. संविदा के अन्तर्गत कार्य के निष्पादन के पूर्व, परियोजना प्राधिकारियों ने 7 पी.सी. संविदा के समक्ष स्तर-। के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार निष्पादित करनें कें लिये तथा स्तर-।। की सामान्य सुविधाओं से सम्बन्धित कार्य को उस स्तर पर जहाँ तक वह पहले ही निर्मित हो चुका था अस्थाई रूप से छोड़ देने के लिये ठेकेदार से निवेदन किया (जनवरी / फरवरी 1982) । उस समय तक सी.डब्ल्यू. पम्प भवन का चरण ।। कार्य धरातल से 18 मीटर की गहराई तक निर्मित हो चुका था और पुश्ता (रिटेनिंग) दीवारें अपेक्षित स्तर तक निर्मित नहीं हुयीं थीं । वर्षा ऋतु में (15 जून से 15 सितम्बर 1982) आस-पास के क्षेत्र की मिट्टी बहकर पम्प हाउस के बेसिन में चली गयी और उसे 16 पी.सी. संविदा के अन्तर्गत उसी ठेकेदार द्वारा 0.41 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत पर हटवाना पड़ा (नवम्बर 1983)। वर्षा ऋतु के पूर्व अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने के बाद निवारक उपाय नहीं किये गये। परियोजना प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1987) कि यद्यपि 16 पी.सी. संविदा के अन्तर्गत कार्य के प्रारम्भ करने की निर्धारित तिथि 31 मई 1982 थी तथा टी.डी.ई. से संविदा की प्रति विलम्ब से प्राप्त (अगस्त 1982) होने के कारण कार्य वास्तव में अगस्त 1982 में प्रारम्भ किया गया था और इसीलिये वर्षा ऋतु से पूर्व पुश्ता दीवारें निर्मित करके निवारक उपाय नहीं किये जा सके । प्रबन्धकों का उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि

निवारक उपाय मानसून मौसम के आगमन की दृष्टि से किये जाने चाहिये थे, विशेषकर जब कि जनवरी/फरवरी 1982 में ही ऐसे कार्यों को रोंक देने का निर्णय ले लिया गया था और उस समय तक 16 पी.सी. हेतु संविदा प्राप्त नहीं हुयी थी ।

(ix) 7 पी.सी. संविदा में मिट्टी खोदाई की दरों में 500 मीटर की दूरी (लीड) तक खोदी गयी मिट्टी का निस्तारण सम्मिलित था । ठेकेदार को किये गये भुगतानों की जाँच में यह देखा गया कि 1.5 किलोमीटर की दूरी तक खोदी गयी 26,807 घनमीटर मिट्टी की ढुलाई एवं निस्तारण हेतु कार्य की अतिरिक्त मदों के कारण ठेकेदार को 3.22 लाख रूपयों का भुगतान किया गया (अप्रैल / जुलाई 1981) । लेखा परीक्षा ने संवीक्षा की कि खोदी गई मिट्टी का उपयोग कूलिंग टावर के पास नीची सतह वाले क्षेत्र में, जो 500 मीटर के अन्दर था, परिषद् पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के किया जा सकता था विशेषकर इस तथ्य की दृष्टि से कि बाद में फरवरी से अप्रैल 1984 के दौरान, 38,876 घनमीटर मिट्टी एक दूसरे ठेकेदार के माध्यम से 4.35 लाख रूपये की लागत पर ढुलवायी गयी थी और कूलिंग टावर के पास के क्षेत्र में डलवायी गयी थी । यदि 7 पी.सी. संविदा के अन्तर्गत खोदी गयी मिट्टी का उपयोग कूलिंग टावर के पास नीची सतह वाले क्षेत्र को पाटने के लिये किया जाता तो लायी गयी 26,807 घनमीटर मिट्टी पर 3.00 लाख रूपये सहित 6.22 लाख रूपयों का अतिरिक्त व्यय बचाया जा सकता था ।

परियोजना प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1987) कि 7 पी.सी. संविदा के कार्य की अधिशेष मिट्टी कूलिंग टावर

(500 मीटर के अन्दर) के पास नीची सतह वाले क्षेत्र में उपयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि उस क्षेत्र में निकट भविष्य में अन्य कार्य का निर्माण प्रारम्भ किया जाना था तथा मिट्टी की तत्काल आवश्यकता टावर के समीपस्थ स्थानों की अपेक्षा अन्य स्थानों पर थी ।

परियोजना प्रबन्धकों का उत्तर समुचित योजना एवं समन्वय का अभाव इंगित करता था जिसके फलस्वरूप मिट्टी की ढुलाई पर अतिरिक्त व्यय हुआ । जहाँ तक अन्य स्थानों पर मिट्टी की तत्काल आवश्यकता का सम्बन्ध है वह उस ठेकेदार के माध्यम से जिसने कूलिंग टावर के क्षेत्र में मिट्टी भरी थी, मिट्टी भरवाकर पूरी की जा सकती थी। अधिकांश कार्य विलम्बित किये गये और यदि समुचित योजना बनायी गयी होती तो खोदी गयी मिट्टी का सरलता पूर्वक उपयोग किया जा सकता था ।

लेखा परीक्षा द्वारा आगे समीक्षा की गयी कि 3.22 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत पर खोदी गयी 26,807 घनमीटर मिट्टी का निस्तारण परियोजना द्वारा निकाली गयी दरों के विश्लेषण पर आधारित 12 रूपये प्रति घनमीटर की दर पर कराया गया । यद्यपि कार्य एवं निहित व्यय पर्याप्त थे फिर भी खुली निविदायें आमन्त्रित नहीं की गयीं । निविदा आमन्त्रण के माध्यम से बाजार दरें सुनिश्चित करने के अभाव में परियोजना द्वारा भुगतान किये गये 12 रूपये प्रति घनमीटर की दर का औचित्य अन्तिम रूप से स्थापित नहीं किया जा सका ।

(ख) अन्तर्ग्राही (इन्टेक) सरिण का निर्माण

अन्तर्ग्राही सरणि के निर्माण से सम्बन्धित कार्य कानपुर की एक फर्म-निम्नतम निविदा दाता-को कार्य आरम्भ करने की निर्धारित तिथि 31 मई 1982 के साथ मई1982 में सौंपा गया। उक्त कार्य पूर्ण करने की तिथि नवम्बर 1982 तथा 58.52 लाख रूपयों के संविदा मूल्य के समक्ष अप्रैल 1984 में 96.79 लाख रूपयों की लागत पर पूर्ण किया गया ।

निम्नांकित बिन्दु देखे गये:

(1) निर्मित की जाने वाली सरणि की कुल लम्बाई 135 मीटर थी । ठेकेदार ने 65 मीटर की खोदाई 8 जून 1983 तक तथा सरिण के शेष भाग की जनवरी 1984 तक पूरी कर ली थी। सितम्बर 1983 में ठेकेदार ने परियोजना प्रबन्धकों को सूचित किया कि सितम्बर 1983 की बाढ़ के फलस्वरूप सरणि की खोदी गयी सतह पर गाद (सिल्ट) जमा हो गया है (4000 घनमीटर) जिसे हटाने के लिये अतिरिक्त भुगतान के लिये निवेदन किया । परियोजना के अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) ने ठेकेदार के दावे को वर्षा ऋतु से पहले सम्पूर्ण खोदायी को पूरा न करने के आधार पर अस्वीकृत कर दिया (नवम्बर 1983) । अपने दावे की स्वीकृति के लिये दिसम्बर 1983 में पुन: किये गये ठेकेदार के निवेदन पर अधिशासी अभियन्ता (सिविल) ने 380 रूपये प्रति घनमीटर की दर पर 585 घनमीटर गाद को हटाने के कलये 2.22 लाख रूपयों के भुगतान की संस्तुति करते हुये इस आधार पर परियोजना की सिविल निर्माण कार्य समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) को मई 1984 में एक टिप्पणी

प्रस्तुत की कि वर्ष 1983 की बाढ़ अभूतपूर्व और अत्यधिक अप्रत्याशित थी । सिविल कार्य समिति ने जुलाई 1984 में दावा स्वीकार कर लिया और जुलाई 1987 में ठेकेदार को 2.22 लाख रूपये का भुगतान कर दिया गया ।

निविदायें आमन्त्रित करने वाली विशिष्टियों में, जो अनुबन्ध का भाग थीं, विशिष्ट रूप से यह प्रावधान था कि ठेकेदार कार्य के रूप तथा स्थान के विषय में स्वयं सन्तुष्ट होने के बाद अपनी दरें उद्धृत करें । निविदायें आमन्त्रित करने वाली विशिष्टियों में स्थालाकृतिक (टोपोग्राफिकल) एवं जलवायु सम्बन्धी आंकड़े भी दिये गये थे और इसलिये ठेकेदार को दरें उद्धृत करने से पूर्व ऐसी स्थिति की कल्पना कर लेनी चाहिये थी । इस दृष्टि से, ठेकेदार का दावा स्वीकृत करने हेतु कोई औचित्य नहीं था । और भी, यदि कार्य संविदा में निर्दिष्ट निर्धारित तिथि (नवम्बर 1982) तक पूर्ण कर लिया जाता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न होती ।

(ii) संविदा में दो मद दरों का प्रावधान था, हाइड्रॉलिक ग्रेडिएण्ट (एच.जी.) लाइन से ऊपर खोदायी में 3400 घनमीटर मिट्टी के कार्य के लिये 68 रूपये प्रति घनमीटर तथा एच.जी. लाइन से नीचे खुदाई में 8000 घनमीटर मिट्टी के कार्य के लिये 380 रूपये प्रति घनमीटर। अगस्त 1982 से, 2 मदों हेतु भुगतानों को निर्धारित करने वाली एच.जी. लाइन को निश्चित करने के लिये ठेकेदार परियोजना प्रबन्धकों द्वारा अपनाये गये आधार पर विवाद कर रहा था। परियोजना प्रबन्धकों ने संविदा के विभिन्न उपवाक्यों

के अनुसार अपनी व्याख्या के अनुसार एच.जी. लाइन निर्धारित की थी (मई 1983) एवं तदनुसार ठेकेदार को अन्तिम भुगतान किया (जुलाई 1987)। अन्तिम भुगतानों को प्राप्त करने के बाद, ठेकेदार संविदा की शर्तो के अनुसार संयुक्त विवाचन के लिये गया और सेण्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन का एक सेवानिवृत्त सदस्य विवाचक के रूप में नियुक्त किया गया (दिसम्बर 1986) । परिषद् ने भी परिषद् के एक सेवारत अधीक्षण अभियन्ता को अपने विवाचक के रूप में नियुक्त किया (फरवरी 1987) । ठेकेदार ने एच.जी. लाइन के गलत नियत करने के कारण विवेचक के सम्मुख एच.जी. लाइन के नीचे उसके द्वारा निष्पादित कार्य के भाग के लिये परिषद् द्वारा निम्न दर पर भुगतान हेतु ठेकेदार ने 74.33 लाख रूपयों, उस पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा विवाचन की लागत हेतु विवाचक को दावा प्रस्तुत किया । विवाचन की कार्यवाहियाँ प्रगति में है (अगस्त 1987) ।

(ग) चहारदीवारी का निर्माण

विद्युत् गृह क्षेत्र की चहारदीवारी का निर्माण कार्य परिषद् की टी.डी.ई. शाखा द्वारा 10 पी.सी. संविदा के समक्ष 32.84 लाख रूपयों हेतु झाँसी के एक स्थानीय ठेकेदार को दिया गया था । पूर्ण होने की निर्धारित तिथि अक्टूबर 1983 के समक्ष कार्य 39.43 लाख रूपये की लागत पर वस्तुत: जनवरी 1985 में पूर्ण हुआ । निविदा आमन्त्रित करने वाली नोटिस के साथ संलग्न संविदा की शर्तो में, जो बाद में संविदा का एक अंग बन गयी,

विशिष्टि रूप से प्रावधान था कि ठेकेदार को कार्य के रूप तथा स्थान, सामान्य तथा स्थानीय साथ ही साथ परिवहन से सम्बन्धित स्थितियों आदि के विषय में स्वयं सन्तुष्ट होने के बाद अपनी दरें उद्धृत करनी चाहिये तथा बाद की तिथियों में कार्यस्थल की स्थितियों की अपर्याप्त जानकारी से उत्पन्न किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा । ठेकेदार को मद दरों के अनुसार भुगतान किया जाना था, जिनमें सामग्रियों की लागत सम्मिलित थी। इस प्रकार, विशिष्ट गुणत्व वाली पत्थर (संविदा में आकार निर्दिष्ट नहीं) की व्यवस्था, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर जहाँ कहीं से भी वह चाहे, परिषद् पर परिवहन लागत के आपात को डाले बिना, की जानी थी ।

निम्नांकित बिन्दु देखे गये:

(1) संविदा की शर्तों के अनुसार चहारदीवारी का निर्माण 300 मिलीमीटर मोटाई में रैण्डम-रूबल (आर.आर.) पत्थरों की चिनाई में किया जाना था। ठेकेदार स्थानीय उपलब्ध पत्थरों से 300 मिलीमीटर में दीवार के निर्माण में असफल रहा क्योंकि दो में से एक ओर की दीवार स्थानीय पत्थर से बनने पर सुन्दर नहीं दिखाई दे रही थी । दीवार की मोटाई को 300 मिलीमीटर से 350 मिलीमीटर बढाने के लिये परियोजना प्रबन्धकों द्वारा मामला परामर्शदाताओं के समक्ष लाया गया (फरवरी 1982) ताकि स्थानीय पत्थर से निर्मित होने पर दीवार दोनों तरफ से सुन्दर दिखाई दें । परामर्शदाताओं ने 350 मिलीमीटर मोटाई में दीवार का निर्माण अनुमोदित कर दिया (फरवरी 1982)।

परिषद् की टी.डी.ई. शाखा ने दीवार की मोटाई में वृद्धि के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार हेतु औचित्य पूँछा (मार्च 1982) जिसके प्रत्युत्तर में परामर्शदाताओं ने बताया (अप्रैल 1982) कि दीवार की मोटाई रूपांकन के आधार पर नहीं बढ़ाई थी अपितु परिषद् के कार्यस्थल अभियन्ता की राय पर कार्यस्थल की समस्याओं को हल करने की दृष्टि से बढ़ाई गयी थी, क्योंकि अपेक्षित आकार एवं प्रकार का पत्थर कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं था । चहारदीवारी का एक भाग (5134.89 मीटर) ठेकेदार द्वारा 350 मिलीमीटर मोटाई में बनाया गया था । उस पर अतिरिक्त व्यय 2.58 लाख रूपये आया । शेष चहारदीवारी (2100 मीटर) भी 350 मिलीमीटर की मोटाई में 0.85 लाख रूपयों का और अतिरिक्त व्यय करके नई दिल्ली के एक अन्य ठेकेदार के माध्यम से बनवाई गयी । इस प्रकार, दीवार की मोटाई में वृद्धि के कारण कुल अतिरिक्त व्यय 3.43 लाख रूपये आया जिससे परिषद् को कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त नहीं हुआ अपितु इससे ढुलाई प्रभारों में बचत के रूप में ठेकेदार ही लाभान्वित हुआ।

परियोजना द्वारा यह बताया गया कि राजस्थान में कोटा पावर स्टेशन पर 300 मिलीमीटर मोटाई में चहारदीवारी निर्मित हुयी थी जिसका निरीक्षण किया गया और यह पाया गया कि 300 मिलीमीटर मोटाई में चहारदीवारी का निर्माण कोटा में उपलब्ध पत्थर से सम्भव था और पारीछा में स्थानीय उपलब्ध पत्थर से नहीं ।

उल्लेखनीय है कि ठेकेदार से, विशेषकर जब कि वह स्थानीय ठेकेदार था, यह प्रत्याशित था कि वह निविदा

विशिष्टियों एवं संविदा में वर्णित शर्तों के अनुसार अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताये गये कारक पर विचार करने के बाद ही अपनी दरें उद्धृत करता । अपने हित की रक्षा तथा 3.43 लाख रूपये के अतिरिक्त व्यय को बचाने के लिये परिषद् द्वारा ठेकेदार को या तो 300 मिलीमीटर के कोटा पत्थर में अथवा भुगतान को 300 मिलीमीटर मोटाई में सीमित करके 350 मिलीमीटर के स्थानीय पत्थर से कार्य को निष्पादित करने हेतु अनुमति दी जानी चाहिये थी ।

(II) रामनगर से कार्यस्थल तक पत्थर की ढुलाई के लिये 10 पी.सी. संविदा के अन्तर्गत झाँसी के एक स्थानीय ठेकेदार को परियोजना के अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) द्वारा 0.89 लाख रूपये का एक अननुमन्य (इन्ऐडमिसिबुल) भुगतान इस आधार पर स्वीकृत किया गया (अप्रैल 1987) कि स्थानीय उपलब्ध पत्थर हल्का और कार्य उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं था । अननुमन्य भुगतान की स्वीकृति परिषद् की लागत पर ठेकेदार के प्रति अनुचित अनुग्रह था, क्योंकि,

(i) पत्थर की व्यवस्था का उत्तरदायित्व ठेकेदार का था,

(ii) ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरें कार्य की सम्पूर्ण मदों हेतु थीं तथा उनमें पत्थर की लागत भी सम्मिलित थी, और

(iii) निविदा विशिष्टियों एवं संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदार से कार्य के रूप तथा कार्यस्थल की स्थितियों के विषय में स्वयं सन्तुष्ट हो लेने के बाद अपनी दरें उद्धृत करना अपेक्षित था ।

परियोजना द्वारा यह बताया गया (सितम्बर 1987) कि पारीछा में उपलब्ध ग्रेनाइट पत्थर की उपलब्धता संविदा के खदान चार्ट में दिखाई गयी थी परन्तु ठेकेदार को पत्थर की ढुलाई रामनगर से करनी पड़ी ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संविदा में दिया गया खदान चार्ट, जैसा कि संविदा में विशेष रूप से उल्लिखित था, ठेकेदारों के मात्र मार्ग-दर्शन हेतु था और संविदा की शर्तों के अनुसार परिषद् पर अतिरिक्त लागत डाले बिना या तो स्थानीय रूप से अथवा चाहें जहाँ कहीं से भी निर्माण हेतु अपेक्षित पत्थर की व्यवस्था ठेकेदार का दायित्व था ।

(घ) स्ट्रक्चरल स्टील कार्य

मुख्य विद्युत् गृह भवन के स्ट्रक्चरल एवं विविध स्टील निर्माण (फेब्रिकेशन) तथा अधिष्ठापन (इरेक्शन) कार्य परिषद् की टी.डी.ई. शाखा द्वारा नई दिल्ली की एक फर्म को दिया गया (सितम्बर 1979) । कार्य निर्धारित तिथि सितम्बर 1981 के समक्ष जून 1983 में पूरा किया गया तथा किये गये कार्य का मूल्य 97.30 लाख रूपये के संविदा मूल्य के समक्ष 161.30 लाख रूपये था ।

निम्नांकित बिन्दु देखे गये:

(1) संविदा में संविदा की नियत मात्राओं में संविदा के कुल मूल्य के 25 प्रतिशत की घट-बढ़ का प्रावधान था । और यदि ठेकेदार को अनारोपणीय कारणों हेतु पूर्ण होने की नियत तिथि के बाद संविदा की अवधि बढ़ाई गई तो पूर्ण होने की नियत तिथि

से 6 माह के बाद निष्पादित कार्य हेतु दरें पारस्परिक सहमति वाली होंगीं। मार्च 1982 में, फर्म ने संविदा की मात्रा में वृद्धि एवं उनको अनारोपणीय कारणों हेतु संविदा अवधि को बढ़ाये जाने के आधार पर स्ट्रक्चरल स्टील कार्य की संविदा दर में 1600 रूपये प्रति टन से 2240 रूपये प्रतिटन की वृद्धि का दावा किया। परियोजना प्रबन्धकों ने फर्म के दावे को स्वीकार कर लिया (मार्च 1984) तथा 24 मार्च 1982 के बाद किये गये कार्य के लिये 2000 रूपये प्रतिटन की दर उनको अनुमत कर दी। इसके परिणामस्वरूप 24 मार्च 1982 के पश्चात् फर्म द्वारा निष्पादित 387.703 टन स्ट्रक्चरल स्टील कार्यों पर 1.55 लाख रूपयों का अतिरिक्त ब्यय हुआ। यद्यपि दर में वृद्धि परियोजना प्रबन्धकों द्वारा निम्नांकित को आरोपणीय कारणों हेतु दी गयी थी :

(क) निविदाओं के आमन्त्रण तथा संविदा को अन्तिम रूप देने के समय परामर्शदाताओं / टी.डी.ई. द्वारा मात्रा के गलत निर्धारण, जिससे परामशर्तदाताओं द्वारा रेखांकन प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ, के कारण संविदा में प्रावधानित मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक कार्य की मात्रा में वृद्धि,

(ख) दोषपूर्ण रूपांकनों एवं परामर्शदाताओं से पुनरीक्षित रेखांकनो/ अनुमोदनों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण उत्पन्न समस्या,

(ग) उसी क्षेत्र में कार्यरत अन्य संविदा अभिकरणों द्वारा विलम्ब के कारण फर्म को कार्य परिक्षेत्र (वर्किंग जोन) प्रदान करने

में विलम्ब, तथा

(घ) फर्म को आपूर्ति किये जाने वाले स्टील के अनुकूल प्रकार (मैचिंग सेक्शन) की परियोजना भण्डार में अनुपलब्धता, इत्यादि । फिर भी, विभिन्न अभिकरणों के विरूद्ध उनके पक्ष में चूक हेतु परिषद् द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी (अगस्त 1987) ।

(II) संविदा में 30,000 रूपये प्रतिटन की दर से जी.के.डब्ल्यू. मेक के एच.टी.बोल्टों की आपूर्ति तथा अभिन्यास (लेइंग) के लिये मद दरों का प्रावधान था । अप्रैल 1980 में, कार्य निष्पादित करते समय, फर्म ने परियोजना प्रबन्धकों को सूचित किया कि जी.के.डब्लू. मेक की 6.6 ग्रेड एच.टी.बोल्ट के साथ रेखांकन अनुमोदित किये जा रहे हैं परन्तु जी.के.डब्लू. मेक के 6.6 ग्रेड बोल्ट उपलब्ध नहीं हैं और इसलिये वे या तो जी.के.डब्लू. मेक के 8.8 ग्रेड बोल्ट अथवा किसी अन्य मेक के 6.6 ग्रेड बोल्ट प्राप्त करना चाहेंगे और यदि 8.8 ग्रेड जी.के.डब्लू. बोल्ट प्रदान करने का निर्णय लिया गया तो अतिरिक्त लागत परिषद् को वहन करनी होगी । किन्तु परियोजना प्रबन्धकों ने फर्म को जी.के.डब्लू. के 6.6 ग्रेड अथवा आसन्न उच्चतर रेट के बोल्टों का प्रयोग करने के लिये निर्देश दिया (अप्रैल 1980) और कहा कि अतिरिक्त लागत के भुगतान सम्बन्धी मामले पर अच्छाई (मेरिट) के आधार पर निर्णय लिया जायेगा । अतिरिक्त लागत के भुगतान सम्बन्धी मामलों को परिषद् की टी.डी.ई. शाखा द्वारा नई दिल्ली स्थित

परामर्शदाताओं के मुख्यालय को सन्दर्भित किये जाने पर परामर्शदाताओं ने राय दी (मई 1980) कि संविदा के प्रावधानों के अनुसार जी.के.डब्ल्यू. मेक के एच.टी.बोल्टों की आपूर्ति हेतु परिषद् को 30,000 रूपये प्रतिटन की दर से भुगतान करना होगा, संविदा में 6.6 ग्रेड का उल्लेख नहीं था और फर्म ने अपने निवेदन में इस सम्बन्ध में कोई अन्य अनुबन्ध (स्टीपुलेशन) भी नहीं किया और चूँकि जी.के.डब्ल्यू. मेक के उच्च तनाव गुणत्व वाले (हाईटेन्साइल क्वालिटी) बोल्ट 8.8 ग्रेड से ही आरम्भ होते हैं, फर्म को उन्हीं बोल्टो का प्रयोग करने की राय दी गयी थी और इसलिये उनको संविदा दर के ऊपर किसी अतिरिक्त भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

परामर्शदाताओं के मुख्यालय की स्पष्ट राय के बावजूद, परियोजना के अधीक्षण अभियन्ता (एम.पी.ई.सी.) ने परियोजना पर परामर्शदाताओं के कार्यस्थल प्रतिनिधि के साथ मामले पर पुनः विचार-विमर्श किया (जनवरी 1984) तथा संयुक्त विचार-विमर्श कार्यवृत्त (मिनट्स) को इस आशय से हस्ताक्षरित करवाया कि संविदा में प्रावधानित 6.6 ग्रेड जी.के.डब्ल्यू. बोल्टों के बजाय 8.8 ग्रेड जी.के.डब्ल्यू. बोल्ट प्रदान करने के लिये फर्म के अतिरिक्त दावे पर चर्चा हुयी तथा इस बात पर सहमति हो गयी कि फर्म को अतिरिक्त भुगतान देय था क्योंकि रूपांकनों को 8.8 ग्रेड बोल्टों के आधार पर अन्तिम रूप दिया गया था । किन्तु लेखा परीक्षा ने संवीक्षा की कि संविदा में कहीं भी न तो 6.6 ग्रेड और न 8.8 ग्रेड बोल्ट निर्दिष्ट किये गये थे । मार्च

1984 मे, परियोजना के अधीक्षण अभियन्ता (एम.पी.ई.सी.) द्वारा 30,000 रूपये प्रति टन की संविदा दर को 40,960 रूपये प्रति टन संशोधित करते हुये मुख्य परियोजना प्रबन्धक के औपचारिक अनुमोदन के बिना एक आदेश जारी कर दिया गया जिससे 54.097 टन बोल्टों की आपूर्ति एवं उनके लगाने हेतु फर्म को 5.93 लाख रूपये का अननुमन्य भुगतान हो गया (मार्च 1986) ।

(iii) सी.डब्ल्यू.पम्प हाउस के लिये, अप्रैल 1982 में निर्गत एक पुनरादेश (रिपोर्ट आर्डर) में मुख्य विद्युत गृह भवन एवं स्ट्रक्चरल स्टील कार्य के लिये विभिन्न स्टील कार्यो के मदों हेतु दरो में स्टील की लागत सम्मिलित थी । कार्य के निष्पादन के दौरान स्टील में किसी क्षति का आपात फर्म को वहन करना था । दोनों कार्यो के लिये परियोजना द्वारा स्टील निर्गत की गयी थी परन्तु फर्म से इस प्रकार निर्गत स्टील की लागत की वसूली कार्यो में वस्तुत: उपभुक्त स्टील की मात्रा हेतु की गयी थी और कतरन (स्क्रैप) के रूप में स्टील की क्षति (60.763 टन) फर्म पर बिना किसी प्रभार के परियोजना द्वारा ले ली गयी इसके फलस्वरूप निर्गम दरों (26.100 टन हेतु 2975 रूपये प्रतिटन तथा 34.663 टन हेतु 3811 रूपये प्रति टन.) स्टील की लागत और इसके कतरन मूल्य (2500 रूपये प्रतिटन) में अन्तर को निरूपित करने वाले 0.58 लाख रूपये की कम वसूली हुयी ।

(iv) मुख्य विद्युत गृह भवन के स्ट्रक्चरल स्टील कार्य के मामले में फर्म को देय श्रम दर संविदा में प्रावधानित थी और

परिषद् द्वारा ठेकेदार को स्टील निःशुल्क आपूर्ति की जानी थी। संविदा की शर्तों के अनुसार, 5 प्रतिशत तक स्टील की क्षति परिषद् को वहन करनी थी बशर्ते स्टील की कतरन ठेकेदार द्वारा परिषद् को वापस कर दी जाय। 5 प्रतिशत से अधिक स्टील की क्षति के लिये स्टील की लागत या तो उत्तरोत्तर (प्रोगेसिवली) लेखे प्रस्तुत करते समय अथवा अन्तिम लेखा प्रस्तुत करते समय प्रचलित निर्गम दर की दुगुनी दर पर ठेकेदार के बिलों से काट ली जानी थी। 5 प्रतिशत के समक्ष, स्ट्रक्चरल स्टील कार्य (6973.543 टन) के निष्पादन के दौरान स्टील की वास्तविक क्षति 8.5 प्रतिशत (592.047 टन) थी। कतरन के मूल्य को घटाने के बाद स्टील की निर्गम दर से दुगुनी दर पर 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक कतरन (243.270 टन) के रूप में स्टील की क्षति हेतु ठेकेदार से वसूली योग्य धनराशि 20.68 लाख रूपये आती थी। परियोजना प्रबन्धकों ने 9.4 प्रतिशत तक क्षति अनुमोदित किया और इस प्रकार निम्न आधारों पर वसूली छोड़ दी–

(i) परियोजना भण्डार में अपेक्षित लम्बाई में स्टील प्रकारों (सेक्शन) की अनुपलब्धता,

(ii) परामर्शदाताओं द्वारा तारतम्य (सीक्वेन्स) में अनुमोदित रेखांकनों का मुक्त न किया जाना,

(iii) ठेकेदार को स्टील के अनुरूप प्रकार की अनापूर्ति और

(iv) अधिक क्षति दिखाते हुये विशिष्ट दृष्टान्तों के रूप में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत औचित्य।

लेखा परीक्षा द्वारा यह संवीक्षा की गयी कि न तो विभिन्न कारकों के कारण हुयी क्षति की सीमा की जाँच की गयी या निश्चित की गयी और न ही परामर्शदाताओं से किसी अर्थदण्ड या क्षतिपूर्ति की वसूली की गयी ।

(ड.) सहायक (आक्ज़िलरी) भवनों का निर्माण

विद्युत केन्द्र के सहायक भवनों के निर्माण का कार्य निविदायें आमन्त्रित करने के बाद उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को दिया गया (सितम्बर 1980)। ठेकेदार ने (I) कार्यस्थलों के चयन में विलम्ब एवं समापन की निर्धारित तिथि (16 मार्च 1982) के बाद रेखांकनों की मुक्ति (मार्च 1982 से अगस्त 1984) यद्यपि इन भवनों का निर्माण संविदा के क्षेत्र में विशेष रूप से सम्मिलित था तथा (II) संविदा में कार्य की अपर्याप्त मात्राओं के प्रावधान के आधार पर, फायर स्टेशन, टाइम आफिस, सुरक्षा कार्यालय, कैण्टीन, साइकिल स्टैण्ड, भण्डार एवं प्रशासनिक भवनो (अनुमानित लागत : 65.09 लाख रूपये) के निर्माण को छोड़कर 119.27 लाख रूपयों के संविदा मूल्य तथा मार्च 1982 में नियत समापन के समक्ष कुछ भवनों का निर्माण : मूल्य 122.91 लाख रूपये (मूल्य वृद्धि को छोड़कर) दिसम्बर 1984 तक पूरा किया ।

अतः परियोजना अधिकारियों ने अधूरे छोड़े गये भवनों (कुल मूल्य : 65.09 लाख रूपये) के निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की संविदा में प्रावधानित दरों की अपेक्षा उच्चतर दरों पर झाँसी के दो स्थानीय ठेकेदारों को

मई 1985 से अप्रैल 1987 के दौरान तीन ठेके दिये । उन मदों को छोड़कर जो विशिष्टियों में परिवर्तन के कारण तुलनीय नहीं थी, समापन की नियत तिथि तक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को देय मूल्य वृद्धि को गणना में लेने के पश्चात्, बाद के 3 अनुबन्धों की दरों की उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की दरों से लेखा परीक्षा में तुलना से 8.89 लाख रूपयों का अतिरिक्त ब्यय प्रकाश में आया, जैसा कि निम्न तालिका में दिखाया गया है:

कार्य का विवरण	अनुबन्ध में मदों की संख्या	लेखा-परीक्षा में तुलना की गयी मदों की संख्या	अनुबन्ध का मूल्य	तुलना की गई मदों का मूल्य	अतिरिक्त व्यय×
			(लाख यपयों में)		
फायर स्टेशन, टाइम आफिस और सुरक्षा आफिस	65	17	22.26	16.92	3.36
कैण्टीन, साइकिल स्टैण्ड, भण्डार इत्यादि	72	17	11.30	8.18	1.66
प्रशासकीय भवन	74	24	31.53	21.06	3.87
				योग-	8.89

× अतिरिक्त व्यय वस्तुत: निष्पादित मात्राओं के आधार पर, प्रशासनिक भवन को छोड़कर जिससे सम्बन्धित अतिरिक्त व्यय संविदागत मात्राओं के आधार पर निकाला गया क्योंकि भवन निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में था (सितम्बर 1987) ।

यदि सहायक भवनों के निर्माण हेतु मात्रायें परामर्शदाता/परिषद् की टी.डी.ई. शाखा द्वारा यथार्थवत् आधार पर निर्धारित तथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के अनुबन्ध में प्रावधानित की गयी होतीं और कार्य स्थल का चयन एवं परामर्शदाताओं द्वारा रेखांकनों की अवमुक्ति समय से की गयी होती तो अतिरिक्त व्यय (8.89 लाख रूपये) बचाया जा सकता था ।

(च) **परिसज्जा कार्य (फिनिशिंग वर्क)**

नई दिल्ली की एक फर्म को अगस्त 1980 में सौंपा गया पावर स्टेशन भवन का परिसज्जा कार्य 71.20 लाख रूपयों के संविदा मूल्य और जनवरी 1982 में नियत समापन के समक्ष कार्य की अतिरिक्त मदों (17.84 लाख रूपये) और मूल्य वृद्धि (26.24 लाख रूपये) सहित 204.29 लाख रूपयों की लागत से नवम्बर 1984 में पूरा किया गया ।

श्रम एवं सामग्रियों की लागत में वृद्धि की स्थिति में, संविदा में प्रावधानित दरें परिवर्तनीय थीं तथा इस कारण से हुयी मूल्य वृद्धि, ठेकेदार को समापन की नियत तिथि के बाद 6 माह की अवधि को सम्मिलित करते हुये 22 महीने की अवधि के दौरान निष्पादित कार्य के मूल्य पर, 2.39 लाख रूपये की अधिकतम सीमा तक, देय थी । ठेकेदार को अनारोपणीय कारणों हेतु 22 महीने के ऊपर कार्य को पूरा करने में विलम्ब की स्थिति में, मूल्य वृद्धि 22 महीने के बाद निष्पादित कार्य के मूल्य पर ठेकेदार को देय थी ।

लेखा परीक्षा में यह संवीक्षा की गयी कि अधिकतम सीमा (2.39 लाख रूपये) तक मूल्य वृद्धि के भुगतान के

अतिरिक्त, कार्य पूर्ण होने तक 27.35 लाख रूपयों की मूल्य वृद्धि देय थी जिसमें से 22 महीने की अवधि के बाद किये गये कार्यों के मूल्य (126.09 लाख रूपये) पर अगस्त 1987 तक ठेकेदार को 23.56 लाख रूपयों का भुगतान इस आधार पर किया गया कि कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब के लिये ठेकेदार उत्तरदायी नहीं था, और विलम्ब निम्नांकित पर आरोपणीय थी:-

(i) परामर्शदाताओं से रेखांकनों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य आरम्भ करने में लगभग 5 माह का विलम्ब,

(ii) परामर्शदाताओं से कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि के बाद 45 रेखांकनों की प्राप्ति,

(iii) निविदा के आमन्त्रण एवं उसे अन्तिम रूप देने के समय परामर्शदाताओं/टी.डी.ई. द्वारा कम आकलन के कारण कार्य की निर्धारित मात्रा में असामान्य वृद्धि (162 प्रतिशत),

(iv) कार्य की अतिरिक्त मदों का निष्पादन (मूल्य : 17.84 लाख रूपये) जो संविदा में प्रावधानित नहीं थी तथा

(v) अन्य कारण, जैसे, कार्यस्थल उपलब्ध कराने में विलम्ब, वर्षा / बाढ़ के कारण कार्य में बाधा एवं मार्च-अप्रैल 1982 में सीमेण्ट की कमी ।

उपर्युक्त (v) में वर्णित कारणों हेतु विलम्ब यदि उसे अपरिहार्य भी माना जाय, तो भी छः माह से अधिक की अवधि हेतु नहीं था जो मूल्य वृद्धि की अधिकतम सीमा से आवृत्त था । इस प्रकार, मुख्य रूप से परामर्शदाता/परिषद् की

टी.डी.ई. शाखा विलम्ब के लिये उत्तरदायी थे, इसके फलस्वरूप अधिकतम सीमा से ऊपर 27.35 लाख रूपयों की मूल्य वृद्धि का भुगतान हुआ । परियोजना के अभिलेखों में यह दिखाने के लिये कुछ भी नहीं था कि मामले की जाँच की गयी थी तथा उपर्युक्त विलम्बों तथा अतिरिक्त व्यय हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था ।

(ब) **रेल पथिका एवं विन्यास अहाता (मार्शलिंग यार्ड) का निर्माण**

परिषद् द्वारा जून 1978 में निर्गत एक पूछताछ पत्र के उत्तर में, इण्डियन रेलवे कांस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (इरकान) ने परियोजना रेल पथिका (रेलवे साइडिंग) तथा विन्यास अहाता (मार्शलिंग यार्ड) के निर्माण के लिये प्रभार आधार (टर्नकी बेसिस) पर अपना निवेदन परिषद् को प्रस्तुत किया (जुलाई 1978) । निवेदन के अनुसार इरकान ने सर्वेक्षण, आयोजना, प्रतिवेदन एवं प्राक्कलनों की तैयारी के लिये 3.75 लाख रूपये की एकमुश्त धनराशि के अतिरिक्त रेल पथिका तथा विन्यास अहाता के निर्माण के प्रभार कार्य (टर्नकी जाब) हेतु, मुख्यालय के सामान्य व्ययों और लाभ को आवृत्त करने हेतु उस पर (वास्तविक प्रत्यक्ष लागत पर) 15 प्रतिशत जोड़कर अपने उपस्करों तथा संयंत्रों पर मूल्यह्रास सहित वास्तविक प्रत्यक्ष लागत पर उद्धृत किया । परिषद् ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इरकान को नवम्बर 1978 में आशय-पत्र (लेटर आफ इन्टेण्ट) निर्गत किया । निर्माण-कार्य नवम्बर 1984 में पूर्ण हो गया ।

परिषद् ने इरकान को अब तक (अगस्त 1987) न तो कोई विस्तृत आदेश निर्गत किये और न ही विविध शर्ते निर्दिष्ट करते हुये उनके साथ कोई अनुबन्ध निष्पादित किया। फरवरी 1979 से नवम्बर 1984 के दौरान इरकॉन को अग्रिम के रूप में दिया गया 580.38 लाख रूपये का सम्पूर्ण भुगतान फर्म के साथ निम्नांकित शर्तों के तय न होने (अगस्त 1987) के आधार पर परियोजना की वित्त एवं लेखा शाखा द्वारा अभी तक (अगस्त 1987) समायोजित नहीं किया गया;

(i) यह इंगित करते हुये कि इसमें (प्रत्यक्ष लागत में) सुस्पष्ट रूप से क्या सम्मिलित होगा, प्रत्यक्ष लागत की परिभाषा।

(ii) इरकॉन द्वारा प्रभारित किये जाने वाले मूल्यह्रास की दर एवं विधि।

(iii) क्या विविध शर्तों जो निष्पादित संविदा पर सामान्यतया लागू हैं, को निर्दिष्ट करने वाले परिषद् के मानक प्रपत्रों "क" एवं "ख" के विविध प्रावधान इरकॉन के प्रकरण में लागू होंगे अथवा नहीं।

(iv) क्या परिषद् द्वारा व्यवस्थित एवं आपूर्तित सीमेण्ट एवं स्टील पर 15 प्रतिशत सामान्य व्यय और लाभ इरकॉन को देय होगा।

(v) क्या निर्माण-कार्य के लिये कोई अनुरक्षण /प्रत्याभूति अवधि होगी और क्या इस प्रकार की अवधि की समाप्ति तक इरकॉन से कोई बैंक प्रत्याभूति ली जायेगी।

(vi) आशय-पत्र (लेटर ऑफ इन्टेण्ट) में निर्माण-कार्य के समापन की नियत तिथि प्रावधानित थी । क्या कार्य-समापन में विलम्ब के लिये इरकॉन से कोई अर्थदण्ड वसूली योग्य होगा ।

संविदा निष्पादित किये जाने हेतु परियोजना द्वारा इरकॉन से निवेदन किये जाने पर, इरकॉन ने कहा (अक्टूबर 1985) कि कार्य पहले ही पूर्ण किया जा चुका है और इसलिये किसी संविदा को अन्तिम रूप देने हेतु कोई आवश्यकता नहीं थी । प्रासंगिक प्रश्न यह था कि परिषद् द्वारा आपूर्तित सीमेन्ट एवं स्टील की लागत पर इरकॉन को 15 प्रतिशत सामान्य व्यय एवं लाभ का भुगतान परिषद् क्यों करे । इसी बीच इरकॉन ने 580.38 लाख रूपये के वास्तविक आंकड़ों के समक्ष अब तक (अगस्त 1987) 576.38 लाख रूपयों के भुगतान की प्राप्ति स्वीकृत की है । किसी अनुबन्ध के अभाव में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि परिषद् एवं इरकॉन के मध्य अन्तिम निपटारा क्या होगा ।

(ज) अन्तर्ग्राही कूप (इनटेक वेल) का निर्माण

नगर क्षेत्र में जल-आपूर्ति के लिये अन्तर्ग्राही कूप का निर्माण-कार्य परिषद् द्वारा आगरा की एक फर्म को अप्रैल 1982 में प्रदान किया गया । संविदा में दो कार्य-मदों अर्थात्, 4.72 लाख रूपये हेतु एक ठेके के कार्य (जॉब) के रूप में अन्तर्ग्राही कूप का निर्माण एवं एक मद-दर के रूप में 571 रूपये प्रति चालू (रनिंग) मीटर की दर पर एम.एस. पाइप की आपूर्ति एवं उसे सक्शन में लगाना - का प्रावधान था । कार्य अक्टूबर 1982 तक पूर्ण होना था । ठेकेदार ने अन्तर्ग्राही कूप का निर्माण-कार्य पूर्ण कर दिया

(अप्रैल 1983) और 0.22 लाख रूपये मूल्य का कुछ मिट्टी का कार्य निष्पादित करने के पश्चात् पाइप की आपूर्ति एवं उसे लगाने का कार्य छोड़ दिया । मार्च 1984 में, परियोजना प्रबन्धकों को कार्य की आवश्यकता का बोध हुआ एवं उन्होंने पहले से ही निर्मित अन्तर्ग्राही कूप तक नदी से जल लाने के लिये एम.एस.पाइप के स्थान पर खुली कच्ची सरणि (चैनेल) की ब्यवस्था करने का निर्णय लिया । कच्ची सरणि (लम्बाई 40 मीटर) 1.87 लाख रूपये की लागत पर (कानपुर के एक अन्य ठेकेदार, जो परियोजना में शीतलीकरण जल-प्रणाली की अन्तर्ग्राही सरणि का कार्य निष्पादित कर रहा था, के माध्यम से आगरा के ठेकेदार द्वारा पहले किये गये मिट्टी की खुदाई की लागत के कारण 0.22 लाख रूपये असम्मिलित करके) निर्मित करायी गयी । आगरा के ठेकेदार का अन्तिम भुगतान कार्य के समापन में विलम्ब के लिये क्षतिपूर्ति (0.59 लाख रूंपये) की कटौती कर लेने के पश्चात् अवमुक्त कर दिया गया (1984-85) । जैसा कि संविदा में प्रावधानित था, प्रत्येक 40 मीटर लम्बाई की 3 एम.एस. पाइप लाइनों की आपूर्ति एवं निरोपण (फिक्सिंग) के स्थान पर 40 मीटर कच्ची सरणि के निर्माण में निहित अधिक व्यय की धनराशि, आगरा के ठेकदार से वसूली गयी क्षतिपूर्ति (0.59 लाख रूपये) की कटौती करने के पश्चात्, 0.81 लाख रूपये थी ।

यह उल्लेखनीय है कि कार्य के समापन में विलम्ब के लिये क्षतिपूर्ति की वसूली के अतिरिक्त संविदा से परियोजना प्रबन्धकों को अधिकार प्राप्त था कि वे कार्य के पूर्ण होने में

ठेकेदार के पक्ष में चूक की स्थिति में किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से करा लेते और अतिरिक्त लागत, यदि कोई होती, ठेकेदार से वसूल कर लेते । निहित अतिरिक्त व्यय के कारण 0.81 लाख रूपये की वसूली आगरा के ठेकेदार से नहीं की गयी, यद्यपि ठेकेदार को अन्तिम भुगतान करते समय 17 जून 1984 तक वैध 1.17 लाख रूपये की बैंक प्रत्याभूति के अलावा, लम्बित भुगतानों के कारण 0.77 लाख रूपये की धनराशि परियोजना के पास उपलब्ध थी ।

परियोजना द्वारा यह बताया गया (सितम्बर 1987) कि विभिन्न ऊँचाइयों पर प्रत्येक 40 मीटर लम्बाई की 3 पाइप लाइनें बिछाने की स्थिति में, लेखा परीक्षा में आगणित 120 मीटर (लागत : 0.69 लाख रूपये) के बजाय 1.37 लाख रूपये की लागत के 240 मीटर पाइपों की आवश्यकता होती एवं पाइप के प्रारम्भिक अनुरक्षण (मूल्य 0.20 लाख रूपये) हेतु कार्य की अतिरिक्त मदों की भी आवश्यकता होती ।

240 मीटर पाइप की गणना तथा कार्य की अतिरिक्त मदों का आधार परियोजना द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया ।

3.08 अन्य रोचक प्रसंग

3.08.1 बाढ़ में सीमेण्ट की हानि

सितम्बर 1983 की बाढ़ के दौरान, परियोजना के सीमेण्ट भण्डार में 13,608 बोरी सीमेण्ट (मूल्य : 5.23 लाख रूपये) क्षतिग्रस्त हो गयी और अनुपयोगी हो गयी । यद्यपि

परियोजना के पास नवम्बर 1979 से नवम्बर 1983 तक की अवधि के लिये व्यापक स्टोरेज कम एरेक्शन बीमा-पॉलिसी थी, तथापि सीमेण्ट भण्डार, जो परियोजना के सिविल संगठन के प्रशासनिक नियन्त्रण में एक मात्र भण्डार था, पॉलिसी के अन्तर्गत समाविष्ट नहीं किया गया था जिसके लिये अभिलेख में कोई भी कारण उपलब्ध नहीं थे। अक्टूबर 1986 में परियोजना के अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) द्वारा हानि को बट्टे खाते डालने की स्वीकृति हेतु मामला प्रस्तावित किया गया था परन्तु परिषद् द्वारा अभी तक (अगस्त 1987) स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी।

3.08.2 श्रम-वृद्धि का अननुमन्य (इनएडमिसिबिल) भुगतान

अतिरिक्त भवन के निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के साथ निष्पादित संविदा में प्रावधानित दरें अकुशल श्रमिक के लिये 6 रूपये प्रतिदिन की न्यूनतम मज़दूरी पर आधारित थीं एवं मज़दूरी-दर में सांविधिक वृद्धि की स्थिति में, श्रम - वृद्धि के कारण अतिरिक्त धनराशि परिषद् द्वारा ठेकेदार को संविदा में प्रावधानित सूत्र के अनुसार देय थी।

लेखा परीक्षा में यह संवीक्षा की गयी (सितम्बर 1987) कि जुलाई 1981 से मार्च 1982 की अवधि हेतु श्रम-वृद्धि के कारण ठेकेदार को 1.08 लाख रूपयों का अननुमन्य भुगतान, चावल मिलों, आटा मिलों और दाल-मिलों में नियुक्त श्रमिकों पर लागू न्यूनतम मज़दूरी में वृद्धि को अधिसूचित करने वाली जून 1981 की शासकीय अधिसूचना के आधार पर किया गया (जनवरी 1984)। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 1982 से दिसम्बर 1984 की

अवधि हेतु 1.51 लाख रूपयों की अननुमन्य वृद्धि भुगतान के लिये अधिशासी अभियन्ता -1 (सिविल) द्वारा मई 1987 में उसी अधिसूचना के आधार पर सत्यापित कर दी गयी थी, यद्यपि परिषद् से निधियों के अभाव के कारण परियोजना के वित्त एवं लेखा शाखा द्वारा भुगतान अवमुक्त नहीं किया गया (अगस्त 1987)।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर, अधिशासी अभियन्ता-1 (सिविल) ने परियोजना के वित्त एवं लेखा शाखा से 1.51 लाख रूपये के भुगतान को दूसरे सत्यापन तक रोक रखने के लिये अनुरोध किया ।

3.08.3 समयोपरि का अधिक भुगतान

निर्माण शाला अधिनियम, 1948 की धारा 64 की उप धारा 4(iii) में अन्तर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार, किसी कार्यकर्त्ता को अनुमत समयोपरि घंटों की कुल संख्या एक त्रिमास में 50 से अधिक नहीं होगी ।

तापीय विद्युत् केन्द्र, पारीछा के अभिलेखों के जाँच-परीक्षण (फरवरी 1987) के दौरान यह देखा गया कि उक्त सांविधिक समय-सीमा का अनुपालन नही किया गया एवं निर्माणशाला अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन में 111 कामगारों को मार्च 1986, जून 1986, सितम्बर 1986 एवं दिसम्बर 1986 में अन्त होने वाले त्रिमासों में एक त्रिमास में 50 घंटों से ऊपर 6 घंटों से लेकर 249 घंटों तक का अधिक

समयोपरि अनुमत किया गया । समयोपरि के अधिक भुगतान की धनराशि 1.06 लाख रूपये थी ।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक ने फरवरी 1987 में बताया कि 50 घंटों से ऊपर समयोपरि कार्य की अत्यधिक आवश्यकता के कारण अपरिहार्य परिस्थितियों में और परिषद् के हित में अनुमत किया गया था । उत्तर युक्तिसंगत नहीं था क्योंकि एक त्रिमास में 50 घंटों से ऊपर समयोपरि भत्ते की स्वीकृति निर्माण शाला अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के विरूद्ध थी। और भी, समयोपरि भुगतान को कम करने के लिये कोई प्रतिकारक कार्यवाही नहीं की गयी ।

3.08.4 टरबाइन तेल की हानि

13/14 अगस्त 1986 की रात्रि में, तापीय विद्युत केन्द्र, पारीछा इकाई संख्या - 11 की मुख्य तेल टंकी से 0.64 लाख रूपये का 20 पीपा (4100 लीटर) टरबाइन तेल चू गया क्योंकि 13 अगस्त 1986 को 8.30 बजे इकाई नं0-11 के बन्द हो जाने पर टरबाइन अनुरक्षण प्रभाग का स्टाफ सेण्ट्रीफ्यूज़िग मशीन के तेल अन्तर्गम कपाट (ऑयल इनलेट वाल्व) को बन्द करना भूल गया । इसके अतिरिक्त, अधिशासी अभियन्ता (ई.एण्ड टी.) ने संवीक्षा की (16 अगस्त 1986) कि एक या दो घंटों में तेल का इतना अधिक मात्रा में रिसाव सम्भव नहीं था तथा इस प्रकार टरबाइन तेल की हानि सम्बन्धित परिचालक तथा अवर अभियन्ता द्वारा कर्त्तव्यों की उपेक्षा पर आरोपणीय थी ।

12

तथापि, अधिशासी अभियन्ता (टी.एन डी.) ने अपने जाँच प्रतिवेदन (26 अगस्त 1986) में कोई उत्तरदायित्व नियत नहीं किया । इस प्रकार, कार्यरत स्टाफ की असावधानी के कारण परिषद् ने 0.64 लाख रूपयों की हानि उठायी ।

उल्लिखित मामले परिषद्/शासन को दिसम्बर 1987 में प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

4. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित विविध रोचक प्रसंग

4.क सरकारी कम्पनियाँ

4.क.1 उत्तर प्रदेश राज्य हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड

4.क.1.1 क्षतिग्रस्त वस्त्र

कम्पनी के विभिन्न गोदामों में प्रबन्धकों द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन (अक्टूबर/दिसम्बर 1986) के दौरान 1982–83 से 1985–86 की अवधि में किये गये क्रयों में से 68.73 लाख रूपये के हथकरघा वस्त्र घटिया एवं दीर्घ भण्डारण के कारण क्षतिग्रस्त हुये बताये गये । यद्यपि प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर नियमित रूप से भौतिक सत्यापन किया जाता था तथापि दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त आदि देखे जाने के बाद इस प्रकार के वस्त्रों के निस्तारण हेतु प्रभावी उपाय नहीं उठाये गये, फलतः 1982–83 से 1985–86 तक 68.73 लाख रूपये का इस प्रकार का भण्डार संचित हो गया।

निदेशक मण्डल द्वारा गठित निस्तारण–समिति ने अभिमत व्यक्त किया कि 52.31 लाख रूपये मूल्य के नियन्त्रित वस्त्र यदि नीलाम किये गये तो मात्र 25 प्रतिशत मूल्य पर

ही बिक पायेंगे । यद्यपि निदेशक-मण्डल ने दिसम्बर 1986 में हुयी अपनी बैठक में निस्तारण-समिति के अभिमत पर विचार तो किया परन्तु उनके निस्तारण के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। तथापि, निदेशक-मण्डल ने मार्च 1988 में हुयी अपनी बैठक में 16.93 लाख रूपये मूल्य के क्षतिग्रस्त वस्त्रों की प्रथम ढेरी (लॉट) को तीन श्रेणियों में पृथक करने का अनुमोदन दिया । 3.12 लाख रूपये मूल्य की "क" श्रेणी के वस्त्र सामान्य विधि से बेचे जाने थे, 9.86 लाख रूपये मूल्य के "ख" श्रेणी के वस्त्र 50 प्रतिशत तक की छूट देकर बेचे जाने थे तथा 3.95 लाख रूपये मूल्य के "ग" श्रेणी के वस्त्र नीलाम किये जाने थे । निदेशक-मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि शेष क्षतिग्रस्त वस्त्र (51.80 लाख रूपये मूल्य के) उसी विधि से निस्तारण किये जायेंगे । तथापि, वस्त्रों का अन्तिम निस्तारण अभी भी प्रतीक्षित है (जुलाई 1988)। इस प्रकार वस्त्रों के घटिया एवं दीर्घ भण्डारण के कारण, कम्पनी को हानि पहुंचाई गयी, जिसके लिये अब तक कोई भी उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त, समय व्यतीत होने के साथ, क्षति की सीमा बढ़ सकती है जिससे वस्त्रों के मूल्य में और भी क्षय होगा ।

कम्पनी को मामला सितम्बर 1987 में एवं शासन को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

4.क.1.2 **वस्त्रों के अत्यधिक संकुचन से हानि**

कम्पनी ने टेरीकॉट शर्टिंग/सूटिंग के प्रक्रियाकरण में प्रक्रिया करने वाली फर्मों को अनुमत की जाने वाली सिकुड़न को

4.25 प्रतिशत तक अनुमोदित किया (मार्च 1982), किन्तु वास्तविक सिकुड़न मुख्य उत्पादन प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित की जानी थी । कम्पनी के अभिलेखों के जाँच-परीक्षण (जून 1987) पर यह देखा गया कि न तो टेरीकॉट वस्त्र के प्रक्रिया करण हेतु फरीदाबाद की प्रक्रिया करने वाली फर्म के साथ किये गये अनुबन्ध में ऐसा प्रावधान किया गया और न ही वास्तविक सिकुड़न मुख्य उत्पादन प्रबन्धक द्वारा निश्चित की गयी। यद्यपि प्रक्रिया कर्ता फर्म अपने चालू बिलों में सिकुड़न की प्रतिशतता इंगित करती रही परन्तु न तो मुख्य उत्पादन प्रबन्धक द्वारा ऐसी सिकुड़न की शुद्धता की जाँच की गयी और न ही चालू बिलों के भुगतान करते समय, प्रक्रियाकर्ता फर्म से प्रतिमानों से अधिक सिकुड़न हेतु लागत की वसूली की गयी । 1982-83 से 1985-86 तक की अवधि के दौरान किये गये कार्य के सम्बन्ध में प्रबन्ध द्वारा आगणित निर्धारित प्रतिमान से ऊपर 1.02 प्रतिशत से 3.75 प्रतिशत की अधिक सिकुड़न 1.98 लाख रूपये मूल्य का 3,456.2 मीटर थी ।

अधिक सिकुड़न की लागत की वसूली की दृष्टि से, प्रबन्धकों ने 1.20 लाख रूपये के भुगतान रोक लिये (फरवरी 1987) । बदले मे, फर्म ने, बिना प्रतिभूति / बैंक प्रत्याभूति के उसे दिये गये 7.95 लाख रूपये मूल्य के 19,876 मीटर प्रक्रियाकृत वस्त्रों को अवमुक्त नहीं किया (अप्रैल 1987 से) जो वापस प्राप्त नहीं हो सके (जनवरी 1988) ।

इस प्रकार, जैसे और जब प्राप्त प्रत्येक कन्साइनमेन्ट के सम्बन्ध में सिकुड़न की जाँच करने में तथा प्रतिमानों से अधिक सिकुड़न की लागत वसूल करने में मुख्य उत्पादन

प्रबन्धक की विफलता के कारण 8.73 लाख रूपयों की कुल हानि हुयी ।

कम्पनी ने बताया (जून 1988) कि जून 1988 मे हुई बैठक में फर्म, उसके द्वारा रोके गये वस्त्रों का 86 प्रतिशत (मूल्य : 6.84 लाख रूपये) अवमुक्त करने तथा अन्तिम निपटारा होने तक शेष भाग को रोकने पर सहमत हो गयी है । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है ।

सरकार को मामला फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अप्रैल 1989)।

4.क.1.3 वस्त्रों का गबन

अकबर पुर उत्पादन केन्द्र पर जनता धोतियों की कमी से सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, फैज़ाबाद की रिपोर्ट पर, महाप्रबन्धक द्वारा केन्द्र पर 25 फरवरी 1986 को भण्डारों की जाँच की गयी । भण्डार-पंजियाँ, रोकड़-बही एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेख केन्द्र पर गायब पाये गये । तथापि, परियोजना -कार्यालय फैज़ाबाद में रखे गये अभिलेखों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि यू.पी.-8 जनता धोती के 17,690 जोड़े तथा यू.पी.-21 वस्त्र के 29,146 मीटर के पुस्तक शेष के समक्ष, भण्डार में पाया गया वास्तविक शेष क्रमश: 1,648 जोड़े एवं 21,816 मीटर था, फलस्वरूप 16,042 जोड़े धोतियाँ (मूल्य : 5.53 लाख रूपये) और 7,330 मीटर वस्त्र (मूल्य : 0.29 लाख रूपये) की कमी थी । जुलाई 1986 में केन्द्र प्रभारी, सहायक परियोजना अधिकारी एवं केन्द्र अधीक्षक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी । उपर्युक्त के अतिरिक्त ,

से 6 माह के बाद निष्पादित कार्य हेतु दरें पारस्परिक सहमति वाली होंगीं। मार्च 1982 में, फर्म ने संविदा की मात्रा में वृद्धि एवं उनको अनारोपणीय कारणों हेतु संविदा अवधि को बढ़ाये जाने के आधार पर स्ट्रक्चरल स्टील कार्य की संविदा दर में 1600 रूपये प्रति टन से 2240 रूपये प्रतिटन की वृद्धि का दावा किया। परियोजना प्रबन्धकों ने फर्म के दावे को स्वीकार कर लिया (मार्च 1984) तथा 24 मार्च 1982 के बाद किये गये कार्य के लिये 2000 रूपये प्रतिटन की दर उनको अनुमत कर दी। इसके परिणामस्वरूप 24 मार्च 1982 के पश्चात् फर्म द्वारा निष्पादित 387.703 टन स्ट्रक्चरल स्टील कार्यों पर 1.55 लाख रूपयों का अतिरिक्त ब्यय हुआ। यद्यपि दर में वृद्धि परियोजना प्रबन्धकों द्वारा निम्नांकित को आरोपणीय कारणों हेतु दी गयी थी :

(क) निविदाओं के आमन्त्रण तथा संविदा को अन्तिम रूप देने के समय परामर्शदाताओं / टी.डी.ई. द्वारा मात्रा के गलत निर्धारण, जिससे परामशर्तदाताओं द्वारा रेखांकन प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ, के कारण संविदा में प्रावधानित मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक कार्य की मात्रा में वृद्धि,

(ख) दोषपूर्ण रूपांकनों एवं परामर्शदाताओं से पुनरीक्षित रेखांकनो/ अनुमोदनों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण उत्पन्न समस्या,

(ग) उसी क्षेत्र में कार्यरत अन्य संविदा अभिकरणों द्वारा विलम्ब के कारण फर्म को कार्य परिक्षेत्र (वर्किंग जोन) प्रदान करने

में विलम्ब, तथा

(घ) फर्म को आपूर्ति किये जाने वाले स्टील के अनुकूल प्रकार (मैचिंग सेक्शन) की परियोजना भण्डार में अनुपलब्धता, इत्यादि । फिर भी, विभिन्न अभिकरणों के विरूद्ध उनके पक्ष में चूक हेतु परिषद् द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी (अगस्त 1987) ।

(ii) संविदा में 30,000 रूपये प्रतिटन की दर से जी.के.डब्ल्यू. मेक के एच.टी.बोल्टों की आपूर्ति तथा अभिन्यास (लेइंग) के लिये मद दरों का प्रावधान था । अप्रैल 1980 में, कार्य निष्पादित करते समय, फर्म ने परियोजना प्रबन्धकों को सूचित किया कि जी.के.डब्लू. मेक की 6.6 ग्रेड एच.टी.बोल्ट के साथ रेखांकन अनुमोदित किये जा रहे हैं परन्तु जी.के.डब्लू. मेक के 6.6 ग्रेड बोल्ट उपलब्ध नहीं हैं और इसलिये वे या तो जी.के.डब्लू. मेक के 8.8 ग्रेड बोल्ट अथवा किसी अन्य मेक के 6.6 ग्रेड बोल्ट प्राप्त करना चाहेंगे और यदि 8.8 ग्रेड जी.के.डब्लू. बोल्ट प्रदान करने का निर्णय लिया गया तो अतिरिक्त लागत परिषद् को वहन करनी होगी । किन्तु परियोजना प्रबन्धकों ने फर्म को जी.के.डब्लू. के 6.6 ग्रेड अथवा आसन्न उच्चतर रेट के बोल्टों का प्रयोग करने के लिये निर्देश दिया (अप्रैल 1980) और कहा कि अतिरिक्त लागत के भुगतान सम्बन्धी मामले पर अच्छाई (मेरिट) के आधार पर निर्णय लिया जायेगा । अतिरिक्त लागत के भुगतान सम्बन्धी मामलों को परिषद् की टी.डी.ई. शाखा द्वारा नई दिल्ली स्थित

परामर्शदाताओं के मुख्यालय को सन्दर्भित किये जाने पर परामर्शदाताओं ने राय दी (मई 1980) कि संविदा के प्रावधानों के अनुसार जी.के.डब्ल्यू. मेक के एच.टी.बोल्टों की आपूर्ति हेतु परिषद् को 30,000 रूपये प्रतिटन की दर से भुगतान करना होगा, संविदा में 6.6 ग्रेड का उल्लेख नहीं था और फर्म ने अपने निवेदन में इस सम्बन्ध में कोई अन्य अनुबन्ध (स्टीपुलेशन) भी नहीं किया और चूँकि जी.के.डब्ल्यू. मेक के उच्च तनाव गुणत्व वाले (हाईटेन्साइल क्वालिटी) बोल्ट 8.8 ग्रेड से ही आरम्भ होते हैं, फर्म को उन्हीं बोल्टो का प्रयोग करने की राय दी गयी थी और इसलिये उनको संविदा दर के ऊपर किसी अतिरिक्त भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

परामर्शदाताओं के मुख्यालय की स्पष्ट राय के बावजूद, परियोजना के अधीक्षण अभियन्ता (एम.पी.ई.सी.) ने परियोजना पर परामर्शदाताओं के कार्यस्थल प्रतिनिधि के साथ मामले पर पुनः विचार-विमर्श किया (जनवरी 1984) तथा संयुक्त विचार-विमर्श कार्यवृत्त (मिनट्स) को इस आशय से हस्ताक्षरित करवाया कि संविदा में प्रावधानित 6.6 ग्रेड जी.के.डब्ल्यू. बोल्टों के बजाय 8.8 ग्रेड जी.के.डब्ल्यू. बोल्ट प्रदान करने के लिये फर्म के अतिरिक्त दावे पर चर्चा हुयी तथा इस बात पर सहमति हो गयी कि फर्म को अतिरिक्त भुगतान देय था क्योंकि रूपांकनों को 8.8 ग्रेड बोल्टों के आधार पर अन्तिम रूप दिया गया था । किन्तु लेखा परीक्षा ने संवीक्षा की कि संविदा में कहीं भी न तो 6.6 ग्रेड और न 8.8 ग्रेड बोल्ट निर्दिष्ट किये गये थे । मार्च

1984 मे, परियोजना के अधीक्षण अभियन्ता (एम.पी.ई.सी.) द्वारा 30,000 रूपये प्रति टन की संविदा दर को 40,960 रूपये प्रति टन संशोधित करते हुये मुख्य परियोजना प्रबन्धक के औपचारिक अनुमोदन के बिना एक आदेश जारी कर दिया गया जिससे 54.097 टन बोल्टों की आपूर्ति एवं उनके लगाने हेतु फर्म को 5.93 लाख रूपये का अननुमन्य भुगतान हो गया (मार्च 1986) ।

(iii) सी.डब्ल्यू.पम्प हाउस के लिये, अप्रैल 1982 में निर्गत एक पुनरादेश (रिपोर्ट आर्डर) में मुख्य विद्युत गृह भवन एवं स्ट्रक्चरल स्टील कार्य के लिये विभिन्न स्टील कार्यों के मदों हेतु दरो में स्टील की लागत सम्मिलित थी । कार्य के निष्पादन के दौरान स्टील में किसी क्षति का आपात फर्म को वहन करना था । दोनों कार्यों के लिये परियोजना द्वारा स्टील निर्गत की गयी थी परन्तु फर्म से इस प्रकार निर्गत स्टील की लागत की वसूली कार्यों में वस्तुत: उपभुक्त स्टील की मात्रा हेतु की गयी थी और कतरन (स्क्रैप) के रूप में स्टील की क्षति (60.763 टन) फर्म पर बिना किसी प्रभार के परियोजना द्वारा ले ली गयी इसके फलस्वरूप निर्गम दरों (26.100 टन हेतु 2975 रूपये प्रतिटन तथा 34.663 टन हेतु 3811 रूपये प्रति टन.) स्टील की लागत और इसके कतरन मूल्य (2500 रूपये प्रतिटन) में अन्तर को निरूपित करने वाले 0.58 लाख रूपये की कम वसूली हुयी ।

(iv) मुख्य विद्युत गृह भवन के स्ट्रक्चरल स्टील कार्य के मामले में फर्म को देय श्रम दर संविदा में प्रावधानित थी और

परिषद् द्वारा ठेकेदार को स्टील निःशुल्क आपूर्ति की जानी थी। संविदा की शर्तों के अनुसार, 5 प्रतिशत तक स्टील की क्षति परिषद् को वहन करनी थी बशर्ते स्टील की कतरन ठेकेदार द्वारा परिषद् को वापस कर दी जाय। 5 प्रतिशत से अधिक स्टील की क्षति के लिये स्टील की लागत या तो उत्तरोत्तर (प्रोगेसिवली) लेखे प्रस्तुत करते समय अथवा अन्तिम लेखा प्रस्तुत करते समय प्रचलित निर्गम दर की दुगुनी दर पर ठेकेदार के बिलों से काट ली जानी थी। 5 प्रतिशत के समक्ष, स्ट्रक्चरल स्टील कार्य (6973.543 टन) के निष्पादन के दौरान स्टील की वास्तविक क्षति 8.5 प्रतिशत (592.047 टन) थी। कतरन के मूल्य को घटाने के बाद स्टील की निर्गम दर से दुगुनी दर पर 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक कतरन (243.270 टन) के रूप में स्टील की क्षति हेतु ठेकेदार से वसूली योग्य धनराशि 20.68 लाख रूपये आती थी। परियोजना प्रबन्धकों ने 9.4 प्रतिशत तक क्षति अनुमोदित किया और इस प्रकार निम्न आधारों पर वसूली छोड़ दी–

(i) परियोजना भण्डार में अपेक्षित लम्बाई में स्टील प्रकारों (सेक्शन) की अनुपलब्धता,

(ii) परामर्शदाताओं द्वारा तारतम्य (सीक्वेन्स) में अनुमोदित रेखांकनों का मुक्त न किया जाना,

(iii) ठेकेदार को स्टील के अनुरूप प्रकार की अनापूर्ति और

(iv) अधिक क्षति दिखाते हुये विशिष्ट दृष्टान्तों के रूप में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत औचित्य।

लेखा परीक्षा द्वारा यह संवीक्षा की गयी कि न तो विभिन्न कारकों के कारण हुयी क्षति की सीमा की जाँच की गयी या निश्चित की गयी और न ही परामर्शदाताओं से किसी अर्थदण्ड या क्षतिपूर्ति की वसूली की गयी ।

(ड-) सहायक (आक्जिलरी) भवनों का निर्माण

विद्युत केन्द्र के सहायक भवनों के निर्माण का कार्य निविदायें आमन्त्रित करने के बाद उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को दिया गया (सितम्बर 1980)। ठेकेदार ने (I) कार्यस्थलों के चयन में विलम्ब एवं समापन की निर्धारित तिथि (16 मार्च 1982) के बाद रेखांकनों की मुक्ति (मार्च 1982 से अगस्त 1984) यद्यपि इन भवनों का निर्माण संविदा के क्षेत्र में विशेष रूप से सम्मिलित था तथा (II) संविदा में कार्य की अपर्याप्त मात्राओं के प्रावधान के आधार पर, फायर स्टेशन, टाइम आफिस, सुरक्षा कार्यालय, कैण्टीन, साइकिल स्टैण्ड, भण्डार एवं प्रशासनिक भवनो (अनुमानित लागत : 65.09 लाख रूपये) के निर्माण को छोड़कर 119.27 लाख रूपयों के संविदा मूल्य तथा मार्च 1982 में नियत समापन के समक्ष कुछ भवनों का निर्माण : मूल्य 122.91 लाख रूपये (मूल्य वृद्धि को छोड़कर) दिसम्बर 1984 तक पूरा किया ।

अत: परियोजना अधिकारियों ने अधूरे छोड़े गये भवनों (कुल मूल्य : 65.09 लाख रूपये) के निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की संविदा में प्रावधानित दरों की अपेक्षा उच्चतर दरों पर झाँसी के दो स्थानीय ठेकेदारों को

यदि सहायक भवनों के निर्माण हेतु मात्रायें परामर्शदाता/परिषद् की टी.डी.ई. शाखा द्वारा यथार्थवत् आधार पर निर्धारित तथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के अनुबन्ध में प्रावधानित की गयी होतीं और कार्य स्थल का चयन एवं परामर्शदाताओं द्वारा रेखांकनों की अवमुक्ति समय से की गयी होती तो अतिरिक्त व्यय (8.89 लाख रूपये) बचाया जा सकता था ।

(च) परिसज्जा कार्य (फिनिशिंग वर्क)

नई दिल्ली की एक फर्म को अगस्त 1980 में सौंपा गया पावर स्टेशन भवन का परिसज्जा कार्य 71.20 लाख रूपयों के संविदा मूल्य और जनवरी 1982 में नियत समापन के समक्ष कार्य की अतिरिक्त मदों (17.84 लाख रूपये) और मूल्य वृद्धि (26.24 लाख रूपये) सहित 204.29 लाख रूपयों की लागत से नवम्बर 1984 में पूरा किया गया ।

श्रम एवं सामग्रियों की लागत में वृद्धि की स्थिति में, संविदा में प्रावधानित दरें परिवर्तनीय थीं तथा इस कारण से हुयी मूल्य वृद्धि, ठेकेदार को समापन की नियत तिथि के बाद 6 माह की अवधि को सम्मिलित करते हुये 22 महीने की अवधि के दौरान निष्पादित कार्य के मूल्य पर, 2.39 लाख रूपये की अधिकतम सीमा तक, देय थी । ठेकेदार को अनारोपणीय कारणों हेतु 22 महीने के ऊपर कार्य को पूरा करने में विलम्ब की स्थिति में, मूल्य वृद्धि 22 महीने के बाद निष्पादित कार्य के मूल्य पर ठेकेदार को देय थी ।

लेखा परीक्षा में यह संवीक्षा की गयी कि अधिकतम सीमा (2.39 लाख रूपये) तक मूल्य वृद्धि के भुगतान के

अतिरिक्त, कार्य पूर्ण होने तक 27.35 लाख रूपयों की मूल्य वृद्धि देय थी जिसमें से 22 महीने की अवधि के बाद किये गये कार्यों के मूल्य (126.09 लाख रूपये) पर अगस्त 1987 तक ठेकेदार को 23.56 लाख रूपयों का भुगतान इस आधार पर किया गया कि कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब के लिये ठेकेदार उत्तरदायी नहीं था, और विलम्ब निम्नांकित पर आरोपणीय थी:-

(i) परामर्शदाताओं से रेखांकनों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य आरम्भ करने में लगभग 5 माह का विलम्ब,

(ii) परामर्शदाताओं से कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि के बाद 45 रेखांकनों की प्राप्ति,

(iii) निविदा के आमन्त्रण एवं उसे अन्तिम रूप देने के समय परामर्शदाताओं/टी.डी.ई. द्वारा कम आकलन के कारण कार्य की निर्धारित मात्रा में असामान्य वृद्धि (162 प्रतिशत),

(iv) कार्य की अतिरिक्त मदों का निष्पादन (मूल्य : 17.84 लाख रूपये) जो संविदा में प्रावधानित नहीं थी तथा

(v) अन्य कारण, जैसे, कार्यस्थल उपलब्ध कराने में विलम्ब, वर्षा / बाढ़ के कारण कार्य में बाधा एवं मार्च-अप्रैल 1982 में सीमेण्ट की कमी ।

उपर्युक्त (v) में वर्णित कारणों हेतु विलम्ब यदि उसे अपरिहार्य भी माना जाय, तो भी छः माह से अधिक की अवधि हेतु नहीं था जो मूल्य वृद्धि की अधिकतम सीमा से आवृत्त था । इस प्रकार, मुख्य रूप से परामर्शदाता/परिषद् की

टी.डी.ई. शाखा विलम्ब के लिये उत्तरदायी थे, इसके फलस्वरूप अधिकतम सीमा से ऊपर 27.35 लाख रूपयों की मूल्य वृद्धि का भुगतान हुआ । परियोजना के अभिलेखों में यह दिखाने के लिये कुछ भी नहीं था कि मामले की जाँच की गयी थी तथा उपर्युक्त विलम्बों तथा अतिरिक्त व्यय हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था ।

(छ) रेल पथिका एवं विन्यास अहाता (मार्शलिंग यार्ड) का निर्माण

परिषद् द्वारा जून 1978 में निर्गत एक पूछताछ पत्र के उत्तर में, इण्डियन रेलवे कांस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (इरकान) ने परियोजना रेल पथिका (रेलवे साइडिंग) तथा विन्यास अहाता (मार्शलिंग यार्ड) के निर्माण के लिये प्रभार आधार (टर्नकी बेसिस) पर अपना निवेदन परिषद् को प्रस्तुत किया (जुलाई 1978) । निवेदन के अनुसार इरकान ने सर्वेक्षण, आयोजना, प्रतिवेदन एवं प्राक्कलनों की तैयारी के लिये 3.75 लाख रूपये की एकमुश्त धनराशि के अतिरिक्त रेल पथिका तथा विन्यास अहाता के निर्माण के प्रभार कार्य (टर्नकी जाब) हेतु, मुख्यालय के सामान्य व्ययों और लाभ को आवृत्त करने हेतु उस पर (वास्तविक प्रत्यक्ष लागत पर) 15 प्रतिशत जोड़कर अपने उपस्करों तथा संयंत्रों पर मूल्यह्रास सहित वास्तविक प्रत्यक्ष लागत पर उद्धृत किया । परिषद् ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इरकान को नवम्बर 1978 में आशय-पत्र (लेटर आफ इन्टेण्ट) निर्गत किया । निर्माण-कार्य नवम्बर 1984 में पूर्ण हो गया ।

परिषद् ने इरकान को अब तक (अगस्त 1987) न तो कोई विस्तृत आदेश निर्गत किये और न ही विविध शर्तें निर्दिष्ट करते हुये उनके साथ कोई अनुबन्ध निष्पादित किया। फरवरी 1979 से नवम्बर 1984 के दौरान इरकॉन को अग्रिम के रूप में दिया गया 580.38 लाख रूपये का सम्पूर्ण भुगतान फर्म के साथ निम्नांकित शर्तों के तय न होने (अगस्त 1987) के आधार पर परियोजना की वित्त एवं लेखा शाखा द्वारा अभी तक (अगस्त 1987) समायोजित नहीं किया गया;

(i) यह इंगित करते हुये कि इसमें (प्रत्यक्ष लागत में) सुस्पष्ट रूप से क्या सम्मिलित होगा, प्रत्यक्ष लागत की परिभाषा।

(ii) इरकॉन द्वारा प्रभारित किये जाने वाले मूल्यह्रास की दर एवं विधि।

(iii) क्या विविध शर्तों जो निष्पादित संविदा पर सामान्यतया लागू हैं, को निर्दिष्ट करने वाले परिषद् के मानक प्रपत्रों "क" एवं "ख" के विविध प्रावधान इरकॉन के प्रकरण में लागू होंगे अथवा नहीं।

(iv) क्या परिषद् द्वारा व्यवस्थित एवं आपूर्तित सीमेण्ट एवं स्टील पर 15 प्रतिशत सामान्य व्यय और लाभ इरकॉन को देय होगा।

(v) क्या निर्माण-कार्य के लिये कोई अनुरक्षण/प्रत्याभूति अवधि होगी और क्या इस प्रकार की अवधि की समाप्ति तक इरकॉन से कोई बैंक प्रत्याभूति ली जायेगी।

(vi) आशय-पत्र (लेटर ऑफ इन्टेण्ट) में निर्माण-कार्य के समापन की नियत तिथि प्रावधानित थी । क्या कार्य-समापन में विलम्ब के लिये इरकॉन से कोई अर्थदण्ड वसूली योग्य होगा ।

संविदा निष्पादित किये जाने हेतु परियोजना द्वारा इरकॉन से निवेदन किये जाने पर, इरकॉन ने कहा (अक्टूबर 1985) कि कार्य पहले ही पूर्ण किया जा चुका है और इसलिये किसी संविदा को अन्तिम रूप देने हेतु कोई आवश्यकता नहीं थी । प्रासंगिक प्रश्न यह था कि परिषद् द्वारा आपूर्तित सीमेन्ट एवं स्टील की लागत पर इरकॉन को 15 प्रतिशत सामान्य व्यय एवं लाभ का भुगतान परिषद् क्यों करे । इसी बीच इरकॉन ने 580.38 लाख रूपये के वास्तविक आंकड़ों के समक्ष अब तक (अगस्त 1987) 576.38 लाख रूपयों के भुगतान की प्राप्ति स्वीकृत की है । किसी अनुबन्ध के अभाव में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि परिषद् एवं इरकॉन के मध्य अन्तिम निपटारा क्या होगा ।

(ज) अन्तर्ग्राही कूप (इनटेक वेल) का निर्माण

नगर क्षेत्र में जल-आपूर्ति के लिये अन्तर्ग्राही कूप का निर्माण-कार्य परिषद् द्वारा आगरा की एक फर्म को अप्रैल 1982 में प्रदान किया गया । संविदा में दो कार्य-मदों अर्थात्, 4.72 लाख रूपये हेतु एक ठेके के कार्य (जॉब) के रूप में अन्तर्ग्राही कूप का निर्माण एवं एक मद-दर के रूप में 571 रूपये प्रति चालू (रनिंग) मीटर की दर पर एम.एस. पाइप की आपूर्ति एवं उसे सक्शन में लगाना - का प्रावधान था । कार्य अक्टूबर 1982 तक पूर्ण होना था । ठेकेदार ने अन्तर्ग्राही कूप का निर्माण-कार्य पूर्ण कर दिया

(अप्रैल 1983) और 0.22 लाख रूपये मूल्य का कुछ मिट्टी का कार्य निष्पादित करने के पश्चात् पाइप की आपूर्ति एवं उसे लगाने का कार्य छोड़ दिया । मार्च 1984 में, परियोजना प्रबन्धकों को कार्य की आवश्यकता का बोध हुआ एवं उन्होंने पहले से ही निर्मित अन्तर्ग्राही कूप तक नदी से जल लाने के लिये एम.एस.पाइप के स्थान पर खुली कच्ची सरणि (चैनेल) की व्यवस्था करने का निर्णय लिया । कच्ची सरणि (लम्बाई 40 मीटर) 1.87 लाख रूपये की लागत पर (कानपुर के एक अन्य ठेकेदार, जो परियोजना में शीतलीकरण जल-प्रणाली की अन्तर्ग्राही सरणि का कार्य निष्पादित कर रहा था, के माध्यम से आगरा के ठेकेदार द्वारा पहले किये गये मिट्टी की खुदाई की लागत के कारण 0.22 लाख रूपये असम्मिलित करके) निर्मित करायी गयी । आगरा के ठेकेदार का अन्तिम भुगतान कार्य के समापन में विलम्ब के लिये क्षतिपूर्ति (0.59 लाख रूंपये) की कटौती कर लेने के पश्चात् अवमुक्त कर दिया गया (1984-85) । जैसा कि संविदा में प्रावधानित था, प्रत्येक 40 मीटर लम्बाई की 3 एम.एस. पाइप लाइनों की आपूर्ति एवं निरोपण (फिक्सिंग) के स्थान पर 40 मीटर कच्ची सरणि के निर्माण में निहित अधिक व्यय की धनराशि, आगरा के ठेकदार से वसूली गयी क्षतिपूर्ति (0.59 लाख रूपये) की कटौती करने के पश्चात्, 0.81 लाख रूपये थी ।

यह उल्लेखनीय है कि कार्य के समापन में विलम्ब के लिये क्षतिपूर्ति की वसूली के अतिरिक्त संविदा से परियोजना प्रबन्धकों को अधिकार प्राप्त था कि वे कार्य के पूर्ण होने में

ठेकेदार के पक्ष में चूक की स्थिति में किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से करा लेते और अतिरिक्त लागत, यदि कोई होती, ठेकेदार से वसूल कर लेते । निहित अतिरिक्त व्यय के कारण 0.81 लाख रूपये की वसूली आगरा के ठेकेदार से नहीं की गयी, यद्यपि ठेकेदार को अन्तिम भुगतान करते समय 17 जून 1984 तक वैध 1.17 लाख रूपये की बैंक प्रत्याभूति के अलावा, लम्बित भुगतानों के कारण 0.77 लाख रूपये की धनराशि परियोजना के पास उपलब्ध थी ।

परियोजना द्वारा यह बताया गया (सितम्बर 1987) कि विभिन्न ऊँचाइयों पर प्रत्येक 40 मीटर लम्बाई की 3 पाइप लाइनें बिछाने की स्थिति में, लेखा परीक्षा में आगणित 120 मीटर (लागत : 0.69 लाख रूपये) के बजाय 1.37 लाख रूपये की लागत के 240 मीटर पाइपों की आवश्यकता होती एवं पाइप के प्रारम्भिक अनुरक्षण (मूल्य 0.20 लाख रूपये) हेतु कार्य की अतिरिक्त मदों की भी आवश्यकता होती ।

240 मीटर पाइप की गणना तथा कार्य की अतिरिक्त मदों का आधार परियोजना द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया ।

3.08 अन्य रोचक प्रसंग

3.08.1 बाढ़ में सीमेण्ट की हानि

सितम्बर 1983 की बाढ़ के दौरान, परियोजना के सीमेण्ट भण्डार में 13,608 बोरी सीमेण्ट (मूल्य : 5.23 लाख रूपये) क्षतिग्रस्त हो गयी और अनुपयोगी हो गयी । यद्यपि

परियोजना के पास नवम्बर 1979 से नवम्बर 1983 तक की अवधि के लिये व्यापक स्टोरेज कम एरेक्शन बीमा-पॉलिसी थी, तथापि सीमेण्ट भण्डार, जो परियोजना के सिविल संगठन के प्रशासनिक नियन्त्रण में एक मात्र भण्डार था, पॉलिसी के अन्तर्गत समाविष्ट नहीं किया गया था जिसके लिये अभिलेख में कोई भी कारण उपलब्ध नहीं थे । अक्टूबर 1986 में परियोजना के अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) द्वारा हानि को बट्टे खाते डालने की स्वीकृति हेतु मामला प्रस्तावित किया गया था परन्तु परिषद् द्वारा अभी तक (अगस्त 1987) स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी ।

3.08.2 श्रम-वृद्धि का अननुमन्य (इनएडमिसिबिल) भुगतान

अतिरिक्त भवन के निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के साथ निष्पादित संविदा में प्रावधानित दरें अकुशल श्रमिक के लिये 6 रूपये प्रतिदिन की न्यूनतम मज़दूरी पर आधारित थीं एवं मज़दूरी-दर में सांविधिक वृद्धि की स्थिति में, श्रम - वृद्धि के कारण अतिरिक्त धनराशि परिषद् द्वारा ठेकेदार को संविदा में प्रावधानित सूत्र के अनुसार देय थी ।

लेखा परीक्षा में यह संवीक्षा की गयी (सितम्बर 1987) कि जुलाई 1981 से मार्च 1982 की अवधि हेतु श्रम-वृद्धि के कारण ठेकेदार को 1.08 लाख रूपयों का अननुमन्य भुगतान, चावल मिलों, आटा मिलों और दाल-मिलों में नियुक्त श्रमिकों पर लागू न्यूनतम मज़दूरी में वृद्धि को अधिसूचित करने वाली जून 1981 की शासकीय अधिसूचना के आधार पर किया गया (जनवरी 1984) । इसके अतिरिक्त, अप्रैल 1982 से दिसम्बर 1984 की

अवधि हेतु 1.51 लाख रूपयों की अननुमन्य वृद्धि भुगतान के लिये अधिशासी अभियन्ता -1 (सिविल) द्वारा मई 1987 में उसी अधिसूचना के आधार पर सत्यापित कर दी गयी थी, यद्यपि परिषद् से निधियों के अभाव के कारण परियोजना के वित्त एवं लेखा शाखा द्वारा भुगतान अवमुक्त नहीं किया गया (अगस्त 1987)।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर, अधिशासी अभियन्ता-1 (सिविल) ने परियोजना के वित्त एवं लेखा शाखा से 1.51 लाख रूपये के भुगतान को दूसरे सत्यापन तक रोक रखने के लिये अनुरोध किया ।

3.08.3 समयोपरि का अधिक भुगतान

निर्माण शाला अधिनियम, 1948 की धारा 64 की उप धारा 4(iii) में अन्तर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार, किसी कार्यकर्त्ता को अनुमत समयोपरि घंटों की कुल संख्या एक त्रिमास में 50 से अधिक नहीं होगी ।

तापीय विद्युत् केन्द्र, पारीछा के अभिलेखों के जाँच-परीक्षण (फरवरी 1987) के दौरान यह देखा गया कि उक्त सांविधिक समय-सीमा का अनुपालन नही किया गया एवं निर्माणशाला अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन में 111 कामगारों को मार्च 1986, जून 1986, सितम्बर 1986 एवं दिसम्बर 1986 में अन्त होने वाले त्रिमासों में एक त्रिमास में 50 घंटों से ऊपर 6 घंटों से लेकर 249 घंटों तक का अधिक

समयोपरि अनुमत किया गया । समयोपरि के अधिक भुगतान की धनराशि 1.06 लाख रूपये थी ।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक ने फरवरी 1987 में बताया कि 50 घंटों से ऊपर समयोपरि कार्य की अत्यधिक आवश्यकता के कारण अपरिहार्य परिस्थितियों में और परिषद् के हित में अनुमत किया गया था । उत्तर युक्तिसंगत नहीं था क्योंकि एक त्रिमास में 50 घंटों से ऊपर समयोपरि भत्ते की स्वीकृति निर्माण शाला अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के विरूद्ध थी। और भी, समयोपरि भुगतान को कम करने के लिये कोई प्रतिकारक कार्यवाही नहीं की गयी ।

3.08.4 टरबाइन तेल की हानि

13/14 अगस्त 1986 की रात्रि में, तापीय विद्युत केन्द्र, पारीछा इकाई संख्या - 11 की मुख्य तेल टंकी से 0.64 लाख रूपये का 20 पीपा (4100 लीटर) टरबाइन तेल चू गया क्योंकि 13 अगस्त 1986 को 8.30 बजे इकाई नं0-11 के बन्द हो जाने पर टरबाइन अनुरक्षण प्रभाग का स्टाफ सेण्ट्रीफ्यूज़िग मशीन के तेल अन्तर्गम कपाट (ऑयल इनलेट वाल्व) को बन्द करना भूल गया । इसके अतिरिक्त, अधिशासी अभियन्ता (ई.एण्ड टी.) ने संवीक्षा की (16 अगस्त 1986) कि एक या दो घंटों में तेल का इतना अधिक मात्रा में रिसाव सम्भव नहीं था तथा इस प्रकार टरबाइन तेल की हानि सम्बन्धित परिचालक तथा अवर अभियन्ता द्वारा कर्त्तव्यों की उपेक्षा पर आरोपणीय थी ।

तथापि, अधिशासी अभियन्ता (टी.एन डी.) ने अपने जाँच प्रतिवेदन (26 अगस्त 1986) में कोई उत्तरदायित्व नियत नहीं किया । इस प्रकार, कार्यरत स्टाफ की असावधानी के कारण परिषद् ने 0.64 लाख रूपयों की हानि उठायी ।

उल्लिखित मामले परिषद्/शासन को दिसम्बर 1987 में प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

ही बिक पायेंगे । यद्यपि निदेशक-मण्डल ने दिसम्बर 1986 में हुयी अपनी बैठक में निस्तारण-समिति के अभिमत पर विचार तो किया परन्तु उनके निस्तारण के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। तथापि, निदेशक-मण्डल ने मार्च 1988 में हुयी अपनी बैठक में 16.93 लाख रूपये मूल्य के क्षतिग्रस्त वस्त्रों की प्रथम ढेरी (लॉट) को तीन श्रेणियों में पृथक करने का अनुमोदन दिया । 3.12 लाख रूपये मूल्य की "क" श्रेणी के वस्त्र सामान्य विधि से बेचे जाने थे, 9.86 लाख रूपये मूल्य के "ख" श्रेणी के वस्त्र 50 प्रतिशत तक की छूट देकर बेचे जाने थे तथा 3.95 लाख रूपये मूल्य के "ग" श्रेणी के वस्त्र नीलाम किये जाने थे । निदेशक-मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि शेष क्षतिग्रस्त वस्त्र (51.80 लाख रूपये मूल्य के) उसी विधि से निस्तारण किये जायेंगे । तथापि, वस्त्रों का अन्तिम निस्तारण अभी भी प्रतीक्षित है (जुलाई 1988)। इस प्रकार वस्त्रों के घटिया एवं दीर्घ भण्डारण के कारण, कम्पनी को हानि पहुंचाई गयी, जिसके लिये अब तक कोई भी उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त, समय व्यतीत होने के साथ, क्षति की सीमा बढ़ सकती है जिससे वस्त्रों के मूल्य में और भी क्षय होगा ।

कम्पनी को मामला सितम्बर 1987 में एवं शासन को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

4.क.1.2 **वस्त्रों के अत्यधिक संकुचन से हानि**

कम्पनी ने टेरीकॉट शर्टिंग/सूटिंग के प्रक्रियाकरण में प्रक्रिया करने वाली फर्मों को अनुमत की जाने वाली सिकुड़न को

प्रबन्धक की विफलता के कारण 8.73 लाख रूपयों की कुल हानि हुयी ।

कम्पनी ने बताया (जून 1988) कि जून 1988 मे हुई बैठक में फर्म, उसके द्वारा रोके गये वस्त्रों का 86 प्रतिशत (मूल्य : 6.84 लाख रूपये) अवमुक्त करने तथा अन्तिम निपटारा होने तक शेष भाग को रोकने पर सहमत हो गयी है । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है ।

सरकार को मामला फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अप्रैल 1989)।

4.क.1.3 वस्त्रों का गबन

अकबर पुर उत्पादन केन्द्र पर जनता धोतियों की कमी से सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, फैज़ाबाद की रिपोर्ट पर, महाप्रबन्धक द्वारा केन्द्र पर 25 फरवरी 1986 को भण्डारों की जाँच की गयी । भण्डार-पंजियाँ, रोकड़-बही एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेख केन्द्र पर गायब पाये गये । तथापि, परियोजना -कार्यालय फैज़ाबाद में रखे गये अभिलेखों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि यू.पी.-8 जनता धोती के 17,690 जोड़े तथा यू.पी.-21 वस्त्र के 29,146 मीटर के पुस्तक शेष के समक्ष, भण्डार में पाया गया वास्तविक शेष क्रमशः 1,648 जोड़े एवं 21,816 मीटर था, फलस्वरूप 16,042 जोड़े धोतियाँ (मूल्य : 5.53 लाख रूपये) और 7,330 मीटर वस्त्र (मूल्य : 0.29 लाख रूपये) की कमी थी । जुलाई 1986 में केन्द्र प्रभारी, सहायक परियोजना अधिकारी एवं केन्द्र अधीक्षक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी । उपर्युक्त के अतिरिक्त ,

केन्द्र-प्रभारी, भण्डार-प्रभारी एवं उत्पादन अधीक्षक की सेवायें अप्रैल 1986 में समाप्त कर दी गयी। भण्डार का ग़बन बिलों के गलत सत्यापन तथा केन्द्र -प्रभारी द्वारा भण्डार की जाँच न करने एवं उत्पादन -अधीक्षक द्वारा उत्पादन की जाँच न किये जाने के कारण सुगम हो गया था। क्रय के समय वस्त्रों की जाँच, उपर्युक्त के सन्दर्भ में बिलों के तैयार करने तथा मात्रा सत्यापन हेतु कम्पनी द्वारा निर्धारित क्रियाविधि (जून 1984) का पालन नहीं किया गया।

मामला कम्पनी को सितम्बर 1987 में तथा सरकार को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989)।

4.क.2 उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

4.क.2.1 कलाई-घड़ी के पुर्जों का ग़बन

ओ.जी.एल./वास्तविक प्रभोक्ता लाइसेन्स के समक्ष अथवा सरणीबद्ध करने वाले अभिकरणों (कैनालाइज़िंग एजेन्सीज़) द्वारा निर्गत मुक्ति आदेशों के समक्ष विविध प्रकार के आयातित कच्चे माल/मशीनों की प्राप्ति में लघु श्रेणी इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिये, कम्पनी द्वारा आयात की वित्तीय सहायता हेतु एक योजना बनायी गयी। योजना के अनुसार, लाइसेन्स धारी से यह अपेक्षित था कि वह कम्पनी को प्राधिकार-पत्र के साथ आयात- लाइसेन्स एवं माल के उतरने पर आयी लागत (लैण्डेड कॉस्ट) का 10 प्रतिशत अग्रिम प्रस्तुत करे एवं कम्पनी को

गोदाम-भाड़ा एवं शेष धनराशि पर ब्याज के अतिरिक्त माल के उतरने पर आयी लागत का 2 प्रतिशत सेवा-प्रभार वसूल करना था ।

इस योजना के अधीन, कानपुर की एक औद्योगिक फर्म की ओर से कम्पनी ने नवम्बर 1982 से जून 1984 तक की अवधि में स्विटज़र लैण्ड एवं हाँगकाँग से 27.10 लाख रूपये मूल्य की कलाई घड़ियों के पुर्जो का आयात किया । फर्म ने सामग्रियों के सी.आई.एफ. मूल्य के 10 प्रतिशत के प्रति 1.29 लाख रूपये जमा किये थे । उल्लिखित सामग्रियों को उठाने के लिये फर्म को परिदान आदेश कहीं जाकर अक्टूबर 1983 से अक्टूबर 1984 की अवधि के दौरान अर्थात् 4 महीने से एक वर्ष तक के विलम्ब के पश्चात् निर्गत किये गये । जिसके लिये अभिलेखों में कोई कारण उपलब्ध नहीं थे । कानपुर की फर्म ने दिसम्बर 1982 से मई 1985 तक के दौरान में मात्र 0.78 लाख रूपये मूल्य की ही सामग्रियाँ उठायीं और 26.32 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियों को नहीं उठाया । चूँकि सामग्रियों को उठाने में असफल रही कम्पनी ने न उठाये गये पुर्जो के निस्तारण हेतु कहीं जाकर मई 1986 में निविदायें आमन्त्रित कीं , यद्यपि योजना के अनुसार, यदि माल उतारने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के अन्दर उसे उठाया नहीं गया तो कम्पनी को निक्षेप (डिपॉज़िट) जब्त कर लेने एवं माल को निस्तारित कर देने का भी तथा ऐसे निस्तारण पर हुयी किसी प्रकार की हानि/किये गये व्यय को आयातक से वसूल कर लेने का अधिकार था । कम्पनी ने शोलापुर की एक फर्म - उच्चतम बोली बोलने वाली को माल बेचने के लिये जून 1986 में निर्णय

लिया एवं तदनुसार कम्पनी के कानपुर डिपों से पुर्जों को उठाने के लिये फर्म के पक्ष में सितम्बर 1986 में परिदान आदेश निर्गत किया गया । माल की सुपुर्दगी के समय, प्रबन्धकों द्वारा यह देखा गया कि फर्म की साँठ-गाँठ से डिपों के दोषी कर्मचारियों के द्वारा पुर्जे प्रतिस्थापित कर दिये गये और निकाल लिये गये हैं ।

गबन किये गये पुर्जों की लागत (26.32 लाख रूपये) एवं सेवा -प्रभार (0.54 लाख रूपये) के अतिरिक्त फर्म से वसूली योग्य गोदाम भाड़ा एवं मई 1986 तक शेष धनराशि पर ब्याज की धनराशि, जैसा कि कम्पनी द्वारा निकाली गयी 13.92 लाख रूपये थी ।

प्रबन्धकों ने बताया (जून 1988) कि कम्पनी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट अक्टूबर 1986 में दायर की एवं अक्टूबर 1986 में विभागीय जाँच बैठा दी, जिसके परिणाम अभी भी प्रतीक्षित थे । फिर भी, प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर चार कर्मचारी दिसम्बर 1986 में निलम्बित कर दिये गये । यह भी बताया गया कि मामला दिसम्बर 1986 में गुप्तचर विभाग को सौंप दिया गया है एवं फर्म तथा दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ कर दी गयी हैं । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है ।

इस प्रकार सामग्री उठाने के लिये कानपुर फर्म से अनुरोध करने में 4 माह से एक वर्ष तक के विलम्ब, न उठायी गयी सामग्रियों के निस्तारण के लिये निर्णय लेने में लगभग 19 माह के विलम्ब तथा उनके भण्डारण की अवधि में भौतिक सत्यापन न

किये जाने के फलस्वरूप पुर्जों की लागत (26.32 लाख रूपये) एवं मार्च 1986 तक ब्याज एवं गोदाम भाड़ा (13.92 लाख रूपये) के कारण 40.24 लाख रूपये की हानि हुयी ।

मामला शासन को अप्रैल 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अप्रैल 1989) ।

4.क.2.2 किराया क्रय योजना के अन्तर्गत संदिग्ध वसूली

कम्पनी ने किराया क्रय योजना के अन्तर्गत कानपुर एवं फर्रूखाबाद की दो इकाइयों को क्रमशः 0.46 लाख रूपयों एवं 0.28 लाख रूपयों के ऋण स्वीकृत किये (मई 1984), जिनमें से 0.43 लाख रूपये और 0.21 लाख रूपये, जो कि मशीनों की लागत का 95 प्रतिशत और 75 प्रतिशत था, कम्पनी के किराया क्रय निरीक्षक द्वारा किये गये मशीनों के अधिष्ठापन के सत्यापन (मई/जुलाई 1984) के आधार पर मई से अगस्त 1984 के दौरान मशीन – आपूर्तिकर्त्ताओं को अवमुक्त कर दिया गया । ऋण की किश्तों तथा ब्याज के भुगतान के लिये निर्गत प्रथम नोटिसें अपरिदानित (अनडिलिवर्ड) वापस प्राप्त हो गयीं (मई और अगस्त 1985) क्योंकि प्रेषिती पतों पर उपलब्ध नहीं थे ।

लेखा परीक्षा में यह संवीक्षा की गयी (मई 1986) कि कानपुर इकाई के मामले में, मशीनें ऋणी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र में वर्णित स्थान के बजाय अन्यत्र अधिष्ठापित की गयीं थीं एवं फर्रूखाबाद की इकाई अस्तित्व में ही नहीं थी जिसके लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट नवम्बर 1985 में दायर की गयी ।

किरायेदारों के साथ किये गये अनुबन्धों में कम्पनी के पक्ष में मशीनों के बन्धक हेतु उपवाक्य सम्मिलित नहीं था । प्रतिभूति के प्रति अचल परिसम्पत्तियों के बन्धक अथवा बैंक प्रत्याभूति के लिये आग्रह करने के बजाय जो एक अनुकूल विकल्प था, अनुबन्धों में केवल वैयक्तिक प्रतिभूति हेतु उपवाक्य समाविष्ट किया गया था ।

प्रबन्धकों ने बताया (मई 1988) कि कानपुर की फर्म के विरूद्ध दिसम्बर 1986 में तथा फर्रुखाबाद की फर्म के विरूद्ध अप्रैल 1987 में वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत करने के अतिरिक्त विभागीय जांचे भी की जा रहीं हैं । जांचों के परिणाम अभी भी प्रतीक्षित हैं (मई 1988) ।

यद्यपि कम्पनी को फर्रुखाबाद इकाई के अस्तित्व में न होने की जानकारी नवम्बर 1985 में ही हो गयी थी, फिर भी इसने उस किराया क्रय निरीक्षक के विरूद्ध जिसकी सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ऋण अवमुक्त किया गया था, मार्च 1986 में उसकी सेवा निवृत्ति के पूर्व कोई कार्यवाही नहीं की ।

प्रकरण शासन को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अप्रैल 1989) ।

4.क.3 उत्तर प्रदेश सीमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड

खंगर (क्लिंकर) की मार्गस्थ भारी हानि

नियमित क्रम के रूप में, कम्पनी की चुर्क इकाई चुनार में सीमेण्ट के निर्माण के लिये अपनी चुनार इकाई को सड़क/रेल द्वारा खंगर की आपूर्ति करती है । उक्त प्रक्रिया मे, चुर्क इकाई ने

सितम्बर 1986 से फरवरी 1987 तक की अवधि में चुनार को 80,917 टन खंगर का परिवहन किया, जब कि चुनार इकाई ने मात्र 67,969 टन प्राप्त किया, 12,948 टन की मार्गस्थ हानि परिवहन की गयी मात्रा का लगभग 16 प्रतिशत थी । सामग्री मार्गस्थ हानि के लिये बीमा कराये बिना स्वामी के दायित्व पर रेल द्वारा प्रेषित की गयी थी ।

प्रबन्धकों ने बताया कि माल डिब्बों की तौलाई के लिये कम्पनी के पास चुर्क में कोई रेल कांटा नहीं था, जिसके बिना बीमा कम्पनी मार्गस्थ हानियों का दायित्व नहीं लेती । प्रबन्धकों ने या तो सड़क अथवा रेल द्वारा मार्गस्थ हानियों के लिये कोई प्रतिमान निर्धारित नहीं किये । तथापि, सड़क द्वारा खंगर की मार्गस्थ हानि का औसत लगभग 10.7 प्रतिशत था, जब कि रेल द्वारा कोयले की मार्गस्थ हानि का औसत (जैसा कि प्रबन्धकों द्वारा बताया गया) 8 से 9 प्रतिशत आता था । रेल द्वारा मार्गस्थ हानियों के लिये 8 से 9 प्रतिशत को उचित मानते हुये, सितम्बर 1986 से फरवरी 1987 की अवधि के दौरान खंगर की मार्गस्थ हानि अर्थात् 16 प्रतिशत असाधारण रूप से अधिक था, मार्च 1987 से जनवरी 1988 (लेखा परीक्षा की तिथि) तक मार्गस्थ हानियाँ 9 प्रतिशत या उससे कम थीं । इस प्रकार 9 प्रतिशत के उचित औसत से अधिक खंगर की मार्गस्थ हानि की मात्रा 5,632 टन (मूल्य : 28.08 लाख रूपये) निकलती थी जिसे मार्गस्थ हानियों का बीमा कराकर बचाया जा सकता था । कम्पनी ने मार्गस्थ हानियों के रूप की तुलना में कांटे के क्रय की

मितव्ययिता पर भी विचार नहीं किया ।

मामला कम्पनी को सितम्बर 1987 में एवं शासन को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

4.क.4 इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड

अदावी उपदान (अनक्लेम्ड सबसिडी)

कम्पनी ने केन्द्र सरकार द्वारा पोषित एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक नलकूपों के निर्माण करने का निर्णय लिया (फरवरी 1979) । योजना के अधीन, छोटे किसानों को सिंचाई - सुविधा प्रदान करने हेतु कम्पनी को नलकूपों का निर्माण करना एवं राज्य सरकार से नलकूपों की वास्तविक निर्माण लागत के 50 प्रतिशत की दर से उपदान की मांग करनी थी ।

जाँच-परीक्षण (जनवरी 1987) में यह देखा गया कि कम्पनी ने फरवरी 1979 से जून 1985 की अवधि के दौरान 66.90 लाख रूपयों की लागत से 74 नलकूपों का निर्माण किया एवं 33.45 लाख रूपये के उपदान की मांग प्रस्तुत करने के बजाय, कम्पनी ने मात्र 28.23 लाख रूपये की मांग की जिसकी प्राप्ति शासन से हो गयी थी । इसी बीच, शासन द्वारा योजना परिसमाप्त कर दी गयी और इस प्रकार 5.22 लाख रूपये का शेष उपदान दावा किये बिना और वसूली किये बिना रह गया ।

प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1987) कि योजना के पुनर्गठन के कारण आगे कोई उपदान प्राप्य नहीं था ।

प्रकरण कम्पनी को फरवरी 1987 में एवं शासन को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

4.क.5 नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड- शुगर-फैक्टरी दरियापुर (रायबरेली) स्थापना पर अतिरिक्त व्यय

1986-87 सत्र के दौरान गन्ने की आपूर्ति हेतु सहकारी-गन्ना समिति लिमिटेड, रायबरेली के साथ किये गये (जनवरी 1987) अनुबन्ध (उपवाक्य 2) के अनुसार, सरकार द्वारा निर्धारित एवं अधिसूचित गन्ना मूल्य का भुगतान फैक्टरी द्वारा समिति को किया जाना था । इसके अतिरिक्त फैक्टरी द्वारा समिति को गन्ना (आपूर्ति एवं क्रय विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 18 (2) के अनुसार शासन द्वारा अधिसूचित 35 पैसे प्रतिकुन्तल की दर से कमीशन का भुगतान किया जाना अपेक्षित था अनुबन्ध के उपर्युक्त प्रावधान, के उल्लंघन में, फैक्टरी ने समिति के अनुरोध पर रक्षकों सहित 5 भुगतान लिपिकों को नियुक्त करके गन्ना-मूल्य का भुगतान गन्ना - उत्पादकों को सीधे किया गया एवं 35 पैसे प्रतिकुन्तल की दर से समिति को कमीशन के भुगतान के अतिरिक्त, 1986-87 मौसम के दौरान ऐसी स्थापना के प्रति 0.60 लाख रूपयों का अतिरिक्त व्यय किया । गन्ना - उत्पादकों को गन्ना-मूल्य के सीधे भुगतान हेतु अपने कर्मचारियों को लगाने तथा साथ ही समिति के कमीशन के भुगतान की पद्धति फैक्टरी द्वारा 1981-82 से अपनायी जा रही है । 1981-82 से

1986-87 तक के लिये ऐसा कमीशन कुल मिलाकर 8.42 लाख रूपये था एवं उक्त अवधि में लगाये गये अतिरिक्त कर्मचारियों पर किया गया अतिरिक्त व्यय 2.72 लाख रूपये हुआ था।

प्रबन्धकों द्वारा यह बताया गया (मई 1987) कि गन्ना - उत्पादकों को गन्ना - मूल्य का सीधा भुगतान गन्ना क्षेत्र के विकास के लिये किया गया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समिति की सहायता के लिये अपनायी गयी सीधे भुगतान की पद्धति संविदात्मक प्रावधानों के अतिरिक्त थी एवं समिति की ओर से किये गये इस प्रकार के व्यय की उसके देयों मे से वसूली न किया जाना फैक्टरी की कीमत पर अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाना था ।

प्रकरण कम्पनी तथा शासन को अक्टूबर 1987 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989)।

4.क.6 उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड जलाशय के मछली पकड़ने के अधिकारों की नीलामी में हानि

कम्पनी ने संविदा की स्वीकृति की तिथि से 30 जून 1987 तक की अवधि के लिये नानक सागर, नैनीताल स्थित जलाशय के मत्स्य-ग्रहण के अधिकार की नीलामी के लिये निवेदनों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि 20 अगस्त 1986 के साथ निविदायें आमन्त्रित कीं (जुलाई 1986)। एक सहकारी समिति से प्राप्त एवं कम्पनी द्वारा संस्तुत 11.01 लाख रूपये का उच्चतम निवेदन शासन द्वारा कोई कारण बताये बिना 7 नवम्बर 1986 को

अस्वीकृत कर दिया गया एवं कम्पनी को एक सप्ताह के भीतर पुनः निविदायें आमन्त्रित करने का निदेश दिया गया। 7 नवम्बर 1986 को निवेदनों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि 21 नवम्बर 1986 के साथ प्रस्ताव पुनः आमन्त्रित कियें गये । उच्चतम् बोली लगानेवाले का 9 लाख रूपये का प्रस्ताव भी कम्पनी की नीलाम समिति द्वारा इस आधार पर स्वीकृत नहीं किया गया कि मात्र एक ही बोली लगाने वाले ने अपनी दरें दी थीं एवं उसका प्रस्ताव पूर्व के 11.01 लाख रूपये के प्रस्ताव की अपेक्षा बहुत कम था । 8 जनवरी 1987 को निविदाओं के पुनः आमन्त्रित करने पर, 7.51 लाख रूपये का उच्चतम् प्रस्ताव नीलाम-समिति द्वारा 9 जनवरी 1987 को पुनः अस्वीकृत कर दिया गया । उसी दिन नैनीताल की एक सहकारी समिति के साथ 9.01 लाख रूपयों पर इस आधार पर समझौता किया गया कि 1986-87 हेतु मछली पकड़ने की अवधि 4 मास कम हो गयी थी । इस प्रकार, शासन द्वारा 11.01 लाख रूपयेके मूल प्रस्ताव की अस्वीकृति के कारण कम्पनी को 2 लाख रूपये की परिहार्य हानि पहुंचाई गयी ।

और भी, यदि शासन ने प्रथम निविदा के सम्बन्ध में अनुमोदन अथवा अन्यथा अविलम्ब सूचित कर दिया होता तो मत्स्य-ग्रहण अवधि के 4 माह की कमी कम से कम दो माह घट सकती थी जिससे 2.00 लाख रूपये की हानि यथेष्ठ सीमा तक कम हो सकती थी ।

प्रकरण कम्पनी को जुलाई 1987 एवं शासन को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989)।

५.क.7 इण्डियन टरपेण्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड

परिहार्य व्यय

कम्पनी के पास बरेली स्थित अपने कारखाने के लिये 388 के.वी.ए. का एक विद्युत् संयोजन (कनेक्शन) है। पहली नवम्बर 1982 से प्रभावी विद्युत् शुल्क दर के पुनरीक्षण के साथ, 75 के.डब्ल्यू. से अधिक भार के प्रत्येक बड़े एवं भारी विद्युत् उपभोक्ता के लिये अपेक्षित था कि वह शण्ट कैपासिटर संस्थापित करे एवं 0.85 पर विद्युत् कारक का रख-रखाव करे। यदि कैपासिटर संस्थापित नहीं किये गये एवं फरवरी 1983 से प्रभावी किसी माह में विद्युत् कारक 0.85 नीचे रहता हुआ पाया गया तो राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा 0.85 से नीचे 0.80 तक विद्युत् कारक में प्रत्येक 0.01 अवपात (फाल) के लिये बिल में अंकित धनराशि का 1 प्रतिशत एवं 0.80 के नीचे प्रत्येक 0.01 अवपात के लिये 2 प्रतिशत का अधिभार आरोपणीय था । कम्पनी ने न तो कैपासिटरों की संस्थापना की और न विहित बिन्दु पर विद्युत् कारक का अनुरक्षण ही किया और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा आरोपित फरवरी 1983 से जून 1987 के दौरान 1.50 लाख रूपये की धनराशि के अधिभार का भुगतान करना पड़ा । लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने (दिसम्बर 1986) पर, कैपासिटर 1987 के दौरान संस्थापित किये गये ।

यदि कम्पनी ने शुल्क-दर के पुनरीक्षण के बाद तुरन्त शण्ट कैपासिटर संस्थापित कर दिये होते तो 1.50 लाख रूपये का व्यय बचाया जा सकता था ।

प्रबन्धकों ने बताया (मार्च 1988) कि कम्पनी इस प्रावधान से अनभिज्ञ थी और इसलिये यह तथ्य अनवलोकित रह गया तथा लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर मामला परामर्शदाताओं के समक्ष उठाया गया एवं शण्ट कैपासिटर्स संस्थापित कर दिये गये ।

प्रकरण शासन को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अप्रैल 1989) ।

4.क.8 कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड
गैस सिलेण्डरों का गबन

कम्पनी ने काशीपुर स्थित अपनी गैस सेवा गोदाम से काशीपुर के उपभोक्ताओं को पुन: भरे हुये एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों को वितरित करने तथा खाली सिलेण्डरों को वापस लाने और उन्हें गोदाम में सुपुर्द करने के लिये एक ठेकेदार के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया (जून 1983) । अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार से अपेक्षित था कि वह एल.पी.जी. रिफिलों की बिक्री से उपभोक्ताओं से संग्रहीत सम्पूर्ण रोकड़ नेशनल बैंक लिमिटेड/ भारतीय स्टेट बैंक में आगामी कार्य दिवस को जमा कर दे तथा रिफिल नम्बरों के विवरणों के साथ मूल बैंक रसीद गैस सेवा गोदाम के प्रभारी को प्रस्तुत करे । जाँच-परीक्षण (अक्टूबर 1986) में यह देखा गया कि ठेकेदार ने पहली मई 1986 से 12 मई 1986 की अवधि हेतु बिक्री - प्राप्तियों को जमा नहीं किया एवं 151 खाली सिलेण्डर भी नहीं लौटाये तथा एल.पी.जी. गैस

की बिक्री – प्राप्तियाँ (0.22 लाख रूपये) एवं खाली गैस सिलेण्डरों की लागत (0.67 लाख रूपये) को द्योतित करने वाली 0.89 लाख रूपयों की धनराशि का गबन कर लिया, जिसके समक्ष कम्पनी के पास मात्र 5,000 रूपये की जमानत जमा थी । जैसा कि अनुबन्ध की शर्तों के अधीन अपेक्षित था, ठेकेदार द्वारा पहले दिन की बिक्री – प्राप्तियों की जमा को सत्यापित किये बिना काशीपुर के गोदाम / वरिष्ठ प्रभारी द्वारा नये सिलेण्डरों के निर्गम के कारण यह सुगम हो गया था ।

प्रबन्धकों ने बताया (अक्टूबर 1986) कि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट काशीपुर पुलिस स्टेशन में दायर कर दी गयी है एवं प्रकरण छान–बीन के अधीन है ।

प्रकरण कम्पनी को अक्टूबर 1987 में एवं शासन को दिसम्बर 1987 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

4.क.9 उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लिमिटेड

गेहूँ एवं जूट के बोरों का ग़बन

वर्ष 1983–84 (रबी मौसम) के लिये राज्य सरकार की गेहूँ अध्याप्ति योजना के अन्तर्गत, कम्पनी को कृषकों से सीधे गेहूँ की अध्याप्ति एवं उसे भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को उनके गोदामों पर सुपुर्द करने का कार्य सौंपा गया । निर्धारित कार्यविधि के अनुसार, कम्पनी के परिवहन

ठेकेदार से अपेक्षित था कि वह केन्द्र प्रभारी जो कम्पनी का एक सामयिक (सीजनल) कर्मचारी था, द्वारा तैयार की गयी ट्रक डेलीवरी स्लिप (टी.डी.एस.) की तीन प्रतियाँ प्राप्त करने के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को सुपुर्द करने के लिये अध्याप्ति केन्द्रों से गेहूँ उठाये । एफ.सी.आई. को परिदान पर, टी.डी.एस. की दो प्रतियों पर पावती प्राप्त करनी थी, जिनमें से एक प्रति ठेकेदार द्वारा परिवहन - प्रभारों के लिये दावे के साथ प्रस्तुत करने के लिये अपने पास रख ली जानी थी एवं टी.डी.एस. की दूसरी प्रति सत्यापन के लिये केन्द्र प्रभारी को दी जानी थी ।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (मार्च 1987) कि बदायूँ जिले के दो अध्याप्ति केन्द्रों अर्थात् अल्लापुर (133.50 कुन्तल गेहूँ एवं 293 जूट के बोरे) एवं धनारी (347.50 कुन्तल गेहूं एवं 316 जूट के बोरे) से सम्बन्धित 0.84 लाख रूपये मूल्य का 481 कुन्तल गेहूं एवं 0.03 लाख रूपये मूल्य के 609 जूट के बोरे ग़बन कर लिये गये । एफ.सी.आई. द्वारा प्राप्त स्वीकृत टी.डी.एस. से ठेकेदार द्वारा उठाये गये गेहूं की मात्राओं का समाधान, जो केन्द्र प्रभारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित था, न किये जाने के कारण यह सुगम हो गया था।

उपर्युक्त अध्याप्ति केन्द्रों के केन्द्र प्रभारियों तथा परिवहन ठेकेदारों के विरूद्ध पुलिस में दो प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गयीं (अगस्त 1983) । जाँच के बाद, पुलिस ने धनारी केन्द्र के मामले में आरोप-पत्र दायर कर दिया (जून 1985) और

अल्लापुर केन्द्र के मामले में पुलिस जाँच रिपोर्ट प्रतीक्षित थी (नवम्बर 1987)।

प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1987) कि जिला सरकारी अधिवक्ता (डी.जी.सी.) द्वारा अपेक्षित कुछ अभिलेखों के अभाव के कारण और इस कारण भी कि जनरल सिविल रूल्स के अन्तर्गत देय कोर्ट फीस दीवानी मुकद्मा दायर करने के लिये समय सीमा की समाप्ति के पूर्व निर्णीत नहीं की जा सकी, कम्पनी सिविल मुकद्में दायर नहीं कर सकी। एक वैकल्पिक कार्यवाही के रूप में, पब्लिक एकाउन्ट्स डिफाल्ट ऐक्ट, 1950 के अन्तर्गत केन्द्र-प्रभारियों के विरूद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये थे (दिसम्बर 1986), जिसकी वसूली प्रतीक्षित थी (नवम्बर 1987)।

इस प्रकार केन्द्र प्रभारियों द्वारा एफ.सी.आई. की पावती से गेहूं-प्रेषणों का समाधान न किये जाने तथा बाद में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर दीवानी मुकद्में दायर करने में कम्पनी की विफलता से कम्पनी को 0.87 लाख रूपये की हानि हुयी।

मामला सरकार को जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अप्रैल 1989)।

4.क.10 उत्तर प्रदेश स्टेट ऐग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड

अनुपयुक्त भण्डारण के कारण गेहूं की हानि

केन्द्रीय सरकार की मूल्य समर्थन योजना (प्राइज़ सपोर्ट स्कीम) के अन्तर्गत गेहूं का क्रय सीधे कृषकों से किया जाना

था एवं पूरा ट्रक भार (12.5 मीटरीटन) संचित हो जाने पर भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के सम्बन्धित डिपो पर सुपुर्द कर दिया जाना था । और भी, केन्द्र प्रभारी द्वारा एफ.सी.आई. डिपो को गेहूं की सुपुर्दगी इसकी अध्याप्ति के 24 घंटों के भीतर कर दी जानी थी, और अध्याप्ति केन्द्रों पर गेहूं के भण्डार रोके नहीं जाने थे क्योंकि केन्द्रों पर बन्द गोदाम उपलब्ध नहीं थे ।

बरेली क्षेत्र के अभिलेखों के जाँच-परीक्षण में यह देखा गया (जुलाई 1985) कि 1984-85 फसल मौसम के लिये केन्द्र पर गेहूं की अध्याप्ति 11 जून 1984 को बन्द कर दी गयी थी एवं उक्त तिथि को बबराला अध्याप्ति केन्द्र पर भण्डार में 4,459.70 कुन्तल गेहूं (अन्तिम तीन दिवसों में अध्याप्त) खुले स्थान में रखा गया था, जिसमें से 0.83 लाख रूपये मूल्य का 484.10 कुन्तल गेहूं 10/11 जून 1984 की रात्रि में हुयी भारी वर्षा से पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया और मानव उपभोग के अयोग्य हो गया । गेहूं का निस्तारण जनवरी 1985 में सार्वजनिक नीलाम द्वारा 0.13 लाख रूपयों में किया गया एवं क्षति के लिये उत्तरदायी केन्द्र-प्रभारी को निलम्बित कर दिया गया और विभागीय जाँच प्रगति में थी (फरवरी 1988) ।

प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1987) कि परिवहन ठेकेदार गेहूं उठाने के लिये तीन दिनों तक आने में असफल रहा और इस प्रकार 10 जून 1984 तक तीन दिनों में भण्डार संचित हो गया था । अभिलेख में यह दर्शित करने के लिये कुछ भी नहीं

था कि कम्पनी ने ठेकेदार के विरूद्ध उसकी विफलता के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की थी । इस प्रकार, अध्याप्त गेहूं के अनुपयुक्त भण्डारण के कारण कम्पनी को 0.70 लाख रूपये की हानि पहुंचायी गयी ।

प्रकरण कम्पनी को दिसम्बर 1987 में एवं शासन को अप्रैल 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

अनुभाग 4.ख

4.ख.1 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

4.ख.1.1 राजस्व का अवनिर्धारण/कम निर्धारण

4.ख.1.1(क) अतिरिक्त प्रभार का अनारोपण (नान-लेवी)

बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ताओं पर लागू शुल्क-दर (टैरिफ) के अनुसार, यदि मासिक बिल का भुगतान उसमें निर्दिष्ट देय तिथि तक नहीं किया गया तो उपभोक्ता बिल की भुगतान न की गयी धनराशि पर प्रतिदिन के विलम्ब के लिये 100 रूपये प्रति अथवा उसके भाग पर 7 पैसे की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करने के लिये दायी था ।

अक्टूबर 1986 से फरवरी 1987 के दौरान चार वितरण प्रभागों के अभिलेखों के जाँच - परीक्षण में यह देखा गया कि 7 उपभोक्ताओं के मामले में 13.30 लाख रूपयों का अतिरिक्त प्रभार आरोपित नहीं किया गया । लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर, एक उपभोक्ता के मामले में 7.33 लाख रूपये की मांग

निकाली गयी, जिसका भुगतान प्रतीक्षित था (अप्रैल 1988 तक)।
विवरण निम्नवत् है:

क्रमांक	इकाई का नाम	लेखा-परीक्षा का मास	निहित अवधि	उपभोक्ताओं की संख्या	अधिष्ठापन का प्रकार	आपत्तित धन-राशि	निर्धारित धन राशि	प्राप्त धन राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						(लाख रुपयों में)		
1.	विद्युत वितरण प्रभाग-II बस्ती	अक्टूबर/नवम्बर 1986	अप्रैल 1985 से अक्टूबर 1986	4	बड़े एवं भारी विद्युत-उपभोक्ता	3.29	-	-
2.	विद्युत वितरण प्रभाग बलिया	फरवरी 1987	अप्रैल 1986 से जनवरी-1987	1	कोल्ड स्टोरेज	0.26	—	—
3.	विद्युत वितरण प्रभाग-II मेरठ	अगस्त/सितम्बर-1986	अप्रैल 1982 से अगस्त 1986	1	बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ता	7.73	7.73	—
4.	विद्युत वितरण प्रभाग सुलतानपुर	फरवरी 1987	अप्रैल 1985 से दिसम्बर 1986	1	विश्व-बैंक नलकूप	2.02	—	—
					योग-	13.30	7.73	—

प्रकरण परिषद् को मार्च से नवम्बर 1987 की अवधि में तथा शासन को अप्रैल 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989)।

5.ख.1.1(ख) विलम्ब – भुगतान अधिभार का अनारोपण

28 जनवरी 1986 को प्रवर्तित पहली फरवरी 1986 से प्रभावी एवं राज्य नलकूपों, पम्प नहरों तथा लिफ्ट सिंचाई पर लागू दर-अनुसूची एल.एम.वी.-8 के उपवाक्य 8 में प्रावधान है कि मास फरवरी 1986 एवं उसके आगे के मासिक बिलों का उनमें निर्दिष्ट नियत तिथि तक भुगतान न होने की दशा में, बिल में निर्दिष्ट नियत तिथि के बाद उस अवधि हेतु, जिसके लिये विलम्बित भुगतान किया गया था, बकायों सहित, यदि कोई हों, बिल की भुगतान न की गयी धनराशि पर प्रतिमास अथवा उसके भाग हेतु डेढ़ प्रतिशत की दर से विलम्ब भुगतान अधिभार देय था। इस प्रयोजन के लिये बकाया धनराशि से अभिप्राय फरवरी 1986 एवं उससे आगे के महीनों के लिये निर्गत बिल के सम्बन्ध में अनिस्तारित देयों से है।

विद्युत वितरण प्रभाग 1, गोरखपुर के अभिलेखों के जाँच – परीक्षण में यह देखा गया (नवम्बर 1986) कि राज्य नलकूपों हेतु, फरवरी 1986 से अक्टूबर 1986 तक की अवधि में नलकूप प्रभाग-1 और 11, गोरखपुर के समक्ष सृजित ऊर्जा बिलों पर 1.06 लाख रुपये का विलम्ब -भुगतान – अधिभार आरोपणीय था, जो प्रभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

प्रभागीय अधिकारी ने बताया (नवम्बर 1986) कि विलम्ब-भुगतान-प्रभार दिसम्बर 1986 से प्रभारित किया जा रहा है एवं निहित धनराशि तदनुसार वसूल कर ली जायेगी । प्रभाग ने बताया (मार्च 1988) कि 1.20 लाख रूपये की धनराशि के दो बिल सितम्बर 1987 मे सृजित किये गये हैं । 1.20 लाख रूपये का बिल वस्तुतः बिना भुगतान किये ही पड़ा रहा (मार्च 1988) ।

मामला परिषद् को अगस्त 1987 एवं शासन को दिसम्बर 1987 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

4.ख.1.1(ग) शण्ट कैपासिटर के अनधिष्ठापन (नान-इन्स्टैलेशन) हेतु अधिभार का अनारोपण

विद्युत्-हानि न्यूनतम कर देने एवं ग्राम वितरण प्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से, परिषद् ने 5 बी.एच.पी. से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं द्वारा उपयुक्त श्रेणी (आई.एस.आई. विशिष्टियों के अनुसार) के शण्ट कैपासिटरों के अधिष्ठापन हेतु आदेश निर्गत किये (जुलाई 1984), ऐसा न करने पर उन पर बिल की धनराशि का 5 प्रतिशत अधिभार लगाया जाना था । समय अनुसूची के अनुसार, 25 बी.एच.पी. अथवा 20 के.वी.ए. से अधिक भार के लिये दिसम्बर 1984 तक एवं 5 बी.एच.पी. अथवा 4 के.वी.ए. से अधिक भार के लिये जून 1985 तक कैपासिटरों का अधिष्ठापन कर दिया जाना था । उक्त आदेश इसलिये निर्गत किये गये थे क्योंकि परिषद् ने विश्लेषण किया कि जब विद्युत् कारक निम्न

होता है तो लाइनों और ट्रान्सफार्मरों में प्रवाहित होने वाली प्रतिक्रियाशील (रिऐक्टिव) विद्युत ऊँची होती है जो लाइनों पर भार को बढ़ा देती है और इसी के कारण भारी विद्युत हानियाँ होती हैं। और भी, यदि कैपासिटर अनुकूल स्थान पर अधिष्ठापित किया जाता है तो यह आगे चलने वाले (लीडिंग), के.वी.ए.आर.एस. का प्रणाली (सिस्टम) से आकर्षण करता है एवं प्रेरक (इण्डक्टिव) भारों द्वारा आकृष्ट पीछे चलने वाले (लैगिंग) के.वी.ए.आर.एस. को निष्प्रभावी बना देता है जिसके फलस्वरूप विद्युत हानि तथा वोल्टता स्थितियों में सुधार होता है ।

विद्युत वितरण प्रभार, इटावा के अभिलेखों के जांच-परीक्षण में यह देखा गया (अक्टूबर 1986) जिन राज्य नलकूपों पर दर-अनुसूची एल.एम.वी.-8 के अधीन बिल बनाये जाते थे उन राज्य नलकूपों पर शण्ट कैपासिटर सिंचाई विभाग द्वारा अक्टूबर 1986 तक अधिष्ठापित नहीं किये गये थे और इस प्रकार जनवरी 1985 से अक्टूबर 1986 तक की अवधि तक के लिये 5.52 लाख रूपयों का अधिभार बिल में अंकित धनराशि का 5 प्रतिशत उपभोक्ताओं पर आरोपणीय था जो प्रभाग द्वारा न तो आरोपित किया गया और न वसूल ही किया गया (अक्टूबर 1986)। इसके फलस्वरूप 5.52 लाख रूपये की सीमा तक राजस्व की हानि हुयी।

प्रभागीय अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 1986) कि राज्य नलकूपों पर शण्ट कैपासिटर का अधिष्ठापन सुनिश्चित करने के लिये सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं और उसे सत्यापित किये बिना अधिभार आरोपित करना उचित नहीं था जिसके

लिये उप प्रभागीय अधिकारियों को स्थिति का सत्यापन करने के लिये कहा गया है ।

प्रकरण परिषद् को मई 1987 में एवं शासन को अक्टूबर 1987 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

4.ख.1.1(घ) निम्न विद्युत्-कारक अधिभार का अनारोपण

परिषद् के टैरिफ के अनुसार उन बड़े और भारी उपभोक्ताओं जिनके परिसरों में ट्राईवेक्टर मीटर / बाइवेक्टर / टू पार्ट टैरिफ मीटर अधिष्ठापित हैं, यदि मासिक औसत विद्युत् कारक 0.85 से नीचे आ जाता है, तो उपभोक्ता 0.85 से नीचे 0.80 तक विद्युत् कारक में प्रति 0.01 अवपात (फाल) के लिये बिल में अंकित धनराशि का 1.00 प्रतिशत निम्न विद्युत् कारक अधिभार देने के लिये दायी थे । इसके अतिरिक्त यदि विद्युत् कारक 0.80 से नीचे गिर जाता तो प्रत्येक 0.01 के लिये जिससे विद्युत् कारक 0.80 से नीचे गिर जाता है 2 प्रतिशत की दर से अधिभार आरोपणीय था ।

दिसम्बर 1986 से मार्च 1987 के दौरान 4 प्रभागों के अभिलेखों के जाँच-परीक्षण में यह देखा गया कि अक्टूबर 1985 से फरवरी 1987 की अवधि के दौरान औसत विद्युत् कारक 0.38 एवं 0.84 के मध्य था जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं पर 5.11 लाख रूपयों का निम्न विद्युत् कारक अधिभार आरोपणीय था, जो प्रभागों द्वारा आरोपित नहीं किया गया । विवरण निम्नवत् हैं:

क्रमांक	प्रभाग का नाम	लेखापरीक्षा मास	निहित अवधि	उपभोक्ताओं की संख्या	विद्युत कारक का रेंज	अधिभार की धनराशि	वसूल की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
						(लाख रूपयों में)	
1.	विद्युत वितरण प्रभाग, बाँदा	दिसम्बर 1986	जुलाई से अक्टूबर 1986	1	0.59 से 0.76	3.38	—
2.	विद्युत वितरण प्रभाग, बलिया	फरवरी 1987	अक्टूबर 1985 से अक्टूबर 1986	3	0.55 से 0.83	0.56	—
3.	विद्युत वितरण प्रभाग, अकबरपुर	मार्च 1987	जनवरी एवं फरवरी 1987	2	0.54 से 0.83	0.24	—
4.	विद्युत वितरण प्रभाग-II, देवरिया	मार्च 1987	अप्रैल 1986 से जनवरी 1987	3	0.38 से 0.84	0.93	—
					योग-	5.11	—

प्रभागीय अधिकारी, बाँदा ने बताया (दिसम्बर 1986) कि विद्युत कारक में असामान्य विभिन्नता मीटर के के.वी.ए. अनुभाग में दोष के कारण थी जिसे ट्राइवेक्टर मीटरों की कमी के कारण बदला नहीं जा सका ।

प्रभागीय अधिकारी, देवरिया ने बताया (मार्च 1987) कि दो उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में निम्न विद्युत कारक अधिभार का निर्धारण किया जायेगा तथा अन्य उपभोक्ता के सम्बन्ध में उपप्रभागीय अधिकारी द्वारा वाचन (रीडिंग) प्रस्तुत करने में त्रुटि थी जिसे फरवरी 1987 में ठीक कर दिया गया ।

उत्तर तर्क संगत नहीं थे क्योंकि पहले प्रकरण में न तो दोष विषयक अभ्युक्ति मीटर-कार्ड पर अंकित थी और न उत्तर के समर्थन में मीटर के प्रतिस्थापन के लिये परीक्षण-प्रभाग के साथ किया गया पत्राचार ही उपलब्ध कराया गया जब कि बाद के प्रकरण में अगले माह में अभिलिखित रीडिंग केवल बाद का विचार (आफ्टर थॉट) था ।

प्रकरण परिषद् को मई से सितम्बर 1987 के दौरान एवं शासन को दिसम्बर 1987 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

4.ब.1.1(ङ.) ईंधन अधिभार का अनारोपण

पहली फरवरी 1986 से प्रभावी, बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ताओं पर लागू दर अनुसूची एच.वी.-2 के उपवाक्य 12 में बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ताओं पर विद्युत-बिलों में प्रतिमास ईंधन अधिभार के आरोपण हेतु प्रावधान है ।

विद्युत वितरण प्रभाग, आगरा के अभिलेखों के जाँच-परीक्षण में यह देखा गया (जनवरी 1987) कि 36 बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरण में प्रभाग द्वारा अगस्त 1986

से दिसम्बर 1986 की अवधि में 3.17 लाख रूपये की धनराशि का ईंधन अधिभार आरोपित नहीं किया गया ।

लेखा परीक्षण द्वारा इंगित किये जाने पर प्रभागीय अधिकारी ने बताया (जनवरी 1987) कि बिलों का सृजन किया जायेगा । जो भी हो अभी तक बिलों का सृजन नहीं किया गया है (मार्च 1988) ।

प्रकरण परिषद् को मार्च 1987 में एवं शासन को जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

4.ख.1.1(च) ऊर्जा की चोरी पर राजस्व का कम निर्धारण

ऊर्जा की "आपूर्ति - शर्तें" के परिशिष्ट-1 के साथ पठित प्रस्तर 10 एवं 22 में प्रावधानित है कि ऊर्जा की चोरी, छुट-पुट चोरी अथवा बेइमानी से ग्रहण करने के मामले में, भार कारक (लोड फैक्टर) पर निर्धारित खपत, प्रतिदिन आपूर्ति के औसत घंटों एवं जितने दिन चोरी की गयी उन दिनों की संख्या हेतु उपभोक्ता का बिल बताया जायेगा यदि ऐसे दिनों की संख्या निश्चित करने के लिये कोई साक्ष्य न हो, तो, निर्धारण चोरी के पता लगाने के पूर्व के 180 दिनों के लिये होगा । ऐसी निर्धारित इकाइयां मीटर द्वारा अंकित खपत को छोड़कर उपभोक्ता पर लागू शुल्क-दर (टैरिफ) की प्रति इकाई की तिगुनी दर पर प्रभारित की जायेंगी।

फरवरी / मार्च 1987 के दौरान दो प्रभागों के अभिलेखों के जाँच-परीक्षण में, जुलाई 1984 से नवम्बर 1986 के दौरान प्रवर्तन -दल / उपप्रभागीय अधिकारियों द्वारा ऊर्जा की

चोरी, बेइमानी से ग्रहण तथा छुट-पुट चोरी के 30 प्रकरणों का पता लगाया गया । उल्लिखित में से 24 प्रकरणों में टैरिफ-दर के तिगुने के बजाय इकहरी टैरिफ पर निर्धारण किया गया, इसके फलस्वरूप निम्नांकित विवरण के अनुसार 1.37 लाख रूपये के राजस्व का कम निर्धारण हुआ:

प्रभाग का नाम	लेखापरीक्षा अवधि	पता लगाये गये प्रकरणों की संख्या	निर्धारित प्रकरणों की संख्या	निर्धारित धनराशि	निर्धारणीय धनराशि	कम निर्धारण
1	2	3	4	5	6	7
				(लाख रूपयों में)		
1. विद्युत वितरण प्रभाग, सुलतानपुर	फरवरी 1987	11	11	0.21	0.63	0.42
2. विद्युत् वितरण प्रभाग, अकबरपुर	मार्च 1987	19	13	0.48	1.43	0.95

उत्तर में प्रभागीय अधिकारी, सुलतानपुर ने बताया (मार्च 1987) कि "आपूर्ति की शर्तें" की विलम्बित प्राप्ति के कारण टैरिफ की तिगुनी दर पर निर्धारण नहीं किया जा सका । प्रभागीय अधिकारी, अकबरपुर ने बताया (मार्च 1987) कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित निर्धारण, परिषद् से पुष्टि के बाद किया जायेगा ।

उत्तर युक्ति संगत नहीं है क्योंकि ऊर्जा की "आपूर्ति की शर्तों" में स्पष्ट प्रावधानों की दृष्टि से पुष्टीकरण/स्पष्टीकरण अपेक्षित नहीं है।

प्रकरण परिषद् को मार्च एवं मई 1987 में एवं शासन को अप्रैल 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

4.ख.1.2 बिल का अनियमित पुनरीक्षण

परिषद् की अधिसूचना (अक्टूबर 1976) में निर्धारित है कि मीटर के चलने में बाधा उत्पन्न करके ऊर्जा का प्रयोग करने के मामले में, भारतीय विद्युत् अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के अनुसार 180 दिनों के लिये अतिरिक्त निर्धारण किया जाना अपेक्षित है ।

वाराणसी विद्युत् आपूर्ति उपक्रम के अभिलेखों के जाँच-परीक्षण में यह देखा गया (सितम्बर 1986) कि 5 अप्रैल 1984 को मीटरों के वाचन के समय सहायक अभियन्ता (जाँच एवं मीटर) ने पाया कि एक बड़े विद्युत् उपभोक्ता के मीटर के साथ हस्तक्षेप किया गया था (टैम्पर्ड) तथा नकली मुहर लगा दी गयी थी । उपभोक्ता की आपूर्ति 19 अप्रैल 1984 को काट दी गयी परन्तु अधीक्षण अभियन्ता के आदेशों के अनुसार, 26 मई 1984 को पुनः संयोजित कर दी गयी । मीटर के साथ हस्तक्षेप का पता लगाने की तिथि के पूर्व 180 दिनों के लिये उपभोक्ता के प्रति 0.63 लाख रूपये की मांग सृजित की गयी (मई 1984) । उपभोक्ता ने उल्लिखित निर्धारण के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

में एक समादेश-याचिका दायर की जो अनिस्तारित देयों हेतु मांग सृजित करने के लिये परिषद् को प्राधिकृत करते हुये परिषद् के पक्ष में खारिज कर दी गयी (मई 1984) । उल्लिखित के विरूद्ध अधीक्षण अभियन्ताने अप्रैल 1983 से जुलाई 1984 (16 महीने) तक की अवधि में अंकित अधिकतम खपत तथा मांग को लेते हुये 25 फरवरी 1984 से 25 अप्रैल 1984 तक की अवधि के लिये अनन्तिम बिल निर्गत करने का निदेश दिया (दिसम्बर 1984) जो परिषद् के किसी आदेश से आवृत्त नहीं था । तदनुसार, 0.63 लाख रूपये का पहले का निर्धारण मार्च 1985 में पुनरीक्षित करके 0.03 लाख रूपये कर दिया गया, जिसका उपभोक्ता ने 10 जुलाई 1985 को भुगतान कर दिया । परिषद् के आदेशों के विपरीत बिल के इस पुनरीक्षण के फलस्वरूप उपभोक्ता को 0.60 लाख रूपये का अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1986) 0.60 लाख रूपये की शेष धनराशि का एक बिल दिसम्बर 1987 में सृजित किया गया, परन्तु उसका भुगतान मार्च 1988 तक प्राप्त नहीं हुआ था यद्यपि देय तिथि जनवरी 1988 में समाप्त हो गयी थी ।

प्रकरण परिषद् को जनवरी 1987 में एवं शासन को अक्टूबर 1987 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

4.ख.1.3 दावों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण हानि

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) तूची ने

अगस्त 1981 में दिये गये परिषद् के एक आदेश के समक्ष 3 रेलवे रसीदें (आर.आर.) के माध्यम से आनपारा तापीय विद्युत परियोजना को ब्वायलर के अतिरिक्त पुर्जे प्रेषित किये (मई 1983 से दिसम्बर 1983) । आर.आर. की तिथियों से उसे 5 मासों के बाद आर.आर. छुडाई गयीं (अक्टूबर 1983 से अप्रैल 1984) एवं परेषणों (कन्साइनमेण्ट्स) के परिदान मार्च 1984 से जून 1984 के दौरान लिये गये । जून 1984 में 22.61 लाख रूपये मूल्य के पुर्जे कम (21.74 लाख रूपये) एवं क्षतिग्रस्त (0.87 लाख रूपये) पाये गये । आर.आर.की निर्गम की तिथियों से 6 मासों के भीतर रेलवे पर दावा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था । अक्टूबर 1985 में, पैकिंग सूची एवं अतिरिक्त पुर्जो की श्रेणी लागत (ग्रुप कास्ट) के सन्दर्भ में परेषण के पुनः सत्यापन के पश्चात् दावे पुनरीक्षित करके 20.41 लाख रूपये के कर दिये गये ।

नवम्बर 1984 में परियोजना प्रबन्धकों ने बताया कि बैंक द्वारा प्लेखों की प्राप्ति में विलम्ब तथा रेल रसीदों के छुड़ाने में क्रियाविधि सम्बन्धी विलम्बों के कारण, परियोजना कहीं जाकर जुलाई 1984 में (रेल रसीदों के निर्गम की तिथि से 6 से 14 मास बाद) रेलवे/बीमा कम्पनियों के समक्ष दावे (22.61 लाख रूपये) प्रस्तुत कर सकी। बैंक द्वारा प्लेखों के पाने में एक से डेढ़ मासों के विलम्ब को अपरिहार्य मानते हुये, प्लेखों को छुड़ाने, परेषणों को मुक्त कराने, प्राप्त सामग्रियों के निरीक्षण की व्यवस्था करने तथा बीमा-कम्पनी के समक्ष दावा प्रस्तुत करने के लिये 4 से 12 मासों के अन्तराल के विलम्ब का कोई औचित्य नहीं था ।

परियोजना-प्रबन्ध ने आगे बताया (अप्रैल 1988) कि—

i. अब तक रेलवे से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ,

ii. बीमा-कम्पनी ने आंशिक दावे स्वीकृत किये एवं 0.36 लाख रूपये का भुगतान किया (जुलाई 1986) ,

iii. कुछ अतिरिक्त पुर्जों (मूल्य : 0.74 लाख रूपये) का पता लगा लिया गया था और वे परियोजना में मार्च 1987 में प्राप्त हो गये थे और

iv. शेष धनराशि के दावे (19.31 लाख रूपये) अभी भी बीमा कम्पनी के विचाराधीन थे, जिनके साथ परिषद् ने मार्ग- काल, भण्डारण, प्रतिष्ठापन, परीक्षण एवं चालू करने आदि के दौरान सभी दायित्वों को समाविष्ट करने के लिये व्यापक बीमा पालिसी ले रखा है ।

यद्यपि परेषणों की सुपुर्दगी की तिथियों से 3 वर्ष बीत चुके हैं (दिसम्बर 1987) फिर भी प्रकरण अनिस्तारित पड़ा हुआ है । तथापि, बीमा-कम्पनी ने सूचित किया है (अप्रैल 1988) कि सभी प्रकरण अभी भी उनके विचाराधीन थे । चूँकि भेल को पूरे भुगतान किये जा चुके थे, परिषद् का उधार लिया हुआ धन अवरूद्ध पड़ा है, जिस पर परिषद् 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान कर रही है एवं इस मद पर हानि 3.47 लाख रूपये प्रति वर्ष आयी । इस प्रकार, परिषद् की 19.31 लाख रूपयों की निधियां, निधियों के अवरोधन के कारण ब्याज (जुलाई 1984 से जून 1988 तक 4 वर्षों हेतु 13.89 लाख रूपये) के कारण आवर्ती

(रेकरिंग) दायित्व के साथ अवरूद्ध हो गयी हैं ।

प्रकरण परिषद् को सितम्बर 1987 में एवं शासन को जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया , उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

(ख) अधिशासी अभियन्ता, भण्डार प्रभाग, ओबरा द्वारा आधार साज-सामान (बेस फिटिंग) सहित 6 खाँचा (क्रेट) तड़ित्-संरोधकों (लाइटनिंग अरेस्टर) की आपूर्ति हेतु मद्रास की एक फर्म को आदेश दिया गया । फर्म द्वारा सामग्री जुलाई 1984 में प्रेषित की गयी एवं प्रभाग ने प्रेषण के प्रमाण के आधार पर 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान कर दिया । परेषण बिल्ली-जंक्शन पर 23 सितम्बर 1984 को उतारा गया । छः खांचों में से, एक टूटी दशा में पाया गया, अतः खुली सुपुर्दगी के लिये छोड़ दिया गया । दो मासों के विलम्ब के पश्चात् 29 नवम्बर 1984 को प्रभाग नें रेलवे एवं बीमा-कम्पनी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया । रेलवे ने 9 मार्च 1985 को खुली सुपुर्दगी की स्वीकृति दे दी एवं उस समय निर्धारित कमी तथा क्षति 0.53 लाख रूपये की थी ।

रेलवे ने प्रभाग के दावे को 20 फरवरी 1986 को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि माल की सुपुर्दगी मार्गकाल की समाप्ति के 7 दिवसों के भीतर नहीं ली गयी थी क्योंकि परेषण 23 सितम्बर 1984 को उतारा गया था । बीमा-कम्पनी ने भी पहली नवम्बर 1985 को यह कहते हुये दावे को अस्वीकृत कर दिया कि परेषण की सुपुर्दगी परेषण के आने से 56 दिनों के भीतर

नहीं की गयी थी । इस प्रकार, प्रभाग की ओर से विलम्बित कार्यवाही के कारण परिषद् को 0.53 लाख रूपये की हानि हुयी ।

विद्युत गृह "क" ओबरा के उप महाप्रबन्धक ने बताया (नवम्बर 1986) कि प्रकरण को न्यायालय में वाद दायर करने के लिये परामर्श प्राप्त करने हेतु परिषद् के विधि अधिकारी को सन्दर्भित कर दिया गया है । मामले में आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित थी (अप्रैल 1988) ।

प्रकरण परिषद् को जनवरी 1987 में शासन को जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये, (अप्रैल 1989) ।

4.ख.1.4 सामग्री की कमी

(क) विद्युत-वितरण प्रभाग, द्वितीय, बस्ती के अभिलेखों के जाँच-परीक्षण में यह देखा गया (अक्टूबर 1986) कि बस्ती उप प्रभाग (ग्रामीण अभियन्त्रण) के एक अवर अभियन्ता द्वारा 1.41 लाख रूपये मूल्य का 12.581 किलोमीटर डॉग कण्डक्टर निर्माण कार्यों पर मार्च 1983 में निर्गत किया गया । मई 1985 में अधिशासी अभियन्ता द्वारा लाइन के निरीक्षण पर यह पाया गया कि न तो अपने भण्डार लेखा में अवर अभियन्ता द्वारा निर्गत दर्शायी गयी सामग्रियाँ कार्य-स्थल पर उपलब्ध थीं और न भण्डार सामग्रियों की चोरी के लिये कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट ही दायर की गयी थी। अधिशासी अभियन्ता के दिनांक 21 मई 1985 के पत्र के उत्तर में उप प्रभागीय अधिकारी ने बताया (जून 1985) कि सामग्री

कार्य-स्थल से हटा दी गयी थी और अवर अभियन्ता द्वारा भण्डार-लेखे में वापस ली गयी नहीं दर्शायी गयी । इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि भण्डार - लेखे में निर्गत बताये गये कण्डक्टर का, जैसा कि स्टॉक अभिलेखों में दर्शित किया गया है, स्पष्टतया ग़बन कर लिया गया । अब तक कोई विभागीय जाँच प्रारम्भ नहीं की गयी (दिसम्बर 1987) ।

प्रभागीय अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 1987) कि प्रकरण की छान-बीन की जायेगी और तदनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(ख) भण्डारों (स्टोर्स) / सामानों (स्टॉक्स) की कमियों तथा ग़बनों की वसूलियां / समायोजन होने तक "विविध अग्रिम" शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किया जाना अपेक्षित है ।

विद्युत भण्डार प्रभाग, आगरा के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 1987) से प्रकट हुआ कि 12.12 लाख रूपये मूल्य के भण्डारों / सामानों की कमियां एवं ग़बन (I) अन्य प्रभागों को निर्गत बतायी गयी सामग्रियों के समक्ष सत्यापित बीजकों के प्रस्तुत न किये जानें, (II) स्थानान्तरण के समय के अवशेषों के हस्तान्तरित न किये जाने तथा (III) कमियों एवं क्षतियों के कारण 10 कर्मचारियों के समक्ष "विविध अग्रिम" के रूप में लेखांकित किये गये थे । यद्यपि 4 से लेकर 10 वर्ष पहले ही बीत चुके थे फिर भी, अब तक मात्र 2.08 लाख रूपये की धनराशि की वसूलियां / समायोजन प्रभावी हो सके (दिसम्बर 1987) । इसी बीच, 5 कर्मचारी अन्य प्रभागों को स्थानान्तरित कर दिये गये एवं एक को

वसूली/समायोजन प्रभावी किये बिना ही निलम्बित कर दिया गया । शेष प्रकरणों में वसूली की प्रवृत्ति ने दर्शित किया कि पूरी धनराशि को वसूल करने में 15 से 40 वर्ष लगेंगे ।

प्रभागीय अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 1987) कि न्यायालयों की शरण लेने वाले पदधारियों के कर्मचारी संघ के हस्तक्षेप के कारण वसूली की किश्तों की धनराशि बढ़ाई नहीं जा सकी एवं स्थानान्तरित कर्मचारियों के प्रकरणों में सम्बन्धित प्रभागों को धनराशियों की वसूली के लिये कहा जा रहा है । फिर भी, प्रभागीय अधिकारी यह स्पष्ट करने की स्थिति में नही था कि अधिकांश प्रकरणों में वसूली कैसे की जायेगी क्योंकि वसूली की दर बहुत कम थी ।

(ग) विद्युत वितरण प्रभाग-द्वितीय, अलीगढ़ के अभिलेखों के जाँच - परीक्षण से प्रकट हुआ कि एक सहायक भण्डारक (ए.एस.के.) विद्युत वितरण प्रभाग- प्रथम, अलीगढ़ को स्थानान्तरित हो जाने पर भण्डारों का प्रभार हस्तान्तरित किये बिना चिकित्सा अवकाश पर चला गया । भण्डार का प्रभार सितम्बर 1982 से मार्च 1983 के दौरान एक दूसरे ए.एस.के. द्वारा ले लिया गया जिसने 1.73 लाख रूपये मूल्य की 98 मदों की कमियों का पता लगाया । सामानों की कमियों के लिये 1.73 लाख रूपये का विविध अग्रिम ए.एस.के. के नाम डाल दिया गया (मार्च 1984) एवं अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, अलीगढ़ को एक आलेख आरोप-पत्र भेजा गया (जुलाई 1984) जिसका अनुमोदन प्रतीक्षित था । परन्तु, न तो वसूली ही प्रभावी

की जा सकी और न तो ए.एस.के. को आरोप-पत्र ही तामील किया गया (दिसम्बर 1987)।

प्रकरण परिषद् को फरवरी से अगस्त 1987 में एवं शासन को अप्रैल 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989)।

4.ख.1.5 भण्डारों का अनुपयोग तथा स्थापना और बन्द कर दिये गये विद्युत् गृह की रेल पथिका पर निष्फल व्यय

परिषद् के आदेशों के अन्तर्गत, मैनपुरी स्थित विद्युत गृह दिसम्बर 1983 से बन्द कर दिया गया। तदनुसार, सभी स्टॉक - सामग्रियों का भौतिक सत्यापन 31 अक्टूबर 1983 को किया गया जिससे प्रकट हुआ कि 48.08 लाख रूपये मूल्य के स्टॉक/भण्डार विद्युतगृह में पड़े हुये थे।

निम्नांकित बिन्दु देखे गये :

(1) विद्युत् वितरण प्रभाग, मैनपुरी के अभिलेखों के जाँच-परीक्षण में यह देखा गया (अगस्त 1986) कि विद्युत् गृह में पड़े हुये 48.08 लाख रूपये मूल्य के भण्डारों / स्टॉक में से, 14.58 लाख रूपये मूल्य के भण्डार नवम्बर 1983 एवं जुलाई 1986 के मध्य विभिन्न कार्यों में 31 जुलाई 1986 को 35.50 लाख रूपये के पुस्तक-शेष को छोड़कर उपभुक्त कर लिये गये थे। भण्डारों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया यद्यपि भण्डारों/ स्टॉक की सामग्रियों का वर्ष में कम से कम एक बार भौतिक सत्यापन तथा असंगतियो, यदि कोई हों, की जांच-पड़ताल अपेक्षित थी। नियत समय पर भण्डारों के भौतिक सत्यापन के अभाव में,

भौतिक रूप से उपलब्ध भण्डारों / स्टॉक के सामानों की वास्तविक मात्रा सुनिश्चित नहीं की जा सकी और इसलिये चोरी, ग़बन आदि सम्भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता । जांच-परीक्षण से यह भी प्रकट हुआ कि 10 लाख रूपये (लगभग) मूल्य के स्नेहन (लुब्रीकैण्ट्स), रंगलेप (पेण्ट्स) एवं रासायनिक सामग्रियां अधिक समय तक भण्डारण के कारण प्रयोग हेतु अनुपयुक्त हो गयीं ।

प्रभागीय अधिकारी ने बताया (अगस्त 1986) कि सामग्रियों की सूची उच्चतर प्राधिकारियों को परिपत्रित की गयी थी परन्तु उनके द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नही की गयी । वित्त नियमावली (फाइनेन्सियल हैण्डबुक) खण्ड vi के प्रस्तर 189 के अनुसार, अधिशेष भण्डारों का निस्तारण 6 माह के भीतर कर दिया जाना चाहिये । भण्डार अक्टूबर 1983 में अधिशेष घोषित किये गये थे परन्तु जुलाई 1986 तक 33.50 लाख रूपये मूल्य के भण्डार निस्तारण के बिना पड़े हुये थे । बन्द कर दिये गये विद्युत गृह के भण्डारों/ स्टॉक सामग्रियों पर पहरा - निगरानी (वॉच एण्ड वार्ड) पर (नवम्बर 1983 से नवम्बर 1987 तक) परिषद् ने 1.64 लाख रूपयों का परिहार्य व्यय किया । यदि भण्डारों का निस्तारण कर दिया गया होता तो इस व्यय को रोका जा सकता था ।

(ii) उपर्युक्त प्रभाग के जांच - परीक्षण में यह देखा गया (मई 1987) कि अक्टूबर 1983 से विद्युत गृह के बन्द हो जाने के कारण रेल पथिका का उपयोग नहीं किया जा सका । रेल पथिका के अनुपयोग के विषय में रेलवे को सूचित करने तथा रेलवे के साथ हुये अनुबन्ध को समाप्त करने हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी । इसके

फलस्वरूप 0.41 लाख रूपये प्रतिवर्ष की दर से अप्रैल 1987 तक 1.42 लाख रूपये के रेल पथिका किराया का भुगतान रेलवे को किया गया, जिसको रोका जा सकता था ।

स्थानीय प्रबन्धकों ने बताया (अगस्त 1986) कि मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता से निर्णय हेतु अगस्त 1986 में अनुरोध किया गया था, जिसकी अभी भी प्रतीक्षा थी (अप्रैल 1988) ।

प्रकरण परिषद् को अगस्त 1987 में और शासन को अप्रैल 1988 में प्रतिवेदित किया गया , उनके उत्तर प्राप्त नही हुये (अप्रैल 1989) ।

4.ख.1.6 निधियों का अवरोधन

हरदुआ गंज तापीय विद्युत-गृह, कासिमपुर (अलीगढ़) में कार्ड पंचिंग सिस्टम प्रारम्भ करने की दृष्टि से परियोजना-प्राधिकारियों द्वारा कलकत्ता की एक फर्म से अगस्त 1983 में 0.88 लाख रूपये (चढ़ाई-उतराई व्ययों के प्रति 0.08 लाख रूपये सहित) मूल्य की अपेक्षित सामग्रियां (टाइम रिकार्डर, क्लॉक, वुडेन कार्ड, रैक पंचिंग कार्ड तथा मेटल स्टैण्ड) क्रय की गयीं, जिसका भुगतान सितम्बर 1983 में किया गया एवं सामग्रियां फरवरी 1984 में प्राप्त हुयीं । इसके अतिरिक्त, प्रणाली (सिस्टम) के अधिष्ठापन के लिये सिविल-निर्माण-कार्यों पर 0.41 लाख रूपयों का व्यय किया गया (नवम्बर-दिसम्बर 1983) । तापीय विद्युत स्टेशन के अभिलेखों के जांच-परीक्षण में यह देखा गया (अगस्त से अक्टूबर 1986) कि अक्टूबर 1986 तक परियोजना में कार्ड

पंचिंग सिस्टम लागू नहीं किया गया था, फलस्वरूप 1.29 लाख रूपये की सीमा तक परिषद् की निधियां अवरूद्ध हो गयीं ।

परियोजना - प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1987) कि विषय पर कार्य कर्ताओं के आन्दोलन की आशंका से, जिसका परिणाम औद्योगिक अशान्ति तथा विद्युत् स्टेशन बन्द होना हो सकता था, कार्ड-पंचिंग सिस्टम आरम्भ नहीं किया जा सका । यह भी बताया गया कि विद्युत् - स्टेशन के अन्दर अधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के अलग संवर्ग होने से उनमें से कुछ समयोपरि भत्ता पाने के अधिकारी हैं एवं इस प्रकार, इस सम्बन्ध में परिषद् द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने तक कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिये यह पद्धति समान रूप से लागू नहीं की जा सकती ।

उक्त व्यक्त आशंकायें अप्रत्याशित (अनफोरसीएबुल) नहीं थी, इसलिये यदिपरिषद् ने निर्णय लेने के पूर्व इन पहलुओं पर विचार किया होता तो इन उपस्करों की अध्याप्ति पर किये गये 1.29 लाख रूपये के व्यय को परिहार किया जा सकता था ।

और भी, चार वर्षों के बाद भी, परिषद् ने प्रकरण पर कोई निर्णय नहीं लिया है एवं उपस्कर परियोजना में बेकार पड़े हैं, जिसके फलस्वरूप 1.29 लाख रूपये की निधि गत चार वर्षों से अवरूद्ध है ।

प्रकरण परिषद् को जनवरी से सितम्बर 1987 में एवं शासन को जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

4.ख.1.7. एक सिविल निर्माण कार्य के निष्पादन पर निष्फल व्यय

33 के.वी. सब–स्टेशन, मसूरी, देहरादून के आवासीय क्वार्टरों तथा अन्य विकास कार्यों का निर्माण–कार्य देहरादून की एक फर्म को 4.70 लाख रूपये में प्रदान किया गया । निर्माण–कार्य नवम्बर 1985 में प्रारम्भ होना था तथा नवम्बर 1986 में पूर्ण किया जाना था ।

जनवरी 1986 तक निष्पादित कार्य के लिये ठेकेदार को 1.49 लाख रूपये का भुगतान किया गया और उसके बाद कार्य छोड़ दिया गया क्योंकि एक समिति ने भूमि के अधिकार का दावा कर दिया था । प्रकरण जिला प्राधिकारियों के साथ पत्राचार के अधीन बताया गया और अन्तिम परिणाम अभी भी प्रतीक्षित था ।

प्रभागीय अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 1986) कि कार्य निर्माण–कार्यों की प्राथमिकता – सूची में था एवं जब विद्युत वितरण प्रभाग, देहरादून द्वारा भूमि अध्याप्त कर ली गयी तथा इसका अभिन्यास (ले आउट) ट्रान्समीशन विंग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया तब निविदायें आमन्त्रित की गयीं तथा उन्हें अन्तिम रूप दिया गया और कार्य आरम्भ किया गया । इस प्रकार, भूमि के अधिकार के अनिश्चयन के कारण 1.49 लाख रूपये का व्यय निष्फल हो गया ।

प्रकरण परिषद् को मार्च 1987 में एवं शासन को अप्रैल 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

4.ब.1.8 समयोपरि भत्ते का अनियमित भुगतान

29 जनवरी 1985 के परिषद् के आदेश के अनुसार, अवर अभियन्ताओं को समयोपरि भत्ते का भुगतान अनुमन्य नहीं था । हाइडेल जेनेरेशन डिवीजन, छिब्रों के अभिलेखों के जाँच-परीक्षण में यह देखा गया (सितम्बर 1987) कि प्रबन्धकों ने परिषद् के उपयुर्क्त आदेशों के उल्लंघन में, अप्रैल 1985 से जून 1987 के दौरान अवर अभियन्ताओं को समयोपरि भत्ते के रूप में 0.92 लाख रूपयों का भुगतान किया ।

परियोजना प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1987) कि संयंत्र के परिचालन एवं अनुरक्षण के दौरान अवर अभियन्ता स्वयं अपने हाथो से कार्य करते हैं एवं उनको निर्माण शाला (फैक्टरी) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समयोपरि भत्ता अनुमत किया गया था । उत्तर अयथार्थ है क्योंकि समयोपरि भत्ते का भुगतान परिषद् के आदेशों के उल्लंघन में था ।

प्रकरण परिषद् को दिसम्बर 1987 में एवं शासन को अप्रैल 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

4.ब.1.9 प्राइवेट नलकूप उपभोक्ताओं से लाइन एवं सब-स्टेशन की लागत की कम वसूली

प्राइवेट नलकूप (पी.टी.डब्ल्यू.) संयोजनों के मामले में प्रति बी.एच.पी. भार 60 मीटर लम्बी लाइन और

अधिकतम 300 मीटर लाइन की लागत परिषद् द्वारा वहन की जानी थी एवं उसके बाद अधिक की लागत अनुबन्ध के निष्पादन के पूर्व उपभोक्ता से वसूल की जानी थी । इसके अतिरिक्त, सामूहिक पी.टी.डब्ल्यू. संयोजनों के मामले में, आवेदित प्रति बी.एच.पी. भार 1,200 रूपये से अधिक लाइन और सब-स्टेशन की लागत उपभोक्ताओं द्वारा देय है ।

30 सितम्बर 1982 के पूर्व लाइनों तथा सब-स्टेशनों की लागत, प्रति 10 मीटर लाइन के लिये 113 रूपये एवं प्रति 20 के.वी.ए. सब-स्टेशन के लिये 7,650 रूपये पर नियत की गयी थी यह पहली अक्टूबर 1982 से प्रभावी करके बढ़ाकर प्रति 10 मीटर लाइन के लिये 221 रूपये एवं 25 के.वी.ए. सब-स्टेशन के लिये 13,875 रूपये कर दी गयी ।

विद्युत् वितरण प्रभाग प्रथम एवं द्वितीय, जौनपुर के अभिलेखों के जाँच-परीक्षण में यह देखा गया (मार्च 1985) कि 28 व्यक्तिगत पी.टी.डब्ल्यू. उपभोक्ताओं (18,468 रूपये) के मामले में 1,710 मीटर लाइन के लिये तथा 3 समूहों वाले 8 पी.टी.डब्ल्यू. उपभोक्ताओं (18,707 रूपये) के मामले में पुनरीक्षित दरें लागू नहीं की गयीं जिसके फलस्वरूप 0.37 लाख रूपयों की कम वसूली हुयी ।

लेखा परीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर, प्रभागीय अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 1985) कि परिषद् से पुनरीक्षित दरों की विलम्बित प्राप्ति के कारण, 5 अक्टूबर से पहली दिसम्बर 1982 के दौरान संयोजन लेने वाले उपभोक्ताओं पर इसे लागू नहीं

किया जा सका और धनराशि की शीघ्र वसूली के लिये आगे प्रयत्न किये जा रहे हैं । तथापि, फरवरी 1988 तक चार उपभोक्ताओं से मात्र 0.03 लाख रूपये की धनराशि की वसूली की गयी ।

प्रकरण परिषद् को मई/अगस्त 1985 में एवं शासन को अक्टूबर 1987 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

4.ख.2 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
आजमगढ़ क्षेत्र

रोकड़ का ग़बन

पहली अगस्त 1986 से 5 फरवरी 1987 की अवधि के इलाहाबाद-आजमगढ़ मार्गों के 6 वाह्य स्टेशनों की खिड़कियों की वास्तविक टिकट-बिक्री के साथ यात्री-सूचियों (वे बिल्स) के लेखा परीक्षा (जून 1987) में जाँच-परीक्षण में, यह देखा गया कि एक बस के सम्बन्ध में खिड़कियों एवं वाह्य - स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री, जैसा कि यह यात्री - सूचियों में दर्शायी गयी थी, खिड़कियों एवं वाह्य-स्टेशनों पर टिकटों की वास्तविक बिक्री की अपेक्षा 1.22 लाख रूपये अधिक थी । यह धनराशि एक परिचालक द्वारा डिपो से प्राप्त जाली यात्री - सूचियों और अनधिकृत /जॉली टिकटों के प्रयोग द्वारा ग़बन कर ली गयी । इन अनधिकृत टिकटों की बिक्री से प्राप्त रोकड़ परिचालक द्वारा जमा नहीं की गयी एवं इसके बदले डिपो को प्रस्तुत यात्री-सूचियों पर वाह्य स्टेशनों पर काउण्टर

बुकिंग के रूप में दिखायी जा रही थी । इस सम्बन्ध में यह भी देखा गया कि न तो दैनिक वाहन परिलेख (डेली वेहिकल रिटर्न-डी.वी.आर.) में समुचित रूप से प्रविष्टियां की गयी थीं और न यात्री- सूचियों के आधार पर डी.वी.आर. में अंकित वाह्य स्टेशनों की काउण्टर पर की गयी बिक्री से हुई आय का दैनिक बिक्री लेखा (डेली सेल एकाउण्ट - डी.एस.ए.) में उल्लिखित वास्तविक टिकट-बिक्री से समाधान ही किया गया जिससे रोकड़ का ग़बन सरल बन गया ।

इस सम्बन्ध में परिचालक एवं नौ लिपिक निलम्बित कर दिये गये थे (फरवरी 1987) एवं प्रकरण विभागीय जाँच के अधीन था (जून 1987) जिसके परिणाम प्रतीक्षित थे ।

प्रकरण प्रबन्धकों को जुलाई 1987 में एवं शासन को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अप्रैल 1989) ।

५.ख.3 उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम—
ऋण का अनियमित संवितरण (डिसबर्समेण्ट)

भूखण्ड, संयंत्र एवं मशीनरी के क्रय, निर्माण-शाला भवन के निर्माण तथा अन्य व्ययों के लिये कानपुर की एक फर्म को 3.23 लाख रूपयों का आवधिक ऋण स्वीकृत किया ग[illegible] (सितम्बर 1978) । चूँकि फर्म छः महीनों की अनुबन्धित अवधि के भीतर वैधानिक औपचारिकतायें पूर्ण नहीं

कर सकी, अतः एक वर्ष हेतु वैध फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक की शाखा प्रबन्धक द्वारा 16 फरवरी 1979 को निर्गत बैंक प्रत्याभूति के समक्ष स्वीकृत ऋण को संवितरित करने के लिये फर्म का अनुरोध निगम द्वारा उसी दिन स्वीकार कर लिया गया एवं 3.23 लाख रूपयों का ऋण पहली अप्रैल 1979 को फर्म को संवितरित कर दिया गया ।

ऋण-प्राप्ति के पश्चात्, फर्म निगम के पक्ष में फर्म की परिसम्पत्तियों का बन्धक-विलेख निष्पादित करने में विफल रही । इसलिये फरवरी 1980 में बैंक प्रत्याभूति की मांग की गयी । बैंक प्रत्याभूति की मांग करने पर, बैंक के अध्यक्ष ने सूचित किया (फरवरी 1980) कि इस प्रकार की कोई भी बैंक प्रत्याभूति बैंक द्वारा निर्गत ही नहीं की गयी थी तथा शाखा-प्रबन्धक को बैंक प्रत्याभूति निर्गत करने के लिये अधिकार भी नही था । इस प्रकार बैंक ने बैंक प्रत्याभूति के प्रति अपनी देयता अस्वीकार कर दी ।

तब फर्म के विरूद्ध रिकाल नोटिस (जून 1980) एवं वसूली प्रमाण - पत्र (सितम्बर 1980) निर्गत किये गये, परन्तु ये दोनो तामील हुये बिना वापस आ गये क्योंकि फर्म के भागीदारों का दिये गये पतों पर कोई अता - पता नहीं था । 8.06 लाख रूपयों (मूलधन 3.23 लाख रूपये और 30 अगस्त 1985 तक ब्याज 4.50 लाख रूपये तथा अन्य 0.33 लाख रूपये) हेतु बैंक के विरूद्ध भी वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया (अक्टूबर 1985) जिसकी वसूली प्रतीक्षित थी (अप्रैल 1988) । निगम ने उच्च-न्यायालय में फर्म के विरूद्ध एक दीवानी वाद भी दायर किया, जिसका निर्णय प्रतीक्षित था (अप्रैल 1988)।

इस प्रकार, बन्धक विलेख के निष्पादन तथा बैंक प्रत्याभूति के निर्गम के लिये बैंक के प्राधिकार की जाँच से सम्बन्धित निगम के नियमों के अननुपालन के कारण निगम ने 3.23 लाख रूपयों की हानि उठायी। प्रबन्धकों ने बताया (अक्टूबर 1986/अप्रैल 1988) कि यद्यपि वसूली की सम्भावनायें क्षीण थीं तथापि चूकों के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रकरण शासन को फरवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अप्रैल 1989)।

अ.जे. राजेन्द्रन

लखनऊ 29 JUN 1989 (आरोक्यास्वामी जोसेफ राजेन्द्रन)
दिनाँक महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, उत्तरप्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी

नई दिल्ली (त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी)
दिनाँक भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
18 JUL 1989

प रि शि ष्ट

परिशिष्ट-I

उन कम्पनियों की सूची जिनमें सरकार ने 10 लाख रूपयों से अधिक निवेशित किया है किन्तु जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं।

(प्रस्तावना के प्रस्तर 3 में सन्दर्भित)

क्रमांक	कम्पनी का नाम	1986-87 तक कुल निवेश (लाख रूपयों में)
1	2	3
1.	उपेर चेम लिमिटेड	26.85
2.	जयवन्ती साल्वेण्ट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	10.85
3.	त्रिवेणी मेटल ट्यूब्स लिमिटेड	25.00
4.	यू.पी. ट्विगा फाइबर ग्लास लिमिटेड	124.69
5.	डेकी एलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	10.33
6.	फ्लोमोर पोलिस्टर्स लिमिटेड	30.00
7.	ए.आर.सी. सीमेण्ट लिमिटेड	14.00
8.	मयूर सिण्टेक्स लिमिटेड	20.00
9.	श्री भवानी पेपर मिल्स लिमिटेड	14.00
10.	यू.पी.स्ट्रा एण्ड एग्रो प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	11.61
11.	इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	1,816.23

1	2	3
12.	सर्वोदय पेपर मिल्स लिमिटेड	15.48
13.	बेलवाल स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	15.00
14.	भारत फोटो सर्किट एण्ड एलेक्ट्रानिक्स §प्रीमियर फोटो सर्किट्स एलेक्ट्रानिक्स-टेक्नालाजीज लिमिटेड§	12.00
15.	इण्डिया पौली फाइबर्स लिमिटेड	803.47
16.	त्रिवेणी शीट ग्लास वर्क्स लिमिटेड	17.00
17.	यू0पी0काम केबुल्स लिमिटेड	159.98
18.	रोड मास्टर स्टील स्ट्रिप्स लिमिटेड	50.06
19.	नेशनल लैम्प इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	20.90
20.	नारिग क्रैंक शैफ्ट लिमिटेड	31.67
21.	नेशनल स्विच गीयर्स लिमिटेड	17.49
22.	पिकडान हैवी इक्विपमेन्ट्स लिमिटेड	29.91
23.	श्री ट्रान इण्डिया लिमिटेड	32.40
24.	अप्ट्रान आनन्द लिमिटेड	12.67
25.	अप्ट्रान एलेक्ट्रानिक्स एविसेज लिमिटेड	26.00
26.	श्री निवास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	30.00
27.	यू0पी0 ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	31.26
28.	निक्को बैट्रीज लिमिटेड	15.00
29.	रोनाग आटोमोटिव्स कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड	41.20
30.	नार्थ इण्डिया पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड	16.50
31.	बाल्स एण्ड सिल्पाक्स लिमिटेड	10.75
32.	हाजी मंजूर आलम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	33.14

परिशिष्ट - 2

अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋण, सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति की धनराशियाँ एवं उनके प्रति बकाया धनराशि,
समस्त सरकारी कम्पनियों के अद्यावधिक कार्य निष्पादन परिणामों के व्योरेवार विवरण

(प्रस्तर 1.2.2 पृष्ठ 3 में सन्दर्भित)

(स्तम्भ 6(क) को छोड़कर आंकड़े लाख रूपयों में हैं)

क्रमांक	कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	1986-87 की समाप्ति पर प्रदत्त पूँजी				1986-87 की समाप्ति पर अशोधित ऋण	प्रदत्त प्रत्याभूति की धनराशि	1986-87 की समाप्ति पर अशोधित प्रत्याभूति की धनराशि	1986-87 के समापन पर देय अशोधित प्रत्याभूति छूट	पूर्ण किये गये लेखों वाले वर्ष के अन्त की स्थिति			
			राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	योग					पूर्ण किये गये लेखों वाले वर्ष	वर्षान्त की प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+) हानि(-)	प्रदत्त पूँजी से अधिक हानि यदि कोई हो
1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
1.	इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	18.73	—	3.29	22.02	20.00	25.00	25.00	—	1986-87	22.02	—	—
2.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	379.65	—	—	379.65	495.28	—	—	—	1983-84	191.75	+0.06	—
3.	उत्तरप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	2142.29	—	—	2142.29	1632.89	280.00	280.00	—	1986-87	2142.29	+0.05	—
4.	मोहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी लिमिटेड	उद्योग	3.06	—	2.55	5.61	—	—	—	—	1976-77	5.61	-4.26	—

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
5.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	287.52	11.50	—	299.02	72.71	—	—	—	1984-85	182.52	-55.09	—
6.	उत्तरप्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	401.00	333.00	—	734.00	17.00	—	—	—	1980-81	723.83	-744.77	20.94
7.	उत्तरप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	8883.94	—	—	8883.94	2137.59	2829.10	2137.59	—	1986-87	8883.94	-3884.91	—
8.	उत्तरप्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	चीनी उद्योग	9266.84	—	—	9266.84	8913.30	—	—	—	1985-86	8866.84	-12442.85	3576.01
9.	उत्तरप्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	123.30	—	—	123.30	—	—	—	—	1977-78	85.80	-05.08	—
10.	उत्तरप्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	114.80	—	—	114.80	—	—	—	—	1980-81	95.80	-25.13	—
11.	कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	479.73	—	—	479.73	166.00	—	—	—	1983-84	246.00	+15.42	—
12.×	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	चीनी उद्योग	32.59	—	671.18	703.77	826.33	—	—	—	1985-86	703.77	-1461.98	758.21
13.	प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ उत्तरप्रदेश लिमिटेड	उद्योग	6149.75	—	—	6149.75	15383.22	2730.00	2730.00	—	1986-87	6149.75	+48.57	—

× उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
14.[×]	उत्तरप्रदेश बिल्डवेयर (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्माल-इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी	उद्योग	—	—	0.10	0.10	—	—	—	आरम्भ से ही लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया ।				
15.	उत्तरप्रदेश स्टेट सीमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	6153.16	—	—	6153.16	5436.21	10.00	10.00	—	1986-87	6153.16	-5681.49	—
16.[×]	उत्तरप्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लायंसेज लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन की उप कम्पनी)	उद्योग	—	—	0.84	0.84	15.27	—	—	—	1974-75	0.92	-0.81	—
17.[×]	उत्तरप्रदेश प्रेस-ट्रेस्ड प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की उप-कम्पनी)	उद्योग	—	—	3.10	3.10	27.41	—	—	—	1976-77	2.17	-2.13	—
18.	उत्तरप्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	150.00	—	—	150.00	107.00	825.00	778.00	—	1982-83	150.00	+19.13	—
19.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	उद्योग	749.99	—	0.01	750.00	2871.00	—	—	—	1986-87	750.00	-3066.54	2316.54
20.	उत्तरप्रदेश स्टेट हैण्ड-लूम कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	1043.49	—	—	1043.49	674.36	—	—	—	1978-79	353.49	-14.85	—
21.	उत्तरप्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पंचायती राज	74.76	—	47.48	122.24	—	—	—	—	1983-84	83.99	+8.62	—

× उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
22.[x]	उत्तरप्रदेश रूफिंग्स (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	—	—	6.69	6.69	33.77	—	—	—	1974-75	6.68	निर्माणाधीन	
23.[x]	टेलिट्रानिक्स लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम, लिमिटेड की उप कम्पनी)	पर्वतीय विकास	—	—	95.65	95.65	11.65	10.74	10.74	—	1986-87	121.21	+3.48	—
24.[x]	ट्रान्सकेबुल्स लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की उप-कम्पनी)	पर्वतीय विकास	—	—	63.24	63.24	22.05	—	—	—	1982-83	8.09	-31.50	23.41
25.[x]	कृष्णा फास्टेनर्स लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	—	—	5.33	5.33	—	—	—	—	1974-75	4.02	-0.37	—
26.[x]	नार्दर्न एलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की उप कम्पनी)	पर्वतीय विकास	—	—	0.07	0.07	1.06	—	—	—	1981-82	0.07	निर्माणाधीन	
27.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	334.81	—	—	334.81	219.67	—	—	—	1986-87	334.81	-268.86	—

[x] उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
28.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रास बेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	400.36	10.00	—	410.36	363.12	69.33	69.33	—	1983-84	212.00	-108.62	—
29.x	फैजाबाद रूफिंग्स लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी	उद्योग	—	—	1.63	1.63	17.91	—	—	—	1976-77	1.63	-3.87	2.24
30.x	बुन्देल खण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तरप्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की उप कम्पनी	क्षेत्रीय विकास	—	—	2.40	2.40	0.10	—	—	—	1979-80	2.40	-0.54	—
31.	उत्तरप्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	2726.91	—	—	2726.91	566.00	545.00	506.50	—	1984-85	1678.91	-8.75	—
32.	उत्तरप्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	2777.32	—	—	2777.32	201.10	—	—	—	1985-86	2238.35	+134.31	—
33.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	453.85	—	—	453.85	79.14	—	—	—	1977-78	80.87	+1.45	—
34.x	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी नं०-1, लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	—	—	3205.84	3205.84	2185.19	2750.30	2085.19	—	1986-87	3205.84	-4910.59	1704.75

x उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
35.×	उत्तरप्रदेश स्टेट स्पि-निंग्स कम्पनी नं0-11 लिमिटेड (उत्तरप्रदेश टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	—	—	2263.85	2263.85	1804.36	1950.00	1804.36	—	1986-87	2263.85	-1674.03	—
36.	उत्तरप्रदेश स्टेट फूड एण्ड एसेन्शियल कॅमोडिटीज कार्पोरेशन लिमिटेड	खाद्य एवं सिविल आपूर्ति	55.00	—	—	55.00	65.00	—	—	—	1981-82	50.00	+46.81	—
37.	प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड	पशुपालन	44.00	6.00	—	50.00	0.28	—	—	—	1985-86	50.00	-13.46	—
38.×	उत्तरप्रदेश इंस्ट्रूमेण्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	—	—	202.22	202.22	344.89	—	—	—	1986-87	202.22	-462.70	260.47
39.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	पशु पालन	100.40	—	—	100.40	40.29	1.59	1.59	—	1980-81	65.05	-65.12	0.07
40.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड-कास्ट्स फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	490.06	480.37	—	970.43	—	—	—	—	1983-84	761.44	+37.76	—

× उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
41.×	नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	चीनी उद्योग	—	—	1630.73	1630.73	1492.36	—	—	—	1985-86	1630.73	-2834.35	1203.62
42.×	चाँदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	चीनी-उद्योग	—	—	390.00	390.00	—	—	—	—	1985-86	390.00	-67.93	—
43.×	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	चीनी उद्योग	—	—	395.71	395.71	145.93	—	—	—	1985-86	395.71	403.37	7.66
44.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	100.00	—	—	100.00	5.44	147.04	147.04	—	1985-86	100.00	+0.62	—
45.×	गढ़वाल अनुसूचित जन जाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की उप कम्पनी)	पर्वतीय विकास	18.00	—	27.00	45.00	16.30	—	—	—	1980-81	20.00	-0.81	—
46.×	कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की उप कम्पनी)	पर्वतीय विकास	22.00	—	28.00	50.00	—	—	—	—	1981-82	25.00	+2.11	—

× उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
47.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	45.00	—	—	45.00	—	—	—	—	1980-81	25.00	+3.54	—
48.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना-बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सह-कारिता	12.75	—	11.77	24.52	—	—	—	—	1986-87	24.83	+8.27	—
49.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सह-कारिता	10.00	—	9.46	19.46	295.00	320.00	295.00	—	1986-87	19.46	+0.58	—
50.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सह-कारिता	12.75	—	4.51	17.26	0.08	298.00	185.96	—	1986-87	17.38	+1.91	—
51.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सह-कारिता	10.00	—	3.54	13.54	94.99	—	—	—	1982-83	14.75	+1.77	—
52.	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	सूचना	636.00	—	—	636.00	—	—	—	—	1984-85	587.49	-252.20	—
53.×	उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्ड-लूम कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	—	—	26.00	26.00	—	—	—	—	1979-80	16.00	+2.74	—
54.×	उत्तर प्रदेश टायर्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर-प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	—	—	106.71	106.71	185.91	173.00	173.00	—	1985-86	106.68	-351.34	244.66

× उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
55.	लखनऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	70.00	—	—	70.00	59.60	—	—	—	1980-81	50.00	-0.64	—
56.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	67.00	—	—	67.00	13.81	10.06	5.75	—	1981-82	60.00	+0.27	—
57.	आगरा मण्ड विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	100.00	—	—	100.00	—	—	—	—	1984-85	100.00	-47.70	—
58.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	93.56	—	32.47	126.03	3.92	—	—	—	1980-81	87.03	-53.72	—
59.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	336.00	—	—	336.00	314.41	—	—	—	1980-81	200.00	+1.54	—
60.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	70.00	—	—	70.00	7.68	—	—	—	1983-84	70.00	-13.63	—
61.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	100.00	—	—	100.00	—	—	—	—	1982-83	100.00	+12.08	—
62.×	यू.पी.एस.आई.सी. पाटरीज़ लिमिटेड (उत्तर-प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	—	—	58.00	58.00	60.50	—	—	—	1980-81	23.26	-13.10	—
63.	उत्तरप्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड	सिंचाई विभाग	390.00	100.00	—	490.00	542.32	996.11	512.32	512.32	1984-85	490.00	-108.59	—
64.×	हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन (गोरखपुर एवं बस्ती) लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	—	—	3.00	3.00	74.34	—	—	—	1979-80	3.00	+8.55	—

× उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
65.[x]	भदोही ऊलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	—	—	291.56	291.56	—	—	—	—	1986-87	291.56	-244.61	—
66.	हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	15.00	—	—	15.00	230.79	—	—	—	1986-87	15.00	+182.56	—
67.[x]	उत्तर प्रदेश एक्सकॉर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	—	—	5.06	5.06	70.34	—	—	—	1975-76	4.85	-2.80	—
68.[x]	हैण्डलूम इण्टेंसिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर-प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	—	—	2.00	2.00	—	—	—	—	1978-79	2.00	-3.35	1.35
69.	उत्तर प्रदेश पश्चिम क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	125.00	—	—	125.00	25.00	—	—	—	1979-80	100.00	-4.44	—
70.	उत्तरप्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	योजना	80.00	—	—	80.00	—	—	—	—	1985-86	80.00	-5.20	—
71.	उत्तरप्रदेश स्टेट हार्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	320.76	—	5.00	325.76	177.49	—	—	—	1981-82	30.00	-127.45	97.45

[x] उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
72.	यू.पी.ए.आई. लिमिटेड	उद्योग	15.00	—	2.01	17.01	—	—	—	—	1979-80	17.01	-1.01	—
73.[x]	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तरप्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	—	—	22.00	22.00	15.19	—	—	—	1986-87	22.00	+7.53	—
74.[x]	अपट्रान सिम्पैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	—	—	2.55	2.55	—	—	—	—	1979-80	2.55	+3.37	—
75.[x]	उत्तरप्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	—	—	35.20	35.20	44.66	—	—	—	1984-85	35.20	+1.94	—
76.[x]	अपट्रान कैपेसिटर्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	—	—	191.04	191.04	48.00	—	—	—	1985-86	151.34	+39.40	—
77.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	25.00	—	—	25.00	64.60	—	—	—	1982-83	20.00	+1.21	—
78.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	कृषि	130.00	—	—	130.00	—	—	—	—	1983-84	130.00	-8.40	—
79.[x]	अपट्रान कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	—	—	5.30	5.30	—	—	—	—	आरम्भ से ही लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया			

[x] उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
80.[x]	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्टेट मिनिरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	—	—	497.36	497.36	1117.13	—	—	—	1985-86	497.36	-102.51	—
81.[x]	अपट्रान डिजिटल सिस्टम्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	—	—	353.76	353.76	300.00	—	—	—	1985-86	253.76	+58.38	—
82.[x]	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तरप्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	—	—	590.00	590.00	307.20	—	—	—	1985-86	590.00	+326.80	—
83.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	पशु पालन	100.00	—	—	100.00	108.68	108.68	108.68	—	1984-85	100.00	+3.39	—
84.[x]	अपट्रान कम्युनिकेशन्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	—	—	54.65	54.65	0.44	—	—	—	1985-86	54.65	+28.03	—
85.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ऊर्जा	100.00	—	—	100.00	39032.54	—	—	—	1984-85	100.00	निर्माणाधीन	

[x] उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
86.	उत्तरप्रदेश अल्प संख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	54.99	—	0.01	55.00	—	—	—	—	1985–86	55.00	–4.76	—
87.[x]	अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब लिमिटेड (उत्तर-प्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	—	—	900.00	900.00	556.39	—	—	—	1985–86	426.28	निर्माणाधीन	
88.	उत्तर प्रदेश अल्पार्थक एवं लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	20.00	—	—	20.00	—	—	—	—	1985-86	20.00	निर्माणाधीन	
89.[x]	उत्तर प्रदेश हिल एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	22.67	—	23.59	46.26	—	—	—	—	1986–87	68.76	–4.62	—
90.[x]	विन्ध्याचल एब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनिरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	अनुपलब्ध											
91.[x]	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड, घाटमपुर (उत्तरप्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	चीनी उद्योग	—	—	515.00	515.00	405.00	—	—	—	1986–87	—	—	—

[x] उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
92.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह						अनुपलब्ध						
93.×	कुमायूं टेलीवीज़न प्राइवेट लिमिटेड (टेलीट्रानिक्स लिमिटेड की उप कम्पनी)	पर्वतीय विकास	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
94.	इण्डियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग					समापन की प्रक्रिया में							
95.×	टरपेन्टाइन सबसिडियरी इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड (इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग					समापन की प्रक्रिया में							
96.×	उत्तरप्रदेश पाटरीज़ लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग					समापन की प्रक्रिया में							
97.×	गढ़वाल समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास					समापन की प्रक्रिया में							

टिप्पणी-1 क्रमांक 76, 81 एवं 84 पर अंकित कम्पनियों से सम्बन्धित आंकड़े मार्च, 31, 1986 को अन्त होने वाले वर्षों के हैं। ये कम्पनियां क्रमांक 82 पर अंकित कम्पनी में जून, 30, 1987 के अन्त होने वाले वर्ष में विलीन हो गयीं ।

टिप्पणी-2 × उप कम्पनियाँ

परिशिष्ट-3

समस्त सरकारी कम्पनियों के पूर्ण किये गये लेखों वाले नवीनतम वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(प्रथम अध्याय - पृष्ठ 5 के प्रस्तर 1.2.3 में निर्दिष्ट)

क्रमांक	कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन तिथि	लेखा वर्ष	निवेशित पूँजी: प्रदत्त पूँजी	निवेशित पूँजी: (आरक्षित) संचय तथा अधिशेष	निवेशित पूँजी: दीर्घावधिक ऋण	निवेशित पूँजी: योग	लाभ (+)/ हानि (-)	लाभ-हानि खाता को प्रभारित कुल ब्याज	दीर्घावधिक ऋणों पर ब्याज	निवेशित पूँजी पर कुल (प्रति) लाभ (स्तम्भ-9+11)	नियोजित पूँजी: सकल अवरोधन	नियोजित पूँजी: अवमूल्यन	नियोजित पूँजी: निवल अचल परिसम्पत्तियां	नियोजित पूँजी: चल परिसम्पत्तियां एवं ऋण तथा अग्रिम	नियोजित पूँजी: वर्तमान देयतायें एवं एवं प्रावधान	नियोजित पूँजी: योग	नियोजित पूँजी पर कुल (प्रति) लाभ	कुल प्रति लाभ की प्रतिशतता: निवेशित पूँजी पर	कुल प्रति लाभ की प्रतिशतता: नियोजित पूँजी पर
1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								(आंकड़े लाख रूपयों में)													
1.	इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	फरवरी 22, 1924	1986-87	22.02	178.67	20.00	220.69	+22.19	3.07	0.48	+22.67	221.02	133.54	87.48	315.60	209.48	+193.60	+25.26	10.2	13.0
2.	उत्तरप्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	जून 13, 1955	1983-84	191.75	109.24	450.53	751.52	+4.62	78.53	78.53	+83.15	72.34	21.38	50.96	1639.85	726.24	+964.57	+83.15	11.1	8.6
3.	उत्तरप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	मार्च 29, 1961	1986-87	2142.29	713.63	1632.89	4488.81	+121.31	67.48	67.48	+188.79	-	-	-	-	-	+4052.06	+188.79	4.2	4.6
4.	मोहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी लिमिटेड	उद्योग	दिसम्बर 21, 1964	1976-77	5.61	-	-	5.61	-0.01	-	-	-0.01	-	-	-	1.49	0.14	+1.35	-0.01	-	-
5.	उत्तरप्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	जनवरी 20, 1966	1984-85	182.52	1.72	50.01	234.25	-35.42	6.87	6.79	-28.63	30.35	16.25	14.10	474.19	333.32	+154.97	-28.55	-	-

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	उत्तरप्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	मार्च 29, 1967	1980 -81	723.83	11.38	5.50	740.71	-96.89	102.03	66.32	-30.57	234.58	135.23	99.35	1771.82	782.54	+1088.63	+5.14	—	0.5
7.	उत्तरप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	दिसम्बर 2, 1969	1986 -87	8883.94	1093.70	2513.59	12491.23	-971.23	523.87	308.87	-662.36	6118.33	3908.14	2210.19	4168.32	2368.50	+4010.01	-447.36	—	—
8.	उत्तरप्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	चीनी उद्योग	मार्च 26, 1971	1985 -86	8866.84	119.20	5599.19	14585.23	-2349.38	1947.19	1068.63	-1280.75	3532.14	1947.94	1584.20	8086.04	6076.21	3594.03	-402.19	—	—
9.	उत्तरप्रदेश बुन्देल खण्ड विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	मार्च 30, 1971	1977 -78	85.80	0.67	—	86.47	-10.25	0.12	—	-10.25	35.65	11.93	23.72	47.33	8.31	+62.74	-10.13	—	—
10.	उत्तरप्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	मार्च 30, 1971	1980 -81	95.80	2.21	—	98.01	-1.01	0.22	—	-1.01	37.26	10.44	26.82	73.80	57.03	43.59	-0.79	—	—
11.	कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	मार्च 30, 1971	1983 -84	246.00	21.77	207.67	475.44	+1.96	8.66	8.59	+10.55	99.04	39.56	59.48	491.90	163.37	+388.01	+10.62	2.2	2.7
12.[x]	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	चीनी उद्योग	फरवरी 17, 1972	1985 -86	703.77	111.49	657.75	1473.01	+46.11	186.24	115.89	+162.00	962.14	576.71	385.43	584.29	725.36	244.36	+232.35	10.9	95.0
13.	प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तरप्रदेश लिमिटेड	उद्योग	मार्च 29, 1972	1986 -87	6149.75	428.24	15383.22	21961.21	+176.61	863.31	863.21	+1039.92	—	—	—	—	—	19733.86	+1039.92	4.7	5.2

[x] उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14.[x]	उत्तरप्रदेश बिल्ड वेयर (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	जून 28, 1972	आरम्भ से ही लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया																	
15.	उत्तरप्रदेश स्टेट सीमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	मार्च 29, 1972	1986-87	6153.16	0.05	5636.21	11789.42	-1684.20	934.73	845.78	-838.42	12455.23	4380.67	8074.56	4532.30	6479.27	6127.59	-749.47	–	–
16.[x]	उत्तरप्रदेश प्लॉण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएंसेज लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी	उद्योग	जून 28, 1972	1974-75	0.92	0.23	4.35	5.50	-0.81	0.28	0.28	-0.53	4.70	0.91	3.79	1.65	0.81	+4.63	-0.53	–	–
17.[x]	उत्तरप्रदेश प्रेस-ट्रेस्ड प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	सितम्बर 30, 1972	1976-77	2.17	–	9.07	11.24	-2.13	4.17	2.44	+0.31	10.52	0.01	10.51	1.00	0.98	+10.53	+2.04	2.7	19.3
18.	उत्तरप्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	अक्टूबर 18, 1972	1982-83	150.00	1074.52	–	1224.52	+671.67	14.90	–	+671.67	19.90	1598.11	921.79	4431.67	3855.32	+1498.14	+686.57	54.8	45.8
19.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	उद्योग	दिसम्बर 28, 1972	1986-87	750.00	14324	2871.51	3764.75	-714.20	261.94	261.94	-452.26	1343.69	572.25	771.44	897.56	525.35	+1143.65	-452.26	–	–
20.	उत्तरप्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	जनवरी 9, 1973	1978-79	353.49	15.15	342.98	711.62	+32.94	14.39	14.35	+47.29	105.67	11.72	93.95	1193.89	604.11	+683.73	+47.33	6.9	9.9

[x] उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21.	उत्तरप्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पंचायती राज	अप्रैल 24, 1973	1983 -84	83.99	10.57	6.00	100.56	+4.27	0.58	0.58	+4.85	—	—	—	—	—	+101.12	+4.85	4.8	4.8
22.	×उत्तरप्रदेश रूफिंग्स (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	नवम्बर 24, 1973	1974 -75	6.68	—	10.81	17.49	निर्माणाधीन												
23.	×टेलीट्रानिक्स लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की उप कम्पनी)	पर्वतीय विकास	नवम्बर 24, 1973	1986 -87	121.21	23.34	42.66	187.21	+3.89	20.46	1.12	+5.01	45.01	20.36	24.65	265.13	95.90	+193.88	+24.35	2.6	12.5
24.	×ट्रांसकैबुल्स लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की उपकम्पनी)	पर्वतीय विकास	नवम्बर 29, 1973	1982 -83	8.09	1.61	—	9.70	-10.85	7.31	—	-10.85	28.02	9.48	18.54	55.37	13.75	+60.16	-3.54	—	—
25.	×कृष्णा फास्टनर्स लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	दिसम्बर 14, 1973	1974 -75	4.02	—	0.88	4.90	-0.37	0.02	0.02	-0.35	2.02	0.01	2.01	2.75	0.22	+4.54	-0.35	—	—
26.	×नार्दर्न एलेक्ट्रीकल इक्विपमेंट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (कुमायूं मंडल विकास निगम लिमिटेड की उप कम्पनी)	पर्वतीय विकास	जनवरी 29, 1974	1981 -82	0.07	—	—	0.07	निर्माणाधीन												

× उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
27.	उत्तरप्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	फरवरी 12, 1974	1986 -87	334.81	16.14	198.82	549.77	-53.04	14.75	7.96	-45.08	266.94	58.19	208.75	416.19	34.08	+590.86	-38.29	—	—
28.	उत्तरप्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	फरवरी 12, 1974	1983 -84	212.00	40.27	267.83	520.10	-55.24	7.68	7.68	-47.56	261.43	37.98	223.45	321.45	165.22	+379.68	-47.56	—	—
29.	×फैजाबाद रूफिंग्स लिमिटेड (उत्तर-प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की उप-कम्पनी)	उद्योग	फरवरी 16, 1974	1976 -77	1.63	1.00	6.46	9.09	-2.13	0.83	0.82	-1.31	10.39	2.20	8.19	0.10	2.20	+6.09	-1.30	—	—
30.	×बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तरप्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की उप कम्पनी)	क्षेत्रीय विकास	मार्च 2, 1974	1979 -80	2.40	—	—	2.40	-0.05	--	—	-0.05	1.62	0.03	1.59	0.16	0.21	+1.54	-0.05	—	—
31.	उत्तरप्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	मार्च 23, 1974	1984 -85	1678.91	24.95	410.00	2113.86	+27.81	—	—	+27.81	316.72	84.90	231.82	667.11	144.68	+754.25	+27.81	1.3	3.6
32.	उत्तरप्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	मार्च 30, 1974	1985 -86	2238.35	144.31	202.10	2584.76	+30.22	0.50	—	+30.22	21.42	9.71	11.71	717.84	287.51	+442.04	+30.72	1.1	6.9
33.	उत्तरप्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	अगस्त 5, 1974	1977 -78	80.87	1.45	—	82.32	+0.31	0.18	—	+0.31	36.79	8.41	28.38	82.36	28.47	+82.27	+0.49	0.3	0.6

× उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
34. ×	उत्तरप्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड (नं0 I) (उत्तरप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	अगस्त 20, 1974	1986-87	3205.84	907.79	2438.32	6551.95	-941.30	565.01	307.86	-633.44	5336.29	3297.08	2039.21	2634.50	2343.06	+2330.65	-376.29	—	—
35. ×	उत्तरप्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 II) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	अगस्त 20, 1974	1986-87	2263.85	489.29	1825.61	4578.75	-393.24	170.52	83.27	-309.97	2696.25	1097.25	1599.00	840.52	386.03	+2053.49	-222.72	—	—
36.	उत्तरप्रदेश स्टेट फूड इण्ड इसेन्शियल कमोडिटीज कार्पोरेशन लिमिटेड	खाद्य एवं सिविल आपूर्ति	अक्टूबर 22, 1974	1981-82	50.00	46.81	—	96.81	+60.95	19.10	—	+60.95	12.50	4.92	7.58	230.90	91.05	+147.43	+80.05	62.9	54.3
37.	प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड	पशु-पालन	दिसम्बर 7, 1974	1985-86	50.00	—	—	50.00	-2.47	0.03	—	-2.47	2.93	2.36	0.57	39.38	3.69	+36.26	-2.44	—	—
38. ×	उत्तरप्रदेश इंस्ट्रूमेण्ट्स लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	जनवरी 10, 1975	1986-87	202.22	—	141.09	343.31	-50.51	32.29	—	-50.51	58.62	44.00	14.62	69.80	174.39	-89.97	-18.22	—	—

× उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
39.	उत्तरप्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	पशु-पालन	मार्च 5, 1975	1980-81	65.00	0.14	10.00	75.19	−14.06	4.33	1.25	−12.81	37.22	15.71	21.51	127.91	118.10	+31.32	−9.73	—	—
40.	उत्तरप्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेन्स एण्ड डेवलमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	मार्च 25, 1975	1983-84	761.44	53.56	—	815.00	+26.68	—	—	+26.68	—	—	—	—	—	+799.03	+26.68	3.2	3.3
41.	×नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	चीनी उद्योग	अप्रैल 18, 1975	1985-86	1630.73	233.46	768.46	2632.65	−375.68	271.32	242.55	−133.13	1238.89	880.84	358.05	437.32	750.72	+44.65	−104.36	—	—
42.	×चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	चीनी उद्योग	अप्रैल 18, 1975	1985-86	390.00	175.95		565.95	+55.83	26.30	18.80	+47.63	856.77	602.23	254.54	506.92	170.06	+591.40	−82.13	8.4	13.8
43.	×छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	चीनी उद्योग	अप्रैल 18, 1975	1985-86	395.71	109.03	19.40	524.14	−5.54	38.76	24.27	+18.73	642.31	482.36	159.95	225.08	196.83	+188.20	+33.22	3.5	17.6
44.	उत्तरप्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	मई 1, 1975	1985-86	100.00	474.51	14.82	589.33	+462.26	3.99	—	+462.26	712.33	406.41	305.92	4687.12	4413.06	+579.98	+466.25	78.4	80.3

× उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
45.	×गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड की उप कम्पनी)	पर्वतीय विकास	जून 30, 1975	1980-81	20.00	–	–	20.00	-0.42	–	–	-0.42	0.59	0.25	0.34	32.91	14.07	+19.18	-0.42	-	-
46.	×कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की उपकम्पनी)	पर्वतीय विकास	जून 30, 1975	1981-82	25.00	2.11	–	27.11	-0.33	–	–	-0.33	0.35	0.06	0.29	37.82	11.16	+26.95	-0.33	-	-
47.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	अगस्त 2, 1975	1980-81	25.00	3.54	–	28.54	+1.58	–	–	+1.58	1.39	0.62	0.77	163.71	110.95	+53.53	+1.58	5.5	2.9
48.	उत्तरप्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	अगस्त 27, 1975	1986-87 (30जून)	24.83	18.21	–	43.04	+7.74	32.92	–	+7.74	17.54	3.97	13.57	346.21	44.30	+315.48	+40.66	17.9	12.8
49.	उत्तरप्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	अगस्त 27, 1975	1986-87 (30जून)	19.46	7.95	–	27.41	+2.75	35.53	–	+2.75	3.20	0.64	2.56	367.45	12.56	+357.45	+38.28	10.0	10.7
50.	उत्तरप्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	अगस्त 27, 1975	1986-87 (30जून)	17.38	2.69	–	20.07	+0.21	21.76	–	+0.21	1.78	0.68	1.10	209.48	18.96	+191.62	+21.97	1.0	11.4

× उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
51.	उत्तरप्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	अगस्त 27, 1975	1982-83	14.75	1.77	12.00	28.52	-0.08	12.93	–	-0.08	2.04	1.06	0.98	147.76	11.45	+137.29	+12.85	–	9.3
52	उत्तरप्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	सूचना	सितम्बर 10, 1975	1984-85	587.49	–	130.45	717.94	-117.35	15.73	15.73	-101.62	531.64	168.93	362.71	128.00	145.90	+344.81	-101.62	–	–
×53.	उत्तरप्रदेश टेक्सटाइल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	दिसम्बर 5, 1975	1979-80	16.00	2.74	–	18.74	+1.22	–	–	+1.22	4.82	0.69	4.13	102.12	87.75	+18.50	+1.22	6.5	6.5
×54.	उत्तरप्रदेश टायर्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड)	उद्योग	जनवरी 14, 1976	1985-86	106.68	52.08	155.91	314.67	-19.18	42.61	27.51	+8.33	236.28	99.20	137.08	76.33	124.99	+88.50	+23.43	2.6	26.5
55.	लखनऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	जनवरी 31, 1976	1980-81	50.00	4.26	–	54.26	-0.29	–	–	-0.29	7.96	4.18	3.78	80.42	35.52	+48.68	-0.29	–	–
56.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	मार्च 31, 1976	1981-82	60.00	0.27	–	60.27	-0.84	3.93	–	-0.84	31.78	5.70	26.08	115.59	47.43	+94.24	+3.09	–	3.2

× उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
57.	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	मार्च 31, 1976	1984-85	100.00	—	—	100.00	-9.56	1.43	—	-9.56	82.46	13.31	69.15	89.52	99.97	+58.70	-8.13	—	—
58.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	मार्च 31, 1976	1980-81	87.03	2.01	8.43	97.47	-14.90	1.06	—	-14.90	57.66	12.40	45.26	27.16	23.21	+49.21	-13.84	—	—
59.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	मार्च 31, 1976	1980-81	200.00	3.13	150.00	353.13	-22.31	0.10	—	-22.31	105.90	42.62	63.28	345.99	62.06	+347.21	-22.21	—	—
60.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	मार्च 31, 1976	1983-84	70.00	4.18	—	74.18	-7.13	3.04	—	-7.13	39.97	14.69	25.28	97.33	49.84	+72.77	-4.09	—	—
61.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	मार्च 31, 1976	1982-83	100.00	13.45	—	113.45	+3.14	—	—	+3.14	15.96	0.76	15.20	110.37	12.21	+113.36	+3.14	2.7	2.7
62.×	यू.पी.एस.आई.-सी. पाटरीज लिमिटेड (उत्तर-प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	अप्रैल 27, 1976	1980-81	23.26	—	—	23.26	-3.93	0.39	—	-3.93	4.20	1.42	2.78	12.10	17.37	-2.49	-3.54	—	—
63.	उत्तरप्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड	सिंचाई	मई 26, 1976	1984-85	490.00	773.34	30.00	1293.34	-43.83	105.01	102.01	+58.18	1124.40	170.56	953.84	1805.43	1222.84	+1536.43	+61.18	4.5	3.9
64.×	उत्तरप्रदेश हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन (गोरखपुर एण्ड बस्ती) लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्टेट हैंडलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	मई 26, 1976	1979-80	3.00	14.53	91.50	109.03	+2.94	6.34	6.34	+9.28	9.79	1.48	8.31	151.87	49.43	+110.75	+9.28	8.5	8.3

× उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
65.[×]	भदोही ऊलेन्स लिमिटेड (उत्तर-प्रदेश स्टेट टेक्स-टाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	जून 14, 1976	1986-87	291.56	22.64	—	314.20	-45.20	10.85	—	-45.20	181.70	101.82	79.88	137.95	61.46	+136.37	-34.35	—	—
66.	हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	जून 25, 1976	1986-87	15.00	219.93	—	234.93	+78.34	—	—	+78.34	276.73	147.98	128.75	7124.87	6787.90	+465.72	+78.34	33.3	16.8
67.[×]	उत्तरप्रदेश एब्सकॉट (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	जून 28, 1976	1975-76	4.85	—	10.41	15.26	-1.55	1.14	1.14	-0.41	13.09	0.02	13.07	0.91	1.59	+12.39	-0.41	—	—
68.[×]	हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	सितम्बर 13, 1976	1978-79	2.00	—	190.66	192.66	-0.23	9.22	9.20	+8.97	652.76	385.75	267.01	145.02	222.77	+189.26	+8.99	4.6	4.7
69.	उत्तरप्रदेश पश्चिम क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	जनवरी 31, 1976	1979-80	100.00	4.86	—	104.86	-2.60	—	—	-2.60	23.68	12.91	10.77	100.96	11.52	+100.21	-2.60	—	—
70.	उत्तरप्रदेश डेवल-पमेंट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	योजना	मार्च 15, 1977	1985-86	80.00	—	—	80.00	+1.65	—	—	+1.65	10.71	7.21	3.50	222.98	151.70	+74.78	+1.65	2.0	2.2

× उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
71.	उत्तरप्रदेश स्टेट हार्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	अप्रैल 6, 1977	1981 -82	30.00	1.26	25.00	56.26	-39.00	9.67	6.25	-32.75	55.65	21.26	34.39	40.58	45.30	+29.67	-29.33	—	—
72.	यू.पी.ए.आई लिमिटेड	उद्योग	अप्रैल 28, 1977	1979 -80	17.01	—	-	17.01	-0.14	—	—	-0.14	0.51	0.20	0.31	15.26	0.86	+14.7	-0.14		—
73.[x]	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तरप्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	अप्रैल 30, 1977	1986 -87	22.00	11.42	15.79	49.21	+2.69	41.42	4.04	+6.73	86.32	37.24	49.08	299.42	101.65	+246.85	+44.11	13.6	17.8
74.[x]	अपट्रान सिम्पैक लिमिटेड (उत्तरप्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	मई 23, 1977	1979 -80	2.55	—	—	2.55	-0.78	0.42	—	-0.78	0.79	0.16	0.63	1.90	0.67	+1.86	-0.36	—	—
75.[x]	उत्तरप्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	मार्च 5, 1978	1984 -85	35.20	—	—	35.20	-2.09	0.82	—	-2.09	58.41	5.28	53.13	12.13	15.34	+49.92	-1.27	—	—
76.[x]	अपट्रान कैपासिटर्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	मार्च 13, 1978	1985 -86	151.34	39.41	327.39	518.14	+16.12	63.34	16.45	+32.57	311.83	88.41	223.42	407.03	126.80	+503.65	+79.46	6.2	15.7

[x] उप कम्पनी

1	(2क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
77.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	मार्च 30, 1977	1982 -83	20.00	1.80	—	21.80	+0.62	—	—	0.62	4.30	1.66	2.64	21.91	3.87	+20.68	+0.62	2.8	3.0
78.	उत्तरप्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	कृषि	मार्च 30, 1978	1983 -84	130.00	1.24	—	131.24	-1.26	—	—	-1.26	14.99	8.03	6.96	122.87	29.31	+100.52	-1.26	—	—
79.[x]	अपट्रान कम्पोनेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	मार्च 31, 1979	आरम्भ से ही लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया																	
80.[x]	उत्तरप्रदेश कार्बाइड एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	अप्रैल 23, 1979	1985 -86	497.36	21.25	938.71	1457.32	-102.51	41.58	38.66	-63.85	1385.97	81.37	1304.60	312.51	325.75	+1291.36	-60.93	—	—
81.[x]	अपट्रान डिजिटल सिस्टम लिमिटेड (उत्तरप्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	मई 18, 1979	1985 -86	253.76	67.34	—	321.10	+28.38	85.51	—	+28.38	184.56	79.30	105.26	100.93	427.73	-221.54	+113.89	8.8	—
82.[x]	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर-प्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	अक्टूबर 18, 1979	1985 -86	590.00	331.25	121.03	1042.28	+97.62	81.56	—	+97.62	423.75	120.67	303.08	3182.69	1321.87	+2163.90	+179.19	9.3	8.2

[x] उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
83.	उत्तरप्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	पशु-पालन	अक्टूबर 27, 1979	1984-85	100.00	140.17	55.74	301.91	+2.37	6.11	6.11	+8.48	154.34	29.13	124.21	198.58	62.80	+260.91	+8.48	2.8	2.2
84.×	अपट्रान कम्युनिकेशन्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तरप्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	नवम्बर 15, 1979	1985-86	54.65	36.71	10.88	102.24	+4.38	9.62	--	+4.38	59.29	16.01	45.28	304.88	185.29	+162.87	+14.00	4.28	8.6
85.	उत्तरप्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ऊर्जा	अगस्त 25, 1980	1984-85	100.00	---	13492.94	13592.94	निर्माणाधीन												
86.	उत्तरप्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एव विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	नवम्बर 19, 1984	1985-86	55.00	—	—	55.00	-4.05	—	—	-4.05	2.51	0.36	2.15	48.49	0.70	+49.94	-4.05	—	—
87.×	अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	नवम्बर 8, 1985	1985-86	426.28	—	65.45	491.73	निर्माणाधीन												
88.	उत्तरप्रदेश अल्पार्थक एवं लघुजल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	अप्रैल 15, 1985	1985-86	20.00	—	—	20.00	निर्माणाधीन												
89.	उत्तरप्रदेश हिल एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तरप्रदेश एलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की उपकम्पनी)	उद्योग	जून 26, 1985	1986-87 (30 जून)	68.76	—	—	68.76	-4.62	—	—	-4.62	5.21	0.75	4.46	62.18	3.64	+63.00	-4.62	—	—

×उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
90.[x]	विन्ध्याचल एब्रेसिब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	दिसम्बर 5, 1985	——आरम्भ से ही लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया——																	
91.[x]	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तरप्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	चीनी उद्योग	मई 30, 1986	——लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया——																	
92.	उत्तरप्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	मार्च 27, 1987	——																	
93.[x]	कुमायूं टेलीवीजन प्राइवेट लिमिटेड (टेलीट्रोनिक्स लिमिटेड की उप कम्पनी)	पर्वतीय विकास	अगस्त 29, 1984	1986 -87 (30जून)	5.03	13.57	17.19	35.79	+16.71	9.18	9.17	+25.88	6.95	2.78	4.17	136.51	52.83	+87.85	+25.89	72.3	29.4
94.	इण्डियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	फरवरी 22, 1924	——समापन की प्रक्रिया में——																	
95.[x]	टरपेन्टाइन सबसिडियरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	जुलाई 18, 1939	——समापन की प्रक्रिया में——																	

[x] उप कम्पनी

1	2(क)	2(ख)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
96.	×उत्तरप्रदेश पाटरीज(प्राइवेट) लिमिटेड(उत्तर-प्रदेश स्माल इण्ड-स्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	उद्योग	जून 28,1972	——समापन की प्रक्रिया में——																	
97.	गण्डक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	मार्च 15,1955	——समापन की प्रक्रिया में——																	

टिप्पणी–1 क्रमांक 3,13,21 एवं 40 पर अंकित कम्पनियों के प्रकरण में नियोजित पूँजी, नियोजित पूँजी के औसत–(i) प्रदत्त पूँजी (ii) बन्धकों एवं ऋण पत्रों, (iii) संचित निधियों, (iv) पुनर्वित्तीयन सहित ऋणों एवं (v) निक्षेपों के प्रारम्भिक शेषों एवं संवरण-शेषों के योग के औसत को दर्शाती हैं ।

2. क्रमांक 76,81 एवं 84 पर अंकित कम्पनियां मार्च 31,1987 के पश्चात् क्रमांक 82 पर अंकित कम्पनी ने संविलीन हो चकी हैं ।

3. ×उप कम्पनी ।

परिशिष्ट – 4

सांविधिक निगमों के तैयार किये गये लेखों वाले नवीनतम वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाली विवरणी

(प्रस्तर 1.3.6 पृष्ठ 33 पर निर्दिष्ट)

क्रमांक	निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन वर्ष	लेखा वर्ष	कुल निवेशित पूँजी	लाभ(+)/ हानि(–)	लाभ/हानि लेखा का प्रभारित कुल ब्याज	दीर्घावधिक ऋणों पर ब्याज	निवेशित पूँजी पर कुल प्रति लाभ (7+9)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रति लाभ (7+8)	निवेशित पूँजी पर कुल प्रति लाभ का प्रतिशत	नियोजित पूँजी पर कुल प्रति लाभ का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					(लाख	रूपयों	में)						
1.	उत्तरप्रदेश राज्य विद्युत परिषद	ऊर्जा	1959	1986 –87	504064	–5643.00	34500.00	34500.00	28857.00	232277	28857.00	5.7	12.4
2.	उत्तरप्रदेश वित्तीय निगम	उद्योग	1954	1986 –87	37905	+278.52	2437.86	2437.86	2716.38	33579(क)	2716.38	7.2	8.1
3.	उत्तरप्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	सहकारिता	1958	1985 –86	2481	+271.28	90.75	90.75	362.03	2452	362.03	14.6	14.8
4.	उत्तरप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1972	1984 –85	13986	–2239.00	860.44	860.44	–1378.56	4756(ख)	1378.56	—	—

टिप्पणी (क) (I) प्रदत्त पूँजी, (II) बन्ध पत्रों एवं ऋण पत्रों, (III) संचित निधियों (IV) पुनर्वित्तीयन सहित ऋणों के प्रारम्भिक शेषों तथा संवरण शेषों के योगों के औसत को व्यक्त करती है।

(ख) नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियों तथा कार्यशील पूँजी के योग को व्यक्त करती है ।

पी० ए१० यू० पी०--6 महालेखाकार--13-6-'89--1,750 (आफसेट)।

[illegible]	[illegible]	7.11	2.21	2.30	10.50
[illegible]	[illegible]	95.35	51.53	45.41	60.07
[illegible]	[illegible]	15.79	15.79	15.79	15.79
[illegible]	1710.20	1220.72	1428.38	1522.85	1461.83
योग	1714.79	2132.45	2384.59	2267.21	2487.00